दशम माला, खंड 4, अंक 40

शुक्रवार, 6 सितम्बर, 1991
15 भाद्र, 1913 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

पहला सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 4 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

दशम माला, खंड 4 पहला सत्र, 1991/1913 (शक)

अंक 40, शुक्रवार, 6 सितम्बर, 1991/15 भाद्र 1913 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या	1—25
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या	26—206
अतारांकित प्रश्न संख्या	
सभा पटल पर रखे गए पत्र	207—212
राज्य सभा से सन्देश	212—213
सभा का कार्य	213—216
संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प	
और	
संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक	216—225
(राज्य सभा द्वारा किए गए सशोधन पर विचार)	
श्री राम नाईक	217—221
श्री सीताराम केसरी	221—222
श्री गिरधारी लाल भार्गव	222—225
बैंक आफ क्रेडिट एण्ड कामर्स इंटरनेशनल (ओवरसीज) लिमिटेड के बन्द होने के बारे में प्रस्ताव	225—237
श्री जसवन्त सिंह	
सेना मुख्यालय के सैन्य प्रशिक्षण महानिदेशालय में अपर महानिदेशक, मेजर जनरल ए. एम. मलिक की 4 सितम्बर, 1991 को दुर्घटनावश हुई मृत्यु के बारे में मंत्री द्वारा वक्तव्य	238
श्री एस. कृष्ण कुमार	

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
नियम 357 के अधीन व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	238—240
बेरोजगारी के बारे में गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का संकल्प	240—273
श्री ई० अहमद	240—242
श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी	242—245
श्री संतोष कुमार गंगवार	245—247
श्री नवल किशोर राय	247—249
श्री सुब्रत मुखर्जी	249—251
श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक	251—256
श्री पी० पी० कालियापेरूमल	256—258
श्री सत्य नारायण जटिया	258—261
श्री सूर्य नारायण यादव	261—265
श्री के० प्रधानी	265—266
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	266—269
श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल	269—272
श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये	272—280

लोक सभा

शुक्रवार, 6 सितम्बर 1991/15 भाद्र 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म०पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे सभा को अपनी भूतपूर्व सहयोगी श्रीमती बिमल कौर के दुःखद निधन की सूचना देनी है।

श्रीमती बिमल कौर ने नोवीं लोक सभा में पंजाब के रोपड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का दिसम्बर, 1989 से मार्च, 1991 तक प्रतिनिधित्व किया था। वह उसी निर्वाचन क्षेत्र से दसवीं लोक सभा के लिए उम्मीदवार थीं, जहां चुनाव अभी होने हैं।

उन्होंने सभा की कार्यवाही में, विशेष रूप से पंजाब से सम्बन्धित चर्चाओं में सदैव अत्यधिक रुचि ली और इस राज्य के विकास के कार्य को आगे बढ़ाने में जोर-शोर से जुटी रहीं।

श्रीमती बिमल कौर का, 41 वर्ष की अल्पायु में दिल का भारी दौरा पड़ने के कारण 2 सितम्बर, 1991 को पंजाब के मोहाली में निधन हो गया।

हम श्रीमती बिमल कौर के निधन पर गहन संवेदना व्यक्त करते हैं और सभा की ओर से संतप्त परिवार के प्रति अपनी सान्त्वना भेजते हैं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ देर मौन खड़े रहेंगे।

[तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे]।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

11.03 म०पू०

इच्छापुरम और पार्वतीपुरम के निकट कासीबग्गा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 का विकास करना

*712. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 पर इच्छापुरम और पार्वतीपुरम के निकट कासीबग्गा के बीच की सड़क यातायात के उपयुक्त नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजमार्ग के इस भाग की मरम्मत और विकास हेतु धनराशि नियत करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) हाल ही की लगातार भारी वर्षा और तेज बाढ़ों के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 5 के इच्छापुरम और कासीबग्गा के बीच के खंड पर प्रभाव पड़ा है। सड़क को यातायात योग्य बनाने के लिए आवश्यक मरम्मत कर दी गई है। क्षति के पूर्ण और अन्तिम अनुमान तथा आवश्यक मरम्मत कार्य करने संबंधी प्रस्ताव अभी राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं।

श्री गोपी नाथ गजपति : महोदय, माननीय मंत्री ने अभी जो उत्तर दिया है वह सही स्थिति को व्यक्त नहीं करता। मैं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 का नियमित प्रयोग करता हूं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की अन्तर्राज्यीय सीमा पर स्थित इच्छापुरम शहर में काफी यातायात होता है और चैक पोस्ट होने के कारण, यहाँ लारी यातायात भी काफी होता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 पर इच्छापुरम और कासीबग्गा के बीच के भाग में सड़क की स्थिति अत्यन्त शोचनीय है। वास्तव में, यह शब्द भी वहां की दुर्दशा के लिए पर्याप्त नहीं है।

यह स्थिति अभी हाल ही में ही नहीं हुई है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति दस वर्षों से बनी हुई है।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार का निकट भविष्य में सड़क की इस शोचनीय अवस्था को सुधारने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री जगदीश टाईटलर : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि बाढ़ आने और भारी वर्षा होने के बाद से सड़क की स्थिति अत्यन्त खराब है। थोड़ी बहुत मरम्मत की आवश्यकता पूरी कर दी गई है। किन्तु पूरे नुकसान का आकलन करने से पूर्व हमें राज्य सरकार की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

श्री गोपीनाथ गजपति : अध्यक्ष महोदय, निश्चय ही हमारे चतुर माननीय मंत्री ने अमेरिका के 'फ्री वेज' और जर्मनी के 'आटोबैन्स' देखे होंगे। इस स्तर के राष्ट्रीय राजमार्ग जो कलकत्ता और मद्रास के दो महानगरों को जोड़ते हैं, यदि वह इस स्थिति में रहे, तो यह वास्तव में शोचनीय है। मैं यह कहना चाहूंगा कि इच्छापुरम और कासीबग्गा के इस बीच के भाग में कम से कम आधा दर्जन रेलवे फाटक है, जिसके कारण सुगम यातायात संभव नहीं है। इसलिए मैं माननीय भूतल परिवहन मंत्री और माननीय रेल मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, ताकि शीघ्रता से इस स्थिति में सुधार हो मैं यह भी जानना चाहूंगा कि बिना किसी अवरोध के यातायात सुनिश्चित करने के लिए क्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऊपरी पुल या भूमिगत पथ बनाए जायेंगे।

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय, ये प्रस्ताव अत्यन्त उत्तम हैं। हम इन प्रस्तावों पर विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 713, श्री राम टहल चौधरी।

श्री लोकनाथ चौधरी : मैं भी प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हम दूसरे प्रश्न पर आ गए हैं।

एक माननीय सदस्य : मैं उसी क्षेत्र का हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम दूसरे प्रश्न पर आ चुके हैं।

श्री लोकनाथ चौधरी : क्या आप एक पूरक प्रश्न की अनुमति नहीं देंगे ?

सीमा शुल्क कर्मचारियों को प्रोत्साहन

[हिन्दी]

*713. श्री राम टहल चौधरी :

श्री तेज नारायण सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तस्करी के मामलों का पता लगाने के लिए सीमा शुल्क कर्मचारियों को विशेष प्रोत्साहन दिये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन प्रोत्साहनों में संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आय कर और उत्पाद शुल्क विभागों के कर्मचारियों को भी इसी तरह के प्रोत्साहन देने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) तस्करी के मामलों का पता लगाने के लिए सीमा शुल्क पदाधिकारियों को विशेष प्रोत्साहन की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर भी सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के अधीन और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 तथा स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम 1968 (निरसित) के अतिलंघन करने पर की गई जब्ती, शुल्क के अपवंचन के मामलों का पता लगाने पर इनाम दिए जाने की स्कीम है। इस स्कीम के अन्तर्गत सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय पुलिस संगठन, राज्य सरकारों आदि के अधिकारी इनाम पाने के पात्र हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) तलाशी लेने और जब्ती, संक्षिप्त निर्धारण स्कीम के अन्तर्गत निपटान, करों की वसूली, संविदा के लिए और आयकर अपील अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए आयकर के अधिकारियों और कर्मचारियों को इनाम देने की भी योजना है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारी और कर्मचारी पहले से ही ऊपर (क) में निर्दिष्ट स्कीम के अंतर्गत आते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह उत्तर स्पष्ट नहीं है। इस स्कीम के अन्तर्गत कौन-कौन से प्रोत्साहन आते हैं, क्या मंत्री जी इसका ब्यौरा देंगे ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : हमारी योजनायें इंडियन कस्टम एक्ट 1962, सैन्ट्रल एक्साइज एण्ड सॉल्ट एक्ट 1944 और फौरन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, इन तीनों के अन्तर्गत इनसैन्टिव जोड़ना नहीं रिवार्ड जोड़ना है, जो रिवार्ड लोगों को दिया जाता है। इसकी व्यवस्था यह है कि जो लोग सूचना देने वाले हैं, जो विभाग को जानकारी देते हैं और जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं, ग्रुप ए के सुपरिटेंडेन्ट हैं, असिस्टेंट कलैक्टर्स ऑफ कस्टम एण्ड सैन्ट्रल एक्साइज हैं, असिस्टेंट डायरैक्टर्स हैं, वे इसको प्राप्त करने के अधिकारी हैं, उनको यह मिल सकता है। इसकी एक पूरी योजना है जिसका संक्षिप्त विवरण मैं माननीय सदस्य के सामने अभी प्रस्तुत कर रहा हूं। और उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर से ऊंचे "ए" ग्रुप के अधिकारी हैं। वह इसको पाने के अधिकारी नहीं हैं लेकिन यदि वह कोई विशेष काम करते हैं तो खास-खास केसिज में सरकार विचारपूर्वक उनको लम्पसम एमाउंट देती हैं, एकमुश्त रकम देती है अथवा उनको पदोन्नति में या उनको वेतन की वृद्धि में एडवांस इनक्रिमेंट जिसे कहते हैं, वह उनको दी जाती है। एक योजना एक्सग्रेशिया पेमेंट के मामले में है। 20 परसेंट जो कन्ट्रावेंड गुड्स हैं जिस को पकड़ने में लोग मदद करते हैं उनको 20 परसेंट तक दिया जाता है। ड्यूटी इवेजन के जो केसिज हैं, जिसको डिटैक्ट कराने में कोई मदद करते हैं तो उनको 30 परसेंट तक दिया जाता है। इसके अतिरिक्त सरकार जो फाइन लगाती है विभाग की तरफ से उस पर 20 परसेंट तक रिवार्ड देने की व्यवस्था है लेकिन यह व्यवस्था अलग-अलग केसिज में है, जैसे जिन का काम है या जिसने जिस काम में जितना हिस्सा बटाया है, उन सब को देखा जाता है। एकुरेसी ऑफ इन्फार्मेशन को को भी देखा जाता है। जो कोई भी सूचना किसी ने दी है, वह कहां तक सही है, सूचना देने वाले ने क्या जोखिम उठाया है और इनकी तरफ से वास्तविक सहायता क्या दी गई है, इन सब पर भी विचार करके उसको दिया जाता है। इसके बारे में पूरी योजना है जिसमें हैड ऑफ दि डिपार्टमेंट 20 लाख रुपये तक की रकम रिवार्ड में दे सकते हैं और वे उसे इनफॉमर को दे सकते हैं। 10 हजार तक पाने वाले जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको दे सकते हैं···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आपका जवाब बहुत लम्बा हो गया है···

(व्यवधान)

श्री रामेश्वर ठाकुर : माननीय सदस्य विस्तृत जानकारी चाहते हैं···(व्यवधान)···हमने उसे सभी लोगों को दिया है। उसके लिये कमेटी बनी है और वह ही इसे विचारपूर्वक देखती है।

श्री राम टहल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि अभी तक कितने अधिकारियों और कर्मचारियों ने इसकी सूचना दी है और कितना उनको अभी तक इनाम दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : कितनों को इसका लाभ मिला है ? अगर आपके पास इसकी फीगर्स हैं तो दे दीजिये।

श्री रामेश्वर ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, 1986-87 में जब यह चालू किया गया था तो दो केसिज में सेंट्रल बोर्ड द्वारा दिया गया था। इसमें एक लाख रुपये दिये गये हैं, इसमें 90 अफसर थे और स्टाफ के मेम्बर 150 थे। 1986-87 में पांच और 4 लाख 91 हजार रुपये दिये गये, 165 अफसर थे और 270 कर्मचारी थे, 1987-88 में 19 केसिज हैं जिसमें 13 लाख 80 हजार रुपये दिये गये, 343 अफसरों को रिवार्ड दिया गया और 656 स्टाफ के थे। इसी तरह 1988-89 में 14 केसिज में 7 लाख 17 हजार दिये, 172 अफसर थे और 428 स्टाफ के लोग थे। 1990-91 में 23 केसिज हुए हैं, 27 लाख रुपये दिये गये जिसमें 118 स्टाफ के कर्मचारी थे और 428 अफसर थे। इस तरह से हमने इसे दिया है।

[अनुवाद]

श्री ई० अहमद : महोदय, माननीय मंत्री ने दो प्रकार की योजनाओं का उल्लेख किया है, इनाम और प्रोत्साहन। किन्तु उनके वास्तविक कार्य पर विचार करने के बाद और अधिकारियों के निश्चय के आधार पर ही उन्हें इनाम दिये जाते हैं। सरकार ऐसी व्यापक योजना क्यों नहीं बनाती, जिसमें अधिकारियों को अधिक तस्करी की वस्तुएं पकड़ने पर प्रोत्साहन के तौर पर इनाम दिए जाएं। मैं यह भी जानता हूं कि इन तस्करी की गतिविधियों की खोज में प्रत्यक्षतः संलग्न कुछ अधिकारियों की कुछ कारणों से उपेक्षा की जाती है। क्या सरकार ऐसे मामलों की जांच करेगी ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : सर्वप्रथम, ऐसी कोई प्रोत्साहन योजना नहीं है। मैंने यह नहीं कहा है कि एक इनाम योजना है और एक प्रोत्साहन योजना है। वस्तुतः, मैंने हिन्दी में यह स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई प्रोत्साहन योजना नहीं है, किन्तु एक इनाम योजना है। सीमा शुल्क कानून, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और आयकर कानून में इनाम की एक योजना है। और मैंने इनामों का ब्यौरा दे दिया है। ये इनाम कुछ सुपरिभाषित मानदण्डों के आधार पर ही दिए जाते हैं और इन मानदण्डों की जांच की जाती है। मैंने जांच करने वाले अधिकारियों का भी विवरण दिया है। फिर, इन सब मामलों की तटस्थता से जांच करने के वास्ते वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति भी है। जो हम सम्बन्धित अधिकारी या अधिकारी दल द्वारा किए गए योगदान पर भी विचार करने का प्रयास करेंगे। वास्तव में, इस सम्बन्ध में प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। बारी से पहले पदोन्नति दी जाती है, एकमुश्त इनाम दिया जाता है और कतिपय सम्मान भी दिया जाता है। यह सब पूरी तरह सम्बन्धित अधिकारी की कार्यक्षमता पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

श्री तेजनारायण सिंह : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपका इनाम देने का क्राइटीरिया क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : वह उन्होंने बता दिया।

श्री तेजनारायण सिंह : क्लीयर नहीं बताया उन्होंने। मुझे जो जवाब मिला है, उस जवाब में इस तरह से कुछ नहीं है। मैं केवल यह जानना चाहता हूं···

अध्यक्ष महोदय : नहीं, सप्लीमेंट्री के जवाब में उन्होंने कहा, मैंने कहा टेबिल पर रख दीजिए।

श्री तेजनारायण सिंह : मेरा जो पूछना है कि तस्करी के मामले में, आयकर चोरी के मामले में और उत्पाद शुल्क के मामले में, तीनों के मामले में जो पता लगाता है, चाहे खुफिया विभाग का काम करता है, उसको इनाम देने का क्राइटीरिया क्या है ? तीनों का इक्वल है या तीनों में कोई भिन्नता है ? यही मुझे जानकारी करनी है।

श्री रामेश्वर ठाकुर : मैंने पहले आपसे निवेदन किया, कस्टम, सैण्ट्रल एक्साइज़ में जो व्यवस्था है, यूनीफार्मली उसका व्यवहार होता है, एक तरह से । लेकिन अलग-अलग है, जो बड़ी रकम निकालते हैं, उनके लिए अलग दर है और जो छोटी रकम निकालते हैं, छोटी चीजों में मदद करते हैं, किन-किन चीजों में कितनी मदद करते हैं, सभी बातों पर विचार कर उन्हें इनाम दिया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है । इन्कम टैक्स में भी वही व्यवस्था है। इन्कम टैक्स के लिए अलग विधि बनाई गई है जिसमें कि आई०टी०ओ० में जो-जो काम करते हैं, जो 5 हजार तक समरी असेसमैण्ट करते थे, उनको बेस्ट असेसमेण्ट यूनिट का 20 हजार रुपये तक दिया जाता है। इसी प्रकार से जो रिफण्ड वगैरह का है, जो लोगों को रुपया समय पर वापस करते हैं, एक महीने के अन्दर-अन्दर, उनको भी बेस्ट एवार्ड दिया जाता है और वह इण्डीविजुअल केसिस में एक लाख रुपये तक जा सकता है। इसी तरह से असेसमेण्ट के बारे में उनके सारे कागजात समय पर चले जायें, उसके लिए ऑल इण्डिया एवार्ड 20 हजार रुपये तक का है। इसी तरस से तीन सबसे बढ़िया समरी असेसमैण्ट की जो यूनिट होती हैं, उनको हम अलग से देते हैं, बेस्ट असेसमैण्ट एवार्ड 20 हजार रुपये तक का।

इसी प्रकार से भिन्न-भिन्न कार्यों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के एवार्ड दिये जाते हैं, विचारपूर्वक दिये जाते हैं। कुछ को तो ऊंचे ढंग के दिये जाते हैं, वह बोर्ड के सदस्य डिसाइड करते हैं, बोर्ड के अध्यक्ष निर्णय करते हैं और वह बिल्कुल विचारपूर्वक दिये जाते हैं। इस प्रक्रिया का उपयोग अच्छी तरह से हुआ है।

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या सरकार यह बता सकती है कि तस्करी की जानकारी देने वाले कई लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर जानकारी दी, माल पकड़ा भी गया और उन्हें जो इनाम मिलना चाहिए था, उसका कुछ अंश ही मिला और शेष अंश, ज्यादा अंश अभी भी बाकी है ? सरकार के पास पत्राचार भी किया गया लेकिन अब तक उसे रिवार्ड नहीं मिल सका।

श्री रामेश्वर ठाकुर : माननीय सदस्य किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों के विषय में सूचित करेंगे तो हम अवश्य उसपर विचार करेंगे और उनका जो वाजिब होगा, वह उनको मिलेगा। लेकिन अभी यहां जो सूचना है उसके आधार पर सभी लोगों को विचारपूर्वक दिया जाता है, उसमें कोई असुविधा नहीं है। वर्षों पहले भी देते रहे हैं । वर्ष 1988-89 में हमारा 55 करोड़ का बजट था, 1989-90 में यह 74 का हुआ। इसी तरह से इसमें वृद्धि हो रही है । इनकम टैक्स फिल्ड में जो दे रहे हैं, उसमें वृद्धि हुई है। हर साल हम दे रहे हैं। इस में कोई पक्षपात या भेद नहीं किया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : अध्यक्ष महोदय मैं यह जानना चाहता हूं, तस्करी की जानकारी दी गई है, माल भी पकड़ा गया है, तो रिवार्ड देने में क्यों विलम्ब हो रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कोई केस है, तो उसके लिए कहा है।

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : मैंने लिखा है।

अध्यक्ष महोदय : आप लिखिएगा।

श्री कड़िया मुण्डा : अध्यक्ष महोदय, इतने प्रयासों के बावजूद भी तस्करी की रोकथाम आज तक नहीं हो पाई है। हमारे यहां रांची और धनबाद जिले में हैरोइन पकड़ी गई है। रांची में एक किलोग्राम हैरोइन सैकेंड-ग्रेड की और धनबाद में नौ सौ ग्राम सुपर क्वालिटी की पकड़ी गई है। दोनों की कीमत लगभग दो करोड़ रुपए की होती है। मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे, दूरदराज इलाकों में हैरोइन न पहुंचे इसकी कोई व्यवस्था आपके डिपार्टमेंट ने की है या आपके पास ऐसी कोई योजना है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, आतंकवाद का मुकाबला करते हुए केन्द्रीय पुलिस बल के कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनको निर्धारित मात्रा में सहायता दी जाती है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या सरकार के पास ऐसी कोई तजवीज है कि तस्करी में, आयकर में या कस्टम्स में बड़े आपरेशन में मारे जाने वाले कर्मचारियों को उसी लैवल पर कम्पैंसेशन दी जाएगी ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति जान जोखिम में डाल कर हमें आयकर, सैन्ट्रल एक्साइज या कस्टम्स में सूचनायें देते हैं, उनको हम अधिक से अधिक रिवार्ड देने की कोशिश करते हैं। यदि माननीय सदस्य के पास कोई ऐसा केस हो, जिसमें ... (व्यवधान) ...

श्री बूटा सिंह : जिस प्रकार सैन्ट्रल पुलिस बल का कोई कर्मचारी मारा जाता है, तो उसको रूल्स के मुताबिक एक लाख रुपए और उसके बच्चे को नौकरी दी जाती है, उसी प्रकार मैं स्पैसिफकली पूछ रहा हूं।

[अनुवाद]

क्या सरकार सीमा शुल्क और आयकर के मामले में ऐसी योजना अपनाने को तैयार है।

श्री रामेश्वर ठाकुर : आयकर विभाग में ऐसी योजना पहले से ही अपना रहा है।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री राधिका रंजन प्रमाणिक : महोदय, मंत्री ने अभी कहा है कि तस्करी के मामलों का पता लगाने वाले अधिकारियों को इनाम, पदोन्नति या प्रोत्साहन देने की व्यवस्था है। मैं माननीय मंत्री को सूचित करना चाहता हूं कि कुछ दिन पूर्व सिलिगुड़ी क्षेत्र में तस्करी करते हुए एक तस्कर पकड़ा गया था।

अध्यक्ष महोदय : शायद उन्हें सूचना प्राप्त नहीं हुई होगी।

श्री राधिका रंजन प्रमाणिक : महोदय. इनाम देने के स्थान पर उस अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री को लिखिए और वे आपको उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया यह समझें कि वह सूचना मंत्री के पास नहीं है ।

श्री राधिका रंजन प्रमाणिक : यह खबर समाचार-पत्रों में छपी थी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अनावश्यक रूप से सभा का समय ले रहे हैं । मैं उस प्रश्न को अस्वीकृत कर रहा हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री को लिखिए। वे इसक उत्तर देंगे। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

[हिन्दी]

श्री अन्ना जोशी : अध्यक्ष महोदय, स्मगलिंग में अगर कोई बड़ी चीज पूरी टीम द्वारा पकड़ी जाती है, उसकी इन्सैन्टिव की जो भी रकम है, वह सब में डिवाइड की जाती है या जो उनका अधिकारी है, उनको दी जाती है ? दूसरा—जैसे कोई अच्छा काम करने वाले के लिए इन्सैन्टिव रहता है, वैसे ही जिनके खिलाफ करप्शन या फ्रॉड आदि की बड़े पैमाने पर लोगों की शिकायतें आती हैं, वे प्रूव हो जाती हैं, तो ऐसे अधिकारियों को सजा देने के बारे में, दंड देने के बारे में क्या कदम उठाते हैं ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: दूसरा प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है । आप पहले प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि उसके बारे में पहले ही काफी कुछ कहा जा चुका है ।

श्री अन्ना जोशी : महोदय, यह सीमा-शुल्क अधिकारियों के व्यवहार के बारे में है ।

अध्यक्ष महोदय : जो अपना काम नहीं करते, उन्हें दंड देने के लिए कोई कानून नहीं है ।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, उसमें जो आफिसर और उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, सब लोगों को उनकी टीम के हिसाब से जाता है। और किसी विशेष कर्म में, उस टीम में भी किसी विशेष अधिकारी या कार्यकर्ता ने जोखिम लेकर काम किया है, तो उनको व्यक्तिगत तौर पर भी अधिक और दिया जाता है। इसलिए टीम और व्यक्तिगत, दोनों तरह से देने की व्यवस्था है ।

प्रो० प्रेम धूमल : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री महोदय ने पहले भी एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में बताया और फिर उसके बाद भी बताया, लेकिन मैं थोड़ा-सा और स्पष्ट करवाना चाहता हूं—पहले आपने कहा कि असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक तक के ऑफीसर को यह रिवार्ड दिया जाता है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब ऐसी कोई सूचना आती है, कोई व्यक्ति सूचना देता है, तो डायरेक्टर लेवल और हायर लेवल पर वह सूचना आती है और सारी योजना उस स्मगल्ड माल को पकड़ने की बनती है, जब मौके पर जाते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर के अधीन अगर वे अधिकारी जाते हैं, तो उच्च रैंक के जो अधिकारी हैं, उनमें यह शिकायत है कि सारा प्लान तो वे तैयार

करते हैं, लेकिन जब रिवार्ड की बारी आती है, तो वह असिस्टेंट डायरेक्टर तक रह जाती है, तो क्या सरकार उच्च अधिकारियों को भी उचित इनाम देगी, उसी के साथ शामिल कर के एक निश्चित नीति बनाकर चलेगी, जिससे उनमें व्याप्त ऐसी भावनाएं समाप्त हों।

श्री रामेश्वर ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, सूचना के आधार पर जो रिवार्ड दिए जाते हैं, वे सूचना देने वाले समाज के जो व्यक्ति हैं उनको या यदि कोई अधिकारी हैं, तो उनको दिए जाते हैं, लेकिन जो ऊपर के अधिकारीगण हैं, यदि वे सामान्य कर्तव्य पालन को करते हुए उस सूचना के आधार पर रेड करते हैं, तो उसमें बहुत से दूसरे विभाग के लोग भी लगते हैं, जैसे नॉरकोटिक्स वाले, कोस्ट गार्ड वाले, बी०एस०एफ० वाले, पुलिस वाले, इन्कम टैक्स वालों को भी बुलाते हैं, जो लोग वास्तव में सम्मिलित होते हैं और जिनका उसमें योगदान होता है, उनको देते हैं। जिन अधिकारीगण ने उसमें कोई विशेष कर्तव्य, दायित्व निभाया हो, तो उनको मिलेगा। चूंकि वे ऊंचे अधिकारी हैं इसलिए उनको मिलेगा ऐसा नहीं है।

[अनुवाद]

श्री पी०सी० थामस : इन विभागों में कई ईमानदार अधिकारी हैं, जिन्हें बड़े तस्करों द्वारा तंग किया जा रहा है। ये बड़े तस्कर काफी धन देते हैं या अधिकारियों को ये धन देकर प्रभावित करने का प्रयास करते हैं ?

क्या मंत्रालय इस पर विचार करेगा और ईमानदार अधिकारियों को वास्तव में प्रोत्साहन देगा ।

अध्यक्ष महोदय : यह हो गया है।

(व्यवधान)

श्री रामेश्वर ठाकुर : सिर्फ यही नहीं, मैं उन्हें अपेक्षित सुरक्षा देने का भी प्रयास करूंगा ।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं क्योंकि हम बार-बार अखबारों में पढ़ते हैं और हमारा ध्यान बार-बार ऐसी घटनाओं की तरफ जाता है कि हिन्दुस्तान में कोई खास इलाके हैं, जो तटीय राज्य हैं, वहां कुछ हद तक ज्यादा कस्टम ऑफीसर्स के ऊपर स्मगलरों की तरफ से हमले होते हैं क्योंकि उनके पास भी बहुत आधुनिकतम नौका एवं अन्य अस्त्र होते हैं, तो मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इनाम देने के सिलसिले में उनका ध्यान गया है कि हिन्दुस्तान में ऐसे कौनसे इलाके हैं, कौन से तटीय राज्य हैं, जहां ज्यादा खतरा कस्टम ऑफीशियल्स हैं, जो स्मगलरों को पकड़ते हैं, उनके ऊपर होता है क्योंकि उनके पास ज्यादा आधुनिकतम हथियार और नौका आदि होते हैं, तो उस इलाके के बारे में बताएं और उस इलाके में उनकी रक्षा करने हेतु, इनाम देने के लिए, जैसे रेड करने में वलनरेबल हो जाता है, इस बारे में क्या कदम सरकार की तरफ से उठाए गए हैं ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, हमारी जो बाहर से अन्तर्राष्ट्रीय स्मगलिंग होती है, वह समुद्र तटीय जो क्षेत्र हैं और जमीन से जैसे पाकिस्तान और नेपाल से लगे हुए क्षेत्र हैं, वे सभी

क्षेत्र जिसको कि वलनेरेबल कहते है, यानी जो हमारे लिए ऐसे क्षेत्र हैं, जहां इस तरह के काम आए दिन होते रहते हैं, राजस्थान में ऊँट लेकर लोग चले आते हैं, तरह-तरह की उसमें कठिनाइयां हैं। हमने यह कोशिश की है कि इन चीजों का मुकाबला करने के लिए हमारे जो अधिकारीगण हैं, उनके पास सामान, गाड़ी और अपने पास सक्षम हथियार हों जिनसे उसका ठीक से मुकाबला कर सकें और इसमें हम राज्य सरकारों के अधिकारियों से भी मदद लेते हैं। केन्द्रीय सरकार की जो अपनी संस्था वह सक्षमता से इसके लिए प्रयास करती है और हमारा हमेशा ही यह ख्याल रहता है कि ऐसे जो ऑफीसर्स हैं, उनको अधिक से अधिक सुरक्षा प्रदान की जाए और उनके कार्य को प्रोत्साहन दिया जाए, यह व्यवस्था भी की जाती है।

[हिन्दी]

निर्यात ऋणों पर ब्याज की दरों में संशोधन

*714. श्री सुधीर सावन्त : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में निर्यात-ऋणों पर ब्याज की दरों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ऐसा करने का क्या उद्देश्य है;

(ग) क्या इससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा; और

(घ) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अन्य क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) निर्यात ऋणों पर ब्याज दर 6 अगस्त 1991 से संशोधित की गई थी और भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को इस सम्बन्ध में समुचित निर्देश जारी कर दिए हैं।

(ख) और (ग) एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(घ) सरकार ने हाल ही में व्यापार नीति को उदार बना दिया है और बाजारोन्मुख प्रोत्साहन देने, आयात तथा निर्यात को अविनियमित करने और लाइसेन्स मुक्त करने, क्षेत्रीय कार्यालयों को प्राधिकार सौंपने और कार्यविधि को सरल बनाने के लिऐ अनेक उपाय शुरू किये हैं। इन उपायों को 13-8-1991 को लोक सभा में सभा पटल पर प्रस्तुत किए गए व्यापार नीति सम्बन्धी वक्तव्य में शामिल किया गया है।

विवरण

उद्देश्य—रुपये की विनिमय दरों में समायोजन के साथ-साथ सरकार के निर्यात पर दिये जाने वाले आर्थिक सहायता को समाप्त करने का निश्चय किया है जिसमें ब्याज सहायता भी शामिल है। परिणामस्वरूप, भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये जाने वाले निर्यात ऋण पर ब्याज की दरों को दिनांक 6-8-1991 से संशोधित कर दिया है।

संशोधित ब्याज दरें निम्नलिखित हैं :

1. पोतलदानपूर्व ऋण—180 दिनों तक की अवधि के लिए—13.50% प्रतिवर्ष।

2. पोतलदान पूर्व ऋण—180 दिनों से अधिक 270 दिनों तक के लिए—13·50% प्रतिवर्ष।

3. पोतलदान पश्चात् ऋण—90 दिनों की अवधि के लिए—12·50% प्रतिवर्ष।

4. पोतलदान पश्चात् ऋण—90 दिनों से अधिक 180 दिनों तक के लिए—18% प्रतिवर्ष।

निर्यात ऋण (ब्याज सहायता) योजना, 1968 के अन्तर्गत वाणिज्यिक बैंकों को उपलब्ध ब्याज सहायता को 6 अगस्त, 1991 से वापस ले लिया गया था इसके परिणामस्वरूप ब्याज दर ढांचे में ऊर्ध्वमुखी संशोधन किया गया। निर्यात ऋण का मौजूदा ब्याज दर ढांचा रियायती ही बना रहेगा क्योंकि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सामान्यत: वसूल की जाने वाली ब्याज दर 18·5% प्रतिवर्ष या उससे अधिक है। 90 दिनों से लेकर 180 दिनों तक के लिए पोतलदान पश्चात् ऋणों के लिए ब्याज की दर 18% प्रतिवर्ष निर्धारित की गई है। ताकि निर्यात आय की शीघ्र वसूली की व्यवस्था के लिए निर्यातक को प्रोत्साहन दिया जा सके।

निर्यात पर किसी एक कारक के प्रभाव को बताना मुश्किल है क्योंकि निर्यात अनेक कारकों से प्रभावित होते हैं।

[अनुवाद]

श्री सुधीर सावन्त : सभा पटल पर रखे विवरण में यह कहा गया है कि—

"निर्यात पर किसी एक कारक के प्रभाव को बताना मुश्किल है क्योंकि निर्यात अनेक कारकों से प्रभावित होते हैं।"

यह बताना मुश्किल नहीं होगा कि निर्यात पर ब्याज दरों को बढ़ाने का क्या प्रभाव होगा। माननीय मंत्री कलकत्ता, मुम्बई तथा शायद अन्य स्थानों पर भी निर्यातकों से मिले हैं। मैं जानना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर निर्यातकों के क्या विचार थे और दूसरा कि क्या उनका मंत्रालय पूर्व स्थिति के अनुसार यथास्थिति बरकरार रखने के लिए क्या कोई कदम उठा रहा है?

श्री पी० चिदम्बरम : ब्याज की दरें बढ़ने से निर्यातक अप्रसन्न हैं। ब्याज की दरें बढ़ाए जाने पर कोई भी प्रसन्न नहीं होगा। किन्तु यह कहना कठिन है कि यह एक कारक निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। यह निर्यात राजसहायता योजना पिछले पांच वर्षों से चालू है। 1989 और 1991 के मध्य एक निर्णय द्वारा ब्याज की दरें बढ़ा दी गई और निर्यात बढ़ाने के उपाय के रूप में इस अंतर को पूरा करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को सहायता दी गई। अब ऋण लेना और कठिन हो गया है। मैं वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक की मजबूरियों को समझ सकता हूं। किन्तु मुझे आशा है कि वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक भविष्य में ब्याज की दरें घटाने में समर्थ होंगे। वित्त मंत्री इस मुद्दे पर तथा अन्य मुद्दों पर मेरे विचारों को सुना। आज स्थिति अत्यन्त गम्भीर है और इसलिए हमें बाध्य होकर यह कदम उठाना पड़ा है। किन्तु मुझे आशा है कि निकट भविष्य में ब्याज दरें, विशेषकर, निर्यात के लिए, कम की जायेंगी।

श्री सुधीर सावन्त : मेरा दूसरा प्रश्न निर्यात गृहों से सम्बन्धित हैं। ये निर्यात-गृह मुख्यत: अपारम्परिक और पारम्परिक वस्तुओं के निर्यात द्वारा अपने निर्यात बढ़ा रहे हैं; मुख्यत: वे पारम्परिक वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं, जिन्हें किसी विशेष बाजार की आवश्यकता नहीं है।

इसका प्रभाव दो प्रकार का होता है। एक तो यह कि इससे निर्यातकों को पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिलता और इससे निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरे यह कि सभी निर्माताओं और उत्पादकों को जितनी मिलनी चाहिए उतनी राशि वापस नहीं मिलती, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का निर्यात निर्यात-गृह से किया जाता है।

मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय कर रही है कि निर्यात गृह अपारम्परिक वस्तुओं का निर्यात अधिक करें और दूसरे यह कि उत्पादकों एवं निर्माताओं को उचित लाभ दिलाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

श्री पी० चिदम्बरम : मुझे प्रश्न का तात्पर्य पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन यदि माननीय सदस्य का इरादा ऐसी वस्तुओं को खोजने का है जोकि निर्यात केन्द्र द्वारा निर्यात की जाती हैं, तो यह सब वस्तुओं का मिश्रण होगा। आज हमारी जो वस्तुएं निर्यात की जाती हैं उनमें 50% निर्मित वस्तुएं होती हैं। केवल 15 प्रतिशत कृषि पदार्थों की तरह प्राथमिक वस्तुएं होती हैं और 35 प्रतिशत अन्य वर्द्धित मूल्य वस्तुएं होती हैं। इन मिली जुली वस्तुओं की विस्तृत जानकारी निर्यात केन्द्रों द्वारा निर्यातित वस्तुओं से पता चलती है।

इस पूरक प्रश्न का दूसरा भाग प्रोत्साहन से सम्बन्धित है। वित्त विधेयक में दिए गए प्रावधानों के परिणामस्वरूप निर्माता-निर्यातक और व्यापारी-निर्यातकों के बीच भेदभाव होने के कारण कुछ अप्रसन्नता है। मुझे बताया गया है कि यह मामला वित्त-मंत्री के विचाराधीन है। जब वित्त विधेयक सदन में वोट के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, तो मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस पर अपने विचार व्यक्त करेंगे और शायद यह सम्भव है कि वित्त मंत्री इस असंगति को समाप्त करने की कोशिश करेंगे जिसका व्यापारी-निर्यातक और निर्माता-निर्यातक के लिए उपलब्ध प्रोत्साहनों की सूची में उल्लेख किया गया है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, राज-सहायता वापस लिए जाने के कारण बचतों की राशि कितनी है। पिछले तीन वर्ष के आंकड़े काफी रहेंगे। लेकिन इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि लागत पर इसका कुल प्रभाव क्या है ? यदि आप रुपये के अवमूल्यन और ब्याज दरों में वृद्धि द्वारा दोनों बातों को मिला लें तो इसका कुल प्रभाव क्या होगा, यदि वे इसकी दिशा तथा मात्रा के बारे में बता सकें।

निसन्देह, निर्यात सम्भावना में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सहित अनेक कारक हैं। जब यहां अनेक कारण हैं तो एक कारण को अलग रखना सम्भव है और इसे निर्यात विकास अथवा अन्य किसी कारण से सम्बद्ध करने की कोशिश कर सकते हैं। क्या विदेश व्यापार संस्थान अथवा मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई अध्ययन किया गया है जहां निर्यात की जा रही वस्तुओं की मूल्य लोच का अध्ययन किया गया हो। यदि ऐसा है, तो वह क्या है ?

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, कुल बचत पर, 1986-87 में ऋण सहायता तथा ब्याज सहायता केवल 32.16 करोड़ रु० थी और 1990-91 में यह 250 करोड़ रु० तक बढ़ गई है। इसलिए मैं समझता हूं कि ब्याज राजसहायता की समाप्ति से लगभग 250 करोड़ रुपए की बचत होगी।

महोदय, उनके प्रश्न के ख तथा ग भागों के बारे में मैं कहूंगा कि मैं वास्तव में अर्थशास्त्री नहीं हूं (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आपने अर्थशास्त्र पढ़ा है (व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम् : मैं वास्तव में अर्थशास्त्री नहीं हूं । मुझे बताया गया है कि माननीय सदस्य ने चालीस वर्ष पहले अर्थशास्त्र पढ़ा था ।

महोदय, यह अनुमान लगाया गया है—लेकिन यह विवाद का विषय है विनिमय दर में प्रत्येक एक प्रतिशत का समायोजन 66 प्रतिशत लोच को बढ़ाता है । इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती । यह केवल आनुभविक आंकड़ों पर आधारित है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती । पहले यह देखना होगा कि हाल ही के विनिमय दर समायोजन के पश्चात् निर्यात पर क्या असर पड़ता है ।

महोदय, निर्यात पर ब्याज राजसहायता को समाप्त करने से हुए पूरे प्रभावों में पहला प्रभाव मनोवैज्ञानिक प्रभाव है । इसे निर्यात-विरोधी उपाय के रूप में माना गया है और इसलिए इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव है । लेकिन पूर्णतः आर्थिक रूप में इससे निर्यात की लागत में केवल लगभग 1 से $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत की वृद्धि होती है । इसी की मुझे चिन्ता है और मुझे विश्वास है कि जब स्थिति में सुधार होगा तब वित्त मंत्री मेरे तर्क की ओर ध्यान देंगे और निर्यात की ब्याज दर को कम करेंगे विशेषरूप से कि लदान पश्चात् ऋण तथा लदानपूर्व ऋण पर वित्त मंत्री जी यहीं मौजूद हैं । मुझे विश्वास है कि वे इतने भुलक्कड़ नहीं हैं कि जो कुछ आपने और मैंने कहा है, वे भूल जायें ।

(व्यवधान)

श्री मुरली देवरा : महोदय, प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि रुपए की विनिमय दर में समायोजन के साथ-साथ सरकार ने निर्यात पर दिये जाने वाली आर्थिक सहायता को समाप्त करने का निश्चय किया है जिसमें ब्याज राजसहायता भी शामिल है । जब रुपए का अवमूल्यन किया गया था और जब विनिमय में अन्तर था तो इससे निर्यातकों को स्वतः ही मदद मिली थी । लेकिन ब्याज पर राजसहायता से मना करने के पीछे कोई तर्क नहीं है, जिसके बारे में आपने अभी बताया है । अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्द्धा के उद्देश्य से यदि चालू बाजार स्तर पर, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार स्तर पर निर्यातकों को धन की सप्लाई न की जाती तो आप उनसे बाजार में प्रतिस्पर्द्धा की उम्मीद कैसे कर सकते हैं ?

श्री पी० चिदम्बरम् : मैं माननीय सदस्य की चिन्ता को समझता हूं । यदि हमारे निर्यातकों को प्रतिस्पर्द्धात्मक ब्याज दरों पर ऋण नहीं प्राप्त होंगे तो उनके लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्द्धा करना कठिन होगा । बात को सही पकड़ा है । लेकिन क्या किया जाए ? आज की औसत ऋण दर 18 प्रतिशत है । जब औसत ऋण दर 18 प्रतिशत है तो लदानपूर्व ऋण की 12.5 प्रतिशत की दर स्वतः ही राजसहायता प्राप्त दर है । मैं चाहता हूं कि ब्याज की दरें कम की जाएं । लेकिन मैं इस वास्तविकता को नजरअन्दाज नहीं कर सकता कि ऋण की स्थिति शोचनीय है और हमें वित्त मंत्री तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निर्णय को मानना चाहिए क्योंकि हमें फिलहाल ऋण की इसी शोचनीय स्थिति के साथ गुजारा करना है । (व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि ब्याज दरों में संशोधन के बाद क्या सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि यह अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी वस्तुओं के प्रतिस्पर्द्धात्मक स्वरूप को प्रभावित नहीं करेगा । मेरा दूसरा प्रश्न है कि एक बार निर्यात की तारीख तय हो जाने पर यह केवल निर्यातक पर ही निर्भर नहीं है । यहां पोतवहन और अन्य वस्तुओं जैसे अन्य कारण भी हैं जिनके कारण कठिनाई आती है। अनेक बार निर्यातकों को हानि उठानी पड़ती है क्योंकि उन्हें जहाज समय पर नहीं मिलते । मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या ब्याज दरों को बढ़ाते समय सभी कारकों पर विचार किया गया था ।

श्री पी० चिदम्बरम् : महोदय, ब्याज दरों के बढ़ जाने के कारण निर्यातकों में थोड़ा सा आक्रोश है । लेकिन उनकी वास्तविक चिन्ता ब्याज की दरों में वृद्धि नहीं है । वास्तविक चिन्ता निर्यात के लिए ऋण की उपलब्धता है । मुझे इस सदन के माननीय सदस्यों को यह सूचित करना है कि केवल परसों ही भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्यात पुर्नंनिवेश की कुल उपलब्धता को लगभग दस प्रतिशत बढ़ा दिया है । यह एक मामूली सा सुधार है, लेकिन यह एक स्वागतयोग्य सुधार है । मुझे आशा है कि निर्यातकों को पुर्ननिवेश बड़े पैमाने पर उपलब्ध होगा ।

जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है उत्तर है इसका 'हां' हमारा देश एक ऐसा देश है जहां आधारभूत ढांचे सम्बन्धी की कठिनाईयां हैं । मैं इन आधारभूत ढांचे सम्बन्धी कठिनाईयों का उल्लेख कर रहा हूं । मेरे साथी—भूतल परिवहन मंत्री जी तथा रेल मंत्री जी ने मुझे अपना सहयोग देने का वादा किया है । लेकिन, यह कठिनाईयां एक रात में दूर नहीं की जा सकतीं । लेकिन, हमारी एक योजना है । केवल आधारभूत ढांचे सम्बन्धी कठिनाईयों को दूर करने के लिए मेरे मंत्रालय में एक अपर सचिव हैं । मुझे विश्वास है कि छः महीने के भीतर इनमें से अनेक आधारभूत ढांचे सम्बधी इन कठिनाईयों में से बहुत सी कठिनाइयों को दूर किया जाएगा ।

श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन : महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रिया को सरल बना दिया है । तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में उपजाए गए सोना लीवस' का पिछले7 5 वर्ष से निर्यात किया जा रहा है । लेकिन हाल ही में, निर्यातकों को उनके निर्यात में कठिनाई आ रही है । क्या मंत्रालय जानता है कि पर्यावरण मंत्रालय उनको इस बारे में बने प्रमाणपत्र मांग रहा है कि क्या यह रोपा गया पौधा है ? क्या मंत्रालय उन 'सीना' निर्यातकों के बचाव के लिए आगे आएगा जोकि उसे पिछले 75 वर्षों से निर्यात कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप एकदम अलग प्रश्न पूछ रहे हैं । वे आपको लिखित जवाब देंगे ।

(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम् : फिलहाल मेरे पास कोई जानकारी नहीं है । मैं माननीय सदस्यों को सूचना दे दूंगा ।

क्षेत्रीय भाषाओं में मतदाता सूचियां

***715. श्री ई० अहमद :** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मतदाता सूचियां सभी क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित की जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो मतदाता सूचियों को उर्दू सहित सभी भाषाओं में प्रकाशित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) निर्वाचक नामावलियां, सम्बन्धित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की राजभाषा में प्रकाशित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त जब कभी अनुरोध किया जाता है, निर्वाचक नामावलियां अतिरिक्त भाषाओं में भी प्रकाशित की जाती हैं। यदि ऐसी भाषा बोलने वालों की संख्या संबंधित निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र के भाग की कुल जनसंख्या के बीस प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक है।

(क) विवरण संलग्न है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	भाषा या भाषाएँ जिनमें निर्वाचक नामावलियां मुद्रित की जाती हैं: संपूर्ण राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के भाग
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	तेलगु	1. तेलगु, अंग्रेजी और उर्दू (13 सं०नि०) 2. तेलगु और मराठी (3 सं०नि०)
2.	अरुणाचल प्रदेश	अंग्रेजी	—कुछ नहीं—
3.	असम	1. असमिया, गोलपाड़ा, कामरूप, दारांग, नवगांव, शिवसागर, डिब्रूगढ़, लखीमपुर और मिकिर हिल्स जिला में सभी स०नि० के लिए। 2. अंग्रेजी, उत्तरी हिल्स जिला में हफ्लांग (अ०ज०जा०) स०नि० के लिए।	
4.	बिहार	हिन्दी	—कुछ नहीं—
5.	गोवा	1. रोमन लिपि में अंग्रेजी और कोंकणी।	—कुछ नहीं—
		2. देवनागरी लिपि में मराठी और कोंकणी।	—कुछ नहीं—
6.	गुजरात	गुजराती	—कुछ नहीं—
7.	हरियाणा	हिन्दी	—कुछ नहीं—
8.	हिमाचल प्रदेश	हिन्दी	—कुछ नहीं—

1	2	3	4
9.	जम्मू-कश्मीर	1. उर्दू और हिन्दी, 5-ऊधमपुर सं० नि० (डोडा जिले को छोड़कर) और 6-जम्मू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र) रजौरी और पूंछ जिलों को छोड़कर) के लिए ।	
		2. उर्दू और हिन्दी 20 सं०नि० क्षेत्रों के लिए ।	
		3. उर्दू, सभी अन्य सं०नि० और स०मि० के लिए ।	
10.	कर्नाटक	1. कन्नड और मराठी 11 सं०नि० के लिए ।	
		2. कन्नड और अंग्रेजी 13 सं०नि० के लिए ।	
		3. कन्नड, सभी अन्य सं०नि० के लिए ।	
11.	केरल	1. मलयालम और कन्नड, 2 सं०नि० के लिए ।	
		2. मलयालम और तमिल, 2 सं०नि० के लिए ।	
		3. मलयालम सभी अन्य सं०नि० के लिए ।	
12.	मध्य प्रदेश	1. उर्दू और हिन्दी 3 सं०नि० के लिए ।	
		2. हिन्दी; सभी अन्य सं०नि० के लिए ।	
13.	महाराष्ट्र	1. मराठी और अंग्रेजी, ग्रेटर मुंबई जिला सभी सं०नि० के लिए, जिसमें 4 सं०नि० नहीं हैं ।	
		2. मराठी, अंग्रेजी और उर्दू, 4 सं० नि० के लिए ।	
		3. मराठी, और कन्नड, 5 सं०नि० के लिए ।	
		4. मराठी और उर्दू, 4 सं०नि० के लिए ।	
		5. मराठी, सभी अन्य सं०नि० के लिए ।	
14.	मणिपुर	1. अंग्रेजी, 20 सं०नि० के लिए ।	
		2. मणिपुरी, सभी अन्य सं०नि० के लिए ।	
15.	मेघालय	अंग्रेजी	—कुछ नहीं—
16.	मिजोरम	अंग्रेजी	—कुछ नहीं—
17.	नागालैंड	अंग्रेजी	—कुछ नहीं—
18.	उड़ीसा	1. 5-सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उड़िया और तेलगू ।	
		2. सभी अन्य सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उड़िया ।	

1	2	3	4
19.	पंजाब	1. 19 सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पंजाबी और हिन्दी। 2. सभी अन्य निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पंजाबी।	
20.	राजस्थान	हिन्दी	—कुछ नहीं—
21.	सिक्किम	अंग्रेजी	—कुछ नहीं—
22.	तमिलनाडु	1. मद्रास शहर में सभी सभा निर्वाचनों के लिए तमिल और अंग्रेजी। 2. 2 सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए तमिल और तेलगू। 3. 2 सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए तमिल, तेलगू और कन्नड़। 4. 4 सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए तमिल और मलयालम। 5. सभी अन्य सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए तमिल।	
23.	त्रिपुरा	बंगला किसी के लिए नहीं।	
24.	उत्तर	1. 134 सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए हिन्दी और उर्दू। 2. सभी अन्य सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए हिन्दी।	
25.	पश्चिमी बंगाल	1. 4 सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए बंगला और नेपाली। 2. 2 सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए बंगला और हिन्दी। 3. 139 बेलगाछिया पूर्वी सभा निर्वाचनक्षेत्र के सिवाय कलकत्ता जिले में सभी सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अंग्रेजी। 4. 2 सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए बंगला और अंग्रेजी। 5. सभी अन्य सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए बंगला।	
26.	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	हिन्दी और अंग्रेजी	—कुछ नहीं—
27.	चंडीगढ़	हिन्दी और पंजाबी	—कुछ नहीं—
28.	दादरा और नागर हवेली	गुजराती और मराठी	—कुछ नहीं—
29	दमण और दीव	अंग्रेजी और गुजराती	—कुछ नहीं—
30.	दिल्ली	हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी	—कुछ नहीं—
31.	लक्षद्वीप	1. मिनिकोय द्वीप के लिए महल और मलयालम। 2. शेष राज्यक्षेत्र के लिए मलयालम।	
32.	पांडिचेरी	1. माही क्षेत्र के लिए मलयालम। 2. यनम क्षेत्र के लिए तेलगू। 3. शेष राज्यक्षेत्र के लिए तमिल।	

श्री ई० अहमद : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा है :

"जब कभी अनुरोध किया जाता है, निर्वाचक नामावलियां अतिरिक्त भाषाओं में भी प्रकाशित की जाती हैं। यदि ऐसी भाषा बोलने वालों की संख्या सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र के भाग की कुल जनसंख्या के बीस प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक है।"

लेकिन मेरी जानकारी में कुछ ऐसे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भी हैं जहां 20 प्रतिशत लोग उर्दू बोलते हैं। किन्तु उनका अनुरोध माना नहीं गया। उदाहरणार्थ कर्नाटक में गुलबर्गा निर्वाचन क्षेत्र। बिना किसी प्रतिरोध के भय से मैं कहना चाहता हूं कि वहां उर्दू बोलने वाले लोगों की जनसंख्या 50 प्रतिशत से कम नहीं है। उर्दू में निर्वाचक नामावली बनाये जाने के उनके सतत अनुरोध पर सम्बन्धित प्राधिकारियों ने विचार नहीं किया है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में दोहरी नीति क्यों अपना रही है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या आपके पास ऐसी सूचना है? अथवा लिखित में ऐसी बात उन्हें भेज सकते हैं।

श्री पी०आर० कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्यवश गुलबर्गा निर्वाचन क्षेत्र के बारे में ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है। माननीय सदस्य को मैं इसे भेज दूंगा।

श्री ई० अहमद : महोदय, क्या वे सूचना ले लेंगे?

अध्यक्ष महोदय : वे सहमत हैं।

श्री ई० अहमद : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे विशिष्ट न बनायें क्योंकि यह एक सामान्य प्रश्न है।

श्री ई० अहमद : महोदय, मैं विशिष्ट प्रश्न भी पूछ सकता हूं··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से हम सामान्य प्रश्न से विशिष्ट पर नहीं जाते।

श्री ई० अहमद : जी नहीं महोदय, इसकी भी अनुमति होती है क्योंकि एक सामान्य प्रश्न पूछा गया है।

अध्यक्ष महोदय : दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे मामलों में मंत्री के पास जानकारी उपलब्ध नहीं होती है।

श्री ई० अहमद : महोदय, मैं केवल यह चाहता हूं कि वे इसे प्राप्त कर मुझे उपलब्ध करायें।

अध्यक्ष महोदय : तब तो आप लिखित में भी इसे प्राप्त कर सकते हैं···।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप अपना प्रश्न पूछें।

श्री ई० अहमद : महोदय, मेरा दूसरा पूरक—ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में जहां कि निर्वाचक नामावलियां उर्दू में प्रकाशित की जाती हैं—उदाहरणार्थ दिल्ली में केवल चांदनी चौक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नामावली उर्दू में प्रकाशित की जाती है, वे भी छपी हुई नहीं बल्कि हस्तलिखित हैं।

महोदय, ऐसा क्यों है ? क्या इसके कोई खास कारण हैं ? ऐसी बहुत सी फर्मे हैं जहां इनका प्रकाशन कराया जा सकता है । ऐसी अनेकों फर्में हैं । क्या सरकार उर्दू निर्वाचक नामावलियों को हाथ से लिखवाने के स्थान पर इनके प्रकाशन की भी व्यवस्था करेगी ?

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय, यह एक संगत प्रश्न है । यह हाथ से लिखी है अथवा छपी हैं, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में इनकी छपाई करा दी जाये। लेकिन सामान्यतः यदि कोई हस्तलिखित भी है तो ऐसा केवल किसी विशेष मामले में ही हो सकता है जहां कि उसे छपवाना संभव न हो ।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद युनुस सलीम : स्पीकर साहब, हिन्दुस्तान की कोई एक रियासत ऐसी नहीं है, जहां उर्दू बोली न जाती हो । जो स्टेटमेंट लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से दिया गया है, उसमें बताया गया है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश, दिल्ली, आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ जिलों में उर्दू में इलैक्टोरल रोल मुहैया किए जाते हैं । बिहार में काफी उर्दू बोलने वाले लोग पूरी स्टेट में फैले हुए हैं, न सिर्फ पटना में बल्कि हर जिले में हजारों की तादाद में उर्दू बोलने वाले हैं । इसी तरह से और दूसरे स्टेट भी हैं जहां काफी तादाद में उर्दू बोलने वाले लोग पाए जाते हैं । मैं, मालूम करना चाहता हूं कि जहां उर्दू न बोलने वाली पापुलेशन है तो क्या आप वहां उर्दू में इलैक्टोरल रोल शाऐ करने के लिए कोई इंतजाम कर रहे हैं ।

جناب محمد یونس سلیم (کٹیہار) : جناب اسپیکر صاحب میں بہت اہم مسئلے کی طرف ہاوس

ہاوس کی توجہ دلانا چاہتا ہوں ۔ مولانا ابوالکلام آزاد ہماری جنگ آزادی کی

ایسی شخصیت تھے کہ اگر وہ دنیا کے کسی ملک میں پیدا ہوئے ہوتے تو وہاں کے لئے

قابل فخر ہوتے ۔ ہندوستان کی آزادی کی لڑائی میں انہوں نے جو حصہ ادا کیا ہے

وہ تاریخ کا ایک جز ہے ۔

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : महोदय, अपने उत्तर में पहले भी मैंने इस बात का खासतौर पर जिक्र किया है कि ऐसे मामलों में जहां उर्दू बोलने वालों की संख्या कुल जनसंख्या का 20 प्रतिशत होती है और इस बारे में अनुरोध किया जाता है तो निश्चित तौर पर उसे छपाया जाएगा ।

चाय बोर्ड के मुख्यालय का स्थानान्तरण करना

*716. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चाय बोर्ड के मुख्यालय कीं कलकत्ता से स्थानान्तरित करने का हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसा किन कारणों से किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार को इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए गए या उठाये जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं कि नए सुझाव दिए गए हैं कि चाय उत्पादन में राज्य का प्रमुख स्थान होने के कारण चाय बोर्ड का मुख्यालय कलकत्ता से असम स्थानांतरित किया जाए लेकिन कलकत्ता एक प्रमुख वाणिज्यिक और एक प्रमुख भारतीय पत्तन होने की वजह से चाय के निर्यात की गतिविधियों का केन्द्र रहा है। आयात-निर्यात एवं उत्पादक फर्मों के मुख्यालय कलकत्ता में हैं। इसके अलावा विदेशी बाजारों के लिए चाय की अधिकांश खरीदारी कलकत्ता नीलामियों में की जाती है। अतः कलकत्ता की अनुकूल स्थिति होने तथा वहां पर आधारभूत संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध होने की वजह से चाय बोर्ड का मुख्यालय कलकत्ता से असम स्थानान्तरित करना संभव नहीं पाया गया।

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, चाय बोर्ड के मुख्यालय के स्थानान्तरण की यह आशंका इसलिये जोरों पर थी क्योंकि समय-समय पर चाय बोर्ड के विभिन्न गतिविधियों को कलकत्ता से अन्यत्र स्थानों पर स्थानान्तरण करने के इस विभाग की प्रवतियां देखने को मिली है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या पिछले कुछ वर्षों में इस बोर्ड की कुछ गतिविधियों को कलकत्ता से स्थानान्तरित किये गये हैं? यदि हां, तो ऐसी गतिविधियों का ब्यौरा क्या है, कितने लोगों का वहां से तबादला किया गया और इसके क्या कारण हैं। चूंकि एक ही स्थान से केन्द्रीकृत कार्य अच्छी तरह से चल रहा था, अतः कलकत्ता से अन्यत्र स्थानों पर इनके स्थानान्तरण के क्या कारण थे?

श्री पी० चिदम्बरम : चाय बोर्ड के ऐसी किसी भी गतिविधि को कलकत्ता से किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरण नहीं किया गया है। और उत्तर में मैंने विशेषतौर पर यह कहा है तथा कलकत्ता में मुझे बतायी गयी ऐसी आशंकाओं का मैंने निराकरण भी किया है कि चाय बोर्ड के मुख्यालय को कलकत्ता से किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करने का किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। गुवाहाटी तथा कून्नूर में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किये हैं। मुख्य क्षेत्रीय कार्यकारी अधिकारी इन क्षेत्रीय कार्यालयों के अध्यक्ष होंगे। इन्हें शक्तियां सौंपी गई हैं ताकि छोटे-छोटे उत्पादकों की समस्याएं विकेन्द्रीकृत स्तर पर ही निपटायी जा सकें। इस प्रकार चाय बोर्ड के किसी भी गतिविधि का कलकत्ता से स्थानान्तरण नहीं किया गया है।

श्री हन्नान मोहल्लाह : मुझे बताया गया है कि सात प्रकार की गतिविधियों को, जिनमें चाय पौधारोपण स्कीम, चाय एकक वित्त, चाय मशीनें तथा सिंचाई उपकरण आदि शामिल हैं, पहले से ही स्थानान्तरित की जा चुकी हैं। परन्तु माननीय मंत्री कह रहे हैं कि ऐसा नहीं किया गया है।

मेरा प्रश्न है कि इस स्थानान्तरण को रोकने के बारे में क्या सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है; और उत्तर कुछ और मिला है। यह कहते हैं कि अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जोकि स्थानान्तरण के पक्ष में हैं। तब मैंने पूछा : इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है? तो अंत में उत्तर यह है कि चाय बोर्ड के मुख्यालय को कलकत्ता से स्थानान्तरण करना संभव नहीं पाया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रयास तो किया गया है···

अध्यक्ष महोदय : आप इस बात को उलझा रहे हैं। कृपया प्रश्न पूछें।

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, उत्तर में यह कहा गया है कि मुख्यालय को स्थानान्तरित करना संभव नहीं पाया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रयास तो किया गया है। यही आशंका है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बात नहीं है।

श्री विजय कृष्ण हान्डिक : चाय बोर्ड के मुख्यालय को बड़े पैमाने पर चाय का उत्पादन करने वाले राज्य में स्थानान्तरित करना उस राज्य के लोगों की एक स्वाभाविक मांग है। लेकिन चूंकि माननीय मंत्री ने ऐसा करने में कई कारणों से अपनी असमर्थता दर्शायी है, क्या माननीय मंत्री, विकल्प के तौर पर, भले ही चाहे वह छोटा विकल्प क्यों न हों, इस पर विचार करेंगे कि गुवाहाटी तथा कूनूर के क्षेत्रीय कार्यालयों को अधिक जिम्मेदारी और अधिक शक्ति प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाया जाये ताकि आवश्यक मामलों में निर्णय लिये जा सकें चूंकि इस समय यह कार्यालय क्षेत्रीय कार्यालयों का नाममात्र का नमूना ही है?

श्री पी० चिदम्बरम : मेरे विचार से सभी माननीय सदस्य शक्तियों के विकेन्द्रीयकरण का स्वागत करेंगे ताकि चाय बोर्ड अधिकारियों के चाय सम्पदा के समीप होने से विकेन्द्रीकृत स्तर पर निपटारा किया जा सके।

हमने गुवाहाटी में उत्पादकों की आवश्यकताओं का मुख्य क्षेत्रीय कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय की स्थापना की है यदि माननीय सदस्य यह कहते हैं कि विकेन्द्रीकृत गतिविधियों का यह एक छोटा नमूना है तो मैं इसकी जांच के लिये तैयार हूं। विकेन्द्रीकृत शक्तियों के अतिरिक्त यदि इन कार्यालयों को क्षेत्र की शिकायतों, समस्याओं तथा विकासकारी क्रियाकलापों का निपटारा करने के लिये अधिक शक्तियां दी जानी हैं तो हम अवश्य ही इस पर भी ध्यान देंगे।

अध्यक्ष महोदय : बिना स्थानान्तरण के?

श्री पी० चिदम्बरम् : मैं मुख्यालय का स्थानान्तरण नहीं कर रहा हूं। यही मैंने पहले भी कहा है।

श्री रूप चन्द पाल : क्या यह सच है कि सात विभागों का पहले से ही स्थानान्तरण कर दिया गया है? क्या मंत्री जी सभा को यह विश्वास दिलायेंगे कि ऐसी गतिविधियां जो पहले मुख्यालयाधीन थे, वे उन्हें वापिस कर दिये जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : इसकी आज्ञा नहीं दी जाती। इन्होंने पहले से ही इसका उत्तर दे दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का पहले ही विशेष रूप से उत्तर दिया जा चुका है और आप इसेदोहरा रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह केवल बात को घुमाना ही है। जब मंत्री ने सभा में विशेष रूप से यह कहा है कि वे इसका स्थानान्तरण नहीं कर रहे हैं, आप फिर भी बात को घुमाये जा रहे हैं!

श्री बसुदेव आचार्य : कुछ विभागों का पहले ही स्थानान्तरण किया जा चुका है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह अनावश्यक बात बात है।

(व्यवधान)

मेंढ़कों, खरगोशों और बन्दरों के निर्यात पर प्रतिबन्ध

[हिन्दी]

*718. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेंढ़कों, खरगोशों, बन्दरों तथा इसी प्रकार के अन्य जानवरों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) क्या इन जानवरों के निर्यात पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो यह प्रतिबन्ध कब से हटाया जायेगा; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इनके निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाए जाने से पहले इनके निर्यात से प्रत्येक वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती थी ?

[अनुवाद]

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम : (क) जी, हां।

(ख) (i) बन्दरों के निर्यात पर 23 नवम्बर, 1977 से प्रतिबन्ध लगा है।

(ii) मेंढ़कों के निर्यात पर 30-3-1988 से प्रतिबन्ध लगा है।

(iii) खरगोश के निर्यात पर 1-4-1980 से प्रतिबन्ध लगा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि सरकार की नीति है कि वन्य जीवन और पर्यावरण की रक्षा की जाए तथा परिस्थितिकी सन्तुलन को कायम रखा जाए।

(ङ) (1) वर्ष 1973-77 की अवधि के दौरान बन्दरों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि सभापटल पर रखे गए विवरण पत्र में दी गई है।

(2) मेंढ़कों और खरगोशों के निर्यात से अर्जित राशि के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

विवरण

वर्ष	मात्रा (संख्या में)	मूल्य (लाख रुपये)
1973-74	32975	40.59
1974-75	29078	33.75
1975-76	27906	50.06
1976-77	20267	84.63

भारतीय व्यापार वर्गीकरण समीक्षा 2 के अन्तर्गत जानवरों, मेंढकों तथा खरगोशों को अलग-अलग वर्गीकृत नहीं किया गया है जिसके आधार पर भारत के विदेश व्यापार सम्बन्धी आंकड़े रखते जाते हैं। किन्तु वर्ष 1977-78, 1978-79. 1979-80, 1984-85, 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान जीवित जानवरों मुख्यत: खाने के लिए एन०ई०एस० (अर्थात् खरगोश, शिकार किये गये पक्षी, चूजे, हिरण, मेंढक, अरहा, कबूतर, आदि)" के निर्यात आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

वर्ष	मात्रा (संख्या में)	मूल्य (लाख रुपये में)
1977-78	10,000	0.33
1978-79	14,32,019	43.90
1979-80	16,200	1.25
1984-85	19,233	3.34
1985-86	5,350	0.20
1986-87	4,000	0.18

स्रोत: वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय कलकत्ता द्वारा प्रकाशित मन्थली स्टेटिस्टिक्स ऑफ फॉरिन ट्रेड ऑफ इण्डिया खण्ड-1 (एक्सपोर्टस)।

[हिन्दी]

श्री बिलासराव नागनाथराव गुंडेवार : क्या वन्य प्राणियों को अवैध रूप से बाहर भेजने के कुछ मामले पकड़े गये हैं, यदि हां, तो इसके बारे में गवर्नमेंट क्या कर रही है और जैसाकि लोगों ने कहा कि ऐसे वन्य प्राणियों की खालें भी बाहर भेजी गई हैं तो इसके बारे में क्या कार्यवाही की गई है।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, वाणिज्य मंत्रालय को गैरकानूनी निर्यात की जानकारी नहीं है मुझे यकीन है कि गैरकानूनी निर्यात के कुछ मामले हैं। लेकिन, इस प्रश्न को वित्त मंत्रालय के सीमाशुल्क विभाग से पूछा जाना चाहिए जो यह बता सकेंगे कि गैरकानूनी निर्यात हो रहा है या नहीं।

[हिन्दी]

श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा चूंकि बन्दर के बारे में यहां बात आई है और हमारे हिमाचल प्रदेश में बन्दर भारी मात्रा में होते हैं, वे सारी फसलों का भारी नुकसान कर रहे हैं, उनको पकड़ जाने के जितने साधन हैं, वे असफल रहे हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश के गांव में फल, सब्जी और जो फसलें हैं उनको बचाने के लिए इन बन्दरों को विदेश में भेजे जाने पर लगे हुए प्रतिबन्ध को हटाकर पुनः भेजे जाने का प्रबन्ध करेंगे।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, यदि सरकार या अन्य कोई संगठम बदरों को पकड़ता है, तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। मेरी आपत्ति बन्दरों के निर्यात तक सीमित है जिस पर रोक लगा दी गई है।

श्री राम कापसे : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि मेंढकों का अभी भी निर्यात किया जा रहा है और इसके कारण ठाणें जिले और अन्य कई जिलों में धान की फसल को हानि हुई है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार को इसकी जानकारी नहीं है और यदि उनको इसकी जानकारी नहीं है तो क्या वह इसकी जानकारी एकत्र करके देंगे।

श्री पी० चिदम्बरम : जैसाकि मैं पहले कह चुका हूं माननीय सदस्य का 'क्रिया' का सुझाव सही नहीं है। मेंढकों का निर्यात नहीं किया जा रहा है। निर्यात पर रोक लगा दी गई हैं। मेंढकों की तस्करी हो सकती है। इस प्रश्न को सीमा शुल्क विभाग से पूछा जाना चाहिए जो तस्करी की गतिविधियों को देखते हैं। मैं उनकी ओर से उत्तर नहीं दे सकता।

दिल्ली परिवहन निगम के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पुनः सेवा में लिया जाना

[अनुवाद]

***719. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम में कार्यरत 500 से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऐसे कन्डक्टरों/चालकों, जिन्होंने उस ग्रेड में दो वर्ष से अधिक की अवधि पूरी कर ली थी, की सेवाएं 1988 में समाप्त कर दी गई थीं;

(ख) यदि हां, तो इन कर्मचारियों को पुनः सेवा में लेने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं या उठाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इन सभी कर्मचारियों को सेवा में कब तक बहाल किए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार के पास इन कर्मचारियों को बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि दिल्ली परिवहन निगम के पास पहले ही अतिरिक्त कर्मचारी हैं।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : इन कर्मचारियों को रोजगार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की बकाया रिक्तियों को समाप्त करने के लिए दिया गया था। क्या यह बकाया अभी भी हैं?

श्री जगदीश टाईटलर : हमारे पास बकाया है। जब भी रिक्तियां होंगी, हम उसे पूरा करेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : इन रिक्तियों के बारे में आप क्या कर रहे हैं? वह इन बकाया रिक्तियों के लिए ली गई थीं। क्या यह रिक्तियां भरी गई हैं या नहीं?

श्री जगदीश टाईटलर : दिल्ली परिवहन निगम में जितने कर्मचारियों की आवश्यकता है, हम उस बकाया को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि जिस समय यहां 500 एडहॉक हरिजनों को डी०टी०सी० से निकाला गया, उसके कुछ समय पहले गाजियाबाद और दादरी में कंडक्टर्स और ड्राइवर्स की भरती की गई थी डी०टी०सी० के अन्दर? अगर जगह खाली थी तो जो दो-तीन सालों से शेड्यूल कास्ट्स काम कर रहे थे, उनको एबजॉर्ब क्यों नहीं किया गया और गाजियाबाद और दादरी से लाकर नयी भर्ती क्यों की गई?

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय, जैसाकि मैं माननीय सदस्य श्री हुड्डा को बता चुका हूं और श्री मदन लाल खुराना को बता रहा हूं, जब कभी भी रिक्तियां होती हैं, हमारे पास कर्मचारियों की एक सूची है और इस श्रेणी के अंतर्गत हम सूची बना लेते हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। वहां जो तीन-तीन साल से लोग लगे हुए हैं उनको क्यों निकाल दिया?

श्री कालका दास : अध्यक्ष जी, यह मामला काफी पुराना हो गया है और ये अनुसूचित जाति के जितने ड्राइवर और कंडक्टर निकाल दिए गए थे जिन्होंने वह मिनिमम पीरियड भी पूरा कर लिया था जो सरकारी नियम हैं कि 180 दिन तक जो काम करेगा उनको रेगुलर कर दिया जाएगा, और ये रेगुलर चल रहे थे कि अचानक उनको निकाल दिया गया, इन्होंने परिवहन मंत्री के दरवाजे पर भूख हड़ताल भी की, धरना भी दिया और परिवहन मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि···

अध्यक्ष महोदय : समय समाप्त हो रहा है।

श्री कालका दास : परिवहन मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि इनको तुरंत लगा दिया जाएगा। इनको वापस लाने में कितनी अवधि और लगेगी। क्या सरकार की योजना है, कब तक उनको लगा दिया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाईटलर : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इन 500 चालकों में 330 को पहले ही वापिस लिया जा चुका है। 42 को इस कारण वापिस नहीं लिया जा सकता क्योंकि उनका रिकार्ड खराब है और लगभग 127 का हम इंतजार कर रहे हैं कि वह आकर ड्यूटी ज्वाइन करें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बिहार में रामगढ़ से बोकारो तक राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास तथा इसे चौड़ा करना

[हिन्दी]

*717. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हजारीबाग (बिहार) में रामगढ़ से बोकारो तक का राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए उपयुक्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजमार्ग के इस हिस्से के विकास तथा इसे चौड़ा करने के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है;

(ग) इस सड़क पर कार्य कब तक प्रारम्भ कर देने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 23 का रामगढ़ से बोकारो तक का अधिकांश भाग इकहरी लेन वाला है और इसका सड़क निर्माण अनुपयुक्त है जिससे मानसून के दौरान यह अक्सर क्षतिग्रस्त हो जाता है। सामान्य अनुरक्षण के तहत इसकी मरम्मत करके यातायात योग्य स्थिति में बनाए रखा जा रहा है।

(ख) और (ग) 22.8 से 34.8 कि०मी० के भाग को चौड़ा और सुदृढ़ करने के लिए 352.82 लाख रु० के एक प्राक्कलन को मार्च, 1991 में स्वीकृति दे दी गई है। चूंकि अभी ठेका नहीं दिया गया है इसलिए अभी से यह बताना मुमकिन नहीं है कि कार्य कब शुरू हो जाएगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में मतदान केन्द्रों पर कब्जा

[हिन्दी]

*720. कुमारी विमला वर्मा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं लोक सभा के चुनावों के दौरान मध्य प्रदेश में किन-किन स्थानों पर मतदान केन्द्रों पर कब्जा किया गया, और मतदान में हेराफेरी की गई; और

(ख) इनमें से कितने मतदान केन्द्रों में पुन: मतदान निर्वाचन क्षेत्र-वार कराया गया ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र०सं०	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का संख्यांक और नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्यांक और नाम	मतदान केन्द्रों/बूथों की संख्या	क्या पुनर्मतदान के आदेश दिए गए
1	2	3	4	5
1.	2-भिण्ड	11-अटेर	155	नहीं
		12-भिण्ड	2	नहीं
		13-गौन	73	नहीं
2.	5-सागर (अ०जा०)	37-बांदा	76	हां
3.	6-खजुराहो	44-जतारा	38	हां
4.	7-दमोह	52-नौहटा	38	नहीं
			39	नहीं
			40	नहीं
			41	नहीं
			42	नहीं
			46	नहीं
			126	नहीं
5.	8-सतना	60-नागोद	36	नहीं
6.	10-सीधी (अ०ज०जा०)	73-चुरहट	62	नहीं
		76-धौहनी (अ०ज०जा०)	3	हां
			153	हां
			155	हां
			157	हां
			158	हां
			159	हां
7.	12-सरगुजा (अ०ज०जा०)	91-पाल (अ०ज०जा०)	120	हां
			127	हां
		93-लुण्ड्रा (अ०ज०जा०)	11	हां
			12	हां
			53	हां
		94-पिल्खा (अ०ज०जा०)	71	हां
8.	17-रायपुर	129-मंदिरहसौद	70	हां
9.	20-बस्तर (अ०ज०जा०)	155-कोटा (अ०ज०जा०)	4	हां

1	3	3	4	5
10.	26-सिवनी	209-लखनादीन (अ०ज०जा०)	54	हां
			62	हां
			63	हां
			70	हां
			71	हां
11.	32-राजगढ़	251-ब्यावरा	4	हां
			16	हां
12.	34-खंडवा	281-हरदा	119	नहीं
		284-नेपानगर	124	नहीं
13.	35-खरगोन	288-भीकनगांव (अ०ज०जा०)	65	हां
			66	हां
योग	13(संसदीय निर्वाचन क्षेत्र)	20(विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)	39 (मतदान बूथ)	25 बूथों पर पुनर्मतदान हुआ

फोटो टाईपसेट यूनिटों के लिए आयात लाईसेंस

[अनुवाद]

*721. **श्री किरिप चालिहा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ फर्मों को "फोटो टाइपसैट यूनिटों" के लिए आयात लाइसेंस हाल ही में जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन फर्मों ने इस बीच इनमें से कुछ फोटो टाइपसैट यूनिटें किन्हीं अन्य फर्मों को दे दी अथवा बेच दी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (घ) वर्ष 1990-91 और 1991-92 (25 अगस्त, 1991 तक) के दौरान मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात के कार्यालय द्वारा फोटो टाइप-सैट यूनिटों के आयात के लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।

अल्पसंख्यक समुदायों को दिए जा रहे ऋण पर निगरानी रखना

*722. **डा० ए०के० पटेल :**

श्री शंकर सिंह वघेला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण दिए जाने पर निगरानी रखने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अनुदेश दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण दिए जाने पर निगरानी रखने हेतु इन समुदायों का निर्धारण करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी;

(घ) इस प्रयोजनार्थ कौन-कौन से अल्पसंख्यक समुदायों का निर्धारण किया गया है; और

(ङ) वर्ष 1999-91 तथा अप्रैल-जून 1991 के दौरान उन्हें दिए गए ऋणों का ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को निर्देश जारी किए हैं कि वे अल्पसंख्यक समुदायों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की प्रगति को मानीटर करें। अल्पसंख्यक समुदायों को दिए जाने वाले बैंक ऋणों को मानीटर करने का मुख्य उद्देश्य इन समुदायों के सदस्यों को प्राथमिकता क्षेत्र के विभिन्न घटकों के अन्तर्गत ऋण का पर्याप्त भाग सुनिश्चित कराना है ताकि इन समुदायों के सदस्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंकों को मंजूरी से पर्व की जांच पड़ताल के दौरान उधारकर्ता के धर्म के बारे में अनौपचारिक के रूप से जानकारी प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। यदि उधारकर्ता विनिर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों में से किसी एक से संबंधित है तो शाखा अधिकारियों द्वारा ऋण आवेदनों तथा दूसरे रिकार्ड में आवश्यक उल्लेख किया जाता है ताकि प्रगति रिपोर्ट तैयार की जा सके। बैंक की प्रगति रिपोर्ट में जिन समुदायों को शमिल किया गया है वे हैं :- सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जोरास्ट्रियन और नवबौद्ध।

31 मार्च 1991 तक (अद्यतन उपलब्ध) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ऋण संवितरण में की गयी समुदाय-वार प्रगति (बकाया रकमों के अनुसार) इस प्रकार है :-

समुदाय	खाते	रकम (लाख रुप)
सिख	29746	1473
मुस्लिम	500444	12806
क्रिश्चियन	141185	1835
जोरास्टियन	77	5
नव-बौद्ध	5309	163
जोड़	67[illegible]761	16282

वस्त्र निर्यात

*723. **श्री वीरेन्द्र सिंह :**

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 में अनुमानतः कितने वस्त्र का निर्यात किया जाएगा;

(ख) विश्व वस्त्र व्यापार में इस समय भारत का कितना हिस्सा है; और

(ग) वस्त्र निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का क्या विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत : (क) वर्ष 1994 95 के लिए पहनावों सहित वस्त्रों (वस्त्र मदों रहित) के अन्तिम निर्यात 22,500 करोड़ रु० मूल्य के होने का अनुमान है।

(ख) विश्व के वस्त्र व्यापार में भारत का हिस्सा 2 प्रतिशत बनता है।

(ग) सरकार ने वस्त्रों का निर्यात बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें शामिल हैं :—

(1) रियायती शुल्क पर अत्याधुनिक वस्त्र मशीनों के आयात की अनुमति दे कर उद्योग का आधुनिकीकरण।

(2) बढ़ी हुई तथा उधारीकृत आर०ई०पी० लाइसेंस योजना (जिसे अब एक्जिमस्क्रिप योजना के नाम से जाना जाता है)।

(3) प्रमुख विदेशों की मुद्राओं की तुलना में रुपये के मूल्य का समंजन।

(4) परिधानों के सम्बन्ध में गैर-कोटा निर्यात हकदारी जोकि वर्ष 1990 में 3 प्रतिशत थी, चालू परिधान निर्यात हकदारी विवरण नीति में बढ़ाकर 10 प्रतिशत करना।

(5) क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों और अध्ययन दौरों का आयोजन।

(6) परिधान निर्यातकों के लिए जरूरी ट्रिंपिंग और एम्बेलिशमेंट आदि का उदारीकृत आयात।

उत्तर प्रदेश में बस्ती से बंसी सिद्धार्थनगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण

]हिन्दी]

*724. श्री रामपाल सिंह : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में बस्ती से बंसी सिद्धार्थनगर तक, जोकि भगवान गौतम बुद्ध के जन्मस्थान लुम्बिनी के समीप है, और जहां प्रतिवर्ष जापान, चीन और श्रीलंका से हजारों तीर्थयात्री आते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण सभवत: कब तक होगा;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार बस्ती से बंसी सिद्धार्थनगर तक सड़क को चौड़ा करने तथा उसका विकास करने हेतु केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अन्तर्गत धनराशि देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सूती धागे के मूल्य में वृद्धि

[अनुवाद]

*725. श्री धर्मण्णा मोड्य्या सादुल :

डा० जी०एल० कनोजिया : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छह महीनों के दौरान सूती धागे के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा सूती धागे के मूल्यों पर नियंत्रण रखने और इन्हें मार्च, 1991 से पहले के स्तर पर लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जायेंगे ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) जी, हां। पिछले कुछ महीनों के दौरान सभी काउन्ट वाले सूती यार्न के मूल्यों में वृद्धि हुई है।

(ख) मार्च-अगस्त 1991 की अवधि के दौरान हैंक यार्न की कीमतों में लगभग 6 प्रतिशत से 17 प्रतिशत तथा कोन यार्न के मामले में लगभग 15 प्रतिशत से 44 प्रतिशत के बीच वृद्धि हुई है। सूती यार्न की कीमतों में वृद्धि होने का मुख्य कारण देश के कपास उपजाने वाले कुछ क्षेत्रों में मौसम सम्बन्धी प्रतिकूल परिस्थितियां तथा जीवनाशी के भयंकर आक्रमण के कारण कपास के उत्पादन में गिरावट आना और इसके फलस्वरूप कच्चे कपास की कीमतों में वृद्धि होना है। बिजली, वेतन तथा बैंक ऋण जैसी अन्य निविष्टियों की लागत में भी वृद्धि हुई है।

(ग) सूती कपास के मूल्यों में वृद्धि रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों में सूती यार्न तथा कपास के निर्यात के लिए सतर्क नीति को अपनाना शामिल है। एन०टी०सी० की मिलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 40 से कम के काउन्टों वाले यार्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए अपने उत्पादन कार्यक्रम को पुनः निर्धारित करें, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा हथकरघा बुनकरों को यार्न की सप्लाई को बढ़ाना, वस्त्र आयुक्त के तन्त्र के द्वारा जमाखोरी के विरुद्ध अभियान चलाना, राज्य सरकारों द्वारा यार्न मूल्य निर्धारण समितियों को सक्रिय बनाना तथा राज्य अभिकरणों द्वारा वितरण व्यवस्था को सरल बनाना।

दक्षिण में उच्चतम न्यायालय की एक खंडपीठ की स्थापना

*726. **श्री धर्मभिक्षम** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह मांग लगातार की जा रही है कि दक्षिण में उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना की जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : (क) उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठों की देश के विभिन्न भागों में, जिसमें दक्षिण भी सम्मिलित है, स्थापना के लिए, समय-समय पर अभ्यावेदन/सुझाव दिए गए हैं।

(ख) संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार, उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों से अधिविष्ठ होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, समय-समय पर नियत करे। इस विषय में अभी अन्तिम विनिश्चय नहीं किया गया है।

वस्त्रों का निर्यात

*727. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वस्त्र निर्यात के सम्बन्ध में पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे तथा उन्हें किस हद तक पूरा किया गया;

(ख) उक्त अवधि में वस्त्र निर्यात से सरकार को कुल कितने राजस्व की प्राप्ति हुई;

(ग) क्या वस्त्र निर्यात को बढ़ाने की काफी गुंजाइश है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में किन-किन सम्भावनाओं का पता लगाया गया है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (घ) वर्ष 1988-89 से 1999-91 तक की अवधि के दौरान लक्ष्यों और तदनुरूपी निर्यात आय को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

2. सरकार का विचार है कि भारत के वस्त्रों और परिधानों के निर्यातों में सुधार लाने की अच्छी गुंजाइश है हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय जैसे कुछ प्रमुख गंतव्य देशों को भारत के वस्त्रों और पहनावों के निर्यात कोटा नीति द्वारा संचालित होते हैं जिसमें कि ऐसे सुधार की गुंजाइश कुछ हद तक ही सीमित है।

3. सरकार ने हमारे निर्यातों को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) रियायती शुल्क पर अत्याधुनिक वस्त्र मशीनों के आयात की अनुमति देकर उद्योग का आधुनिकीकरण।

(2) बढ़ी हुई तथा उदारीकृत आर०ई०पी० लाइसेंस योजना (जिसे अब एक्जिमस्क्रिप योजना के नाम से जाना जाता है)।

(3) प्रमुख विदेशी मुद्राओं की तुलना में रुपये के मूल्य का समंजन।

(4) परिधानों के सम्बन्ध में गैर-कोटा निर्यात हकदारी जोकि वर्ष 1990 में 3 प्रतिशत थी, चालू परिधान निर्यात हकदारी वितरण नीति में बढ़ाकर 10 प्रतिशत करना।

(5) क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों और अध्ययन दौरों का आयोजन।

(6) परिधान निर्यातकों के लिए जरूरी ट्रिमिंग और एम्बेलिशमेंट आदि का उदारीकृत आयात।

विवरण

वस्त्रों के निर्यात

(करोड़ रु० में)

क्रम संख्या	मद	लक्ष्य	निर्यात	लक्ष्य	निर्यात	लक्ष्य	निर्यात
		1988-89	1988-89	1989-90	1989-90	1990-91	1990-91
1.	सूती वस्त्र	1000	1341	1550	1825	1960	2461
2.	सिले सिलाए परिधान	2150	2278	2600	3472	3900	4640
3.	ऊनी वस्त्र	100	138	140	175	195	190
4.	रेशमी वस्त्र	270	331	400	401	480	440
5.	मानव निर्मित फाईबर	150	278	400	601	750	631
	कुल	3670	4366	5090	6474	7285	8362

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को विदेशी मुद्रा की अनुपलब्धता

728. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जुलाई, 1991 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार के अनुसार विदेशी मुद्रा की अनुपलब्धता के कारण राज्य व्यापार निगम, इंडियन आयल कार्पोरेशन और खनिज तथा धातु व्यापार निगम जैसे सरकारी क्षेत्र के अनेक उपक्रम अपने करारगत दायित्वों को पूरा नहीं कर पाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) विदेशी मुद्रा की कमी के कारण होने वाली कठिनाई से निपटने में रुपये के अवमूल्यन से उन्हें किस हद तक सहायता मिली है; और

(घ) विदेशी मुद्रा की कमी से उन्हें उबारने के लिए यदि अन्य कोई कदम उठाए गए हैं तो वे क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) जी, नहीं। विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में बैंकरों और आपूर्तिकर्ताओं के प्रति सभी संविदात्मक दायित्वों को बिना किसी त्रुटि के पूरा किया जा रहा है।

(ग) विनिमय दरों के समायोजनों का विदेशी मुद्रा संकट के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा महसूस की जा रही कठिनाइयों के साथ कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। तथापि, ऐसे समयोजनों से भुगतान संतुलन में समयानुसार जिस सीमा तक सुधार होगा, उसी सीमा तक अपर्याप्त विदेशी मुद्रा के कारण होने वाली कठिनाइयों पर काबू पाया जा सकेगा।

(घ) भुगतान संतुलन की कठिन स्थिति से निपटने की नीति के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से मांग पर पुनर्विचार करने, माल सूची में कमी करने, मांग आदेशों में फेरबदल करने और जहां पर भी संभव हो उधार की सुविधाएं लेने के लिए कहा गया था। इस पद्धति के द्वारा संविदात्मक उत्तरदायित्व केवल प्रबन्ध योग्य स्तरों तक सीमित रखे होते हैं और उन्हें ठीक तरह से पूरा किया जाता है। इस मामले पर लगातार पुनरीक्षण किया जाता है ताकि भुगतान संतुलन की स्थिति और विदेशी मुद्रा भंडारों के प्रबन्ध को समय-समय पर किए गए संविदात्मक दायित्वों के अनुसार समन्वित किया जा सके।

विदेशी मुद्रा भंडारों के स्तर में सुधार करने की दृष्टि से सरकार का अल्पावधि के लिए, आयात कम करने के उपाय, पहले से वचनबद्ध विदेशी सहायता के उपयोग को त्वरित करने और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सुविधाएं सहित अतिरिक्त वित्तपोषण सुविधाओं की संभावनाओं का पता लगाने के कार्य को जारी रखने का प्रस्ताव है।

मध्यावधि में, सरकार, अधिक प्रभावशाली निर्यात संवर्धन उपायों, सेवाओं से, जिनमें पर्यटन प्राप्तियां भी शामिल हैं, संवर्द्धित प्राप्तियों के माध्यम से "निवल अदृश्य" आय में वृद्धि करके, और वित्तीय विवेक और उनके उत्पादक उपयोग द्वारा पूंजी प्रवाह को बढ़ाकर व्यापार-अन्तर को कम करना चाहती है। हमारी समग्र आर्थिक नीतियों के अनुरूप, सीधे विदेशी निवेशों को और अनिवासी भारतीयों से अधिक पूंजी प्रवाहों को आकर्षित करने के उपायों की घोषणा भी की गई है

चीनी मिलों को रियायती दरों पर ऋण

*730. श्री अनादि चरण दास :

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी तथा सहकारी क्षेत्रों की चीनी मिलें सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं से रियायती दरों पर ऋण प्राप्त करने की पात्र हैं;

(ख) यदि हां, तो इन चीनी मिलों से किस दर पर ब्याज लिया जाता है तथा वापसी भुगतान न किए जाने पर उनसे किस दर से दण्डात्मक ब्याज वसूल किया जाता है;

(ग) इन दरों को पिछली बार कब संशोधित किया गया था;

(घ) क्या कुछ चीनी मिलों द्वारा सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं को भुगतान करना स्थगित किए जाने का समाचार मिला है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) दरें पिछली बार अगस्त 1991 में संशोधित की गई थीं।

(घ) जी, हां।

(ङ) 31-3-1991 की स्थिति के अनुसार वित्तीय संस्थाओं से सम्बन्धित चूकों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए में)

	चूकें		बकाया राशि
	संख्या	राशि	
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	30	11.64	48.94
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	17	5.96	18.58
भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम	106	20.32	107.83
	*	37.92	175.35

*कई कम्पनियों के सामान्य होने के कारण कम्पनियों की कुल संख्या मेल नहीं खाएगी।

चूक होने के कारण अलाभकर परिचालन है जिनमें अन्य बातों के साथ साथ-साथ ये शामिल —गन्ना उपलब्ध न होना, गन्ना वसूली की उच्च कीमतें, चीनी की कम मात्रा में वसूली, आधुनिकी-

करण का अभाव, प्रबन्धन की समस्याएं, कार्यान्वयन में देरी, लगाई गई क्षमता का अलाभकर होना आदि ।

(ख) वित्तीय संस्थाएं अतिदेय राशियों की वसूली के लिए कई प्रकार के उपाय करती हैं। इनमें सम्बन्धित एककों और उनके गारंटीदाताओं (राज्य सरकारों सहित जहां वे शामिल हों) पर अपनी गारंटी देने की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए अधिक दबाव डालना शामिल है। पात्र मामलों में संस्थाएं ऋणों के पुनर्निर्धारण के लिए भी सहमत हो जाती हैं। कतिपय अनर्थक्षम एककों के मामले में संस्थाएं एक बारगी समझौता भी करती हैं। अपवादक मामलों में, जहां अन्य सभी उपाय असफल हो जाते हैं, संस्थायें वसूली के लिए मुकद्दमे दायर करती हैं।

उड़ीसा में बैंकों का शाखा विस्तार कार्यक्रम

*731. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना-अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्रों के बैंकों के शाखा विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) उक्त अवधि के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ग्रामीण बैंक शाखाएं खोलने के लिए कितने लाइसेंस जारी किए गए और वास्तव में कितनी साखाएं खोली गई; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उड़ीसा में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया गया प्रति व्यक्ति निवेश राष्ट्रीय औसत निवेश की तुलना में कितना था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक की 1985-90 के लिए शाखा लाइसेंसिंग नीति में, उड़ीसा सहित देश में प्रत्येक विकास खण्ड के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रति बैंक कार्यालय 17,000 जनसंख्या (1981 की जनगणना) के लक्ष्य के पाने की अपेक्षा की गयी थी। मार्च 1990 के अन्त की स्थिति के अनुसार उड़ीसा राज्य के प्रति बैंक कार्यालय की औसत जनसंख्या समस्त रूप में 13,540 और ग्रामींण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में यह 14,520 थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने उक्त अवधि के लिए वाणिज्यिक बैंकों को कुल 388 केन्द्र आबंटित किये थे। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आज तक 354 केन्द्रों को खोल दिया गया हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने लम्बित लाइसेंसों की वैधता को 31 मार्च, 1992 तक बढ़ा दिया है।

(ग) मार्च 1989 के अन्त की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में (1981 की जनगणना पर आधारित) सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सकल बैंक ऋण का प्रति व्यक्ति संवितरण राष्ट्रीय औसत निवेश की तुलना में क्रमशः 638 रुपए और 1403 रुपए था।

केरल में रेशम उत्पादन का विकास

5894. श्री टी०जे० अंजलोज : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कुछ सुविधाएं मुहैया की हैं;

(ख) यदि हां, तो कब से और केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को अब तक दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो केन्द्रीय सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने केरल राज्य सरकार को राज्य में रेशम उत्पादन के विकास के लिये 1987-88 से अपने सामान्य कार्यक्रमों/ विश्व बैंक सहायता प्राप्त राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना के अंतर्गत निम्नोक्त प्रकार की सहायता प्रदान की है :

1. इम्दादी लागत पर शहतूती कलमों और पौधों की सप्लाई ।

2. रोग मुक्त चक्तों की सप्लाई ।

3. मूल बीज फार्मों, ग्रेनेज, कोसों के बाजारों, रेशम उत्पादन प्रशिक्षण विद्यालयों, प्रदर्शन सह प्रशिक्षण केन्द्रों, रीलिंग एककों, चाकी केन्द्रों तथा तकनीकी सेवा केन्द्रों की स्थापना ।

4. किसानों के लिये अध्ययन दौरों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन ।

5. तकनीकी मार्ग-दर्शन तथा वितरण सहायता का विस्तार ।

6. संगोष्ठियों तथा उद्यमियों के कार्यक्रमों का आयोजन ।

गुवाहाटी उच्च न्यायालय में लंबित मामले

5895. **डा० जयन्त रंगपी** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) गुवहाटी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों से भी अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या कितनी है; और

(ख) इन मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) :

(क) 30-6-1991 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय में, 237 मामले, दस वर्ष से अधिक समय से लंबित थे ।

(ख) मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विधि के समान प्रश्न वाले मामलों को एक समूह में रखना, विशेष न्यायापीठों का गठन, प्रक्रियात्मक सुधार, आदि जैसे विभिन्न कदम उठाये गए हैं । बकाया मामले सम्बन्धी समिति (मलिमथ समिति) की जिसने न्यायालयों में बकाया मामलों को समस्या का अध्ययन किया था, रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशें सभी संबद्ध राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों और गुवाहाटी उच्च न्यायालयों सहित सभी उच्च न्यायालयों को, उपयुक्त अनुवर्ती कारंवाई के लिए भेज दी गई है ।

निर्यात और आयात के बीच सन्तुलन

5896. **श्री प्रकाश वी० पाटील** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा निर्यात और आयात के बीच सन्तुलन बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ख) आयात के बराबर निर्यात अथवा आयात से अधिक निर्यात कब तक हो जाने की सम्भावना है;

(ग) 51 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी से विदेशी व्यापार में सन्तुलन लाने में किस प्रकार सहायता मिलेगी;

(घ) क्या विदेशी पूंजी निवेश वाली कम्पनियां आयात की तुलना में निर्यात अधिक कर रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) व्यापार नीति में अनेक परिवर्तन किए गए हैं, जिनका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहनों को सुदृढ़ करना, आयात लायसेंसों को काफी हद तक समाप्त करना तथा आयात दबाव को अभीष्ट स्तर तक लाना है। पी०ओ०एल० तथा उर्वरकों जैसे संवेदनशील मदों के अनिवार्य आयातों को पूरी सुरक्षा दी गई है लेकिन कच्चे माल एवं संगठनों के अन्य आयातों को निर्यात निष्पादन के साथ जोड़ दिया गया है। आर० ई० पी० लाइसेंसों का स्थान अब एक्सिमस्क्रिप्स नामक दस्तावेज ने ले लिया है। एक्सिमस्क्रिप्स के जरिए अब कच्चे माल, संघटकों एवं फालतू पुर्जों की कुछ किस्म आयात की जा सकेंगी। असूचीबद्ध ओ० जी० एल० की श्रेणी को समाप्त कर दिया गया है और इन मदों को अब केवल एक्सिमस्क्रिप्स के आधार पर ही आयात किया जा सकता है। निर्यात संवर्धन के एक साधन के रूप में अग्रिम लाइसेंस की प्रणाली को सुदृढ़ किया गया है।

(ख) आयात को कम करने तथा निर्यातों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए अनेक उपायों के परिणामस्वरूप व्यापार घाटा अप्रैल-जून, 1990 में 1876 करोड़ रु० से कम होकर अप्रैल-जून 1991 में 1502 करोड़ रु० रह गया है। यह निश्चिय रूप से बताना कठिन है कि कब तक निर्यात आयातों के बराबर अथवा अधिक हो जाएंगे क्योंकि यह अनेक विश्वव्यापी एवं घरेलू कारणों पर निर्भर करता है।

(ग) यह विनिश्चय किया गया है कि निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर 51% विदेशी इक्विटी तक सीधे विदेशी निवेश के लिए स्वीकृति दी जाए जिससे कि उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में, जिसमें भारी निवेश एवं उन्नत प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है, विदेशी निवेश आमन्त्रित किया जा सके।

(i) विदेशी इक्विटी में आयातित पूंजीगत माल के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को शामिल किया जाना चाहिए।

(ii) लाभांश का भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक के जरिए मानीटर किया जाएगा जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि लाभांश भुगतानों की वजह से होने वाले पूंजी का बहिर्गमन एक निश्चित अवधि के दौरान निर्यात-आय से संतुलित हो जाए।

(iii) लाभांशों का सन्तुलन उत्पादन शुरू होने से 7 वर्षों की अवधि में किया जाएगा।

(iv) लाभांशों की वापसी को उद्योग नीति विवरण के अनुबन्ध III के अन्तर्गत आने वाली मदों के निर्यात से कम्पनी को होने वाली आय से पूरा किया जाना चाहिए।

(घ) और (ङ) कम्पनियों के विदेश व्यापार के अलग-अलग आंकड़े संकलित नहीं किये जाते। लेकिन, 24 जुलाई, 1991 को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत की गई औद्योगिक नीति सम्बन्धी

वक्तव्य में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान था कि लाभांशों के भुगतान को भारतीय रिजर्व बैंक के जरिए मानीटर किया जाएगा जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि लाभांश भुगतान की वजह से होने वाला पूंजी का बहिर्गमन एक निश्चित अवधि के दौरान निर्यात आय से संतुलित हो जाए।

कोचीन से मदुरै तक पर्वतीय राजमार्ग का निर्माण

5897. श्री कोड्डीकुलीन सुरेश : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार कोचीन से मदुरै तक पर्वतीय राजमार्ग का निर्माण करने के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित करने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) कोचीन-मदुरै सड़क को 1989 में राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-49 के रूप में घोषित कर दिया गया है। कोचीन से मदुरै तक पर्वतीय राजमार्ग के निर्माण के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का कोई अन्य प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य सड़क परिवहन निगम में किया गया निवेश

5898. श्री भाग्ये गोवर्धन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य सड़क परिवहन निगम में किये गये पूंजी-निवेश तथा उस पर होने वाले लाभ का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन निगमों के कार्यनिष्पादन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इनका पुनरोद्धार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) केन्द्र सरकार सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत स्थापित राज्य सड़क परिवहन निगमों को पूंजीगत अंशदान प्रदान करती है। यह स्थाई ऋण है। इस प्रकार, राज्य सड़क परिवहन निगमों द्वारा केवल ब्याज का ही भुगतान किया जाता है। प्रत्येक राज्य सड़क परिवहन निगम में केन्द्र सरकार द्वारा किये गये कुल निवेश के ब्यौरे संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं। वसूल किए गए ब्याज के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) वर्ष 1989-90, जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं, के दौरान केवल गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम ने लाभ अर्जित किया। राज्य सड़क परिवहन निगमों द्वारा अर्जित लाभ/उनको हुए घाटे के ब्यौरे संलग्न विवरण-2 में संलग्न हैं।

(ग) दिल्ली परिवहन निगम को छोड़कर सभी राज्य सड़क परिवहन निगम सम्बन्धित राज्य

सरकारों के नियंत्रण में हैं। राज्य सड़क परिवहन निगमों के कार्य-निष्पादन की निम्नलिखित मुख्य तथ्यों को ध्यान में रखते हुए नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है :—

1. वाहन उत्पादकता
2. स्टाफ उत्पादकता
3. ईंधन की बचत
4. प्रतिबस प्रतिदिन यात्री-किलोमीटर
5. वित्त का प्रचालन अनुपात, और
6. प्रति 100 यात्री कि०मी० प्रचालन खर्च।

जहां तक दिल्ली परिवहन निगम का सम्बन्ध है, सरकार इसके कार्यनिष्पादन पर लगातार निगरानी रख रही है ताकि इसकी उत्पादकता में वृद्धि हो और प्रचालन-लागत कम हो तथा राजस्व में वृद्धि करने और प्रचालन घाटों को कम करने के आशय से बचत उपाय लागू किए जा सकें और लीकेज रोकी जा सके। दिल्ली परिवहन निगम द्वारा अपने कार्यनिष्पादन में सुधार लाने हेतु जो उपाय किए जाते हैं, उनमें से एक उपाय है रूटों को युक्तिसंगत बनाना।

विवरण-1

(राशि रुपयों में)

क्र०सं०	स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन का नाम	31-3-1991 तक कुल निवेश
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	61,06,99,661
2.	असम	10,25,78,000
3.	बिहार	20,44,80,000
4.	गुजरात	94,52,20,925
5.	हिमाचल प्रदेश	11,33,46,000
6.	जम्मू एवं कश्मीर	11,14,29,630
7.	कर्नाटक	40,52,28,875
8.	केरल	18,15,17,000
9.	मध्य प्रदेश	28,38,46,266
10.	महाराष्ट्र	44,40,40,033
11.	मणिपुर	3,43,01,000
12.	मेघालय	4,97,82,000
13.	पेप्सू	17,79,15,175
14.	उड़ीसा	12,25,67,000

1	2	3
15.	नार्थ बंगाल	4,82,51,500
16.	राजस्थान	18,58,05,000
17.	त्रिपुरा	3,63,73,500
18.	उत्तर प्रदेश	58,55,50,000
19.	साउथ बंगाल	शून्य
20.	कलकत्ता	शून्य
21.	दिल्ली परिवहन निगम	2,63,87,98,000

विवरण-2

वे राज्य परिवहन निगम जिनको वर्ष 1989-90 के दौरान घाटा/लाभ हुआ

1.	महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम	...(—) 6642.88	लाख रु०
2.	आन्ध्र प्रदेश सड़क परिवहन निगम	...(—) 2062.63	„
3.	केरल राज्य सड़क परिवहन नियम	...(—) 1956.88	„
4.	उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन नियम	...(—) 2474.81	„
5.	कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम	...(—) 3770.17	„
6.	राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम	...(—) 634.86	„
7.	बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम	...(—) 2806.35	„
8.	पेप्सू सड़क परिवहन निगम	...(—) 1922.18	„
9.	उड़ीसा राज्य सड़क परिवहन निगम	...(—) 585.39	„
10.	साउथ बंगाल राज्य सड़क परिवहन निगम	...(—) 463.73	„
11.	हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम	...(—) 1763.88	„
12.	असम राज्य सड़क परिवहन निगम	...(—) 1278.68	„
13.	त्रिपुरा राज्य सड़क परिवहन निगम	...(—) 247.06	„
14.	मणिपुर राज्य सड़क परिवहन निगम	...(—) 6.76	„
15.	दिल्ली परिवहन निगम	...(—) 11984.56	„
16.	कलकत्ता राज्य सड़क परिवहन निगम	...(—) 3248.58	„
17.	मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	...(—) 1945.00	„
18.	मेघालय राज्य सड़क परिवहन निगम	...(—) 336.30	„
19.	नार्थ बंगाल राज्य सड़क परिवहन निगम	...(—) 378.33	„
20.	जम्मू और कश्मीर सड़क परिवहन निगम	...(—) 1121.00	„
21.	गुजरात सड़क परिवहन निगम	...(+) 62.79	„

सोना गिरवी रखने के बदले किसानों को ऋण

5899. श्री के० वी० आर० चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित बैंक किसानों को सोना गिरवी रखने के बदले कृषि कार्य हेतु ऋण नहीं दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गनिर्देशों की शर्तों के अनुरूप, वाणिज्यिक बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कृषि ऋण मंजूर करने के लिए प्रतिभूति के रूप में सोने के आभूषण तथा गहने स्वीकार करते हैं, बशर्ते कि ऋण की मात्रा उगाई जाने वाली फसल या प्रस्तावित निवेश और उससे सृजित की जाने वाली वापसी अदायगी की क्षमता के संदर्भ में आंकी गयी हो, न कि गिरवी रखे जाने वाले सोने के मूल्य के सन्दर्भ में।

(ख) और (ग) प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

राष्ट्रीय पत्तन प्राधिकरण की स्थापना

5900. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ट्रस्टों, जिन्हें कम्पनियों में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव है, के शीर्ष निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय पत्तन प्राधिकरण की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और वर्तमान ढांचे की तुलना में यह कैसे लाभप्रद होगा; और

(ग) ऐसी कम्पनियां तथा प्राधिकरण कब तक चालू होने की आशा है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) सरकार के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण के तहत पत्तन न्यासों को निगमों अथवा कम्पनियों जैसे प्रबन्ध के रूप में परिवर्तित करने से सम्बन्धित एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। यह परिकल्पना की गई कि ऐसा करने से महापत्तनों को अधिक स्वायत्ता तो प्राप्त होगी ही साथ ही ये वाणिज्योन्मुख भी होंगे।

(ग) चूंकि अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है इसलिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

निर्यातोन्मुख एककों और मुक्त व्यापार क्षेत्र एककों से विदेशी मुद्रा की आय

5901. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यातोन्मुख एककों और मुक्त व्यापार क्षेत्र एककों से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होती है और अग्रिम लाइसेंस प्रणाली/मूल्य वर्द्धित पद्धति से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होती है;

(ख) क्या निर्यातोन्मुख एककों, मुक्त व्यापार क्षेत्र एककों अथवा अग्रिम लाइसेंस प्रणाली

एककों से आयात करने वाली वस्तुओं और जो एकक आर०ई०पी० प्रणाली के अन्तर्गत निर्यात करते हैं, उनमें कोई अन्तर है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) (क) से (ग) निर्यातोन्मुख एककों, मुक्त व्यापार जोन के एककों या अग्रिम लाइसेंसिंग और योजनाओं के तहत कार्य कर रहे एककों द्वारा निर्यातित उत्पादकों की आयात वस्तु कुछ मामलों में एक सी हो सकती हैं, परन्तु निविष्टियों की आयात क्षमता अलग-अलग हो सकती है। शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख और मुक्त व्यापार जोन के एककों की तुलना में घरेलू टैरिफ क्षेत्र के एककों में कार्य कर रहे एककों के बीच समुचित तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि वे पूर्णतया अलग परिस्थितियों में कार्य करते हैं। शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों और मुक्त व्यापार जोनों के एककों से अपेक्षा की जाती है कि निर्यात के एफ० ओ० बी० मूल्य को मूल्य-वर्ग के रूप में मानते हुए न्यूनतम 20% मूल्य वर्धन प्राप्त करें। दूसरी ओर अग्रिम लाइसेंस सामान्यत: आयातों के लागत बीमा (सी०आई०एफ०) मूल्य पर 33% के न्यूनतम मूल्य वर्धन या कुछ निर्यात उत्पादों के लिए आयात नीति में निर्धारित उच्चतर मूल्य वर्धन के अध्यधीन दिए जाते हैं।

बिहार में भारतीय स्टेट बैंक में अनुसूचित जातियोंजनजातियों के कर्मचारी

[हिन्दी]

5902. श्री ललित उरांव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में भारतीय स्टेट बैंक की कुल कितनी शाखाएं हैं; और

(ख) उनमें प्रबंधक के रूप में क्रमश: जे० एम० जी० एम० वेतनमान I, II, III तथा टीवी के वेतनमानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : 30 जून, 1991 की स्थिति के अनुसार 898 ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग

[अनुवाद]

5903 श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलने का प्रस्ताव भेजा हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 2, 3, 7, 11, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 56 हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। ब्यौरे निम्नलिखित है:-

क्रम सं०	सड़क का नाम	कुल लम्बाई
1.	कपियाडीह, बहराईच, बाराबंकी, हैदरगढ़, बचरनवा, लालगंज, फतेहपुर, बाँदा, सागर रोड़	405 कि०मी०
2.	दिल्ली, अलीगढ़, एटा, नानपुर रोड़	400 कि०मी०
3.	गाजियाबाद, मेरठ, हरिद्वार, ऋषिकेष रोड़, और	225 कि०मी०
4.	गाजीपुर, बलिया, छपरा, हाजीपुर रोड़	130 कि०मी०
	कुल :	1160 कि०मी०

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार किए जाने के बाद ही नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है।

रेलवे तथा अन्य मंत्रालयों में ग्रुप "ख" राजपत्रित अधिकारियों के वेतमान में संशोधन

5904. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक :**

श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय और कुछ अन्य मंत्रालयों में अराजपत्रित वरिष्ठ अधीनस्थ कर्मचारियों का वेतनमान (संशोधित वेतनमान) 2375-3500 रुपये है, जोकि उनके वरिष्ठ ग्रुप "ख" राजपत्रित अधिकारियों के वेतनमान 2000-3500 रुपये से अधिक है;

(ख) क्या यह सर्वमान्य स्वीकृत मानदण्डों के विपरीत नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ग्रुप "ख" राजपत्रित अधिकारियों के वेतनमान संशोधन करने का है ताकि यह उनके अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनमान से अधिक हो जाए ;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिए जाने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) रेल तथा रक्षा मंत्रालयों के अन्तर्गत कुछ तकनीकी सस्थाओं में 2375-3500 रु० के वेतनमान में कुछ पद हैं जो 2000-3500 रु० के वेतनमान के पदों के फीडर पद हैं। यह व्यवस्था चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप पुनरीक्षित वेतनमानों के लागू होने के पहले से ही विद्यमान रही है। उदाहरण के लिए, तकनीकी पर्यवेक्षकों के पद 840-1040 रु० तथा 830-1200 रु० के संशोधन पूर्व वेतनमानों में थे जबकि सहायक इंजीनियरों के पद, जोकि पदोन्नति के पद थे, 650-1200 रु० के संशोधन-पूर्व वेतनमान में थे। चौथे-केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर तकनीकी पर्यवेक्षकों के दोनों वेतनमानों को 2375-3500 रु० के एक ही वेतनमान में मिला दिया गया था। वेतन आयोग ने सहायका इंजीनियरों के लिए उनके 650-1200 रु० के संशोधन-पूर्व वेतनमान के बदले में 2000-5300 रु० सामान्यतः प्रतिस्थापित वेतनमान की सिफारिश की थी।

इस मामले पर राष्ट्रीय विसंगति निवारक समिति में विचार किया गया है किन्तु इसको स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया।

गुजरात में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए ऋण

[हिन्दी]

5905. श्री एस० एन० वेकारियां : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक की जिलावार कितनी शाखाएं हैं;

(ख) उक्त शाखाओं में गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, कितनी धनराशि जमा की गयी और उनके द्वारा कितनी धनराशि के ऋण मंजूर किए गए;

(ग) क्या मंजूर किए गए ऋणों की राशि निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने ऋणों की राशि में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) 30-6-1991 की स्थिति के अनुसार गुजरात में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक की शाखाओं की जिलावार संख्या संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

(ख) मार्च 1989, मार्च 1990 और दिसम्बर 1990 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार गुजरात में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल जमाराशियां और बकाया अग्रिम नीचे दिए गए हैं :

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	जमाराशियां	बकाया अग्रिम
मार्च, 1989	8608	5168
मार्च, 1990	10052	6148
दिसम्बर, 1990	10908	6162

(ग) और (घ) बैंक ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम देने के लिए वार्षिक ऋण योजनाएं तैयार करते हैं। उपलब्धि में हुई प्रगति पर जिला समन्वय बैठकों में बैंकों और जिले के अधिकारियों द्वारा तिमाही आधार पर नजर रखी जाती है। लक्ष्य और उपलब्धियों के जिलावार आंकड़े संलग्न विवरण--2 में दिए गए हैं।

विवरण

30-6-91 की स्थिति के अनुसार गुजरात में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की जिलावार संख्या दर्शानेवाला विवरण

बैंक का नाम / जिले का नाम	अहमदाबाद	अमरेली	बनासकांठा	भरुच	भावनगर	डांग्स	गांधीनगर	जामनगर	जूनागढ़	कच्छ	खेड़ा	मेहसाना	पंचमहल	राजकोट	साबरकांठा	सूरत	सुरेन्द्रनगर	वड़ोदरा	वलसाड
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
भारतीय स्टेट बैंक	85	4	2	25	9	3	9	6	10	12	37	29	17	18	18	31	9	58	26
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
स्टेट बैंक सौराष्ट्र	17	36	1	2	50	—	1	22	51	3	5	5	3	41	—	5	27	7	4
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
इलाहाबाद बैंक	7	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—		2	—	2	—
आन्ध्रा बैंक	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
बैंक ऑफ बड़ौदा	57	6	7	36	7	2	3	10	12	21	85	33	45	38	0	84	2	86	74
बैंक ऑफ इंडिया	46	3	1	5	13	—	1	8	13	15	27	10	—	21	—	17	1	18	9
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	11	—	—	1	1	—	1	1	1	—	2	—	—	—	—	4	—	5	3
केनरा बैंक	16	—	—	1	1	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	4	—	3	2
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	37	1	—	6	8	—	6	13	9	7	33	9	—	4	3	14	4	26	11
कारपोरेशन बैंक	2	—	—	—	1	—	1	1	1	—	3	—	—	2	—	1	—	2	
देना बैंक	73	20	37	13	30	—	10	12	23	42	33	47	10	25	53	37	25	24	28
इन्डियन बैंक	6	—	—	2	1	—	1	1	2	1	6	2	1	2	—	3	—	4	3
इन्डियन ओवरसीज बैंक	14	—	—	1	2	—	2	1	1	2	5	1	—	—	—	3	—	9	2
न्यू बैंक आफ इन्डिया	5	1	—	1	—	—	—	—	2	—	2	—	—	1	—	2	—	1	2
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	4	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	2	—	—	—	1	1	1	—
पंजाब एन्ड सिंध बैंक	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—
पंजाब नेशनल बैंक	20	1	—	1	1	—	1	1	2	5	5	2	—	2	1	5	7	5	3
सिंडिकेट बैंक	12	—	—	1	1	—	1	1	2	3	4	4	—	4	—	7	1	2	2
यूको बैंक	25	3	1	3	3	—	1	3	4	1	1	2	—	7	—	6	—	6	6
यूनियन बैंक आफ इंडिया	32	1	4	4	9	—	2	4	10	3	22	8	5	14	8	13	2	16	9
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	8	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—
विजया बैंक	7	—	—	—	—	—	—	2	3	—	1	—	—	1	—	1	—	3	3
जोड़	501	76	72	102	140	5	42	90	148	115	282	156	90	209	95	245	68	285	188

विवरण-2

गुजरात में वार्षिक ऋण योजनाओं के लक्ष्य और उपलब्धियां

लाख रुपए में

क्र०सं०	जिले का नाम	जनवरी-दिसम्बर 1988 लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि की प्रतिशलता	मई 1989 जून 1990 लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि की प्रतिशतता	अप्रैल 1990 मार्च 1991 लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि की प्रतिशतत
1.	अहमदाबाद	1034.26	1317.76	127.41	1066.96	1413.26	132.46	1550.11	1055.52	68.0)
2.	अमरेली	962.57	1403.42	145.60	1184.28	1033.47	87.27	1361.89	1854.75	136.19
3.	भरूच	1389.08	1294.52	93.19	1700.21	1589.91	93.51	2850.97	1633.21	57.29
4.	भावनगर	1854 62	3352.00	180.74	3297.83	10240.35	310.52	3781.66	15966.93	422.22
5.	बड़ोदा	4927.53	4291.31	87.09	6384.92	4973.00	77.89	6306.00	3974.87	63.03
6.	बलसार	3019.98	3065.93	101.52	3582.43	4229.04	118.05	3522.74	3138.00	89.08
7.	बनासकंठा	1182.00	1248.15	105.60	1364.00	1318.0)	96.63	1555.00	1486.84	95.62
8.	डांग्स	25.22	24.13	95.68	28.23	14.93	52.89	28.29	39.39	139.24
9.	गांधीनगर	448.32	112.10	25.00	701.32	640.00	91.26	497.00	279.80	56.30
10.	जामनगर	1394.29	1507.4)	108.11	1651.38	1895.88	114.81	1996.33	2156.91	108.04
11.	जूनागढ़	1785.85	2629.20	147.22	2674.91	2108.59	78.83	3326.95	3650.69	109.73
12.	खेडा,	3635.05	3935.00	108.26	4021.0)	4449.00	110.64	4681.00	3274.36	69.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	कच्छ	1343.00	1361.51	101.38	1415.86	1256.87	88.77	1377.08	1599.13	116.12
14.	मेहसाना	2145.24	2354.00	109.73	2572.23	869.17	33.81	3196.58	2630.75	82.30
15.	पंचमहल	856.66	1498.41	174.91	1936.81	1585.38	81.85	2164.73	1406.51	64.97
16.	राजकोट	1799.70	3304.31	183.60	1376.84	2796.27	203.09	3248.93	4328.31	133.22
17.	साबरकंठा	1807.00	1303.00	72.11	1583.97	644.00	40.66	1409.00	1239.75	87.99
18.	सुरेन्द्रनगर	623.07	750.65	120.48	796.19	860.82	108.12	959.01	841.77	87.77
19.	सूरत	4726.00	6015.00	127.27	4964.44	4896.00	98.62	5141.00	5504.00	107.06
	जोड़ .	34859.39	40767.88	116.61	42303.81	46814.34	110.66	48954.27	56061.49	114.52

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा औद्योगिक एककों को पुनः चालू करना

[अनुवाद]

5906. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने 31 मार्च, 1991 तक कितने औद्योगिक एककों को पुनः चालू कराया है/अर्थक्षम बनाया है;

(ख) इन्हें पुनः चालू करने/अर्थक्षम बनाने पर कितनी लागत आयी है;

(ग) अप्रैल, 1991 की स्थिति के अनुसार ऐसे कितने औद्योगिक एकक हैं जिनकों पुनः चालू किये जाने/अर्थक्षम बनाने के प्रस्ताव बोर्ड के विचाराधीन है; और

(घ) उन औद्योगिक एककों का राज्यवार और औद्योगिक क्षेत्रवार ब्योरा क्या है जिन्हें पुनः चालू किया गया/अर्थक्षम बनाया गया है और जिन्हें चालू किया जा रहा है/अर्थक्षम बनाया जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सूचित किया है कि 31-3-91 की स्थिति के अनुसार, उसने अधिनियम की धारा 17(2) के अन्तर्गत कम्पनियों की पुनर्वास योजनाओं के 124 मामलों को अनुमोदित किया था और धारा 18(4) के अन्तर्गत 182 पुनर्वास योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की थी। इसके अलावा, 31-3-91 की स्थिति के अनुसार, रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (एस०आई०सी०ए०) के अन्तर्गत अनुमोदन प्राप्त तीन रुग्ण औद्योगिक एककों को अरुग्ण घोषित किया गया। इसके अतिरिक्त, 31-3-1991 की स्थिति के अनुसार औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा स्वीकृत विलय की 25 योजनाओं में से लगभग 15 योजनाओं में पहले ही विलय हो चुका है।

(ख) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सूचित किया है कि उसने समग्र आधार पर पुनर्वास/पुनरुद्धार की लागत से सम्बन्धित आंकड़े समेकित नहीं किए हैं क्योंकि बोर्ड के कार्यों के संबंध में इसकी आवश्यकता नहीं होती। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार की लागत का ठीक-ठीक परिकलन करना तर्कसंगत रूप से व्यवहार्य नहीं है।

(ग) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सूचित किया है कि 31-3-1991 की स्थिति के अनुसार 351 मामलों में कम्पिनियां पुनर्वास के लिए उपाय कर रही थी, 196 मामलों में कम्पनियां समापन की ओर अग्रसर थीं और 271 मामले उसके पास विचाराधीन थे।

(ग) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 31-7-1991 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत, अनुमोदित और विचाराधीन पुनर्वास योजनाओं का राज्य-वार और विस्तृत उद्योग-वार ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

31-7-1991 को स्थिति के अनुसार स्वीकृत, अनुमोदित और विचाराधीन पुनर्वास योजनाएं

क्रम संख्या	राज्य	स्वीकृत योजना	धारा 17(2) के अंतर्गत अनुमोदित	प्रारूप योजना	कुल
1.	आन्ध्र प्रदेश	23	23	5	51
2.	बिहार	9	5	1	15
3.	चण्डीगढ़	2	0	0	2
4.	गोवा, दमन एवं दीव	1	0	0	1
5.	गुजरात	15	14	7	36
6.	हरियाणा	10	5	1	16
7.	हिमाचल प्रदेश	2	2	0	4
8.	जम्मू व कश्मीर	0	1	0	1
9.	केरल	6	7	0	13
10.	कर्नाटक	12	7	6	25
11.	मध्य प्रदेश	3	4	2	9
12.	महाराष्ट्र	41	13	7	61
13.	उड़ीसा	6	4	0	10
14.	पाण्डीचेरी (बी)	1	1	0	2
15.	पंजाब	5	4	3	12
16.	राजस्थान	14	3	2	19
17.	तमिलनाडु	22	20	5	47
18.	उत्तर प्रदेश	15	1	2	18
19.	पश्चिम बंगाल	21	12	1	35
	जोड़ :	208	127	42	377

1	2	3	4	5	6
1.	वस्त्र	42	21	10	73
2.	धातुकर्मीय	37	24	5	66
3.	कागज एवं लुगदी	27	14	5	46
4.	विद्युत उपकरण	18	5	3	26
5.	रसायन एवं उर्वरक	16	5	2	23
6.	अन्य	68	58	17	143
	जोड़ :	208	127	42	377

लापता चेतक हेलीकाप्टर

5907. श्री गुरुदास कामत : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक चेतक हेलीकाप्टर मंगलौर से उड़ान भरने के बाद लापता हो गया है;

(ख) क्या उड़ान भरने के बाद थल नियत्रण केन्द्र से उसका संबंध- विच्छेद हो गया था;

(ग) हेलीकाप्टर में कितने व्यक्ति सवार थे; और

(घ) हेलीकाप्टर की खोज के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां।

(ख) लापता हेलीकाप्टर ने उड़ान भरने के बाद करीब 20 मिनट तक मंगलौर स्थित भू-नियन्त्रण केन्द्र से संबंध बनाये रखा था ।

(ग) हेलीकाप्टर पर दो पाइलट तथा एक नौसैनिक तकनीकीशियन सवार थे ।

(घ) लापता हेलीकाप्टर का मलवा ढूंढने के लिए नौसेना तथा वायुसेना के कई वायुयानों और हेलिकाप्टरों को भेजा गया है। इसके साथ ही थलसेना और नौसेना के कार्मिक, गांव के कुछ लोग तथा फारेस्ट गार्ड भी उसकी खोज में लगे हुए हैं। नौसेना ने मंगलौर में इसके लिए एक अस्थाई यूनिट भी बना ली है जो लापता हेलीकाप्टर को ढूंढने के काम में समवन्य बनाए रखेगी। उस क्षेत्र में छाए घने बादलों, निरन्तर हो रही वर्षा, तथा घनी झाड़ियों के कारण खोज कार्य में बाधा पड़ रही है। लेकिन खोज कार्य अभी जारी है।

देना बैंक की फरीदाबाद शाखा में डकैती

5908. श्री ताराचन्द्र खण्डेलाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 जून, 1991 को देना बैंक की नीलम बाटा रोड, फरीदाबाद स्थित शाखा में डकैती पड़ी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या कुछ कर्मचारी और ग्राहक डकैतों के साथ मुठभेड़ में मारे गये थे;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कर्मचारियों को कोई मुआवजा दिया गया और अब तक कितनी धनराशि दी गयी है;

(च) क्या उन ग्राहकों के निकट सम्बन्धियों को कोई मुआवजा दिया गया था जो वहां सरकारी कार्य के सम्बन्ध में वहां आये थे तथा इस मुठभेड़ में मारे गये थे;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) उन्हें कब तक मुआवजा अदा कर दिये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) देना बैंक की फरीदाबाद शाखा में 17 जून, 1991 को डाका डालने की कोशिश की गयी थी।

(ख) से (घ) हथियार बंद तीन डाकुओं ने शाखा को लूटने का असफल प्रयास किया। बैंक गार्ड/अन्य स्टाफ द्वारा प्रतिरोध किए जाने पर डाकुओं ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं और इसके कारण बैंक का सशस्त्र गार्ड, एक बाहर का व्यक्ति और एक अपराधी मारा गया। इसके अतिरिक्त 4 स्टाफ सदस्य और चार बाहरी व्यक्ति घायल हो गए। बाकी के डाकू भाग गए। धनराशि की कोई हानि नहीं हुई।

(ङ) मृतक बैंक कर्मचारी की विधवा को एक लाख रुपए का भुगतान किया गया है।

(च) जी, नहीं।

(छ) और (ज) देना बैंक ने सूचित किया है कि इस घटना में मारा गया बाहरी व्यक्ति शाखा में एक कर्मचारी को मिलने आया था और वह बैंक का ग्राहक नहीं था।

डी० टी० सी० बस रूटों पर लेडीज़ स्पेशल बसें

5909. **श्री अन्ना जोशी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में डी०टी०सी० के बहुत से बस रूटों पर बहुत-सी लेडीज़ स्पेशल बसें गत कई वर्षों से चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली परिवहन निगम ने गत एक वर्ष के दौरान उनमें से कई रूटों पर बसों को चलाना बन्द कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्रीय टर्मिनल से बन्द की गई उन बसों को पुनः चलाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गये हैं अथवा उठाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) दिल्ली परिवहन निगम दिल्ली में विभिन्न रूटों पर 137 महिला स्पेशल ट्रिप्स चलाती रही हैं लेकिन यात्रियों की कम संख्या होने के कारण पिछले एक वर्ष के दौरान 5 ट्रिपें बन्द कर दी गई थीं।

(ङ) यात्रियों की कमी और दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े के अभाव के कारण फिलहाल इन बन्द की हुई ट्रिपों को पुन: शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

उत्तर प्रदेश सम्पर्क सड़क (नोएडा सड़क) का छ: लेनों में विस्तार

5910. **श्री पी० श्रीनिवास प्रसाद :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश सम्पर्क सड़क (नोएडा सड़क) का विस्तार करके इसे चार लेन से छ: लेन वाली बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस काम को पूरा करने की लक्षित तिथि क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां ।

(ख) संविधानिक दृष्टि से यह मंत्रालय केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए जिम्मेदार है । अन्य सभी सड़कों/पुलों के लिए अनिवार्यतः सम्बन्धित राज्य/संघ शासित सरकारें जिम्मेदार हैं । प्रश्नगत सड़क एक राज्य सड़क है और इस पर दिल्ली प्रशासन द्वारा कार्रवाई करनी है । उनसे प्राप्त सूचना के आधार पर सड़क के रा०रा० 24 पर बाईपास के साथ जंक्शन से चिल्ला रेग्यूलेटर (3.83 कि०मी०) तक चौड़ा करने और मौजूदा सड़क को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है ।

(ग) चूंकि अनुमान विचाराधीन है इसलिए कार्य के पूरा होने की लक्षित तारीख के बारे में अभी से बताना मुमकिन नहीं है ।

भारतीय समुद्र तटों के निकट तस्करी की गतिविधियां

5911. **श्री अर्जुन सिंह यादव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 अगस्त, 1991 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "कन्ट्राबैन्ड लूटेड-पाक, इंडियन स्मगलर्स एट लौगरहैड्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय समुद्र तटों के निकट गत कुछ वर्षों से तस्करी की गतिविधियों में वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने तस्करी की इन गतिविधियों को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये हैं अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) चूंकि तस्करी एक चोरी-छिपे किया जाने वाला काम है, अतः यह कहना संभव नहीं है कि क्या भारतीय समुद्र तटों के निकट तस्करी की गतिविधियों में वृद्धि हुई है । तथापि, पिछले 3 वर्षों के दौरान, देश के पश्चिमी एवं पूर्वी समुद्र तटों पर सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा पकड़े गए

निषिद्ध माल का मूल्य नीचे सारणी में दिया गया है :

वर्ष		मूल्य (करोड़ रुपये में)
1989	—	404.81
1990	—	569.92
*1991	—	388.77

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

(घ) तस्करी रोधी अभियान को तेज कर दिया गया है और देश भर में, खासकर समुद्र तटीय अतिसंवेदनशील इलाकों में, तस्करी-रोधी तन्त्र को और चुस्त बना दिया गया है। तस्करी का पता लगाने और उसकी रोकथाम के लिए सभी सम्बन्द्ध एजेन्सियों के साथ घनिष्ठ तालमेल बनाये रखा जा रहा है। सीमा शुल्क अधिकारियों को जलयानों, वाहनों, अग्नेयास्त्रों, रात को देखने में काम आने वाली दूरबीनों, आदि से लैस किया गया है ताकि तस्करी सम्बन्धी गतिविधियों का और कारगर ढंग से मुकाबला किया जा सके। क्षेत्रीय कार्यालयों को एक दूरसंचार नेटवर्क भी मुहैया किया गया है।

पंजाब नेशनल बैंक में करुणामूलक आधार पर नियुक्तियां

5912. श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब नेशनल बैंक में किसी कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार के किसी सदस्य को करुणामूलक आधार पर बैंक में नौकरी दे दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1992 में करुणामूलक आधार पर अब तक कितनी नियुक्तियां की गयी हैं;

(ग) ऐसे मामलों में क्या पद दिया जाता है;

(घ) क्या करुणामूलक आधार पर नियुक्त किसी व्यक्ति को पद देने के बारे में कोई नीति बनी हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या गत दो वर्षों के दौरान करुणामूलक आधार पर नियुक्तियां देते हुए इस नीति का अनुपालन नहीं किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (छ) पंजाब नैशनल बैंक ने सूचित किया है कि उसने अपने कर्मचारियों, जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है, के परिवार के सदस्यों की अनुकम्पा के आधार पर रोजगार के लिए सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार अपने बैंक में नियुक्ति के वास्ते एक योजना तैयार की है। इस योजना के अन्तर्गत सामान्यत: नियुक्तियां अधीनस्थ/लिपिकीय संवर्ग में की जाती हैं। तथापि, आश्रित के असाधारण रूप से योग्य होने के मामले में बैंक, सरकार के पूर्वानुमोदन से, उन्हें अपने यहां अधिकारी संवर्ग में नियुक्त करने पर विचार कर सकता है। बैंक ने

आगे सूचित किया है कि उसके द्वारा वर्ष 1991 की अवधि में अब तक अनुकम्पा के आधार पर 83 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है, जिनमें से एक मामले में एक मृतक अधिकारी की पत्नी को सरकार के अनुमोदन से अधिकारी संवर्ग में नियुक्त किया गया है।

मूल्य वर्द्धित अभ्रक उत्पादों का असरणीकरण

5913. श्री विनोद बिहारी महतो : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्य-वर्द्धित अभ्रक उत्पादों की बहुत-सी मदों का असरणीकरण कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और असरणीकृत मदों के नामों सहित असरणीकरण की तिथि क्या है;

(ग) अभ्रक उत्पादों के निर्यात पर इसका क्या प्रभाव रहा; और

(घ) असरणीकरण के पश्चात् यदि कोई उपलब्धियां प्राप्त की गई तो वह क्या हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं। किसी भी चरण में मूल्य-वर्द्धित अभ्रक-उत्पादों का सरणीयन नहीं किया गया। इसलिए असरणीयन का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सामान्य बीमा निगम में सहायकों के स्थानान्तरण और पदोन्नति सम्बन्धी नीति

5914. डा० कृपासिन्धु भोई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य बीमा निगम में सहायक के पद पर भर्ती के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10+2 प्रणाली में सामान्य बीमा में रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत सामान्य बीमा निगम में भर्ती किए गए सहायकों के पदोन्नति अवसर क्या है; और

(घ) इन सहायकों के लिए सामान्य बीमा निगम की स्थानान्तरण और पदोन्नति नीति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) एक प्रायोगिक पायलेट परियोजना के रूप में प्रयोगात्मक आधार पर दिल्ली, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता और चण्डीगढ़ स्थित सी०बी०एस०ई० के चुने हुए विद्यालयों की 10+2 प्रणाली के अन्तर्गत साधारण बीमा में दो वर्ष का व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किया गया था। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए अंग्रेजी और गणित में कम से कम 60 प्रतिशत अंकों के साथ दसवीं परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थी पात्र हैं। निम्नलिखित विषयों जैसे—

(1) अंग्रेजी, (2) कारोबार अध्ययन, (3) जहाजी माल और आवरण बीमा, (4) इंजीनियरिंग और लाभ की हानि, (5) ग्रामीण और फसल बीमा में सी०बी०एस०ई० द्वारा आयोजित बारहवीं कक्षा की परीक्षा कुल मिलाकर कम से कम 50% अंकों से पास करने वाले छात्र और साक्षात्कार एवं चिकित्सा जांच होने के बाद 1000/- रुपए प्रतिमाह की वृत्ति पर एक वर्ष की अवधि के लिए साधारण

बीमा उद्योग में "प्रशिक्षु सहायक" के रूप में नियुक्ति के पात्र होंगे। प्रशिक्षुता सफलतापूर्वक पूरी होने पर उन्हें प्रचलित वेतन ग्रेड में नियमित आधार पर सहायक के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

(ग) और (घ) साधारण बीमा उद्योग में सहायकों पर लागू होने वाली पदोन्नति और स्थानान्तरण नीति व्यवसायिक धारा के माध्यम से भर्ती किए गए इस सहायकों पर भी समान रूप से लागू होगी।

बैंकों में सीधा नकद लेन-देन

5915. श्री मदन लाल खुराना : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बैंकों को डिमांड ड्राफ्ट, मेल ट्रांसफर्स, टेलिग्राफिक ट्रांसफर्स और ट्रेवलर चैक्स जारी करने के लिए 50,000 रुपये और इससे अधिक का नकद भुगतान स्वीकार करने के निर्देश दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को परामर्श दिया है कि 50,000/- रुपये तथा इससे अधिक के मांग ड्राफ्ट, मेल ट्रांसफर्स, टेलीग्राफिक ट्रांस्फर तथा ट्रेवलर चैकों को बैंकों द्वारा रकम को केवल ग्राहकों के खातों में नामे डालकर जारी करना चाहिए न कि नकद भुगतान प्राप्त करके।

(ख) यह उपाय राजकोषीय कानूनों के उल्लंघन तथा करों की चोरी के लिए बैंकिंग माध्यम के गलत प्रयोग से बचने के लिए उठाया गया है।

कलकत्ता बन्दरगाह का विकास

5916. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता बन्दरगाह का विकास करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : कलकत्ता गोदी प्रणाली के विकास के लिए 1991-92 की वार्षिक योजना में शामिल की गई स्कीमें इस प्रकार हैं :—

क्रम सं०	स्कीम का नाम	परिव्यय, 1991-92 (करोड़ रु०)
1	2	3
1.	कन्टेनर पार्क का विकास	7.50
2.	स्कीम रिवर टग को बदलना	0.19
3.	डी०टी० चमेली को बदलना	1.00
4.	व्होट टग 1 को बदलना	2.75
5.	एन०पी० गोदी क्षेत्र के लिए रेलवे प्रणाली का आधुनिकीकरण	0.09
6.	पत्तन या गोदी श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण संस्थान	0.05

1	2	3
7.	गोदी क्षेत्र में तथा उसके आस-पास आधारभूत सुविधाओं का बिकास	0.02
8.	एल०बी० प्लेनेट को बदलना	0.06
9.	स्टीम डाक टक (चम्पा) को बदलना	0.61
10.	कंटेनर हैंडलिंग सुविधा चरण-II	0.20
11.	मानव रहित (अममैन्ड) हल्के जहाज की खरीद	0.06
12.	चल उपकरण शेड का बिस्तार	0.03
13.	"सर्वे लांच" की खरीद	0.15
14.	गोदी क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था	0.03
15.	50 क्वार्टरों का निर्माण	0.50
16.	रेलवे ट्रैक (25 कि०मी०) तथा संबद्ध प्रणाली को बदलना	0.79
17.	आर०एस० पापफाइण्डर के स्थान पर "सर्वे-कम रिसर्च" वैसल लगाना	6.25
18.	एक पाइलट वैसल को बदलना	7.50
19.	डिसपेच वैसल ' नविया" को बदलना	9.50
20.	फ्लोंटग क्रेन "सी०बी० एटलस" के स्थान पर 100 टन क्षमता वाली फ्लोटिंग क्रेन लगाना	4.00
21.	पुलों आदि को बदलना तथा गोदी क्षेत्र के आसपास यातायात परिचालन में सुधार	3.57
22.	एन०एस०डी०—लाक ऐंट्रेंस प्रणाली को बदलना	1.50
23.	के०पी०डी० लाक ऐंट्रेस प्रणाली को बदलना	0.50
24.	भारी कार्गो/कन्टेनर्स नार्मल कार्गो की पुनर्स्थापना तथा सम्बन्धित कार्य	2.00
25.	चैनल नौचालन प्रणाली, बी०टी०एम०एस०	1.00
26.	1-30 टीई, 2·6 टीई और 4-10 टीई मोबाईल क्रेनों के स्थान पर टीई, 4-10 टीई और 1-15 टीई मोबाईल क्रेनें लगाना	2-30 3.00
27.	प्रदूषण रोधी जहाज की खरीद	1.00
28.	एन०एस०डी० पावर स्टेशन में हाईड्रोलिक इंजिन आदि को बदलना	0.35
29.	5 एन०एस०डी०/4 एन०एस०डी० में कंटेनर के लिए कन्टेनर फ्रेट स्टेशन का आधुनिकीकरण	4.10
30.	कम्प्यूटरीकरण प्रणाली का आधुनिकीकरण	0.50
31	27 के०पी०डी० में 15 टन क्षमता के एक सेट यार्ड क्रेन के स्थान पर 1 नं० टन क्षमता की क्रेन लगाना	0.50

संसद द्वारा पारित अधिनियमों को कार्यान्वित करना

5917. डा० बसन्त पवार : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद द्वारा पारित उन अधिनियमों/विधानों का ब्यौरा क्या है जिन्हें आज तक कार्यान्वित नहीं किया गया और इसके क्या कारण हैं; और

(ख) इन अधिनियमों को कार्यान्वित करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायगी।

आन्ध्र प्रदेश को राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु विश्व बैंक की सहायता

5918. श्री जी०एम०सी बालयोगी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक तटीय क्षेत्र के विकास के लिए आन्ध्र प्रदेश में विशेषरूप से काथीपुडे-काकीनाडा, राजामुन्द्री काकी नाडा में राष्ट्रीय राजमार्गों और टेडा से इचापुरम जैसी तटीय सड़कों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके लिए कितनी धनराशि जारी की गई ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्यप्रदेश में किसानों को ऋण

[हिन्दी]

5919. श्री बारे लाल जाटव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्यप्रदेश में विभिन्न बैंकों द्वारा किसानों को गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष, तथा जुलाई 1991 तक कितना ऋण दिया गया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान किसानों द्वारा कितना ऋण अदा किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) इन आंकड़ों का संकलन तथा संग्रहण एक समय लगने वाली प्रक्रिया है। अभी केवल जून, 1989 तक के आंकड़े उपलब्ध हैं। मध्य प्रदेश राज्य में जून, 1989 (अद्यतन उपलब्ध) को समाप्त तीन वर्षों की अवधि के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों के रूप में संवितरित तथा वसूल की गई कुल राशि का

ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए)

जून को समाप्त वर्ष	संचितरित ऋण	वसूल की गई राशि
1987	159.07	102
1988	177.21	129
1989 (अद्यतन उपलब्ध)	206.37	188

अनप्रोसेस्ड ग्रे वस्त्रों के रूप में तैयार परिधान सामग्री की कथित बिक्री

[अनुवाद]

5920. **श्री समत कुमार मंडल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 अगस्त, 1491 को (इंडियन एक्सप्रेस) में प्रकाशित उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें 160 करोड़ रुपये के हवाला व्यापार को अन्तर्गत जिसमें अनप्रोसैस्ड ग्रे वस्त्रों के नाम में तैयार परिधान सामग्री की गुप्त बिक्री का उल्लेख है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ङ) क्या हवाला व्यापार केवल मुम्बई में ही नहीं अपितु अन्य बड़े शहरों में भी खूब होता है ; और

(च) यदि हां, तो ऐसी स्थिति को रोकने के लिए सरकार का विचार क्या प्रभावी उपाय करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) आयकर विभाग ने बम्बई में संदिग्ध हवाला लेन देनों के कतिपय मामलों की जांच-पड़ताल की है। अब तक की गई जांच-पड़ताल के ब्यौरों को इस समय नहीं बताया जा सकता क्योंकि ऐसा करना आगे की जाने वाली जांच-पड़ताल के हित के प्रतिकूल हो सकता है।

(ङ) आयकर प्राधिकारियों द्वारा की गई जांच-पड़ताल के दौरान बम्बई में तथा अन्य स्थानों पर हवाला लेन-देनों के कुछ मामले पकड़े गये हैं।

(च) कर-अपवंचन की रोकथाम के लिए समय-समय पर आवश्यक विधायी तथा प्रशासनिक उपाय किए जाते हैं जिनमें हवाला लेन-देनों तथा अन्य तरीकों से कर-अपवंचन की रोकथाम के लिए उपाय करना भी शामिल है।

उड़ीसा में डिफेंस कालिज अथवा आयुध कारखाना स्थापित करना

[हिन्दी]

5921. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार उड़ीसा में एक डिफेंस कालिज अथवा एक आयुध कारखाने की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

द्वितीय विश्व युद्ध के समय के अनुभवी सेनानियों को पेंशन देना

[अनुवाद]

5922. **श्री पी०सी० थामस** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय विश्व युद्ध के समय के उन अनुभवी सेनानियों को पेंशन पाने का अधिकार है जिन्होंने हमारे रक्षा बलों में सेवा की;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उन्हें पेंशन मंजूर करने की जोरदार मांग की गई है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस समय ऐसे सेनानियों की संख्या कितनी है जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) द्वितीय विश्व युद्ध के समय युद्ध की अवधि तथा उसके बाद 12 महीने के लिए भारी संख्या में भारतीयों को सेना में भर्ती किया गया था । वे अस्थायी कर्मचारी थे, तथा युद्ध के बाद उन्हें हटा दिया गया था, सेवा के बाद उन्हें पेंशन नहीं दी जानी थी, इस लिए इन रंगरूटों को यथास्वीकार्य युद्ध उपदान/सेवा उपदान का भुगतान कर दिया गया था ।

(ग) और (घ) भूतपूर्व सैनिकों की विभिन्न संस्थाएं तथा कुछ व्यक्ति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद छंटनी किए गए सैनिकों को पेंशन देने की मांग कर रहे हैं । इन व्यक्तियों को पेंशन विनियमावली के अंतर्गत पेंशन देना संभव नहीं है क्योंकि उनकी सेवा में पेंशन दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं था ।

(ङ) ऐसे आंकड़े नहीं रखे गए हैं ।

उत्तर प्रदेश में रक्षा सामग्री उत्पादन एकक

5923. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में रक्षा सामग्री उत्पादन एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

मिनी यार्न मिलों को स्थापित करने के लिये लाइसेंस जारी करना

5924. **श्री काशीराम राणा** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार नई मिनी यार्न मिलें स्थापित करने के लिए लाइसेंस जारी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) मिनी यार्न परियोजना/मिल/फैक्ट्रियों के लिए नए लाइसेंस देने हेतु वस्त्र मंत्रालय को कोई भी विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पूर्व-निर्मित कंक्रीट टाइलों/ब्लाकों पर उत्पाद शुल्क

[हिन्दी]

5925. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राजस्थान सरकार के अनुरोध पर राजस्थान राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा बनायी जा रही इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए 31 मार्च, 1991 तक पूर्व-निर्मित कंक्रीट टाइलों/ब्लाकों के उत्पाद शुल्क में छूट देने के लिए आदेश जारी किए थे;

(ख) क्या राज्य सरकार ने उपरोक्त परियोजना के लिए मार्च, 1992 तक बनाए जाने वाली टाइलों/ब्लाकों के उत्पाद शुल्क में छूट देने का केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) छूट दिनांक 5-9-91 के आदेश संख्या 11/91 के द्वारा दी गई है।

महाराष्ट्र द्वारा सिंचाई परियोजनाओं के लिये संसाधन जुटाने हेतु परियोजना-विशिष्ट बाण्ड जारी किया जाना

[अनुवाद]

5926. **प्रो० राम कापसे** :

श्री गोविन्दराव निकम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र की सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के काम में तेजी लाने के लिये आवश्यक अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु जनवरी, 1991 में परियोजना-विशिष्ट बाण्ड जारी करने की अनुमति के लिये एक प्रस्ताव पेश किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्रवाइ की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शीताराम पोटदुखे) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि, केन्द्र और राज्य सरकारों, दोनों के बाजार ऋण कार्यक्रम के सम्बन्ध में निवेश-योग्य कुल संसाधन सीमित हैं, इसलिए महाराष्ट्र सरकार को बाजार ऋण कार्यक्रम के लिए पहले से अनुमोदित राशि से अधिक कोई अतिरिक्त आवंटन दिए जाने की गुंजाइश नहीं है ।

स्टेट बैंक आफ इंदौर की चांदनी चौक शाखा में कथित अनियमिततायें

5927. **श्री रामबदन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने पंजाब के कुछ निर्यातकों को जारी किए गए एक करोड़ रुपये मूल्य के कुछ जाली ऋण पत्रों के बारे में कोई जांच की है जिस पर स्टेट बैंक आफ इंदौर की चांदनी चौक, दिल्ली, की शाखा द्वारा कुछ जाली बिलों के माध्यम से छूट दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक मामले में अब तक बरामद की गयी राशि, बकाया राशि तथा बट्टे खाते में डाली गयी राशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में बैंक द्वारा किसी को उत्तरदायी ठहराया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कारंवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां । केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने स्टेट बैंक आफ इंदौर, चांदनी चौक शाखा के विरुद्ध लगाए गए विभिन्न आरोपों की जांच के बाद कहा है कि कोई भी मामला दर्ज करने के लायक नहीं पाया जा सका है ।

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंक को अशोध्य ऋणों की राशि को बट्टे खाते डालने और उन खातों को जिनमें वे बट्टे खाते डाली हैं, सहित अलग-अलग ग्राहक से सम्बन्ध सूचना को प्रकट करने से छूट प्राप्त है ।

(घ) और (ङ) उक्त बताये गए मामलों में बैंक ने विभागीय जांच की है । पांच अधिकारियों को प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी पाया गया । एक अन्य मामले में एक अधिकारी को पहले ही नौकरी से निकाला जा चुका था । शेष अधिकारियों को प्रशासनिक चेतावनियां जारी की गयी थी ।

विजाग पत्तन में मत्स्य नौका का डूबना

5928. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** :

श्री रमेश चन्द्र तोमर :

श्री बलराज पासी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में विजाग पत्तन में कुछ मत्स्य नौकाएं डूब गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) उसके परिणामस्वरूप जान-माल का कितना नुकसान हुआ; और

(घ) इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने क्या कारंवाई की है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कलकत्ता और हल्दिया गोदी में विश्व बैंक दल का दौरा

[हिन्दी]

5929. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता और हल्दिया गोदी के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिए अगस्त, 1991 के दूसरे सप्ताह के दौरान विश्व बैंक के एक दल ने भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीच दल ने विश्व बैंक और केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट भेज दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) टीम की रिपोर्ट अभी आनी है।

आभूषण उद्योग

[अनुवाद]

5930. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आभूषण उद्योग भारी विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एकक स्थापित करने के लिए कोई नीति बनाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां।

(ख) रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वर्ण-आभूषण का निर्यात निम्नानुसार रहा :

वर्ष		मूल्य करोड़ रुपए में
1988-89	—	165.47
1989 90	—	282.90
1990-91	—	363.86

(ग) और (घ) 100% निर्यातोन्मुख आभूषण इकाईयों के लिए सुविधाएं पहले से ही विद्यमान हैं। सरकार ने शुरू में दिल्ली, जयपुर, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में 100% निर्यातोन्मुख स्वर्ण

आभूषण कंप्लेक्स स्थापित किए जाने के लिए एक योजना को अधिसूचित किया। इन कंप्लेक्सों से बाहर कार्य करने वाली 100% निर्यातोन्मुख इकाईयों के लिए भी अनुमति दी गई है अगर वे उत्पादन के द्वितीय वर्ष में 50 करोड़ रुपए का निर्यात प्राप्त कर लेते हैं।

हिन्दी के पदों के लिए चौथे वेतन आयोग की रिपोर्ट को कार्यान्वित करना

[हिन्दी]

5931. श्रीमती शीला गौतम : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथे वेतन आयोग ने केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में हिन्दी के पदों के सम्बन्ध में भर्ती नियमों, योग्यता तथा शर्तों इत्यादि में समरूपता लाने और ऐसे पदों का एक संवर्ग बनाने के लिए सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सिफारिश को सशस्त्र बलों के मुख्यालयों और इनके अंतः सेवा संगठनों में भी लागू किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

अधिकांश केन्द्रीय सरकारी मंत्रालय और विभागों तथा उनके सम्बद्ध कार्यालयों में भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा बनायी गयी है। इन मंत्रालयों/विभागों को केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग में शामिल हुआ कहा जाता है।

2. विभिन्न मंत्रालयों के बहुत से ऐसे अधीनस्थ कार्यालय हैं, जो केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग में नहीं आते। इन्हें केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में शमिल न होने वाले कार्यालय कहा जाता है।

3. चौथे वेतन आयोग ने हिन्दी अधिकारियों और कर्मचारियों के जिन 2400 पदों का हवाला दिया है, वे केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में शामिल नहीं हैं। चौथे वेतन आयोग ने यह सुझाव दिया था कि केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में जो कार्यालय शामिल नहीं हैं, उनमें उपयुक्त हिन्दी पदों के लिए राजभाषा विभाग मॉडल भर्ती नियम तैयार करें, ताकि भर्ती प्रक्रिया, वेतन ढांचा आदि के मामले में एकरुपता हो सके। राजभाषा विभाग केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में शामिल मंत्रालयों विभागों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों के लिए भर्ती नियम बनाता है कार्मिक तथा प्रतिक्षण विभाग ने, जोकि भर्ती नियम बनाने के लिए नोडल विभाग है, 1983 में नियुक्त एक-जैसे वर्ग के पदों के लिए मॉडल भर्ती नियम निम्नलिखित रूप से बनाए थे :

(i) हिन्दी अधिकारी	:	रु० 650-1200, यथासंशोधित रु० 20'0-3500
(ii) वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक	:	रु० 550-800/900' यथासंशोधित रु० 1600-2660
(iii) कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	:	रु० 425-700, यथासंशोधित रु० 1400-2300

1987 में चौथे वेतन आयोग की रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद कार्मिक तथा प्रतिक्षण विभाग ने उपर्युक्त दोनों पदों के बारे में, नामत: वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक और कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक से सम्बधित 198? में बने मॉडल भर्ती नियमों को दोबारा परिचालित किया।

4. सशास्त्र सेना मुख्यालय और अन्तर सेवा संगठनों में इस समय हिन्दी पदों को पांच श्रेणियां हैं जो इस प्रकार हैं :–

ग्रेड	पदों की संख्या
(क) प्रधान हिन्दी अधिकारी (समूह "क" रु० 3700-5000)	2
(ख) मुख्य अनुवाद अधिकारी (समूह "क" रु० 3000-5000)	3
(ग) अनुवाद अधिकारी (समूह 'ख" राजपत्रित, रु० 2000.3500)	21
(घ) वारिष्ठ अनुवादक (समूह "ग" रु० 1600-2660)	63
(च) कनिष्ठ अनुवादक (समूह "ग" रु० 1400-2200)	29

5. प्रधान हिन्दी अधिकारी, मुख्य अनुवाद अधिकारी या अनुवाद अधिकारी के पदों के लिए कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग ने कोई समान मॉडल भर्ती नियमन ही बनाए हैं। सशस्त्र सेना मुख्यालय और अन्तर सेवा संगठनों में इन पदों के लिए जो भर्ती नियम बनाए गए हैं, वे कार्मिक तथा प्रतिक्षण विभाग और संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदन से ही बनाए गए हैं। सशास्त्र सेना मुख्यलय और अन्तर सेवा संगठनों में वरिष्ठ अनुवादक और कनिष्ठ अनुवादक के पदों के लिए जो भर्ती नियम मौजूद हैं, वे कमोबेश मॉडल भर्ती नियमों के ही अनुरूप हैं।

बंगलौर में दस्तकारी मेल

[अनुवाद]

5932. **श्री प्रतापराव बी० भोंसले** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर-अक्टूबर, 1991 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा बंगलौर में एक दस्तकारी मेला आयोजित किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मेले में कौन-कौन सी दस्तकारी वस्तुएं प्रदर्शित की जाएंगी;

(घ) क्या सरकार भविष्य में महाराष्ट्र में भी इस प्रकार का कोई मेला आयोजित करेगी; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) (ग) और (ङ) एक विवरण संलग्न है।

(घ) जी, हाँ।

विवरण

(ख) हस्तशिल्प मेला अर्थात "शिल्प बाजार" विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) द्वारा कर्नाटक राज्य हस्तशिल्प विकास निगम लि; बंगलौर के सहयोग से चित्रकला परिषद, बंगलौर में 27-9-91 से 6-10-91 तक आयोजित करने का प्रस्ताव है। देश के विभिन्न भागों से करीब 110 शिल्पकारों द्वारा इस मेले में भाग लेने की संभावना है।

(ग) मेले के दौरान प्रदर्शित की जाने वाली मुख्य मदों में शामिल हैं—लकड़ी पर जड़ाऊ काम नक्काशी, पत्थर पर नक्काशी, धातुपात्र, वस्त्र, टेराकोटा, सेरेमिक्स, पापियामाशे, चित्रकारों, आभूषण, बेंत एवं बांस, ऊनी/सूती दरियां, खिलौने तथा गुड़िया, समुद्री घोघे की मदें बाल चमड़ा, पटसन शिल्प आदि।

(ङ) दिसम्बर, 1991 के महीने के दौरान बम्बई (महाराष्ट्र) में एक दूसरा शिल्प बाजार आयोजित करने का प्रस्ताव है, जिसमें लगभग 115 शिल्पकारों द्वारा भाग लेने की संभावना है इस मेले में लगभग 50 विभिन्न हस्तशिल्प की मदें प्रदर्शित की जाएगी तथा बिक्री की जाएगी।

सोवियत संघ द्वारा कल पुर्जों की सप्लाई

5933. श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 अगस्त, 1991 के "टाइम्स आफ इंडिया" में सोवियत स्पेयर्स पोज प्रॉब्लम टु आर्मी शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

रक्षा मंत्री (श्री सरद पवार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) थलसेना में सोवियत डिजाइन के और वहां उत्पादित विभिन्न प्रकार के उपस्कर हैं जिनके लिए हिस्से-पुर्जे समय-समय पर सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोप के देशों से आयात किये जाते हैं। इन उपस्करों का काफी बड़ा भाग और इनकी मरम्मत तथा रख-रखाव के लिए अपेक्षित हिस्से-पुर्जों का अब देश में ही उत्पादन किया जा रहा है और इनका आयात धीरे-धीरे कम किया जा रहा है। सोवियत संघ से अभी भी आयात किए जा रहे हिस्से-पुर्जों की सप्लाई के संबंध में यदा-कदा आने वाली समस्याओं की सोवियत प्राधिकारियों के साथ उचित स्तर पर उठाया जाता है।

केन्द्रीय सड़क निधि से मध्य प्रदेश को धनराशि आवंटन

[हिन्दी]

5934. श्री सत्यनारायण जटिया : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1989-90 से लेकर 1991-92 तक केन्द्रीय सड़क निधि से मध्य प्रदेश को कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) विभिन्न परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान वास्तव में कितनी धनराशि दी गई है; और

(ग) मध्य प्रदेश में सड़क निर्माण हेतु क्या लक्ष्य रखा गया है और आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि से प्रदान की जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को केन्द्रीय सड़क निधि से आबंटित की गई कुल राशि नीचे दी गई है :

वर्ष	राशि (लाख रु०)
1989-90	30.00
1990-91	50.00

(ख) केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 31-3-90 तक राज्य की जमाराशि में से अप्रैल, 91 में निम्नलिखित 5 स्कीमें अनुमोदित की गई हैं :

क्रम सं०	स्कीम का नाम	राशि (लाख रु०)
1.	एन० एच०-3 और एन० एच० 12 पर बियोरा बाईपास के समीप अजनार पहुंचमार्ग तक समानान्तर सर्विस रोड का निर्माण लंबाई 12.00 कि०मी०	72.50
2.	भोपाल टाउन से गुजरने वाले एन० एच०-12 को चौड़ा करना और उसे मजबूत बनाना (शहरी लिंक 11 कि० मी०)	87.50
3.	एन० एच० 12 पर 305/2 कि० मी० में भोपाल-अब्दुल्लागंज खंड में उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	13.75
4.	प्रयोगशाला सुविधा में वृद्धि करना और चल प्रयोग शाला का अधिग्रहण	3.75
5.	सी० आर० आर० आई०, एन० आई० टी० एच० ई० और अन्य संस्था में 1989-95 के लिए 5 लाख प्रति वर्ष की दर से 6 वर्षीय राजमार्ग इंजीनियरिंग प्रशिक्षण	37.50
	कुल :	215.00

राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा तकनीकी मंजूरी दिए जाने के बाद ही अनुमोदित कार्यों के लिए निधियां जारी की जा सकती हैं।

(ग) केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत अनुमोदित सड़कों के निर्माण की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की हैं और उन्हीं के द्वारा लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। आठवीं योजना के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्य को रिलीज की जाने वाली धनराशि दर्शाना अभी संभव नहीं है।

चाय का उत्पादन/निर्यात लक्ष्य

[अनुवाद]

5935. **श्री सुधीर गिरि** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 के दौरान चाय के उत्पादन और निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) वर्ष 1991 के दौरान देश में चाय की कितनी खपत होने का अनुमान है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में चाय की खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) वर्ष 1991-92 के लिए उत्पादन तथा निर्यात लक्ष्य क्रमशः 735 मिलियन किग्रा० तथा 210 मिलियन है।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान देश में 525 मिलियन किग्रा० की खपत होने का अनुमान है।

(ग) वर्ष 1987 तथा 1990 के बीच घरेलू खपत की वार्षिक मिश्रित वृद्धि दर 3.88% रही है।

कानपुर में मारे गये आयकर-छापे

[हिन्दी]

5936. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 के दौरान कानपुर तथा इसके आसपास के अन्य जिलों में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 के अन्तर्गत आयकर छापे मारे गये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन छापों के लिए सरकार द्वारा वर्षवार कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) उक्त छापों में जिन लोगों के मामले निपटाये गये उनकी जिलावार संख्या क्या है;

(ङ) क्या संबंधित लोगों के मामलों का निपटान करने के पश्चात् उनकी सम्पत्ति उन्हें लौटा दी गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है; और

(ज) जो सम्पत्ति अब तक लौटाई नहीं गई, उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) : जी, हां। तलाशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-1 पर दिया गया है।

(ग) यह सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि मात्र तलाशी लेने पर आई लागत के बारे में अलग से हिसाब-किताब नहीं रखा जाता है।

(घ) निपटाए गए कर-निर्धारणों की संख्या :

कानपुर	—	312
बांदा	—	56
कन्नौज	—	69
		कुल: 437

(ङ) जी, हां।

(च) विवरण—2 के अनुसार।

(छ) और (ज) विवरण-3 के अनुसार।

विवरण

वित्त वर्ष 1987-88

क्रम संख्या	ग्रुप का नाम	अभिगृहीत की गई परिसम्पत्तियों का मूल्य
1.	मैसर्स कमल चन्द कैलाश चन्द, कानपुर शहर	रु० 7,57,346
2.	मैसर्स एफ० सी० सी० प्रोजेक्ट ग्रुप, कानपुर शहर।	रु० 25,26,131
3.	मैसर्स अशोक मसाला ग्रु', कानपुर शहर	रु० 18,62,074
4.	श्री राम बालक ग्रुप तथा अन्य, घाटमपुर, कानपुर देहात	रु० 87,06,016
5.	श्री अमरनाथ अग्रवाल ग्रुप, कानपुर शहर	रु० 17,75,123
6.	मैसर्स कुमार कैमिकल्स ग्रुप,कानपुर शहर	रु० 14,28,769
7.	श्री सुशील कुमार एण्ड सन्स, सर्राफ ग्रुप, कानपुर शहर	रु० 11,44,292
8.	मैसर्स कैलाश नाथ अमरनाथ ग्रुप, कानपुर शहर	रु० 3,12,318
9.	मैसर्स विमल ज्वैलर्स ग्रुप, कानपुर शहर	रु० 3,14,585
10.	मैसर्स बी० एम० पब्लिकेशन ग्रुप, कानपुर शहर	रु० 3,79,657
11.	मैसर्स महाबीर शिप ब्रेकर्स ग्रुप, कानपुर शहर	रु० 61,50,616
12.	मेहरोत्रा ग्रुप, कानपुर	रु० 26,03,759
13.	रस्तोगी ग्रुप, कानपुर	रु० 7,31,654
14.	अहूजा ग्रु', कानपुर	रु० 8,34,237
15.	एस० पी० गुप्ता ग्रुप, कानपुर	रु० 4,08,847
16.	एच० पी० गुप्ता ग्रुप, कानपुर	रु० 4,66,035
17.	डी० के० तिवारी ग्रुप, कानपुर	रु० 2,76,854

1	2	3
18.	धनी राम ग्रुप, कन्नौज	रु० 26,80,328
19.	एम० एम० अग्रवाल ग्रुप, कानपुर	रु० 19,32,466
20.	कृपानी ग्रुप, कानपुर	रु० 14,67,715
21.	टन्डन ग्रुप, कानपुर	रु० 37,54,460
	वित्त वर्ष 1988-89	
1.	एम० एस० सर्राफ एण्ड बनवारी लाल शर्मा ग्रुप, कानपुर शहर	रु० 1,17,07,483
2.	पी० के० सहगल ग्रुप, कानपुर शहर	रु० शून्य
3.	बारदाना ग्रुप, ऑफ द्वारका प्रसाद आदि, कानपुर शहर	रु० 34,89,494
4.	निर्मल सुरती हाउस ग्रुप, कानपुर शहर	रु० 20,19,049
5.	जे० पी० एजेन्सीज ग्रुप, कानपुर शहर	रु० 6,97,744
6.	शिवराज टौबे कंपनी ग्रुप, कानपुर शहर	रु० 13,96,226
7.	बी० एन० अग्रवाल ग्रुप, कानपुर शहर	रु० 14,24,128
8.	कोहली ग्रप, कानपुर शहर	रु० 2,59,050
9.	गणेश प्रसाद गोन्दी लाल तथा अन्य, बांदा	रु० 2,45,16,486
10.	मनोज सोप बर्क्स, कानपुर	रु० 3,13,931
11.	गोयल ग्रुप, पुखरायन, कानपुर	रु० 7,68,222

विवरण-2

प्रत्यक्ष-कर अधिनियमनों के अधीन कार्यवाही पूर्ण होने पर संबंधित व्यक्तियों को लौटाई गई सम्पत्तियों का मूल्य

क्रम सं०	पार्टी का नाम	छोड़ी गई/वापस की गई परिसम्पत्तियों का मूल्य (लाख रु० में)
1	2	3
1.	कोहली ग्रुप, कानपुर	2.59
2.	बहन्त लाल ग्रुप	15.83
3.	निर्मल सुरती हाउस ग्रुप	18.60
4.	बी० एन० अग्रवाल ग्रुप	14.24

1	2	3
5.	गणेश प्रसाद गोन्दी लाल, बान्दा	63.77
6.	श्री अमरनाथ अग्रवाल ग्रुप	20.33
7.	बृजमोहन पब्लिकेशन्स	3.89
8.	डा० डी० के तिवारी ग्रुप	1.61
9.	मेसर्स जे० पी० एजेन्सीज ग्रुप	4.53
10.	अशोक मसाला ग्रुप	1.14
11.	रूपानी ग्रुप	9.94
12.	सर्राफ ग्रुप	32.91

विवरण-3

अब तक वापस नहीं की गई सम्पत्तियों का ऐसा नहीं किए जाने के कारणों सहित ब्यौरा

मामले जिनमें परिसम्पत्तियों को रोके रखा गया		रोके रखने के कारण
1	2	3
1.	बसन्त लाल गुप्ता 17,80,083 रु०	बसन्त लाल गुप्ता, बान्दा ग्रुप की अभिगृहीत की गई परिसम्पत्तियों को छोड़ने के बारे में कार्य चल रहा है। ग्रुप की तरफ अर्थदंड की मांग बकाया पड़ी हुई है।
2.	निर्मल सुरती हाऊस 1,58,104 रु०	ब्रह्म दत्त ग्रुप एक उप-ग्रुप है जिसके कर-निर्धारण अनिर्णीत पड़े हुए हैं तथा इस पर कार्य चल रहा है।
3.	गणेश प्रसाद गोन्दी लाल गुप्त 60,41695 रु०	गणेश प्रसाद गोन्दी लाल गुप्त, बान्दा के ग्रुप की अभिगृहीत की गई परिसम्पत्तियों को छोड़े जाने का कार्य प्रगति पर है। इस ग्रुप के खिलाफ अर्थदंड की मांग बकाया पड़ी हुई है।
4.	मैसर्स कमल चन्द कैलाश चन्द, कानपुर शहर	अभिगृहीत की गई परिसम्पत्तियों को इसलिए नहीं छोड़ा गया है क्योंकि मांग बकाया पड़ी हुई है।
5.	श्री राम बालक गुप्त तथा अन्य, घाटमपुर	—यथोक्त—
6.	मल्होत्रा ग्रुप के मामले, कानपुर	—यथोक्त—
7.	धनीराम ग्रुप के मामले, कन्नौज	—यथोक्त—

1	2		3
8.	टन्डन ग्रुप के मामले, कानपुर		अपमिगृहीत की गई परिसम्पत्तियों को इसलिए नहीं छोड़ा गया है क्योंकि मांग बकाया पड़ी हुई है ।
9.	श्री राम आधार गुप्त ग्रुप के मामले		—यथोक्त—
10.	गौरी शंकर सर्राफ ग्रुप, बान्दा		—यथोक्त—
11.	राम चन्द्र गुप्त ग्रुप, घाटमपुर		—यथोक्त—
12.	श्री कृष्ण प्रसाद ओमर, बान्दा		—यथोक्त—
13.	श्री एम० के० मिश्र ग्रुप के मामले		—यथोक्त—
14.	एफ० सी० सी० प्रोजेक्ट ग्रुप के मामले	24,76,700, रु०	देय राशि के परिशोधन का कार्य चल रहा है ।
15.	अशोक मसाला ग्रुप	14,80,683, रु०	दाण्डिक कार्यवाहियां अनिर्णीत पड़ी हुई हैं ।
16.	कमानी ग्रुप	38,88,74, रु०	33.69 लाख रु. की मांग बकाया पड़ी हुई है ।
17.	सर्राफ ग्रुप	32,10,863	कर-निर्धारण अनिर्णीत पड़े हुए हैं ।

दस्तकारी की वस्तुओं का निर्यात में धोखाधड़ी

[अनुवाद]

5937. श्री सी०के० कुप्पुस्वामी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान दस्तकारी की वस्तुओं के निर्यात में व्यापारियों द्वारा की जा रही धोखाधड़ी के कोई मामले सरकार की जानकारी में आये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मामलों में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उटता ।

(ग) इस सन्दर्भ में प्रश्न नहीं उठता ।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में यात्रियों के आवागमन के बारे में सर्वेक्षण

5938. श्री मनोरंजन भक्त : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार प्रशासन ने द्वीपसमूह की मुख्य भूमि और अन्तर द्वीपीय नौवहन सेवाओं में यात्रियों के आवागमन के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या द्वीपसमूह की भूमि की नौवहन सेवाओं की हालत खराब है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन सेवाओं को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप में परिवहन प्रणाली के लिए मास्टर प्लान को तैयार करने से सम्बन्धित कार्य के एक भाग के रूप में मुख्य भूमि द्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अन्तर्द्वीपीय क्षेत्रों के यात्री यातायात के बारे में 1987-88 में एक विशेषज्ञ समिति द्वारा सर्वेक्षण किया गया था।

(ख) विशेषज्ञ समिति द्वारा यात्री यातातात परिदृश्यों का पूर्वानुमान, जहां तक इसका अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह से सम्बन्ध है, संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) इस समय यात्री जहाजों की कमी के कारण मुख्य भूमि द्वीप क्षेत्र के लिए उपलब्ध यात्री सेवाएं पर्याप्त नहीं हैं। मुख्य भूमि-द्वीप सेवा पर प्रचालन के लिए तीन यात्री व कार्गो जहाज जिनमें प्रत्येक की क्षमता 1200 यात्री और 1500 टन कार्गो ढोने की है, के लिए पोलैंड के शिपयार्ड को आर्डर दिया है। इनमें से पहला जहाज डिलीवर कर दिया गया है और इसने इस क्षेत्र में जुलाई 1991 से प्रचालन शुरू कर दिया है। दूसरे जहाज की डिलीवरी इस वर्ष की समाप्ति तक और तीसरे जहाज की डिलीवरी 1992 की समाप्ति तक किए जाने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त जहाज एम०बी० अकबर जो इस समय हज सेवा का प्रचालन कर रहा है, द्वारा मध्य सितम्बर, 1991 तक मुख्य भूमि अंडमान क्षेत्र में पुनः सेवाएं शुरु कर दिए जाने की उम्मीद है। अन्तर्द्वीपीय सेवा के लिए अंडमान तथा निकोबार प्रशासन ने विभिन्न आकार के 25 यात्री एवं कार्गो जहाजों का आर्डर दिया है और शेष 16 जहाजों को 1991 और 1992 के दौरान डिलीवर कर दिए जाने की उम्मीद है।

विवरण

अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा यात्री यातायात परिदृश्यों के पूर्वानुमान का सारांश

(1) 1991, 2001 और 2011 के लिए अंडमान तथा निकोबार के लिए मुख्य भूमि द्वीप यात्री-यातायात परिदृश्य :-

वर्ष	परिदृश्य	प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति ट्रिप	यात्री-ट्रिप
1991	न्यून	0.70	200,320
	अधिक	0.71	224,545
2009	न्यून	0.98	375,933
	अधिक	1.16	616,122
2011	न्यून	1.26	606,107
	अधिक	1.90	1,706.397
औसत	न्यून	3.0%	5.7%
वार्षिक	अधिक	5.0%	10.7%
वृद्धि दर (1991-2011)			

(2) 1991, 2001 और 2011 के लिए अंडमान तथा निकोबार में अन्तर्द्वीपीय यात्री यातायात परिदृश्य

वर्ष	परिदृश्य	प्रति व्यक्ति ट्रिप/वार्षिक	यात्री ट्रिप
1991	न्यून	1.25	357,715
	अधिक	1.28	400,975
2001	न्यून	1.75	671,310
	अधिक	2.08	1,100.220
2011	न्यून	2.25	1,082.335
	अधिक	3.39	3,047.140
औसत वार्षिक वृद्धि दर (1991-2011)	न्यून	3.0%	5.7%
	अधिक	5.0%	10.7%

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 को चौड़ा करना

5939. श्री वी०एस० विजयराघवन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 को चौड़ा करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय राजमार्ग 17 का विकास तथा उसे चौड़ा करके दो लेन का बनाना एक सतत प्रक्रिया है और यातायात सघनता, राष्ट्रीय राजमार्गों की मौजूदा हालात अखिल भारतीय आधार पर इनकी पारस्परिक प्राथमिकता और इस प्रयोजन के लिए धनराशि की उपलब्धता को ध्यान में रख कर चरणबद्ध रूप में यह कारंवाई की जाती है। वर्तमान वार्षिक योजना 1991-92 में राष्ट्रीय राजमार्ग 17 को चौड़ा करने के लिए 3760.00 लाख रु० का प्रावधान है, जिसमें पुनः सरेखण, बाईपास और पुलों इत्यादि का निर्माण शामिल है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों में ऋण-राशि तथा जमा-राशि का अनुपात

5940. श्री महेश कुमार कनोडिया :

श्री बलराज पासी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों में ऋण-राशि तथा जमा-राशि के अनुपात के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं;

(ख) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान बैंकों द्वारा इन मानदण्डों को किसी सीमा तक कार्यान्वित किया गया है; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण-राशि जमा-राशि के अनुपात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को ग्रामीण अर्द्ध शहरी शाखाओं के सम्बन्ध में अलग से 60% तक का ऋण जमा अनुपात प्राप्त करने के लिए कहा है। उपर्युक्त मानदण्ड की तुलना में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का मार्च 1990 तथा मार्च 1991 की अन्त की स्थिति के अनुसार उनकी ग्रामीण शाखाओं का ऋण जमा अनुपात क्रमशः 63.9% तथा 60.1% था।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि विभिन्न राज्यों के बीच ऋण संवितरण में अत्यधिक क्षेत्रीय असमानता को दूर किया जाए तथा विभिन्न क्षेत्रों में सभी उत्पादक तथा पहचान किए गए अर्थक्षम प्रस्तावों के लिए ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के लिए प्रभावकारी कदम उठाए जाएं। मामले की राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों, राज्य सरकारों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भी नियमित आधार पर निगरानी रखी जाती है।

ग्रेनाइट का निर्यात

5941. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में निर्यात के लिए उपयुक्त ग्रेनाइट पत्थर के विपुल भंडार हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए ग्रेनाइट पत्थर की पालिश करने सम्बन्धी यूनिटों की स्थापना हेतु उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(घ) कितने यूनिटों ने बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है; और

(ङ) 31 मई, 1691 की स्थिति के अनुसार कितने यूनिटों को सहायता प्रदान की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) आंध्र प्रदेश में ग्रेनाइट के भंडार लगभग 3 मीलियन घन मी० (मी०³) हैं। सबसे अधिक महत्वपूर्ण भंडार चित्तूर, हैदराबाद, खम्माम और वारांगल जिलों में पाए जाते हैं।

(ग) तराशे और पालिश किए हुए ग्रेनाइट का निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से उद्यमियों को ग्रेनाइट को तराशने और पालिश करने वाले एककों की स्थापना करने हेतु 100 प्रतिशत निर्यात-अभिमुख एक योजना के अंतर्गत अनुमति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। इस प्रकार के एकक अर्जित की गई कुल विदेशी मुद्रा के 30% तक एंप्रिजम स्क्रिप के पात्र हैं। तराशे हुए और पालिश किए गए ग्रेनाइट के निर्यात पर भी आयकर अधिनियम की धारा 80 एच०एच०सी० के अंतर्गत आय कर का लाभ मिलता है।

(घ) और (ङ) चूंकि, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता सम्बन्धी आवेदन पत्रों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा सिफारिश करने/समर्थन देने की आवश्यकता नहीं होती है, जिन एककों ने वित्तीय सहायता के लिए आवेदन किए हैं, और जिन एककों को 31-5-91 की स्थिति के अनुसार वित्तीय सहायता दी गई है, उनके सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

रक्षा प्रतिष्ठानों में असैनिक सुरक्षा अधिकारियों के पदोन्नति के अवसर

5942. **श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा प्रतिष्ठानों में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त किए गए असैनिक सुरक्षा अधिकारियों के लिए पदोन्नति के कोई अवसर नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

सरकार का नवीनतम सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप उनके प्रशिक्षण के लिए क्या कदम उठाने का विचार ताकि उनके जीवन में पदोन्नति के बेहतर अवसर लाए जा सकें ?

रक्षा मंत्री (श्री सरद पवार) : (क) और (ख) सरकार ने 1984 में सिविलियन सुरक्षा अधिकारियों के संवर्ग को स्वतः समाप्त होता हुआ घोषित किया था और परिणामतः इस संवर्ग में पदोन्नति के अवसरों में सुधार लाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं रखा। तथापि, दिसम्बर, 1990 में इस संवर्ग को समाप्त होने के पूर्व निर्णय की समीक्षा की गई और यह निर्णय लिया गया कि इस संवर्ग को पुनर्जीवित और पुनर्गठित किया जाए।

(ग) सिविलियन सुरक्षा अधिकारियों को उनके कार्य से सम्बन्धित सभी पहलुओं के बारे में सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

तामिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 47 का रख-रखाव

5943. **श्री एन० डेनिस** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 47 के कन्याकुमारी-त्रिवेन्द्रम सेक्शन, विशेषतः तामिलनाडु से गुजरने वाले हिस्से जो हाल ही की मानसून वर्षा से बुरी तरह प्रभावित हुआ था, के रख-रखाव के लिऐ केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): तामिलनाडु में रा० रा० 47 कन्याकुमारी-त्रिवेन्द्रम खंड को यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है। राज्य के राजमार्ग विभाग द्वारा हाल ही में मानसून के दौरान सड़क पर हुए गड्ढों की मरम्मत की जा रही हैं।

भारत-बंगलादेश सीमा पर सोने की तस्करी

5944. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-बंगलादेश सीमा पर पिछले कई महीनों से सोने की तस्करी में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत छह महीनों के दौरान इस सीमा पर कुल कितना तस्करीकृत सोना पकड़ा गया; और

(ग) इस तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) : चूंकि तस्करी एक चोरी-छिपे किया जाने वाला काम है, अतः यह कहना संभव नहीं है कि क्या पिछले के दौरान भारत-

बंगलादेश सीमा पर सोने की तस्करी में वृद्धि हुई है। तथापि, जनवरी से जून, 1991 तक की अवधि के दौरान इस सीमा पर सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा लगभग 34.037 किलोग्राम निषिद्ध सोना पकड़ा गया है।

(ग) तस्करी रोधी अभियान को तेज कर दिया गया है और भारत-बंगलादेश सीमा सहित देश भर में तस्करी रोधी तन्त्र को और चुस्त बना दिया गया है। तस्करी का पता लगाने और उसकी रोकथाम के लिए सभी सम्बद्ध एजेन्सियों के बीच घनिष्ठ तालमेल बनाये रखा जा रहा है। सीमाशुल्क अधिकारियों को वाहनों, अग्नेयास्त्रों, रात देखने में काम आने वाली दूरबीनों, आदि से लैस किया गया है ताकि वे तस्करी संबंधी गतिविधियों का और कारगर ढग से मुकाबला कर सकें। भारत-बंगलादेश सीमा पर क्षेत्रीय कार्यालयों को एक दूरसंचार नेटवर्क भी मुहैया किया गया है।

बीदर-गुलबर्गा-बंगलौर को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4, 9 अथवा 13 से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण

5945. **डा० बी० जी० जवाली** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को बीदर गुलबग-बंगलौर को राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 4' 9 अथवा 13 से जोड़ने के लिये राष्ट्रीय राजभार्ग का निर्माण करने के प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो ये प्रस्ताव इस समय केन्द्रीय सरकार के पास विचार के किस चरण में हैं; और

(ग) उक्त प्रस्तावों को क्रियान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) कर्नाटक राज्य सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में नये राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिये कुछ प्रस्ताव भेजे हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्ग स० 4 पर बीदर से गुलबर्गा और हिरीयूर को जोड़ने वाली सड़क शमिल है।

(ख) और (ग) देश में नये राष्ट्रीय राजमार्गों जिनमें कनार्टक के राजमार्ग भी शामिल हैं, की घोषणा पर आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार होने के बाद ही विचार किया जा सकता है।

केरल की पश्चिमी घाट नहर का जलसर्वेक्षण

5946. **प्रो० सुशीला गोपालन** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की पश्चिमी घाट के कोल्लम, तिरुअनन्तपुरम खण्ड का जलसर्वेक्षण वर्ष 1989-90 में किया जाना था;

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण किया गया है'

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने प्रस्ताव है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी हां 1989-90 में ऐसा सर्वेक्षण किया गया था।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अहमदनगर छावनी अस्पताल में आधुनिक सुविधाएं

5947. श्री यशवन्तराव पाटिल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदनगर छावनी अस्पताल में आधुनिक सुविधाएं नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का इस वर्तमान अस्पताल का आधुनिकीकरण करने तथा इसके लिए एक नये भवन का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) अहमदनगर छावनी अस्तपाल का संचालन वहां की छावनी परिषद करती है। इस अस्पताल में एक बहिरंग रोगी विभाग के अलावा 15 बिस्तरों का प्रसुति वार्ड; एक लेबर रूम 4 विशेष कक्ष तथा बिना भोजन व्यवस्था वाले 30 बिस्तर हैं। अस्पताल में दो नियमित चिकित्सा अधिकारी तथा सहायक कर्मचारी हैं। जरूरत पड़ने पर अस्पताल से बाहर काम करने वाले विशेषज्ञों को भी अंश आधार पर रखा जाता है। इस अस्पताल में जो सुविधाएं उपलब्ध हैं वे आधुनिक हैं लेकिन सीमित रूप में हैं।

(ग) से (ङ) वित्तीय कठिनाइयों के कारण नया अस्पताल भवन बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कपड़ा मिलों में हड़तालें तथा तालाबन्दी

[हिन्दी]

5948. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान देश में कपड़ा मिलों में हुई हड़तालों तथा तालाबन्दियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितने राजस्व और कार्यदिवसों का घाटा वहन करना पड़ा; और

(ग) तालाबन्दी के कारण इस समय कितनी मिलें बन्द पड़ी हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) वर्ष प्रत्येक वर्ष के अन्त में हड़ताल और तालाबन्दी के कारण बन्द पड़ी मिलों की सं० (जो कि पिछले वर्ष के क्रम में हैं)

1986-87	—	30
1987-88	—	39
1988 89	—	46
1989-90	—	30
1990-91	—	26

(ख) तथापि, सरकार को हुए राजस्व के घाटे की सही मात्रा बता पाना कठिन है क्योंकि प्रत्येक एकक के करों में अन्तर होता है जो कि उनके द्वारा निर्मित उत्पादों तथा स्थान संबंधी कारकों आदि पर निर्भर करता है। फिर भी हड़ताल और तालाबन्दी के फलस्वरूप हुए कार्य दिवसों के घाटों के ब्यौरे निम्नोक्त अनुसार हैं :

वर्ष		कार्य दिवसों का घाटा (लाख में)
1986-87	—	83.5
1987-88	—	189.6
1988-89	—	174.5
1989-90	—	148.2
1990-91	—	130.7

(ग) 30 जून, 1991 की स्थिति अनुसार तालाबन्दी के कारण केवल दो सूती/मानव निर्मित फाईबर वस्त्र मिलें ही बन्द पड़ी हुई थीं।

बैंकों में आटोमैटिक टैलर मशीन (ए० टी० एम०) प्रणाली प्रारम्भ करना

[अनुवाद]

5949. श्री आर० श्रीधरन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर के प्रमुख शहरों और कस्बों में स्थित बैंकों में आटोमैटिक टैलर मशीन (ए० टी० एम०) प्रणाली प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और बैंकवार, ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि देश व्यापी आधार पर आटोमैटिक टैलर मशीनें प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

अनुसूचित बैंकों की ग्रामीण शाखाओं को खोलना

5950. श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित बैंकों की कुछ और ग्रामीण शाखायें खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष के दौरान कितनी शाखायें खोले जाने की संभावना है; और

(ग) आन्ध्र प्रदेश के प्रत्येक जिले के लिए ऐसी कितनी शाखायें आवंटित की गयीं हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के तहत वाणिज्यिक बैंकों की शाखा खोलने का कार्य एक निरंतर प्रक्रिया है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक इस संबंध में लाइसेंस जारी कर नियंत्रित करता है। चूंकि वर्ष के दौरान बैंकों द्वारा शाखा खोलने

का कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं है। अतः आन्ध्र प्रदेश में खोली जाने वाली बैंकों की ग्रामीण शाखाओं की संख्या बता पाना अभी संभव नहीं होगा।

लोक सभा/राज्य विधान सभाओं के लिए उप-चुनाव

5951. श्री रविराय : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के जिन निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) ये चुनाव कब तक कराए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० आर० कुमार रमंगलम) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) भारत निर्वाचन आयोग ने उप निर्वाचन कराए जाने संबंधी कार्यक्रम को अभी अंतिम रूप नहीं दिया है।

उन संसदीय और राज्य विधान सभाओं का, जहां उप-निर्वाच होने हैं, राज्यवार ब्यौरा

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र क नाम	निर्वाचन क्षेत्र का नाम
1	2	3
	I. लोक सभा	
1.	मध्य प्रदेश	31—विदिशा
2.	उत्तर प्रदेश	25—अमेठी
3.	पश्चिमी बंगाल	34—पुरूलिया
4.	दिल्ली	1—नई दिल्ली
	II. विधान सभा	
1.	आंध्र प्रदेश	166—पेनकांड़ा
		182—अल्लागुड्डा
		48—जग्गमपंदय
		118—परेतुर
		160—पुलीवेन्दला
2.	बिहार	241—गोह
		5—सिकटा

1	2	3
		49—पाटेपुर (अ० जा०)
		52—वैशाली
		162—पौरियाहाट्
		213—पालीगंज
		280—टुण्डी
		310—सिसई (अ० ज० जा०)
		294—सरायकेल्ला (अ० ज० जा०)
		316—शातेनर (अ० जा०)
		57—कुरहती
		285—झरिया
		280—घाटशिला (अ० ज० जा०)
		205—पटना पूर्व
3.	गोवा	27—लाउटूलिम
4.	गुजरात	120—गोधरा
		45—अमरेली
		142—सयाजीगंज
5.	हिमाचल प्रदेश	60 - काचीपेट
6.	कर्नाटक	123—हुनसुर
7.	मध्य प्रदेश	307—पेटलाबाद (अ० ज० जा०)
		117—बिलहा
		235—कसडोल
		138—बसना
		140—महासमुन्द
		195—जबलपुर (भ० जा०)
		287—बुरहानपुर
		181—खरलाजी
		89—प्रेमनगर
		73—चुरहट
		55—हटा
		178—लांजी

1	2	3
8.	महाराष्ट्र	141—रामटेक
		249—कस्बापेट
9.	मणिपुर	36—वाब्गाई
		38—हियंगलम
		42—टेंग्नो उपाल (अ० ज० जा०)
		47—कारोंग (अ० ज० जा०)
		49—ताडूबी (अ० ज० जा०)
		54—सुग्नबा (अ० ज० जा०)
		55—धातलोन
		13—सिग्जामैई
		25—सिनमन
10.	मेघालय	43—सोंगसक (अ० ज० जा०)
		2—रैमबाई
		30—शैला
		44—बाजेंगडोबा (अ० ज० जा०)
		48—गुसजारी (अ० ज० जा०)
		49—राजबाला (अ० ज० जा०)
		52—तुरा (अ० ज० जा०)
11.	मिजोराम	25—लोकीचेरा (अ० ज० जा०)
12.	नागालैंड	5—धारापानी-II (अ० ज० जा०)
		10—दक्षिणी आगामी-I (अ० ज० जा०)
		12—पेह (अ० ज० जा०)
		13—मेलुरी (अ० ज० जा०)
		44—फांमचिंग (अ० ज० जा०)
		6—तेनिंग (अ० ज० जा०)
		13—पुघांबांटो (अ० ज० जा०)
		34—अनुघाटी (अ० ज० जा०)
		38—तोखा (अ० ज० जा०)
		46—मोनटाक्त (अ० ज० जा०)
		49—तामलु (अ० ज० जा०)

1	2	3
		58—लौगचिक चारे (अ० ज० जा०)
		54—तुएसंग सदर -II- (अ० ज० जा०)
		55—तोकबू (अ० ज० जा०)
		59 —सिपुयुगसितमी (अ० ज०जा०)
13.	उड़ीसा	18—भंडारीगोखारी (अ० जा०)
		56—पुरी
14.	राजस्थान	89—निवाई (अ० जा०)
		154—माडलगढ़
		70—डीग
		84—बामनवास (अ० ज० जा०)
15.	त्रिपुरा	6—अगरतला
16.	उत्तर प्रदेश	483 —छपोली
		63—तिन्हर

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार पर किया गया व्यय

5952. **प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार पर वर्षवार तथा बैंकवार कितनी-कितनी धनराशि खर्च की;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ग्रामीण लोगों द्वारा बैंकों की विभिन्न संचय योजनाओं के अन्तर्गत जमा की गई राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में संचय योजनाओं को लोकप्रिय बनाने तथा प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

करों की वसूली के संबंध में न्यायालयों द्वारा स्थगन आदेश जारी करना

5953. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जुलाई से 31 दिसम्बर, 1990 और 1 जनवरी से 30 जून, 1991 तक की अवधि के बीच न्यायिक अधिकारियों द्वारा जारी किए गए स्थगन आदेशों के कारण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, आयकर, केन्द्रीय बिक्री कर और बिक्री कर की कितनी धनराशि की वसूली नहीं हो सकी थी, और पिछले तीन वर्षों के दौरान इस कारण वसूली न हो पाई धनराशि की तुलना में वह धनराशि कितनी थी;

(ख) कितने मामलों में संबंधित अधिकारियों द्वारा स्थगन आदेश रद्द करवा दिए गए थे और कितने मामलों में स्थगन आदेश लागू रहे थे;

(ग) स्थगन आदेश रद्द न करवाए जाने के क्या कारण हैं और अब इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) राजस्व की वसूली में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ङ) क्या इस वित्तीय वर्ष के दौरान की जाने वाली राजस्व की वसूली पिछले वर्ष की तुलना में बहुत ही कम होगी और इसका अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत किए जाने के मामले में निर्णायक प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

काले धन को बाहर निकालने की योजनाएं

5954. **श्री बलराज पासी :**

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

श्री रमेश चन्द तोमर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काले धन को बाहर निकालने के लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक योजना के अन्तर्गत काले धन की कितनी राशि बाहर निकाली गई; और

(ग) बाहर निकाले गए इस काले धन का सरकार ने किस प्रकार उपयोग किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) अवैध धन का पता लगाने के लिए संघ सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान जो एकमात्र योजना कार्यान्वित की गई थी वह वर्ष 1985 की क्षमा-योजना थी। इस योजना के तहत व्यक्तियों को यह अवसर प्रदान किया गया था कि वे जांच-पड़ताल किए जाने के तथा उनके पिछले कर-निर्धारणों को पुनः खोले जाने के संबंध में किसी भी प्रकार के भय के बिना तथा इसके अलावा किसी भी प्रकार की दाण्डिक कार्यवाहियों के भय के बिना भी अपनी सही-सही आय अथवा धन का स्वेच्छा से खुलासा करने के लिए आय/धन की विवरणियां दायर कर सकते हैं। यह योजना, जिसकी घोषणा मार्च, 1985 में की गई थी, अन्ततः दिनांक 31 मार्च, 1987 को समाप्त हो गई थी।

(ख) क्षमा योजना के अधीन घोषित की गई आय/धन अथवा वसूल किए गए कर की राशि के बारे में यथार्थ आंकड़े दे पाना संभव नहीं है क्योंकि यह योजना कोई सांविधिक योजना नहीं थी जिसके तहत आय अथवा धन के बारे में अलग-अलग विवरणियाँ दायर किया जाना अपेक्षित हो तथा ऐसी विवरणियों पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में भी अलग से कोई कार्यविधि नहीं अपनाई गई थी।

(ग) क्षमा योजना के अधीन किए गए खुलासों से वसूल किए गए कर सरकार के सामान्य राजस्व का एक भाग स्वरूप थे तथा उनका उपयोग बजट-आवंटनों के अनुसार किया गया था।

उड़ीसा को सड़कों और पुलों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता

[हिन्दी]

5955. श्री श्रीकांत जेना : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं उड़ीसा में सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सड़कों के नाम क्या हैं और उनकी लम्बाई कितनी है तथा उन वित्तीय संस्थाओं के नाम क्या हैं और दी जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि कितनी है;

(ग) इन सड़कों और पुलों के निर्माण की अवधि क्या है; और

(घ) निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) 73.10 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से राउरकेला-सम्बलपुर राज्य सड़क (164 कि० मी०) में सुधार करने और उसे मजबूत बनाने के कार्य को एशियाई विकास बैंक ऋण सहायता के अंतर्गत शामिल किया गया है। ऋण सहायता की राशि 41 07 मिलियन अमरीकी डालर है। कार्य सौंपे जाने के बाद निर्माण कार्य में 48 महीने लगेंगे। चूंकि, संदर्भाधीन सड़क राज्य सड़क है, अत: यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार का काम है कि निर्माण कार्य निर्धारित समय के अन्दर पूरा हो जाए।

दुर्ग और रायपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 को चौड़ा किया जाना

[अनुवाद]

5956. श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में दुर्ग और रायपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्य 6 पर सड़क दुर्घटनाओं के कारण कितने व्यक्ति मारे गए हैं तथा कितने घायल हुए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इस सड़क को चौड़ा करने का है,

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस सड़क की मरम्मत पर वर्षवार कितनी-कितनी धनराशि खर्च हुई है; और

(घ) उस एजेंसी का नाम क्या है जिसे इसकी मरम्मत का कार्य सौंपा गया था ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान मृत/घायल हुए व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :

	1988	1989	1990
मृत	68	57	48
घायल	376	451	397

(ख) मौजूदा सकड़ की चौड़ाई पहले ही दोहरी लेन की है।

(ग) अनुरक्षण और मरम्मत खर्च राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रभागवार रखा जाता है। पिछले 3 वर्षों में रायपुर प्रभाग द्वारा दुर्ग-रायपुर खंड सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए खर्च की गई राशि निम्नलिखित है :

वर्ष	—	लाख रु०
1988-89	—	114.59
1989-90	—	150.72
1990-91	—	144-22

(घ) मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण का कार्य केन्द्र सरकार की एजेंसी के रूप में राज्य लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया है।

विजयन्त और टी-55 ठैंकों को आधुनिक बनाया जाना

5957. **श्री बी० विजय कुमार राजू** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विजयन्त और सोवियत टी-55 टैंकों को उन्नत बनाने की आधुनिकीकरण परियोजना को पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ख) सरकार का विचार उक्त परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) विजयन्त और सोवियत टी-55 टैंकों के आधुनिकीकरण और उनका दर्जा बढ़ाए जाने के कार्यक्रम में कई योजनाएं शामिल हैं जिसमें निरन्तर अनुसंधान और विकास किया जाना तथा प्रौद्योगिकी को अपनाने के प्रयास करना शामिल है। वांछित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उक्त प्रयासों में निरन्तर परीक्षण और प्रयोग किए जाने का काम भी शामिल है। ऐसी परिस्थितियों में, विशेष रूप से जबकि सभी गतिविधियों को संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार समायोजित करना होता है, पूर्व निर्धारित समय सीमा का कड़ाई से अनुसरण करना सदैव सम्भव नहीं होता।

रसायन, रंग सामग्री और औषधि उद्योगों द्वारा निर्यात

5958. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि रसायन, रंग सामग्री और औषध बनाने और उनका निर्यात करने वाली कम्पनियां अपने उत्पाद प्रतियोगी मूल्य से कम पर देने की प्रक्रिया अपना रही है और निर्यात की मात्रा कम प्रदर्शित कर रही हैं जबकि निर्यात की मात्रा में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) रसायनिक पदार्थ, रंजक पदार्थ तथा भेषजीय पदार्थों के निर्यात के लिए कोई न्यूनतम कीमत (एम० ई० पी०) निर्धारित नहीं की गई है और इसलिए इन उत्पादों के निर्यातक इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि उन्हें उचित लगे उनका हवाला दे सकते हैं। लेकिन यह आयातक देश में प्रचलित कीमतें, लाभ, व्यापार संबंध तथा नए बाजार खोलने/वर्तमान स्तर पर निर्यात को कायम रखने के प्रयास जैसे तथ्यों पर निर्भर करता है। अतः भारतीय निर्यातक जिन कीमतों का हवाला देते हैं उनमें समय-समय पर परिवर्तन हो सकता है।

राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग

[हिन्दी]

5959. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान में कौन-कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उनकी कुल लम्बाई कितनी है और ये राजमार्ग किन-किन स्थानों तक जाते हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : अपेक्षित ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

क्रम सं०	रा० रा० संख्या	रूट का विवरण	राजस्थान में लंबाई	कुल लंबाई
1.	3	आगरा-ग्वालियर-शिवपुरी-इंदौर-धुले-नासिक-थाने-बंबई	32	1161
2.	8	दिल्ली-जयपुर-अजमेर-उदयपुर अहमदाबाद-बदोदरा-बंबई	688	1428
3.	11	आगरा-जयपुर-बीकानेर	531	582
4.	11 (ए)	मनोहरपुर-रा० रा० 8 पर आंधी दौसा (रा० रा०-11 पर)	64	64
5.	12	जबलपुर-भोपाल-बियोरा-झालावाड़ कोटा-बूंदी-जयपुर	4´0	890
6.	14	बियावर-सिरोही-राधनपुर	310	350
7.	15	पठानकोट-अमृतसर-भटिंडा-गंगानगर-बीकानेर-जैसलमेर-बाड़मेर समाखियाली	906	1526
			2931	6101

दक्षिणी नौसेना कमान, कोचीन का सुधार

[अनुवाद]

5960. श्री रमेश चेन्नितला : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की दक्षिणी नौसेना कमान, कोचीन का सुधार करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) दक्षिण नौसेना कमान में सुविधाओं की व्यावस्था नौसेना की आवश्यकताओं के अनुरूप की जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में और अधिक ब्यौरा नहीं दिया जा सकता।

वायुसेना के त्रिशूल हवाई अड्डे में अनुकम्पा आधार पर रोजगार देना

[हिन्दी]

5961. श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायुसेना के त्रिशूल हवाई अड्डे में अनुकम्पा आधार पर रोजगार के लिए कितने व्यक्तियों ने आवेदन किया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस आधार पर कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया;

(ग) इस समय अनुकम्पा आधार पर रोजगार पाने के लिए कितने व्यक्तियों ने आवेदन किया हैं; और

(घ) उन्हें वहां कब तक रोजगार दिये जाने की सम्भावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) इस नाम से भारतीय वायुसेना का कोई एयरबेस नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

कास्टिक सोडे का प्रभाव

[अनुवाद]

5962. श्री राजवीर सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय कास्टिक सोडा का हल्के टुकड़ों/ठोस स्वरूप/क्षारोदक घोल के रूप में आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसका पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान, कितनी मात्रा में आयात किया गया और इसका कुल मूल्य कितना है;

(ग) कास्टिक सोडा का आयात करने के क्या कारण हैं जबकि कास्टिक सोडा का निर्यात करने वाले स्वदेशी निर्माता इस मांग को पूरा करने की स्थिति में हैं; और

(घ) इस सबंध में केन्द्रीय सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (घ) कास्टिक सोडा आयात निर्यात नीति 1990-93 की सीमित अपनुज्ञेय सूची में आता है। इसलिए मद का आयात केवल लघु उद्योग क्षेत्र के ऐककों अथवा जीवन रक्षक औषधियों/उपकरणों के विनिर्माण में लगे एककों को जारी किए जाने वाले विशेष लाइसेंसों के आधार पर अथवा एक्सिम सक्रियन/अतिरिक्त एक्सिस स्क्रिप्स/विशेष अतिरिक्त एक्सिम स्क्रिप्स के आधार पर किया जा सकता है। उपलब्ध आकड़ों के अनुसार 1986-87 से 1988-89 तक अवधि के दौरान आयात किए गए कास्टिक सोडा की मात्रा और मूल्य दर्शाने वाला विवरण पत्र संलग्न है।

विवरण

मात्रा : मी० टन में

मूल्य : लाख रुपये में

क्रम सं०	मदों का विवरण	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1.	सोडियम हाइड्रोक्साइड (कास्टिक सोडा), ठोस के फ्लेक्स	10780	131.70	12904	201.87	2677	178.26
2.	फ्लेक्स के अलावा	26316	237.45	34372	359.11	141	12.62
3.	जलीय घोल में सोडियम हाइड्रोक्साइड (सोडा लोहृ/अथवा द्रव सोडा)	31875	235.22	—	—	37948	104.43
	जोड़ :	68971	604.37	47276	560.98	40766	1233.32

स्रोत : जी०सी०आई० एण्ड एस०, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित भारत के विदेश व्यापार के मासिक आंकड़े, भाग II (आयात)।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में पूंजी-निवेश

5963. श्री के० प्रधानी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में किये गये पूंजी निवेश का प्रमाणिक मूल्य क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : वित्तीय सस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक वित्तीय बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक का पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल निवेश निम्न प्रकार है :-

वर्ष (अप्रैल-मार्च		राशि (करोड़ रुपए)
1988-89	—	944.3
1989-90	—	901.9
1990-91	—	808.1

दिल्ली में परिवार अदालतें

5964. प्रो० मालिनी भट्टाचार्य : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली में परिवार अदालतों कीस्थापना के मामले की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय किया है; और

(ग) दिल्ली में परिवार अदालतें कब तक स्थापित कर दी जाएंगी ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० आर० कुमार मंगलम) : (क) से (ग) कुटुंब न्यायालयों की स्थापना के बारे में दिल्ली के अधिवक्ताओं द्वारा विरोध किए जाने के परिणामस्वरूप दिल्ली प्रशासन से उस विषय का पुनर्विलोकन करने के लिए कहा गया था। उनके अनुसार दिल्ली में कुटुम्ब न्यायालय स्थापित किए जाने के बारे में कोई समय-सीमा नियत नहीं की गई है। दिल्ली प्रशासन ने उपयुक्त स्थान कुटुम्ब न्यायालयों को चलाने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों के उपलब्ध होने पर यथासंभव शीघ्र दस कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना का प्रस्ताव किया है।

भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा रंगीन टी०वी० ट्यूबों का निर्माण

5965. श्री सी०पी० मुदालगिरियप्पा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर में रंगीन टी० वी० ट्यूबों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इनका निर्माण कब तक शुरू होने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री सरद पवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रंगीन टी० वी० पिक्चर ट्यूबों के उत्पादन की घरेलू मांग पूरी करने के लिए देश में पर्याप्त स्थापित और स्वीकृत क्षमता उपलब्ध है और इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों के लिए इस क्षेत्र में पूंजी-निवेश करने की आवश्यकता नहीं है।

एड इन्डिया कंसोर्टियम से प्राप्त धनराशि

5966. **श्री के० तुलसिऐया वान्डायार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय एड इंडिया कंसोर्टियम से प्राप्त धनराशि से कितनी परियोजनाएं शुरू की गयी हैं;

(ख) क्या इन परियोजनाओं में तीव्र गति से सुधार करने के लिए और अधिक गैर परियोजना सहायता लेने का कोई विचार है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस कंसोर्टियम संकाय से भारत को कुल कितनी सहायता प्राप्त हुई है और इस धनराशि का उपयोग कौन-कौन सी प्रमुख परियोजनाओं के लिए किया गया है;

(घ) क्या इस कंसोर्टियम से और अधिक सहायया लेने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) भारत सहायता संघ में वचनबद्ध की गई धनराशियों का उपयोग अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, ऊर्जा, उर्वरक, उद्योग, आधारभूत संरचना, सिंचाई, शहरी विकास तथा सामाजिक क्षेत्रों में बहुत सी विकास परियोजनाओं के लिये किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में परियोजना-वार ब्यौरे वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित विदेशी सहायता पुस्तिका में दर्शाए गए हैं। वर्ष 1989-90 की पुस्तिका की एक प्रतिलिपि सदन के पुस्तकालय में रख दी गई है।

(ख) सहायता सम्बन्धी बातचीत एक सतत प्रक्रिया है। परियोजना तथा परियोजना-भिन्न दोनों प्रकार की सहायता की तुलनात्मक महत्ता को ध्यान में रखा जाता है जो अर्थव्यवस्था की निवेश सम्बन्धी आवश्यकताओं और स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक भुगतान संतुलन समर्थन पर निर्भर करती है।

(ग) वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान भारत को संघ से क्रमशः 4946 करोड़ रुपए, 5447 करोड़ रुपए तथा 6287 करोड़ रुपए की कुल सहायता प्राप्त हुई। इस सहायता से मुख्य तौर पर कृषि, ऊर्जा, उद्योग, उर्वरक, आधारभूत संरचना, सिंचाई, शहरी विकास तथा सामाजिक क्षेत्रों की परियोजनाओं को वित्तपोषित किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) 19 और 20 सितम्बर, 1991 को होने वाली भारत सहायता संघ की बैठक में भारत सरकार दाता-देशों से अधिक धनराशि की वचनबद्धताओं के लिए दबाव डालेगी।

राज्य व्यापार निगम द्वारा किया गया निर्यात

*[हिन्दी]

5967. श्री साईमन मरान्डी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा वर्ष 1990-91 के दौरान वर्ष 1989-90 की तुलना में बहुत कम निर्यात किया गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कार्रवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान एस० टी० सी० द्वारा कम निर्यात किए जाने के प्रमुख कारण नीचे दिए जा रहे हैं :

—एस० टी० सी० की बजाए भारतीय व्यापारियों से सीधे ही चावल खरीदने के सम्बन्ध में गल्फ को-ओपरेशन कौंसिल (जी०सी०सी०) का निर्णय;

—पूर्ववर्ती जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य के कुछ प्रमुख खरीदारों द्वारा फुटवियर संघटकों की खरीद बन्द करना;

—काण्डला मुक्त व्यापार जोन से सीधे निर्यात होने के फलस्वरूप रुपया भुगतान क्षेत्र को अरण्डी तेल का निर्यात;

—किसी रक्षा-संविदा पर परस्पर व्यापार प्रबन्धों को अस्थायी तौर पर स्थगित रखना;

अनेक मदों के निर्यात पर खाड़ी संकट का प्रतिकूल प्रभाव और ;

—सोवियत संघ में व्यापारिक संगठनों की पुनर्संरचना के कारण सोवियत संघ को अपेक्षाकृत कम निर्यात।

(ग) एस०टी०सी० ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अपने निर्यात में वृद्धि करने के उद्देश्य से एक ऐसी विस्तृत कार्य योजना तैयार की है जिसमें वर्ष 1990-91 में किए गए निर्यात की तुलना में 79% की वृद्धि की परिकल्पना करके 662 करोड़ रु० मूल्य का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष की उक्त कार्य योजना में निम्नलिखित पहलुओं पर बल दिया गया है :

—सीधी खरीद एवं बिक्री

—निर्यात के नए क्षेत्रों का पता लगाना

—आकर्षक सप्लाई आधार बनाना

—तृतीय देशों से व्यापार आदि।

बैंकों द्वारा उच्च शिक्षा के लिए ऋण दिया जाना

[अनुवाद]

5968. डा० जी० एल० कनोजिया :

श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक, छात्रों को अपनी उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए ब्याज की रियायती दर और शैक्षिक ऋण प्रदान करते हैं;

(ख) यदि हां, तो किन योजनाओं के अन्तर्गत ऋण दिए जाते हैं;

(ग) क्य उपर्युक्त योजनाओं के अन्तर्गत ऋण प्रदान करने के लिए पात्रता सम्बन्धी कोई मानदंड निर्धारित किये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, विभिन्न बैंकों द्वारा दी गई इस ऋण-राशि का वर्षवार तथा बैंकवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भा तीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित संशोधित ब्याज दर सरचना के अनुसार शैक्षिक ऋणों सहित सभी बैंक ऋणों पर ब्याज की दरों को ऋण की मात्रा से जोड़ा गया है। तदनुसार शैक्षिक ऋणों के लिए ब्याज की दरें 7,500/- रुपए तक और उसके समेत के ऋण पर 10 प्रतिशत प्रति वर्ष से लेकर 2 लाख रुपए से अधिक के ऋणों के लिए 18.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष के बीच हैं।

(ख) से (घ) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार शैक्षिक ऋणों में शिक्षा के प्रयोजन के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को स्वीकृत ऋण और अग्रिम शामिल हैं और इनमें बैंकों द्वारा शिक्षा के प्रयोजन के लिए शुरु की गयी विशेष योजनाओं के अन्तर्गत दिए गए सभी अग्रिम शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार बैंकों को निम्नलिखित मार्गनिर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है :

(i) बैंक विद्यार्थी के लगातार अच्छे शैक्षिक वृत्त को पात्रता के मानदण्डों के लिए पर्याप्त मान सकते हैं।

(ii) सरकार/विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता प्राप्त रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों के लिए डिप्लोमा का होना जरूरी नहीं होगा तथा बैंक वित्तीय सहायता प्रदान करते समय सरकार/विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम हेतु ऋणों के अनुरोध पर विचार कर सकते हैं।

(iii) विभेदी ब्याज दर की शर्तों को पूरा करने वाले पात्र विद्यार्थियों को भी इसके अन्तर्गत लिया जाएगा।

(iv) शैक्षिक ऋण के लिए कोई अधिकतम अथवा न्यूनतम रकम निर्धारित नहीं की गयी है। बैंक आवश्यकता पर आधारित रकम मंजूर कर सकते हैं।

(ग) जून 1987, जून 1988 और जून 1989 को समाप्त वर्ष के दौरान शैक्षिक प्रयोजनों के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिमों का बैंकवार ब्यौरा संलग्न विवरण-1 और विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण-1

(लाख रुपये में)

बैंकों का नाम	30 जून, 1987		30 जून, 1988		30 जून, 1989	
	खातों की सं०	रकम	खातों की सं०	रकम	खातों की सं०	रकम
भारतीय स्टेट बैंक	1817	112.44	1369	127.01	3682	219.11
स्टेट बैंक आफ बीकानेर और जयपुर	182	1.42	46	0.76	5	0.69
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	61	3.96	31	4.78	200	24.99
स्टेट बैंक आफ इन्दौर	55	4.67	5	0.28	NA	NA
स्टेट बैंक आफ मैसूर	27	0.98	28	1.45	28	1.45
स्टेट बैंक आफ पटियाला	4	1.07	3	0.11	3	0.11
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	22	1.93	82	2.43	6	0.44
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	55	23.93	117	11.10	73	5.34
भारतीय स्टेट बैंक और उसके अनुषंगी बैंक	2223	150.48	1681	147.92	3997	252.12
इलाहाबाद बैंक	7	0.68	35	5.15	38	5.48
आन्ध्रा बैंक	1546	15.72	90	3.61	189	18.63
बैंक आफ बड़ोदा	331	29 65	298	33.77	542	41.80
बैंक आफ इंडिया	661	50 82	664	53.60	1459	145.06
बैंक आफ महाराष्ट्र	455	28.57	89	11.04	83	17.73
केनरा बैंक	9605	416.03	7275	429.93	3594	338.92
सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	336	24.19	160	11.85	392	31.04
कारपोरेशन बैंक	327	20.28	415	15.96	166	15 94
देना बैंक	70	1.82	103	3.57	1306	145.16
इण्डियन बैंक	135	6.59	251	16.71	118	22.49
इंडियन ओवरसीज बैंक	404	487.53	986	248.73	360	13.79

1	2	3	4	5	6	7
न्यू बैंक आफ इण्डिया	36	1.79	98	3 70	12	1 24
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	29	1.33	4	0.23	19	5.73
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	38	3.81	63	15 13	7	2.10
पंजाब नेशनल बैंक	113	19.24	127	16.62	127	16.62
सिंडिकेट बैंक	4966	160.36	5466	198.48	5737	226.01
यूनियन बैंक आफ इण्डिया	161	10.65	225	13.61	218	22.11
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	41	5.21	42	4.98	154	9.40
यूको बैंक	170	11.12	99	7.28	99	7.28
विजया बैंक	558	17 46	231	15.11	183	35.50
सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक	22212	1463.25	18400	1305.00	18000	1374.21

विवरण-2

निम्नलिखित की स्थिति के अनुसार

(लाख रुपये में)

बैंक का नाम	30 जून 1987		30 जून 1988		30 जून 1989	
	खातों की सं०	रकम	खातों की सं०	रकम	खातों की सं०	रकम
1	2	3	4	5	6	7
बैंक आफ कोचीन	—	—	—	—	—	—
बैंक आफ कराड	—	—	—	—	—	—
बैंक आफ मदुरा	67	1.52	8	1.51	225	4.53
बैंक आफ राजस्थान	1	0.63	—	—	—	—
बैंक आफ तमिलनाडू लिमिटेड	1	1.50	—	—	—	—
बैंक आफ तनजावूर लि०	1	0 05	—	—	—	—
बरेली कारपोरेशन बैंक	—	—	—	—	—	—
बनारस स्टेट बैंक	—	—	—	—	3	0.45
भारत ओवरसीज बैंक	14	2.12	14	2 12	—	—
केथोलिक सीरियन बैंक	7	0.29	22	0.62	32	0.98

1	2	3	4	5	6	7
धनलक्ष्मी बैंक	1	0.01	1	0.03	1	0.03
फेडरल बैंक	1	0.03	13	0.66	21	1.56
हिन्दुस्तान कार्मासियल बैंक	—	—	—	—	—	—
जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक	—	—	3	0.45	3	0.76
कर्नाटक बैंक लि०	6	0.15	32	0 65	10	0.41
करूर वैश्य बैंक लि०	2	0.06	—	—	NA	NA
युनियन बैंक कमबाकोनम सिटी	10	0.47	1	0.02	9	0.92
लक्ष्मी कार्मशियल बैंक	—	—	—	—	NA	NA
लक्ष्मी विलास बैंक	11	0.24	8	0.24	7	0.16
लार्ड कृष्ण बैंक	—	—	—	—	NA	NA
मिरज स्टेट बैंक	—	—	—	—	NA	NA
नैनिताताल बैंक	—	—	—	—	5	0.51
नादुंगडी बैंक	—	—	—	—	1	0.04
परूर सेंट्रल बैंक	—	—	1	0.03	—	—
पंजाब को-आप. बैंक	—	—	—	—	—	—
पूर्वांचल बैंक	3	0.53	20	2.77	20	2.77
रत्नाकर बैंक	—	—	—	—	—	—
सांगली बैंक	9	0.60	2	0.09	5	2.75
साऊथ इंडियन बैंक	123	2.86	86	2.59	48	1.80
तमिलनाडु मर्कन्टाइल बैंक	1	0.75	1	0.04	1	0.03
ट्रेडर्स बैंक	—	—	—	—	—	—
युनाइटेड इन्डस्ट्रीयल बैंक	—	—	—	—	—	—
वैश्य बैंक लि०	59	5.16	52	4.36	580	21.22
युनाईटेड वेस्टर्न बैंक	1	0.20	4	0.96	4	1.05
गैर सरकारी क्षेत्र के भारतीय बैंक	318	16.57	268	17.14	976	39.97

खाद्य संस्करण में लगी कम्पनियों के विरुद्ध विदेशी मुद्रा

]हिन्दी

5969. श्री राम लखन सिंह यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियस, 1973 के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण में लगी हुई उन कम्पनियों के विरुद्ध काई कार्यवाही की है जिनके पंजीकृत कार्यालय बम्बई में है; और

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) गत पांच वर्षों के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत परिष्कृत खाद्य उत्पादों को बनाने वाली किसी भी कम्पनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय बम्बई में है के विरुद्ध कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की गई है।

गेहूं और चावल का निर्यात

5970. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश-वार कितनी मात्रा में गेहूं और चावल का निर्यात किया गया;

(ख) इस निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई; और

(ग) गेहूं और चावल की किन किस्मों का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) : विवरण पत्र संलग्न है।

विवरण

अप्रैल 99—मार्च 1990

वस्तु	देश	मात्रा	मूल्य (लाख रु०)
1	2	3	4
चावल		421737	42652.06*
	आंस्ट्रेलिया	565	81.64
	आस्ट्रिया	41	7.49
	बाहमीस	35	4.85
	बहरीन आई० एस०	11618	1324.27
	बंगलादेश	22	0.86
	बैल्जियम	472	76.48
	बल्गारिया		0.04
	मध्य अफ्रीकी गणराज्य	76	9.28

1	2	3	4
	कनाडा	3419	549.58
	चीन गणराज्य	20	3.20
	चैकोस्लोवाक	5857	338.30
	डेनमार्ग	41	6.66
	फ्रांस	918	118.14
	जर्मन जनवादी गणराज्य	3674	220.50
	जर्मन संघीय गणराज्य	1347	189.05
	ग्रीस	88	9.77
	हांगकांग	98	16.00
	इजराइल	53	9.91
	इटली	53	7.86
	जापान	5	0.97
	कैपचिया प्रजातांत्रिक गणराज्य	5000	195.80
	कुवैत	31096	3816.02
	लाईबेरिया	2	0.32
	मालावी	9	1.53
	मलयेशिया	475	56.17
	मारीशस	10	1.11
	नीदरलैंड	2462	334.27
	न्यूजीलैंड	30	4.79
	नार्वे	286	27.39
	ओमान	16500	1634.46
	कतर	1129	146.65
	रीयूनियन	82	11.50
	सऊदी अरब	154988	16330.12
	सिसली	61	7.78
	सिंगापुर	412	58.44

1	2	3	4
	स्पेन	46	7.98
	श्री लंका	82	7.40
	स्वीडन	177	27.20
	स्विटजरलैंड	379	48.77
	तंजानिया गणराज्य	20	2.60
	थाईलैंड	20	3.70
	तुर्की	143	20.17
	संयुक्त अरब अमीरात	23842	3010.02
	ब्रिटेन	18711	2053.54
	यू० एस० ए०	11806	1812.37
	सोवियत संघ	124108	9981.32
	वियतनाम समाजवादी गणराज्य	20	3.43
	यमन अरब गणराज्य	390	43.05
	यमन पी० डी० गणराज्य	10	1.51
	जायरे गणराज्य	46	5.04
	जिम्बावे	12	1.86
	- टन	11766	213.110
गेहूं			
	यू० एस० ए०		0.08
	वियतनाम समा० गण०	11766	214.03
	अप्रैल-90—मार्च, 19०1		
चावल	टन	527466	43994.76*
	आस्ट्रेलिया	654	93.18
	आस्ट्रिया	206	39.59
	बहमास	20	1.67

1	2	3	3
	बेल्जियम	8778	1151.89
	भूटान	21219	201.83
	ब्राजील	217	11.32
	बल्गारिया	20	4.68
	बरूंडी		0.01
	कनाडा	3648	545.55
	मध्य अफ्रीका गण०	30	0.32
	चीनी ताइपेय	20	3.51
	चेकोस्लोवाकिया	1160	131.60
	डेनमार्क	485	77.56
	फ्रांस	1928	243.15
	जर्मन संघीय गण०	2206	308.44
	ग्रीस	42	4.80
	हांगकांग	187	31.41
	इजराइल	27	4.96
	इटली	210	31.09
	जापान	12	2.39
	कुवैत	10678	1307.97
	लेबनान	70	4.21
	मालावी	2	0.50
	मलेशिया	89	11.68
	माले	2	0.22
	मारीशस	10	1.11
	मोजाम्बिक	21	2.42
	नीदरलैंड	1170	158.72
	न्यूजीलैंड	163	22.70
	नार्वे	166	26.10

1	2	3	4
	ओमान	14011	1500.65
	पुर्तगाल	94	0.59
	कतर	2215	288.84
	रियूनियन	212	37.58
	सऊदी अरब	125518	14328.55
	सिसली	480	68.17
	सिरालीयोन	20	2.94
	सिंगापुर	676	105.15
	स्पेन	42	6.38
	श्रीलंका	187	13.96
	सूडान	620	38.64
	स्वीडन	106	13.16
	स्वीटजरलैंड	139	23.38
	तंजानिया गणराज्य	1	0.10
	टर्की	72	8.27
	संयुक्त अरब अमीरात	48631	2542.74
	ब्रिटेन	30519	3841.68
	संयुक्त राज्य अमेरिका	11948	1987.04
	सोवियत संघ	238266	14730.92
	यमन गणराज्य	259	31.38
	टन	134413	2922.99
गेहूं:			
	अफगानिस्तान	130	98.80
	बंगलादेश	2971	207.87
	भूटान	749	14.14

1	2	3	4
	जार्डन	89640	1671.52
	कोरिया गणराज्य	13911	247.55
	सूडान	12000	382.35
	सोवियत संघ	5912	300.76

अर्धसख्त किस्म के गेहूं का निर्यात किया जा रहा है। बासमती और गैर बासमती दोनों तरह के चावलों का निर्यात किया जाता है, गैर बासमती चावल की मुख्य किस्में हैं पी० आर० 106, आई० पी० 8, टैरीकाट, गौरव, रोजमाट/पालघाट माटो आदि।

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्वापक पदार्थों का पकड़ा जाना

5971. **श्री राम सागर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय स्वापक विभाग ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में अफीम, मार्फिन और हेरोइन को अवैध रूप से रखने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध इस वर्ष जुलाई, 1991 से अब तक स्थानीय पुलिस की सहायता से कितने छापे मारे हैं;

(ख) इनमें कितने मूल्य के अवैध नशीले पदार्थ पकड़े गए; और

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो के स्टाफ द्वारा बाराबंकी जिला में जुलाई 1991 से स्थानीय पुलिस की सहायता से आठ छापे मारे गए।

(ख) और (ग) कोई नशीला पदार्थ नहीं पकड़ा गया। इसलिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाई नहीं की गई।

बलियापाल में नेशनल टैस्ट रेंज के कारण विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

[अनुवाद]

5972. **श्री चित्त बसु :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में बलियापाल में नेशनल टैस्ट रेंज के कारण विस्थापित होने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कोई संशोधित और व्यापक योजना तैयार कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) राष्ट्रीय रेंज स्थल से जिन परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना थी उनके लिए एक विस्तृत पुनर्वास योजना 1986 में तैयार की गयी थी। इसमें विस्थापित परिवारों को पुनः आदर्श गांवों में बसाना तथा उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के प्रयोजन से चलाई जाने वाली विशेष योजनाओं में उन्हें रोजगार देना शामिल है। पुनर्वास योजना की कुल अनुमानित लागत 127 करोड़ रुपये है। इस योजना को संशोधित नहीं किया गया है।

लक्षद्वीप में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ता

5973. श्री पी० एम० सईद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवा नियम 51 के प्रावधानों में लक्षद्वीप को एक महंगे शहर के रूप में वर्गीकृत किया गया है;

(ख) क्या उपरोक्त नियम के अन्तर्गत लक्षद्वीप में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता दिया जाता है;

(ग) क्या इन कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता गैर-वर्गीकृत दरों से दिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार लक्षद्वीप में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ते की दर अन्य महंगे शहरों में दिए जाने वाले भत्ते के समान बढ़ाने का है; और

(च) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोटदुखे) : (क) आर (ख) लक्षद्वीप को पूरक नियमों के नियम 51 के अन्तर्गत केवल यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के प्रयोजनों के लिए महंगे क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

(ग) और (घ) यह सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ङ) और (च) वर्तमान मानदण्ड के अनुसार, शहरों/कस्बों का मकान किराये भत्ते के प्रयोजन के लिए वर्गीकरण दसवर्षीय जनगणना में बताई गई उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, न-कि किसी जगह के महंगे होने के आधार पर ।

जापान को लौह अयस्क का निर्यात

5974. श्री अरविन्द नेताम : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत-वर्ष बेलाडिला लौहे अयस्क की खानों से लौह अयस्क का निर्यात करने के बारे में भारत और जापान के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो उक्त समझौते क ब्यौरा क्या है तथा यह समझौता कितनी अवधि के लिए किया गया है और लौह अयस्क के निर्यात के लिए क्या दरें निर्धारित की गई है; और

(ग) इस समझौते पर हस्ताक्षर होने के पश्चात् प्रथम महीनों के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, हां ।

(ख) यह करार अप्रैल, 1991 से शुरू होकर 5 वर्षों की अवधि के लिए वैध है । करार के तहत लौह अयस्क की बिक्री कीमतें प्रतिवर्ष बातचीत के आधार पर तय की जाएंगी । वर्ष 1991-92 के लिए बिक्री कीमतें निम्नवत हैं :

(1) बैलाडीला ढेला : 25.99 अमरीकी डालर/डी० एल० टी० एफ० ओ० बी० विजाग

(2) बैलडीला चूरा : 20.91 अमरीकी डालर/डी० एल० टी० एफ० ओ० बी० विजाग

(ग) अप्रैल-अगस्त 1991 के दौरान जापान को निर्यात किए गए बैलाडीला अयस्क से अर्जित विदेशी मुद्रा 41.55 मिलियन अमरीकी डालर है ।

यमुना विहार में दिल्ली परिवहन निगम का डिपो एवम् बस अड्डा

5975. श्री बी० एल० शर्मा प्रेम : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम का एक डिपो एवम् बस अड्डा यमुना विहार के मध्य में स्थित है;

(ख) यदि हां, तो वहां के निवासियों, जिनमें से अधिकांश को गोकुलपुरी अथवा बाबरपुर से बस पकड़ने के लिए दो किलोमीटर से अधिक पैदल चलना पड़ता है, के लिए कोई वहां से बस सेवा उपलब्ध न कराने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस क्षेत्र के निवासियों की कठिनाइयों को कम करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम ने इस स्थान से कुछ बस सेवायें शुरू करने की योजना बनाई है और यदि हां, तो यह योजना कब से शुरू होगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) जी, हां।

(ख) यह सही नहीं है कि यमुना विहार के निवासियों को दि० प० नि० की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए दो कि० मी० से भी अधिक पैदल चलना पड़ता है। समय 5 ट्रिपें यमुना विहार सी-9 और 2 ट्रिपें यमुना बिहार सी-4 ब्लाक से चलती हैं। इसके अतिरिक्त, 17 ट्रिपें यमुना विहार सी-4 मेन रोड से होकर गुजरती हैं ।

(ग) इस समय, बेड़े के अभाव के कारण और अधिक ट्रिपें शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के भवन का निर्माण

5976. श्री मोहन रावले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई में कैफे परेड में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के भवन का निर्माण कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस भवन का निर्माण कार्य कब आरम्भ किया गया था और यह कब पूरा हुआ था;

(ग) इस भवन के निर्माण पर कितनी धनराशि खर्च होने का मूल अनुमान लगाया गया था;

(घ) क्या इस भवन के निर्माण पर खर्च की गयी कुल धनराशि उस मूल अनुमान से अधिक है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और धनराशि खर्च किए जाने का औचित्य क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि एम० विश्वेश्वरैया औद्योगिक और अनुसंधान विकास केन्द्र (एम०वी०आई० आर०डी०सी०) द्वारा कफ परेड पर निर्मित भवन भारतीय औद्योगिक-विकास बैंक ने 60 वर्षों के लिए पट्टे पर लिया है।

(ख) इस भवन का निर्माण अप्रैल, 1984 में शुरू किया गया था और इसे मार्च, 1989 में पूरा किया गया था।

(ग) इस भवन की मूल अनुमानित लागत 32.52 करोड़ रुपये थी।

(घ) जी, हां।

(ङ) एम० विश्वेश्वरैया औद्योगिक और अनुसंधान विकास केन्द्र ने निर्माण की कुल लागत को अभी अंतिम रूप नहीं दिया है। तथापि, इसके लगभग 41 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई०डी०बी०आई०) द्वारा एम०वी०आई०आर०डी०सी० को अब तक वास्तव में दी गई राशि 34.85 करोड़ रुपये है। भवन निर्माण की लागत में वृद्धि निर्मित क्षेत्र में वृद्धि, विनिर्देशनों में परिवर्तनों और इन वर्षों के दौरान मूल्यों में वृद्धि के कारण हुई है।

हाथरस निर्वाचन क्षेत्र में किसानों को ऋण

[हिन्दी]

5977. डा० लाल बहादुर रावल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्ष के दौरान हाथरस निर्वाचन क्षेत्र में कार्यरत अनुसूचित बैंकों द्वारा बैंकवार किसानों को कुल कितना ऋण दिया गया; और

(ख) उक्त अवधि में इन बैंकों द्वारा बैंकवार किसानों से कितने ऋण की वसूली की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि उसकी वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गए ढंग से जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अलबत्ता, पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा दिसम्बर 1990 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में कृषि और सम्बद्ध कार्यों के लिए बैंकों द्वारा दिया गया अग्रिम इस प्रकार है :

जिला	वर्ष						(करोड़ रुपए)	
	1987		1988		1989		1990-91	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
आगरा	23.92	24.56	28.69	22.95	34.22	16.73	27.55	16.3
अलीगढ़	32.25	22.16	33.52	26.53	42.22	26.83	52.78	20.5
एटा	15.25	11.06	16.65	15.63	22.96	18.17	28.74	11.0
मथुरा	19.00	21.70	20.19	25.60	28.93	34.35	33.60	13.7

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की वसूली के जिलावार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अलबत्ता, वर्ष 1987, 1988 और 1989 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बन्धित आंकड़े इस प्रकार हैं :

वर्ष		मांग की तुलना मे वसूली का प्रतिशत
जून 1987	—	58.1
जून 1988	—	57.5
जून 1989	—	57.9

कारों का आयात

5978. श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान संघ सरकार ने कितनी कारें आयात की एवं किन-किन देशों से ये कारें आयात की गई;

(ख) उपरोक्त अवधि में किन मंत्रालयों/विभागों के लिये इन कारों का आयात किया गया और इसके क्या कारण थे;

(ग) क्या सरकार की विचार वर्तमान विदेशी मुद्रा संकट को देखते हुए कारों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा किसी कार का आयात नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं, फिलहाल कारों के आयात पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके विपरीत, आयातकों के विशेष रूप से उल्लिखित वर्गों द्वारा कारों के आयात को खुला सामान्य लाइसेंस के अन्दर रखा गया है तथा आयात के पूर्ण सीमाशुल्क निकासी की अनुमति प्राप्त करने की शर्त को हटा लिया गया है। ऐसे विशेषीकृत वर्गों द्वारा कारों के आयात के नियम और शर्तों का विस्तृत विवरण दिनांक 16-8-1991 की सार्वजनिक सूचना संख्या 197-आई०टी०सी० (पी०एन०)/90-93 में तथा 16-8-1991 के आयात व्यापार नियंत्रण आदेश स० 68/90-93 में दिया गया है और इनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

505 आर्मी बेस वर्कशॉप को सौंपे गये कार्य को गैर सरकारी क्षेत्र को सौंपना

5979. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 505 आर्मी बेस वर्कशॉप दिल्ली कैन्ट-10 को सौंपा गया कार्य अब गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) खर्च में किफायत करने और लागत-प्रभाविता में सुधार लाने के लिए प्रायोगिक आधार पर टाटा 4 × 4 टन वाहन, टाटा 4 × 2, अशोक लेलैण्ड 4 × 4 और महेन्द्रा जीप के प्रत्येक के 10-10 इंजनों के ओवरहाल का काम तथा कतिपय सवारी डिब्बों के निर्माण का काम उपस्करों के मूल निर्माताओं और गैर-सरकारी व्यवसायियों (प्राइवेट ट्रेड) को सौंपा गया है। यह काम उन विभिन्न विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों के आधार पर किया गया है जो रक्षा व्यय में और किफायत करने के विभिन्न उपायों पर विचार कर रही हैं।

बिहार में खेतिहर मजदूरों के लिए सामूहिक बीमा योजना का कार्यान्वयन

5980. **डा० जयन्त रंगपी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में खेतिहर मजदूरों के लिए सामूहिक बीमा योजना कब से लागू की गई है;

(ख) बिहार में इस बीमा योजना के लागू होने से अब तक इसको बीमा पालिसियों के भुगतान से वर्ष-वार, कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए;

(ग) क्या मध्य बिहार में इस योजना से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना को और अधिक कारगर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) बिहार में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए 11-11-1987 से सामूहिक बीमा योजना लागू की गई है।

(ख) इस योजना से बिहार में 18 लाख लोगों को लाभ पहुंचने का अनुमान है। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा निपटाए गए दावों के वर्ष-वार आंकड़े निम्नलिखित हैं :

वर्ष		निपटाए गए दावों की संख्या
11-11-1987 से 31-3-1988 तक	—	—
1988-89	—	70
1989-90	—	78
1990-91	—	197

(ग) और (घ) लोगों को इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभों के बारे में जानकारी न होने के कारण जीवन बीमा निगम को संभावित संख्या में दावे प्राप्त नहीं हुए हैं। इस योजना को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के सहयोग से जीवन बीमा निगम द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस योजना की सफलता पात्र लाभानुभोगियों की त्वरित पहचान करने पर निर्भर करती है। इस प्रयोजन

के लिए ग्राम, तालुका तथा जिला स्तर पर सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को पर्याप्त रुचि लेनी होगी। जीवन बीमा निगम ने अपनी ओर से इस योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं तथा समाचारपत्र विज्ञापनों, रेडियो, दूरदर्शन विज्ञापनों तथा इश्तहारों, पोस्टरों तथा दीवारों पर लगाए जाने वाले चित्रों आदि के वितरण के माध्यम से बड़े पैमाने पर इस योजना के प्रचार पर जोर दिया है। राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे इस उद्देश्य के लिए स्थानीय प्रशासन को सक्रिय बनाएं।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक के कार्यकारी अधिकारियों द्वारा सम्पत्ति की खरीद की जांच

[अनुवाद]

5981. **डा० जयन्त रंगपी :** क्या वित्त मंत्री 29 दिसम्बर, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 312 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब एण्ड सिंध बैंक के उप-महाप्रबन्धक के विरुद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच का कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं और सरकार द्वारा उनकी जांच-रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) पंजाब और सिन्ध बैंक ने सूचित किया है कि जांच के बाद केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उप-महाप्रबन्धक के विरुद्ध बड़ी दण्डात्मक कार्यवाही करने की सिफारिश की है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो से रिपोर्ट मिलने के बाद बैंक ने मामले की जांच की और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह मांगी है।

दिल्ली-कलकत्ता ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत

[हिन्दी]

5982. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से कलकत्ता तक ग्रांड ट्रंक रोड का धनबाद-सासाराम हिस्सा यातायात के लिए उपयुक्त नहीं है और हजारीबाग जिले में बरखा स्थल में बने पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण एक माह से भी अधिक समय तक यातायात अस्त-व्यस्त रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस सड़क और पुल की तत्काल मरम्मत शुरू करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ग) इस प्रयोग हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं। तथापि रा०रा० 2 के 326 कि०मि० में अटका नाले पर निर्माणाधीन पुल के "डाइवर्जन" के 19-7-1991 को क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग के यातायात को राज्य सड़क की ओर मोड़ (डाइवर्ट) दिया गया।

(ख) अटका नाला पुल को अब दि० 25-8-1991 से यातायात हेतु पुनः खोल दिया गया है। इस सड़क के क्षतिग्रस्त भाग को सुदृढ़ करने का कार्य भी किया जा रहा है।

(ग) इन कार्यों के लिए अलग से कोई राशि आवंटित नहीं की गई है। यह व्यय राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए सकल आवंटन में से पूरा किया जाएगा।

आन्ध्र प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 की मरम्मत

[अनुवाद]

5983. डा० के०वी०आर० चौधरी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने आंध्र प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5, जोकि बहुत खराब स्थिति में है, की मरम्मत करने के लिए क्या कदम उठाये हैं या उठाने का प्रस्ताव है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 5 के खंडों को भारी वर्षा और चक्रवातों से हुई क्षति का जायजा लिया जा रहा है और उसके बाद मरम्मत संबंधी प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध हो।

हथकरघा और विद्युतकरघा उद्योगों की मांगें पूरी करना

5984. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में वर्तमान सहकारी सूती कताई मिलें, हथकरघा और बिजली करघा उद्योगों की मांग को पूरा करने में सक्षम है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई मूल्यांकन कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) हथकरघा और विद्युतकरघा क्षेत्रों की यार्न की आवश्यकताओं की पूर्ति न केवल सहकारी कताई मिलों द्वारा ही की जाती है बल्कि कुछ हद तक निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कताई मिलों के साथ-साथ मिश्रित मिलों द्वारा भी केप्टिव खपत के बाद उपलब्ध देशी माल से भी की जाती है।

(ख) से (घ) एन० सी० डी० सी० द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में कपास पर चल रहे हथकरघा और विद्युतकरघा के यार्न की वार्षिक आवश्यकता क्रमशः 78 लाख किग्रा० तथा 2690 लाख किग्रा० है। यार्न की कमी की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान तकुओं की अतिरिक्त आवश्यकता के सृजन को 8वीं पंचवर्षीय योजना के समग्र कार्यक्रम में ध्यान में रखा जाएगा।

अल्लेप्पी उप-मार्ग

5985. श्री टी० जे० अंजलोज : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में अल्लेप्पी उप-मार्ग के लिए किन-किन तारीखों को प्रशासनिक और अन्य स्वीकृतियां प्रदान की गई थीं;

(ख) यह निर्माण कार्य कितने चरणों में पूरा करने का प्रस्ताव है;

(ग) उक्त परियोजना के विभिन्न चरणों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) केरल में रा० रा०-47 पर अल्लेप्पी बाईपास को 2 चरणों में पूरा करने का प्रस्ताव है। अल्लेपी बाईपास के लिए स्वीकृति की तारीखें तथा निधियों के आवंटन का प्रस्ताव इस प्रकार है :

कार्य का नाम	स्वीकृति की तारीख	1991-92 के लिए प्रस्तावित आवंटन
		(लाख रु०)
(1) चरण I एवं II के लिए एल० ए०	13-12-79	19.89
(2) अल्लेप्पी बाई पास में आर० ओ० बी० के पहुंच मार्गों के लिए सब-साइल जांच पड़ताल	16-10-89	8.65
(3) अल्लेपी बाई० पास चरण-1 का निर्माण	28 3-90	5.00

चरण II के लिए 1991-92 की वार्षिक योजना में प्राक्कलन स्वीकृति हेतु 900.00 लाख रु० का प्रावधान है।

(घ) बाईपास के दोनों चरणों के लिए जमीन पहले ही खरीद ली गई है। चरण-I के लिए निर्माण कार्य प्रगति पर है और 25% कार्य पूरा कर लिया गया है।

राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों का विस्तार

5986. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत/वाणिज्यिक बैंकों का विस्तार करने के बारे में कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उन वाणिज्यिक-बैंकों के नाम क्या हैं जिनका 1991-92 के दौरान विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान इन बैंकों की, राज्य-वार कितनी नयी शाखायें खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) राजस्थान में इन बैंकों की नयी शाखायें किन-किन स्थानों पर खोले जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के तहत् वाणिज्यिक बैंकों द्वारा शाखा खोलने का कार्य एक निरंतर प्रक्रिया है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक इस संबंध में लाइसेंस जारी कर नियंत्रित करता है। चूंकि वर्ष के दौरान वाणिज्यिक बैंकों द्वारा शाखा खोलने का कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं है, अतः राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में खोली जाने वाली बैंक शाखाओं की संख्या बता पाना अभी सम्भव नहीं होगा।

द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं को पेंशन

[हिन्दी]

5987. श्री काशीराम राणा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवा ों को मासिक पेंशन के रूप में अब तक केवल 16 से 30 रुपए दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार पेंशन की उक्त राशि में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) 1-1-1986 से न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाकर 375/- रुपए प्रतिमाह कर दिए जाने तथा उस पर मंजूर किए गए महंगाई राहत के फलस्वरूप इस समय न्यूनतम परिवार पेंशन 567/- रु० प्रतिमाह बैठती है, जिसमें महंगाई राहत के रूप में 192/- रुपए की राशि भी शामिल है। द्वितीय विश्व युद्ध के जवानों की पत्नियां यह लाभ प्राप्त करने की पात्र हैं।

सेवानिवृत्त होने वाले सैनिक अधिकारियों की सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्ति

[अनुवाद]

5988. श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड स्तर की नियुक्ति के लिए सेवानिवृत्त होने वाले सैनिक अधिकारियों को साक्षात्कार हेतु बुलाने की प्रक्रिया मात्र एक दिखावा है;

(ख) क्या अधिकांश मामलों में, अधिकारियों को तब बुलाया जाता जब साक्षात्कार की तारीख निकल चुकी होती है अथवा निकलने वाली होती है;

(ग) क्या सेना मुख्यालय ने उपर्युक्त खामियों का उल्लेख करते हुए इस मामले को संबंधित अधिकारियों के साथ उठाया है; और

(घ) वर्ष 1990-91 के दौरान, कितने सैनिक अधिकारियों का सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में प्रबंध निदेशक के रूप में चयन किया गया ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में, सेनाओं के सेवानिवृत्त होने वाले अफसरों को बहुत ही कम लिए जाने का उल्लेख करते हुए सेना मुख्यालय ने सुझाव दिया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में वरिष्ठ स्तर के कुछ पद सेना के उपयुक्त योग्यताप्राप्त वरिष्ठ अफसरों से भरे जाने चाहिए। सेना मुख्यालय द्वारा उठाए गए मुद्दों की लोक उद्यम विभाग के साथ परामर्श करके जांच की गई है।

(घ) वर्ष 1990-91 के दौरा प्रबंध निदेशक के तीन पदों, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के छह और अध्यक्ष के दो पदों पर जोकि मुख्य कार्यपालक भी हैं, रक्षा सेनाओं के अफसरों का चयन किया गया था।

मैसर्स फैवरिट स्माल इनवेस्टमेन्ट लिमिटेड दिल्ली के विरुद्ध शिकायतें

5989. डा० जी० एल० कनोजिया :

श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मैमर्स फैवरिट स्माल इनवेस्टमेंट लिमिटेड, दिल्ली 24 कम्युनिटी सेन्टर मायापुरी फेज-1, नई दिल्ली के विरुद्ध जम्मू तथा कश्मीर के पालिसी धारकों को परिपक्व पालिसियों का भुगतान न करके जनता के धन का गबन करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई हैं अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को मैसर्स फैवरिट स्माल इन्वेस्टमेंट लि०, जिसका प्रधान कार्यालय कलकत्ता में है, के खिलाफ परिपक्वता मूल्य का भुगतान न करने के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई के लिए कम्पनी के पास भेज दिया है। कम्पनी ने भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किया है कि वे प्रमाणपत्र धारकों को उनके दावे के कागजातों की जांच करने के बाद चरणबद्ध तरीके से भुगतान करते हैं।

हेरोइन की तस्करी के आरोप में पकड़े गए व्यक्ति

5990. श्री गुरुदास कामत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क अधिकारियों ने हेरोइन की तस्करी के आरोप में पकड़े गए कुछ लोगों को हाल ही में छोड़ दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार ने और क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं मिली है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र तथा गोआ में पत्तनों को पुन: खोलना

5991. श्री सुधीर सावंत : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुछ पत्तनों को अन्तर्राष्ट्रीय पत्तनों का दर्जा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन पत्तनों के राज्यवार नाम क्या हैं;

(ग) क्या महाराष्ट्र तथा गोआ के पश्चिमी तट के कुछ पत्तनों को बन्द कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और यह कब से बन्द पड़े हैं;

(ङ) क्या सरकार की इन पत्तनों को पुन: खोलने की कोई योजना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार के अधीन 11 महापत्तन तथा 139 लघु/मध्यम पत्तन हैं। सरकार किसी भी पत्तन को अन्तर्राष्ट्रीय पत्तन का विशेष दर्जा नहीं देती है। सभी देशों के जहाज सीमा शुल्क प्रक्रिया के अध्यधीन, इन पत्तनों पर आ जा सकते हैं।

(ग) से (छ) महाराष्ट्र और गोवा के पश्चिमी तट पर किसी महापत्तन को बन्द नहीं किया गया है। जहां तक लघु पत्तनों का सम्बन्ध है, राज्य सरकारों से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बैंकों द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में निवेश

5992. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाणिज्यिक बैंकों और राष्ट्रीयकृत बैंकों ने वर्ष 1990-91 तक औद्योगिक क्षेत्र में कुल कितना निवेश किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : संभवत: माननीय सदस्य औद्योगिक क्षेत्र को राष्ट्रीयकृत और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का हवाला दे रहे हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित, सभी अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों द्वारा जून, 1990 के अन्तिम शुक्रवार के अंत की स्थिति के अनुसार (अद्यतन उपलब्ध) को दिये गये कुल बकाया अग्रिम 54451 करोड़ रुपये थे।

प्रमुख औद्योगिक घरानों की परिसम्पत्तियां

5993. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981-82 की तुलना में वर्ष 1990-91 के अंत तक 20 प्रमुख औद्योगिक घरानों की परिसम्पत्तियों का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत और 1989-90 (अप्रैल, 1989 से मार्च, 1990 को समाप्त लेखा वर्ष) में तथा 1981 (जनवरी, 1981 से दिसम्बर, 1981 को समाप्त लेखा वर्ष) में उनकी परिसम्पत्तियों के अनुसार श्रेणीबद्ध बीस प्रमुख औद्योगिक घरानों से सम्बन्धित कम्पनियों की परिसम्पत्तियां निम्न प्रकार थीं :

वर्ष		परिसम्पत्तियां (करोड़ रुपए में)
1989-90	—	41,523
1981	—	8,987

1990-91 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि सभी तुलन-पत्र अभी तक देय नहीं हैं। उपरोक्त 2 अवधियों में बीस प्रमुख औद्योगिक घरानों की संरचना तथा उपक्रमों की संख्या भिन्न थी।

रांची में राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर उपमार्ग का निर्माण

[हिन्दी]

5994. श्री राम टहल चौधरी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रांची में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 33 पर एक उपमार्ग का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस उपमार्ग का निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि इस सम्बन्ध में व्यवहार्यता अध्ययन अभी किए जाने हैं, इसलिए अभी से यह बताना मुमकिन नहीं कि इस बाईपास का निर्माण कब तक होगा।

काले धन की समस्या

5995. श्री राम टहल चौधरी :

श्री तेज नारायण सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फैडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री ने काले धन की समस्या को हल करने हेतु कुछ सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इनमें से किसी सुझाव को कार्यान्वियन हेतु स्वीकार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) जी, हां। फैडरेशन आफ इण्डियन चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने सुझाव दिया था कि काले धन की वृद्धि को रोकने के लिए सरकार को चाहिए कि वह बातों के साथ-साथ ऐसी योजना की घोषणा करे जिसमें कर-दाताओं को अपने बेहिसाब रुपए की घोषणा करने तथा एक निर्धारित दर पर आयकर अदा करने का मौका दिया जाए; घोषणा करने वालों से यह आय किस प्रकार हुई है और उसके स्रोत क्या है; घोषणा से विगत वर्षों के सम्बन्ध में धन-कर अथवा अन्य कर की वसूली न की जाए और सम्बद्ध कानूनों तथा अधिनियमों से छूट दी जाए। सरकार की आर्थिक नीतियां तैयार करते समय फिक्की तथा अन्य सगठनों एवं व्यक्तियों द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखा जाता है। काले धन को निकालकर गतिशील बनाने के बारे में योजना को सरकार ने बजट में पहले ही घोषित कर दिया है।

अमरीका के नेशनल "शू फेअर" में भारत द्वारा भाग लेना

[अनुवाद]

5996. श्री सुधीर सावंत : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अमेरिका के नेशनल "शू फेअर" में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके कोई अनुकूल परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विभिन्न मदों के लिए इसी प्रकार के फेअर में भाग लेने के बारे में सरकार की नीति क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी हां, भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण ने 28 जुलाई से 30 जुलाई, 1991 तक शिकागो (यू०एस०ए०) में आयोजित अमरीकी नेशनल शू फेअर में भारत की भागीदारी का आयोजन किया गया था।

(ख) और (ग) भारतीय भागीदारों की रिपोर्ट के मुताबिक 39.20 लाख रुपये मूल्य का ठोस कारोबार हुआ और 309.06 लाख रुपये के कारोबार पर बातचीत चल रही है।

(घ) सरकार की यह नीति है कि सामान्य मेलों में भाग लेने के बजाय विशेषीकृत वस्तुओं में अधिकाधिक सहभागिता की जाए।

भारत में विदेशी बैंकों की जमा योजनाएं

5997. **श्री सुधीर सावंत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रिंडलेज जैसे अनेक विदेशी बैंकों ने हाल ही में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भारतीय जनता को धनराशि जमा करने के लिए आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन बैंकों ने भारतीय बैंकों की तुलना में अधिक ब्याज-दर देने का प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है;

(च) क्या इन विदेशी बैंकों में भारतीयों द्वारा जमा की गई धनराशि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यवस्था विद्यमान है;

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

निर्यात-आयात बैंक द्वारा स्क्रिप-पत्र

5998. **श्री सुधीर सावंत** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात-आयात बैंक ने कुछ दिनों पहले स्क्रिप-पत्र जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो ये स्क्रिप-पत्र कहां-कहां जारी किए गए थे;

(ग) इन स्क्रिप-पत्रों की क्या विशेषताएं हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन स्क्रिप-पत्रों को जारी करने की जानकारी जनता को देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो यह जानकारी कब तक दी जाएगी?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) इसे लगभग सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा रिलीज किया गया है।

(ग) एक्सिम स्क्रिप एक नया दस्तावेज है, जिसने आर०ई०पी० लाइसेंसों का स्थान ले लिया है। इससे निर्यातकों को आयात के लिए विदेशी मुद्रा रिलीज करने हेतु अधिकार मिल जाता है। "स्क्रिप" की केवल दो प्रतियां होंगी अर्थात् मूल प्रति और कार्यालय प्रति/मूल प्रति से मुद्रा नियंत्रण और सीमाशुल्क निकासी दोनों उद्देश्य हल होंगे। अन्य आंकड़े अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार महानिदेशक/मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात के कार्यालय द्वारा कार्यालय प्रति से तैयार किए जाएंगे। स्क्रिप का एक निश्चित मूल्य होगा और नीति के अनुसार मदों के आयात के लिए वैध होगा। यदि कोई खास अतिरिक्त स्वीकार्य मदें होंगी तो उन्हें स्क्रिप में मूल्य सीमाओं के साथ खासतौर से पृष्ठांकित किया जाएगा। यह सामान्य कानून के अनुसार मुक्त रूप से हस्तान्तरणीय होगा और इसकी वैधता 18 महीनों की होगी।

(घ) और (ङ) आयात तथा निर्यात नीति और उसमें किए गए संशोधनों के सार्वजनिक सूचनाओं के जरिए अधिसूचित किया जाता है। ऐसी सार्वजनिक सूचनाओं की प्रतियां नीति के अनुसार परिचालित की जाती है।

भारतीय रुई निगम द्वारा कपास की खरीद

[हिन्दी]

5999. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 में कपास के मौसम के दौरान, भारतीय रुई निगम ने महाराष्ट्र में कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य की कपास की खरीद की; और

(ख) वर्ष 1991-92 में कपास के मौसम के दौरान, भारतीय रुई निगम ने राज्य-वार, कपास की खरीद का क्या लक्ष्य निर्धारित किया ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) वर्ष 1990-91 के कपास मौसम के दौरान भारतीय कपास निगम ने महाराष्ट्र से कपास की खरीदारी नहीं की। राज्य सरकार की कपास एकाधिकारी खरीद योजना के प्रचालन को ध्यान में रखते हुए भारतीय कपास निगम इस राज्य में प्रचालन कार्य नहीं करता।

(ख) कीमत समर्थन प्रचालनों के अन्तर्गत कपास की खरीद के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि वर्ष 1991-92 के मौसम के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन कीमतों से नीचे कपास की बाजार कीमतों के गिर जाने की स्थिति में निगम मात्रा संबन्धी किसी प्रतिबन्ध के बिना कपास की खरीद कर लेगा, तथापि, वाणिज्यिक प्रचालनों के लिए निगम ने वर्ष 1991-92 के मौसम के दौरान 8.5 लाख गांठ की खरीद करने का एक अनन्तिम कार्यक्रम तैयार किया है जिसके राज्यवार ब्यौरे निम्नोक्त हैं :

राज्य	खरीद का अनन्तिम कार्यक्रम (लाख गांठ में)
1	2
पंजाब	1.60
हरियाणा	1.00

1	2
राजस्थान	1.00
गुजरात	1.50
मध्य प्रदेश	1.30
आन्ध्र प्रदेश	1.80
कर्नाटक	0.23
तमिलनाडु	0.07
अन्य	
कुल :	8.50

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा आवास के लिए ऋण

[अनुवाद]

6000. श्री वीरेन्द्र सिंह :

श्री महेश कुमार कनोडिया :

श्री बलराज पासी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार तथा चालू वर्ष में 31 जुलाई तक, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा व्यक्तियों एवं संस्थाओं को मकानों का निर्माण करने के लिए ऋण के रूप में कितनी धनराशि दी गई और इसका बैंक-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, 31 दिसम्बर, 1988 और 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्षों के दौरान व्यक्तियों तथा संस्थाओं को आवास के लिए दिया गया बैंक वित्त निम्नानुसार था :

(करोड़ रुपये में)

	31 दिसम्बर, 1988 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 1990 को समाप्त वर्ष
प्रत्यक्ष वित्त (व्यक्ति)	20.08	41.61
अप्रत्यक्ष वित्त (आवास एवं शहरी विकास निगम, आवास बोर्ड, राज्य स्तरीय एजेंसियां, आवास विकास वित्त निगम और अन्य)	118.27	197.75

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 1991 और 1 अप्रैल, 1991 से 31 जुलाई, 1991 तक की अवधि से संबंधित सूचना बैंकों से प्राप्त नहीं हुई है। अलबत्ता, वर्ष 1990-91 और 1991-92 के लिए आवास वित्त का लक्ष्य क्रमशः 387 करोड़ रुपए और 364 करोड़ रुपए है। इस प्रयोजन के लिए उधार देने के वास्ते बैंकों द्वारा निधियों का राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता।

आयातकों द्वारा निर्यात वस्तुओं को रद्द किया जाना

6001. श्री वीरेन्द्र सिंह :

श्री बलराज पासी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990 और 1991 (31 जुलाई, 1991 तक) के दौरान भारतीय वस्तुओं के आयातकों द्वारा रद्द की गई विभिन्न वस्तुओं के नाम क्या हैं और उनका मूल्य तथा मात्रा कितनी है; और

(ख) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए केवल स्वीकृत नमूनों से मेल खाती वस्तुओं का ही निर्यात किया जाए, क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (पी० चिदम्बरम) : (क) दि एक्सपोर्ट इन्सपेक्शन काउन्सिल आफ इंडिया, नई दिल्ली, जो निर्यात किए जाने वाले सामान की गुणवत्ता के संबंध में सभी शिकायतों को मानीटर करती है, उसने सूचित किया है कि विदेशी क्रेताओं द्वारा पोत लदान के बारे में गुणवत्ता संबंधी शिकायतों को, चाहे वे लदान-पूर्व अनिवार्य निरीक्षण के अन्तर्गत आने वाले पोत-लदानों के संबंध में हों या अन्य पोत-लदानों के सम्बंध में हों, निर्यात निरीक्षण एजेन्सियों के विभिन्न स्त्रोतों द्वारा मानीटर किया जाता है। यह जानकारी प्रस्तुत करते समय, अधिकांश मामलों में जिन मदों की गुणवत्ता संबंधी शिकायतें आती हैं उनकी मात्रा का उल्लेख नहीं किया जाता है। इसलिए जिन मदों के लिए विदेशी खरीदारों ने गुणवत्ता संबंधी शिकायतें दर्ज करायी हैं उनकी मात्रा बता सकना उक्त एजेन्सियों के लिए संभव नहीं है।

एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउन्सिल आफ इण्डिया नई दिल्ली, द्वारा प्रस्तुत की गई अस्वीकृत मदों की सूची मूल्य सहित संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) ई०आई०सी०, नई दिल्ली के अनुसार एक नीति सम्बन्धी निर्णय लिया गया है जिसका उद्देश्य यह है कि निर्यातकों को ही विदेशी खरीदारों की गुणवत्ता आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने का काम सुपुर्द किया जाए तथा इसे ध्यान में रखकर मौजूदा लदान-मदों पूर्व अनिवार्य जांच मशीनरी को सरल और कारगर तथा उदार बनाया गया है।

विवरण

निर्यात निरीक्षण परिषद नई दिल्ली

(विदेशी क्रेताओं द्वारा दायर मूल्य तथा क्वालिटी संबंध दावे) (रुपए में)

मदें	1-1-90 से 31-3-90	1-4-90 से 31-3-90	1-4-91 से 31-7-91	योग (1+2+3)
1	2	3	4	5
वस्त्र	76,828	56,86,917	20,01,584	77,65,329
मत्स्य उत्पाद	8,74,880	31,40,514	6,82,656	44,98,050

1	2	3	4	5
गलीचे	37,431	—	—	37,431
काजू	3,23,992	—	—	3,23,992
रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद	10,08,156	40,57,595	8,98,143	59,63,888
इन्जीनियरी सामान	9,24,239	51,14,196	33,31,998	93,07,433
काफी	2,70,000	—	—	2,70,000
गम-कराया	1,95,000	—	—	1,95,000
प्याज	72,000	—	—	72,000
ग्रेनाइट ब्लाक	7,25,348	—	—	7,25,348
चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद	2,95,800	7,02,428	56,000	10,54,228
औषधि तथा भेषजीय उत्पाद	16,250	11,02,682	18,798	11,37,730
खाद्य उत्पाद	—	97,500	—	97,500
मसाले	—	10,31,732	34,970	10,66,702
पटसन उत्पाद	—	3,08,516	52,000	3,60,516
चाय	—	2,02,607	—	2,02,607
कयर उत्पाद	—	10,036	—	10,036
लकड़ी उत्पाद	—	34,112	—	34,112
काजू	—	39,936	—	39,936
अभ्रक	—	17,35,583	—	17,35,583
वैक्यूम फलास्क	—	7,22,500	7,39,500	14,62,000
भैंसे का मांस	—	2,63,094	—	2,63,094
स्वर्ण आभूषण	—	94,807	—	94,807
कीटनाशी	—	3,51,765	—	3,51,765
भारत निर्मित विदेशी शराब		5,72,104	—	5,72,104
खेल का सामान	—	—	1,50,612	1,50,612
फल	—	—	6,40,640	6,40,640

1	2	3	4	5
खनिज	—	—	6,16,685	6,16,685
इस्पात उत्पाद	—	—	66,30,000	66,30,000
जोड़ :	46,19,918	2,52,68,624	1,58,53,586	4,57,43,128

टिप्पणी : गुणवत्ता सम्बन्धी शिकायतें विभिन्न मुद्रा में दायर की गई हैं। इन मुद्राओं को विभिन्न विदेशी मुद्रा दरों पर भारतीय रुपयों में बदला गया है।

औद्योगिक और तकनीकी परामर्शदात्री संगठन

6002. श्री वीरेन्द्र सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम जैसे वित्तीय संस्थानों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान स्थापित औद्योगिक और तकनीकी परामर्शदात्री संगठनों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) इन संगठनों के क्या-क्या कृत्य हैं;

(ग) क्या ये संगठन सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन संगठनों से कितने उद्योगों को फायदा हुआ है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, नामत: भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी नये तकनीकी परामर्शदात्री संगठनों का परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही पैदा नहीं होते।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में हथकरघा प्रशिक्षण संस्थान

6003. श्री वीरेन्द्र सिंह : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में एक हथकरघा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त स्थान कब तक स्थापित किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इन क्षेत्रों में हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या करने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में एक हथकरघा प्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन था। ऐसा देखा गया है कि भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, वाराणसी से उत्तीर्ण डिप्लोमा पाठ्यक्रम के छात्रों को रोजगार प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इसलिए एक और हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना न्यायसंगत नहीं है।

(ग) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में हथकरघा उद्योग के संवर्धन के लिए चमोली जिले में एक बुनकर सेवा केन्द्र की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों में ऊनी हथकरघा विकास के लिए 798.73 लाख रुपए की एक पर्वतीय क्षेत्र विकास परियोजना स्वीकृत की गई है। इस परियोजना पर अब तक 747.45 लाख रुपए व्यय किए जा चुके हैं।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों द्वारा कंट्रोल के कपड़े की बिक्री

6004. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या वस्त्र राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम कंट्रोल के कपड़े की बिक्री किस प्रकार करता है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का कंट्रोल के कपड़े की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए इसकी बिक्री पुनः सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों द्वारा की गई कंट्रोल के कपड़े की बिक्री का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने वर्ष 1991-92 के लिए कंट्रोल के कपड़े की बिक्री क अपेक्षाकृत लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन मूल्यों पर कंट्रोल का कपड़ा बेचा गया और इसके वर्तमान मूल्य क्या हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) एन०टी०सी० मिलें सरकारी अनुमोदित विभिन्न माध्यमों के जरिये कंट्रोल के कपड़े की बिक्री कर रही हैं यथा :

1) भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी परिसंघ लि०

2) राज्य सरकार नागरिक आपूर्ति निगम एवं राज्य परिसंघ

3) समस्त भारत में कार्यरत एन०टी०सी० की अपनी ही दुकानें

4) एन०टी०सी० के प्राधिकृत विक्रेता।

ख) कंट्रोल के कपड़े की मौजूदा आपूर्ति प्रणाली सन्तोषजनक है और इसलिए फिलहाल इसमें किसी भी परिवर्तन का विचार नहीं है।

(ग) वर्ष 1988-89 से 1990-91 के दौरान एन०टी०सी० मिलों द्वारा कंट्रोल के कपड़े के सम्बन्ध में की गई बिक्री निम्नोक्त अनुसार है :

वर्ष	बिक्री की मात्रा (लाख वर्ग मी०)
1988-89	1137.86
1989-90	1131.16
1990-91	963.90

घ) जी, नहीं।

(ङ) एन०टी०सी० मिलों द्वारा उत्पादित प्रमुख किस्मों धोती, साड़ी, लट्ठा और नियंत्रित पी०सी० शर्टिंग के औसत उपभोक्ता मूल्य नीचे दिए गए हैं :

				(मूल्य प्रति वर्ग)
वर्ष	धोती	साड़ी	लट्ठा	नियंत्रित पी०सी० शीटिंग
1988	4.59	5.68	6.39	14.70
1989	6.21	7.66	4.40	15.32
1990	6.01	7.66	8.40	15.32
जुलाई, 1991	7.17	8.78	9.54	16.09

खाड़ी के देशों में जाने वाले लोगों के लिए विशेष ऋण योजना

6005. **श्रीमती बासवराजेश्वरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर ने खाड़ी के देशों में जाने वाले केरल के लोगों के लिए अपना विमान किराया तथा अन्य अनुषंगी व्यय को वहन करने हेतु एक विशेष ऋण योजना आरम्भ की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर के अनुसार, खाड़ी के देशों में जाने वाले केरलवासियों के यात्रा किराए को पूरा करने के लिए ऋण मन्जूर करने की उनकी ऐक योजना है। इस योजना के अन्तर्गत वैध पासपोर्ट/वीसा/अनापत्ति प्रमाण-पत्र धारक तथा सुनिश्चित रोजगार के प्रस्ताव वाले भारतीय उत्प्रवासी अन्तरालों के साथ 18.5 प्रतिशत वार्षिक की न्यूनतम ब्याज दर पर अधिक से अधिक 10,000/– रुपए का ऋण प्राप्त करने के पात्र हैं जिसे विदेश से प्रेषण द्वारा 12 महीने की अवधि में वापस करना होता है। ऐसे ऋण स्पष्ट (क्लीन) ओवर ड्राफ्ट के स्वरूप में होते हैं जिस पर सम्पत्तियों की संपार्श्विक प्रतिभूति और/अथवा दो व्यक्तियों को ऋण की रकम के दो गुणा के बराबर व्यक्तिगत गारंटी देनी होती है।

राज्य व्यापार निगम और खनिज और धातु व्यापार निगम की नई निगमित योजनाएं

6006. **श्रीमती बासवराजेश्वरी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल के व्यापार सुधार सम्बन्धी उपायों को देखते हुए राज्य व्यापार निगम और खनिज और धातु व्यापार निगम से वर्ष 1991-92 के लिए नई निगमित योजनाएं तैयार करने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो खनिज और धातु व्यापार निगम और राज्य व्यापार निगम द्वारा तैयार की जाने वाली नई निगमित योजनाओं की स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन योजनाओं पर विचार किया है; और

(घ) इन पर अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) एस०टी०सी० और एम०एम०टी०सी० ने नई निगमित योजनाएं तैयार की हैं।

(ग) और (घ) एस०टी०सी० और एम०एम०टी०सी० की निगमित योजनाएं तैयार कर ली गई हैं और दोनों निगमों से इन योजनाओं को तत्काल लागू करने के लिए कहा गया है।

तिरुपुर के निकट बुने हुए वस्त्र निर्यात परियोजना की स्थापना

6007. **श्रीमती बासवराजेश्वरी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तिरुपुर के निकट बुने हुए वस्त्र निर्यात परियोजना स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना पर कुल कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(ग) वस्त्र उद्योग के विकास में यह परियोजना कितनी सहायक सिद्ध होगी ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) सरकार ने तिरुपुर के पास कोई निटवियर निर्यात परियोजना स्थापित नहीं की है।

तथापि तिरुपुर निर्यातक संघ ने तिरुपुर एक्सपोर्टर्स निटवियर इण्डस्ट्रियल कांपलेक्स के नाम से तिरुपुर के पास मुदालीपलेयमं में 150 शैडों वाला एक औद्योगिक कांपलेक्स विकसित किया है। ऐसी आशा है कि इस इण्डस्ट्रियल कांपलेक्स से तिरुपुर क्षेत्र से निटवियर के निर्यात में और वृद्धि होगी।

भारतीय परियोजना और उपस्कर निगम लिमिटेड

6009. **श्री अनादि चरण दास** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1989 और 31 जुलाई; 1991 की स्थिति के अनुसार भारतीय परियोजना और उपस्कर निगम लिमिटेड में कर्मचारियों की कुल श्रेणीवार संख्या कितनी थी और उनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या कितनी थी;

(ख) उपर्युक्त तारीखों की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों का कुल "बैकलाग" कितना था और आरक्षित पदों के इतने भारी "बैकलाग" के क्या कारण हैं;

(ग) कार्मिक विभाग के निर्देशानुसार इस "बैकलाग" को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या इस अवधि के दौरान कुछ पदों को अनारक्षित कर दिया गया था और उन्हें सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से भर लिया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) 1 अप्रैल, 1989 और 31 जुलाई, 1991 की स्थिति के अनुसार भारतीय परियोजना और उपस्कर निगम लिमिटेड (पी०ई०सी०) में कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या और उनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या नीचे दी गई है :

कुल संख्या		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति			
1-4-89	31-7-91	1-4-89		31-7-91	
271	268	अनु० जाति	अनु० जनजाति	अनु० जाति	अनु० जनजाति
		49	06	50	05

(ख) और (ग) 1-4-89 और 31-7-91 की स्थिति के अनुसार आरक्षित पदों का कुल बैकलाग नीचे दिया गया है :

1-4-89 की स्थिति के अनुसार		31-7-91 की स्थिति के अनुसार	
अनु० जाति	अनु० जन जाति	अनु० जाति	अनु० जन जाति
12	12	12	12

वर्ष 1989 में बैकलाग क्लीयर करने के लिए विशेष भर्ती अभियान आरंभ करने संबंधी हिदायतें प्राप्त होने से पहले ही, पी०ई०सी० इस सम्बन्ध में प्रयास करता रहा है, क्योंकि उसने आरक्षित पदों के लिए अनेक बार जैसे कि जुलाई 1978, अगस्त 1979, मई 1980, जनवरी 1982, अगस्त 1983 तथा मई 1986 में प्रेस में विज्ञापन दिए हैं। सरकारी हिदायतें प्राप्त होने के बाद पी०ई०सी० ने इस बैकलाग को क्लीयर करने के लिए 1989, 1990 तथा 1991 में पुनः अनन्य विज्ञापन दिए हैं। प्रेस विज्ञापनों के अलावा, पी०ई०सी० ने इस सम्बन्ध में सम्बन्धित रोजगार कार्यालयों तथा पंजीकृत अनु० जाति/अनु० जनजाति एसोसिएशनों से भी अनुरोध किया है। पी०ई०सी० ने सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों को भी पत्र भेजा है कि वे निगम में आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अनु० जाति/अनु० जनजाति के उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम भेजे।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नौवें वित्त आयोग को उड़ीसा का ज्ञापन

6009. **श्री अनादि चरण दास :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने नौवें वित्त आयोग को एक ज्ञापन दिया था जिसमें नए न्यायालय स्थापित करने, न्यायालयों के भवनों के निर्माण और उनमें सुधार करने और आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता मांगी गई थी;

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा इस बारे में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने क्या कारंवाई की है या करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शांताराम पोतदुखे) : उड़ीसा सरकार ने 1989-90 और 1990-91 के लिए नौवें वित्त आयोग को दिए अपने ज्ञापन में उन्नयन के अन्तर्गत न्यायिक क्षेत्र के लिए अपनी आवश्यकताओं का उल्लेख किया था।

(ख) नवें वित्त आयोग ने 1989-90 के लिए अपनी पहली रिपोर्ट में उन्नयन के अन्तर्गत न्यायालय-भवनों, न्यायालयों में सुविधाओं तथा न्यायिक अधिकारियों के लिए आवास यूनिटों की स्कीमों के लिए कुल 40.18 लाख रुपए के परिव्यय की सिफारिश की थी।

नवें वित्त आयोग ने 1990-95 की अवधि के लिए अपनी दूसरी रिपोर्ट में राजस्व प्राप्तियों और व्यय का मूल्यांकन करने में "मानकीय दृष्टिकोण" अपनाया है। आयोग ने सेवाओं के उन्नयन के लिए किसी विशिष्ट अनुदान की सिफारिश नहीं की है, क्योंकि "उन राज्यों में, जहां ये सेवाएं औसत से नीचे हैं सेवाओं के उन्नयन की आवश्यकताओं का ध्यान आयोग द्वारा अपनाए गए मानकों में रखा गया है।"

(ग) भारत सरकार ने इस बारे में वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं।

केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अंतर्गत उड़ीसा में परियोजनायें

6010. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी** : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उड़ीसा सरकार को सूचित किया था कि राज्य को केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अन्तर्गत 5.18 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष मिलने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार ने इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भेजी गई बावन परियोजनाओं की सूची को स्वीकृति प्रदान कर दी थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उड़ीसा सरकार ने 1988-89 के लिए अपनी अस्थाई संभूतियों के प्रति 59 स्कीमें परियोजित की हैं। चूंकि, केन्द्रीय सड़क निधि जिसके अन्तर्गत प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे में वास्तविक वृद्धि नहीं हुई है, इसलिए प्रस्तावों पर अनुमोदन के लिए कार्रवाई नहीं की गई है। तथापि, वास्तविक वृद्धि के अभाव में, मंत्रालय ने पुराने संकल्प के अनुसार 31-3-1995 को संभावित उपलब्ध मुक्त-अधिशेष को मद्देनजर रखते हुए निम्नलिखित दो निर्माण कार्यों को अनुमति दे दी है।

(लाख रु०)

क्रम सं०	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत	के०स०नि० से मन्जूर राशि
1.	सारागढ़-नीलागरी-काप्तीपाड़ा-उाडला-बारीपाडा-मिदनापुर सीमा सड़क पर 74 कि०मी० पर पुराने क्षतिग्रस्त पुल को बदलना।	38.00	38.00
2.	तुमुरीबंध-वेलघाड-धानीमस्का-अम्बादाला सड़क में सुधार तथा सी०डी० कार्य	393.15	15.62

राष्ट्रीय जलमार्ग

6011. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी हां। इस समय, पश्चिम तट कैनाल के क्वीलॉन-कोटापुरम विस्तार तथा केरल में उद्योगमण्डल और चम्पाकारा कैनाल को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सिले-सिलाए वस्त्रों का निर्यात

6012. श्री वी०एस० विजयराघवन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ख) सिले-सिलाए वस्त्रों का आयात करने वाले प्रमुख देश कौन-कौन से हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) वर्ष 1990-91 में भारत से सिले-सिलाए परिधानों का आयात करने वाले मुख्य देश हैं ई०ई०सी०, यू०एस०ए०, यू०एस०एस०आर०, यू०ए०आई०, जापान, स्विटजरलैंड, कनाडा, स्वीडन, आस्ट्रिया आदि।

आंध्र प्रदेश में रेशम-उत्पादन का विकास

6013. श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के गम्पालागुडम, रामिरेड्डीपल्ली, पोलासनीपल्ली क्षेत्रों में रेशम का उत्पादन करने वाले किसानों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों में कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का कोकून उत्पादन किया गया;

(ग) क्या किसानों को कोकून विपणन हेतु कर्नाटक ले जाने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का कृष्णा जिले में उत्पादित कोकून के निपटान के लिए विपणन तथा परिवहन सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के गम्पालागुडम, रामिरेड्डीपल्ली, पोलासनीपल्ली क्षेत्रों में रीलिंग कोसों के उत्पादन की मात्रा तथा मूल्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

शहरों के नाम	कोसों के उत्पादन की मात्रा (कि० ग्रा०)		
	88-89	89-90	90-91
1	2	3	4
गम्पालागुडम	19,318	31,194	64,970
रामिरेड्डीपल्ली	33,916	68,391	1,04,535

1	2	3	4
पोलासमीपल्ली	35,772	57,081	73,500

कोसों का मूल्य (लाख रु० में)

88-89	89-90	90-91
5	6	7
14.19	23.41	49.2
24.50	49.58	74.9
21 01	35.00	49.1

(ग) और (ङ) स्थानीय कृषकों को विपणन सुविधाएं प्रदान करने हेतु राज्य विभाग ने तालाप्रोल में एक सिल्क रीलिंग एकक की स्थापना की है तथा हनुमान जंक्शन में सेरीफेड द्वारा अभी एक सिल्क रैलिंग एकक की स्थापना की गई है।

स्थानीय रीलरों/क्रेताओं के उपलब्ध न होने के कारण किसान आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में स्थित नियमित कोसों बाजारों और कर्नाटक राज्य में अपने कोसों को बेच रहे हैं जहां कि पर्याप्त रूप से रीलर/क्रेता उपलब्ध होते हैं तथा कीमतें भी प्रतियोगी होती हैं। राज्य सरकार कृष्णा जिले के निजी क्षेत्र में रीलिंग एकक की स्थापना को बढ़ावा दे रही है ताकि जिले के भीतर ही बाजार मांग का निर्माण हो सके। किसानों को इस बात की स्वतन्त्रता है कि वे आंध्र प्रदेश/कर्नाटक राज्य में सरकार के किसी भी नियमित/अधिसूचित कोसा बाजार में कोसों की अपने रीलिंग बिक्री करें।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 को चौड़ा करके चार लेनों वाला बनाना

6014. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :** क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा से विशाखापटनम तक के राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-5 को कि०मी० 358/0 से 398/875 तक चौड़ा करके चार लेनों वाला बनाने का काम आरंभ किया गया है,

(ख) यदि हां, तो इस काम की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस परियोजना पर कितना अनुमानित व्यय होने की संभवना है; और

(घ) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) एक भाग में निर्माण कार्य चालू है और शेष भाग के लिए ठेका देने हेतु एजेंसी को अभी नियत करना है।

(ग) इस परियोजना पर लगभग 6968.56 लाख रु० का खर्च आने का अनुमान है।

(घ) पहले से ही ठेके पर दिए गए कार्य के भाग के मार्च, 1995 तक पूरा होने की संभावना है। शेष भाग के पूरा होने के समय के बारे में अभी से बताना मुमकिन नहीं है।

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास को कंटेनरों की सप्लाई

6015. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :**

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशाखापत्तनम पत्तन न्यास से सामान के निर्यात हेतु कटेनरी की भारी मांग है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विशाखापत्तनम पत्तन न्यास को वस्तुतः कितने कंटेनर सप्लाई किए गए; और

(ग) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास की कंटेनरी की मांग पूरी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में सुरक्षा उपाय

6016. **श्री जनार्दन मिश्र** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सी०ओ०डी०एम०, ओ०डी०एस० बेस वर्कशाप, इंजीनियर स्टोर डिपो जैसे बड़े सामरिक महत्व के रक्षा प्रतिष्ठानों में किए गए सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) डिफेंस सिक्योरिटी कोर रक्षा प्रतिष्ठान, जिसमें सेवानिवृत रक्षा कार्मिकों को पुन नियोजित किया जाता है, के पास 303 राइफलें ही हैं, जिन्हें सारे विश्व में रद्द कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन्हें कुछ उन्नत हथियार देने तथा उन्हें वर्तमान सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण देने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो, उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) रक्षा सुरक्षा कोर के कार्मिक सी०ओ०डी०, ओ०डी०एस० बेस वर्कशाप, इंजीनियर स्टोर डिपो आदि की रात-दिन चौकसी करते हैं। सामरिक महत्व के बड़े रक्षा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की व्यवस्था के अन्तर्गत मुख्यतः ये काम शामिल हैं—बुर्जियों की व्यवस्था करना, परिधि के चारों ओर रोशनी की व्यवस्था करना, सर्च लाइट लगाना, प्रतिष्ठान के चारों ओर कांटेदार तार लगाना, गेट पास की व्यवस्था से इन प्रतिष्ठानों में प्रवेश को प्रतिबंधित करना, यूनिट में ड्यूटी अफसरों और गैरीसन फील्ड अफसरों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण करना, छुट्टी के बाद भण्डार गृहों (स्टोर हाउसों) पर ताले और सील लगाना।

(ख) रक्षा सुरक्षा कोर के कार्मिकों के पास मुख्यतः 7.62 राइफलें, कुछ 303 राइफलें और 9 मि०मी० कार्बाइनें होती हैं।

(ग) और (घ) रक्षा सुरक्षा कोर के कार्मिकों को ऐसे हथियार और प्रशिक्षण दिया जाता है जो उन प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है जिनमें वे तैनात किए जाते हैं।

लघु उद्योग के उपक्रमों में कर-निर्धारण से संबंधित आयकर कानूनों में खामियां

6017. **प्रो० राम कापसे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक ने 1991 के अपने प्रतिवेदन सं० 3 में लघु उद्योग के उपक्रमों के कर-निर्धारण से संबंधित आयकर कानूनों में खामियों का उल्लेख किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन खामियों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) लघु उद्योग उपक्रमों के कर-निर्धारण के संबंध में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा आयकर कानूनों में जिन खामियों का उल्लेख किया गया है, उनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

आयकर अधिनियम में इस आशय की किसी ऐसी व्यवस्था के न होने के कारण कि अधिनियम के तहत रियायतों का दावा करने वाला कोई भी एकक उद्योग निदेशक के पास पंजीकृत होना चाहिए तथा ऐसे उपबन्धों के न होने के कारण जिनके तहत जिला उद्योग केन्द्रों को उनके पास पंजीकृत लघु उद्योग एककों के ब्यौरे कर प्राधिकारियों को भेजना अपेक्षित हो, सभी लाभ कमाने वाले एककों को कर के दायरे में ला पाना संभव नहीं था। इसके अलावा, संविधि-संग्रह में एककों को बड़ी संख्या में प्राप्य उपबन्ध और रियायतों में से अधिकतर उपबन्ध और रियायतें अनुपलब्ध थीं चूंकि उनमें से अधिकांश के मामलों में लाभकारिता सीमित थी या बिल्कुल ही नहीं थी।

(ग) यह मामला विचाराधीन है।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना

6018. **प्रो० राम कापसे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम अपने कर्मचारियों के लिए "पेन्शन योजना" लागू करने के बारे में सक्रियता से विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इसे कब से लागू किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या यह "पेन्शन योजना" जीवन बीमा निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा इसके लिए विकल्प देने पर उनकी सेवानिवृति की आयु अलग-अलग होने के बावजूद भी उन पर लागू होगी; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारी सेवानिवृति लाभ के रूप में ग्रेचुटी और भविष्य निधि में अंशदान के बराबर राशि प्राप्त कर रहे हैं; इसलिए सेवानिवृति के तीसरे लाभ के रूप में पेंशन देना व्यवहार्य नहीं है।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में नई बैंक शाखाएं खोलना

6019. **श्री भुवन चंद्र खंडूरी** : क्या वित्त मंत्री 26 जुलाई, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 753 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों पौड़ी गढ़वाल, चमोली, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी में किन-किन स्थानों पर नई बैंक शाखाएं खोलने हेतु बैंकों के पास बैंक-वार लाईसेंस लम्बित पड़े हैं;

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने ये लाईसेन्स कब जारी किए थे; और

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नई बैंक शाखाएं खोलने के लिए बैंकों को लाईसेन्स जारी करने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) पौड़ी गढ़वाल, चमोली, टिहरी गढ़वाल और उत्तर काशी के पहाड़ी जिलों में नई शाखाएं खोलने के लिए बैंकवार लम्बित लाइसेन्स नीचे दिये हैं :

अवस्थिति	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेन्स के जारी करने की तारीख	बैंक का नाम
I) पौड़ी गढ़वाल		
1. रोथाखाल	22-3-1989	भारतीय स्टेट बैंक
2. शंकरपुर	22-3-1989	—वही—
3. किंगेरीखाल	22-3-1989	—वही—
4. हलदुखाल	22-3-1989	—वही—
5. खानदूसेन	26-9-1990	पंजाब नैशनल बैंक
6. खेराखाल	23-1-1989	भारतीय स्टेट बैंक
7. गेन्दखाल	26-9-1990	—वही—
8. गुमखाल	23-1-1989	अलकनन्दा ग्रामीण बैंक
9. चैलूसेन	26-9-1990	पंजाब नैशनल बैंक
10. नाहूसेन	23-1-1989	भारतीय स्टेट बैंक
11. देबीओखाल	26-9-1990	पंजाब नैशनल बैंक
II) चमोली		
1. मैथन	2-2-1989	अलकनन्दा ग्रामीण बैंक
2. कुलसारी	2-10-1990	भारतीय स्टेट बैंक
3. केदारनाथ मन्दिर	21-3-1991	—वही—
III) टिहरी गढ़वाल		
1. मगोरागाद	22-3-1989	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
2. प्रताप नगर	18-1-1990	भारतीय स्टेट बैंक
3. कमांद	22-3-1989	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
4. अखोरी	22-6-1989	पंजाब नैशनल बैंक
IV) उत्तर काशी		
1. दिचली	24-9-1989	गंगा यमुना ग्रामीण बैंक

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने उक्त लाइसेन्स पूर्व शाखा लाइसेन्सिंग नीति, 1985-90 के अन्तर्गत जारी किए थे जिसमें निर्धारित किया था कि ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक खंड में हरेक 17000 की जनसंख्या के लिए एक बैंक शाखा होनी चाहिए और प्रत्येक गांव के 10 कि०मी० की परिधि में सामान्य तौर पर एक शाखा उपलब्ध होनी चाहिए। पहाड़ी/जनजाति वाले क्षेत्रों और बिखरी आबादी के क्षेत्रों की विशेष प्रकार की स्थलाकृति को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त बैंक शाखा खोलने के लिए औसत जनसंख्या के मानदण्ड को शिथिल करके 10,000 जनसंख्या प्रति कार्यालय के उदार पैरामीटर के आधार पर विचार किया गया था। यह सुनिश्चित करते हुए भी अतिरिक्त शाखाएं आबंटित की गई थीं कि किसी ग्रामीण/अर्धशहरी शाखा के सेवा क्षेत्र में सामान्य रूप से 15 से 25 ग्रामों से अधिक संख्या में ग्राम न हों।

वर्तमान शाखा लाइसेन्सिंग नीति के अन्तर्गत बैंकों की परिचालनात्मक दक्षता, परिसम्पत्तियों की गुणवत्ता और वित्तीय शक्ति में सुधार करने के समस्त प्रयासों पर बल दिया गया है। बैंक शाखाओं का खोलना प्रस्तावित शाखाओं की सुस्थापित आवश्यकता, कारोबार की संभाव्यता और वित्तीय अर्थ-क्षमता पर निर्भर होगा।

सैनिक विद्यालय के छात्रों को भोजन भत्ता

6020. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक विद्यालय के छात्रों को दिए जाने वाले वाले भोजन भत्ते में वृद्धि की मांग काफी दिनों से चली आ रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार खाद्य पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए भोजन भत्ते में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) सैनिक स्कूल के विद्यार्थियों के लिए आहार भत्ता बढ़ाए जाने की कतिपय मांगें प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग) इस मामले पर जनवरी, 1991 में सैनिक स्कूल सोसायटी की कार्यकारी समिति की बैठक में विचार हुआ। इस बैठक में अन्य बातों के अलावा विद्यार्थियों की फीस के साथ-साथ उनके प्रतिदिन के आहार खर्चे को बढ़ाए जाने की सिफारिश की गई। यह सिफारिश सैनिक स्कूल सोसायटी के प्रशासक बोर्ड की अगली बैठक में निर्णय के लिए रखी जायेगी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

छावनी बोर्डों के कर्मचारियों को पेंशन सम्बन्धी लाभ

6021. **श्री यशवन्तराव पाटिल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को छावनी बोर्डों के 1 अप्रैल, 1975 से पूर्व सेवानिवृत हुए कर्मचारियों से पेंशन सम्बंधी लाभ देने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने 1-5-1976 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले छावनी बोर्ड के कर्मचारियों के लिए एक पेंशन एवं उपदान योजना मंजूर की थी। 1-5-1976 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि तथा बोनस का लाभ प्राप्त कर रहे थे, इसलिए वे पेंशन एवं उपदान योजना के अन्तर्गत शामिल किये जाने के पात्र नहीं थे। अतः उनके अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किये जा सके।

अहमदनगर में भिंगर छावनी बोर्ड के लिए धनराशि में कमी करना

6022. श्री यशवन्तराव पाटिल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अहमदनगर में भिंगर छावनी बोर्ड के लिए धनराशि में कमी की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विकास कार्यों पर खर्च पूरा करने और एक समुदाय भवन का निर्माण करने के लिए इस छावनी बोर्ड को अधिक धनराशि देने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) छावनी बोर्ड ने 1988-89 के दौरान 13 लाख रुपये की लागत से एक मंगल कार्यालय का निर्माण किया था। एक और समाज सदन का निर्माण करने अथवा छावनी बोर्ड को अतिरिक्त धन की मंजूरी देने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

पुणे में शुष्क पत्तन

[हिन्दी]

6023. श्री यशवन्तराव पाटिल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पुणे में शुष्क पत्तन स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस पत्तन को कब तक चालू कर दिया जायेगा?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन ने दिनांक 15-6-1990 को पुणे में एक कन्टेनर फ्रेट स्टेशन (सी०एफ०एस०) पहले ही चालू कर दिया है। कन्टेनर फ्रेट स्टेशन (सी०एफ०एस०) निर्यात-माल के एकत्रीकरण, भराई और सीमा-शुल्क निकासी की सुविधाएं देता है और साथ ही आयात-माल के उतारने, सीमा शुल्क निकासी और वितरण की सुविधाएं भी प्रदान करता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तस्करी की गतिविधियों को रोकना

[अनुवाद]

6024. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

श्री राम लखन सिंह यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों में पुलिस तथा सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा लाखों रुपये मूल्य की तस्करी का सामान पकड़ा गया;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी, राज्य-वार ब्यौरा क्या है, और प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई;

(ग) तस्करी को रोकने के लिए सड़क, वायु एवं जल मार्गों पर निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या बड़ी संख्या में लोग केवल तस्करी करने एवं प्रतिबधित तथा निषिद्ध वस्तुओं को लाने के उद्देश्य से ही विदेशों का दौरा करते हैं;

(ङ) यदि हां, तो इन व्यक्तियों पर विशेष निगाह रखने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं, तथा विगत में इन में से कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया है; और

(च) उपर्युक्त अवधि के दौरान इस प्रकार पकड़े गये सामान की बिक्री से कितनी आय हुई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ङ) विभिन्न एजेन्सियों द्वारा वित्तीय वर्ष 1988-89, 1989-90, 1990-91 और 1991 92 (जून, 1991 तक) के दौरान सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के उपबन्धों के तहत पकड़े गए सोने और चांदी की मात्रा और मूल्य तथा अन्य निषिद्ध माल का मूल्य संलग्न विवरण-I में दिया गया है। नशीले औषध-द्रव्य सम्बन्धी कानून प्रवर्तन एजेन्सियों द्वारा इसी अवधि के दौरान सारे देश में पकड़े गऐ विभिन्न स्वापक औषध-द्रव्य तथा मनः प्रभावी पदार्थों की मात्रा का ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

निषिद्ध माल के राज्य-वार आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

विगत तीन कैलेण्डर वर्षों के दौरान सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा सारे देश में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों/जिन पर मुकदमा चलाया गया है, उन व्यक्तियों की संख्या नीचे सारणी में दी गई है :

वर्ष	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	जिन पर मुकदमा चलाया गया उन व्यक्तियों की संख्या
1989	3884	2028
1990	3356	1528
*1991	1482	825

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

निषिद्ध माल की तस्करी में ग्रस्त पाए गये व्यक्तियों पर विभागीय न्यायनिर्णयनों में दण्ड दिया जाता है और उपयुक्त मामलों में न्यायालयों में मुकदमे भी चलाए जाते हैं। यदि आवश्यक समझा जाता

है तो उन्हें विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के उपबन्धों के अन्तर्गत नजरबन्द भी किया जाता है।

तस्करी रोधी अभियान को तेज कर दिया गया है और तस्करी-रोधी तंत्री को समग्र देश में, विशेषकर भू सीमाओं, समुद्री तटों के संवेदनशील क्षेत्रों और अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और समुद्री पत्तनों पर चुस्त बना दिया गया है। तस्करी का पता लगाने और इसे रोकने के लिए सभी सम्बन्धित एजेन्सियों के साथ घनिष्ठ ताल मेल बनाए रखा जा रहा है। एक्स-रे असबाब मशीनों, धातु खोजी यन्त्रों, रात्रि में देखने के लिए काम में लाई जाने वाली दूरबीनों, आदि जैसे अत्याधुनिक उपकरणों का अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है।

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा निपटाए किए गए सीमाशुल्क के जब्तशुदा माल का मूल्य नीचे सारणी में दिया गया है :

वर्ष		मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1980	—	484.30
1990	—	486.61
*1991	—	325.95

(जुलाई तक)
*आंकड़े अनन्तिम हैं।

विवरण—1

वर्ष	सोना		चांदी		अभिगृहीत अन्य
	मात्रा (कि०ग्रा० में)	मूल्य (करोड़ रु० में)	मात्रा (कि०ग्रा० में)	मूल्य (करोड़ रु०में)	निषिद्ध माल का मूल्य (करोड़ रु० में)
1988-89	8086	264.43	26010	16.64	198.80
1989-90	6268	199.50	148464	102.56	243.88
1990-91	5399	183.97	206666	136.92	388.32
*1991-92 (जून तक)	1744	61.40	66644	45.08	109.15

* आकड़े अन्तिम हैं।

विवरण—2

(मात्रा किलोग्राम में)

*नशीले औषध द्रव्य	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92 (जून तक)
अफीम	2271	4887	1989	1294
मारफीन	21	92	8	4
हेरोइन	2781	2402	1739	178
गांजा	42104	50482	38052	33461
हशीश	7921	7165	6899	1031
कोकीन	9	3	2	—
मैथाक्वालोन	1395	858	2282	259
एम्फीटामाइन	9	5	—	—
फिनोबरबीटल	—	720	—	—

आंकड़े अन्तिम हैं।

*टिप्पणी : स्वापक औषध द्रव्यों के सही-सही मूल्य का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है चूंकि यह इनकी शुद्धता, उद्गम स्थान आदि पर निर्भर करता है।

आयुध कारखानों द्वारा धनराशि का उपयोग

6025. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने रक्षा सेवाएं-थल सेना और आयुध कारखानों संबंधी अपने प्रतिवेदन (1991 का संख्या आठ) में यह टिप्पणी की हैं कि आयुध कारखानों द्वारा धनराशि का कम उपयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन कारखानों द्वारा धनराशि का काम उपयोग किए जाने के क्या कारण है; और

(ग) सरकार का इस संबंध में और क्या कदम उठाने का विचार हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने 1991 की रिपोर्ट संख्या 8 में यह टिप्पणी की है कि आयुध निर्माणियों ने 1987-88 से लगातार बचत की है।

(ख) "रक्षा आयुध निर्माणियां" अनुदान के अन्तर्गत बचत के मुख्य कारण इस प्रकार हैं— 1987-88 में सामान प्राप्त होने में विलम्ब, 1988-89 में उभरती कार्य की संशोधित प्रतिघंटा दर के बारे में निर्णय न लिया जाना तथा 1988-89 और 1989-90 में थलसेना; नौसेना, वायुसेना

आदि को की गई आपूर्ति के लिए अपेक्षाकृत अधिक वसूली होना।

(ग) खर्चे के बारे में हुई प्रगति और अन्य संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार धन की आवश्यकता के प्रश्न की लगातार पुनरीक्षा करती रहती है।

स्टेट बैंक आफ इन्दौर के पुनर्नियुक्त कर्मचारी

[हिन्दी]

6026. **श्री रामवदन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक आफ इन्दौर के उन कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है जिन्हें अनिवार्यतः सेवानिवृत कर दिया गया था और जिनकी सेवाएं 1986 से 1988 के दौरान बैंक द्वारा समाप्त कर दी गई थी;

(ख) उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें अनुकंपा के आधार पर पुनः नियुक्त किया गया था तथा उनके वेतनमान क्या हैं और वे किस स्थान पर नियुक्त हैं;

(ग) क्या पुनः नियुक्त कर्मचारियों को उनकी पूर्व सेवा के लिए उनके भविष्य निधि अंशदान की राशि अभी तक नहीं दी गई है;

(घ) यदि हां, तो देरी के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम संबंधी समिति

[अनुवाद]

6027. **श्री प्रकाश वी० पाटिल :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कुछ समय पहले राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के कार्यों की जांच करने के लिए तथा इसकी कार्यप्रणाली में सुधार करने हेतु सुझाव देने के लिए एक समिति को गठित की;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है;

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो समिति अपनी रिपोर्ट संभवतः कब दे देगी ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ख) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के कार्यों की जांच करने और उनमें सुधार करने हेतु उपाय सुझाने के लिए तत्कालीन वस्त्र मंत्री ने निम्नलिखित सदस्यों की समिति के गठन का सुझाव दिया था।

1. श्री मिश्री लाल यादव,
   गांव पछाड़ी, ब्लॉक केओटी,
   जिला दरभगा, बिहार।
2. श्री बालेश्वर यादव, पूर्व-संसद,
   पडरौना, उत्तर प्रदेश।
3. प्रो० भाग सिंह आर्य,
   गांव खेरी मटेर्वा,
   पो०ऑ० कौल,
   जित्ता कैथल, हरियाणा।
4. श्री प्रगदा कोटया, सांसद (राज्य सभा),
   171, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली।
5. श्री कासिम अली आबिद, पूर्व सांसद,
   1, तालकटोरा रोड़, नई दिल्ली।

फिर भी चुनाव प्रकिया चलते रहने के कारण उक्त समिति के गठन के संबध में आदेश जारी नहीं किए गए थे।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में सड़कों का रख-रखाव

6028. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सड़कें वर्षा के पानी की उग्रता और दबाव को सह नहीं सकी हैं और बरसात के मौसम में उनकी हालत बिगड़ गई हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने सड़कों को यातायात योग्य बनाये रखने के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(ग) इन सड़कों को पिछली बार दुबारा कब बनाया गया था या इनकी मरम्मत की गई थी और इन पर कितना खर्च हुआ था;

(घ) दिल्ली में सड़कों की जीवन-अवधि कितनी है;

(ङ) सड़कों के घटिया स्तर की बनावट के क्या कारण हैं; और

(च) ठेकेदारों से उनके खर्चे पर सड़कों की मरम्मत करने/दुबारा बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी, नहीं। सांविधानिक रूप से यह मंत्रालय केवल राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास और अनुरक्षण के लिए उत्तरदाई है। अन्य सभी सड़कों के लिए संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र आवश्यक कार्य

उत्तरदाई है । दिल्ली में सार्वजनिक सड़कों का रख-रखाव दिल्ली प्रशासन, नई दिल्ली नगर पालिका, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली छावनी बोर्ड द्वारा किया जाता है। जैसाकि इन अभिकरणों द्वारा सूचित किया है कि हाल की लगातार बरसात के कारण कुछ सड़कों में कुछ स्थानों पर छोटे-मोटे गड्ढे हो गये हैं और टूटफूट हो गई है। गड्ढों और क्षतिग्रस्त सड़क तल की अस्थाई रूप से मरम्मत करने के लिये संबंधित अभिकरणों द्वारा कार्यवाही की गई है/की जा रही है। तथापि कुल मिलाकर सड़कें यातायात वहन करने की स्थिति में हैं।

(घ) और (घ) इनका कार्यकाल लगभग 5 वर्ष है । सभी सड़कों पर एक साथ ही पुनः सतह चढ़ाने का कार्य नहीं किया जाता। दोबारा सतह चढ़ाने का कार्य सामान्यतः 5 वर्ष की अवधि के बाद किया जाता है और मरम्मत कार्य आवश्यकतानुसार किए जाते हैं। 90 91 के दौरान नई दिल्ली नगर पालिका ने 80 लाख रु०, दिल्ली प्रशासन ने 865.29 लाख रु०, (राष्ट्रीय मार्गों को छोड़कर), दिल्ली छावनी ने शून्य और दिल्ली नगर निगम ने 657.33 लाख रु० खर्च किए।

(ङ) और (च) घटिया स्तर की सड़कें बनाने के कोई विशिष्ट मामले सामने नहीं आये हैं। सड़क तल अधिकांशतः भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अत्यन्त सघन यातायात के कारण क्षतिग्रस्त होता है। गारंटी की अवधि में यदि कोई मरम्मत की जानी हो तो, वह सबंधित ठेकेदार द्वारा की जाती है।

प्रमुख बन्दरगाहों को हुआ घाटा/लाभ

6029. **प्रो० के०वी० थामस** : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की प्रमुख बन्दरगाहों को पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए घाटों/लाभों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन बन्दरगाहों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) महापत्तनों के घाटे/मुनाफे की प्रचालन अधिशेष/घाटे के रूप में मापा जाता है। प्रचालन अधिशेष/घाटे की गणना प्रचालन आय में से प्रचालन खर्च घटाकर की जाती है जबकि निवल अधिशेष/घाटे की गणना, वित्त तथा विविध आय, वित्त और विविध खर्च को शामिल करके तथा विभिन्न आरक्षित निधियों से/को अन्तरित करके की जाती है। वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के लिये महापत्तनों के प्रचालन अधिशेष/घाटे और निवल अधिशेष/घाटे के आंकड़ों का एक विवरण संलग्न है।

(ख) उपकरणों को बदलना/आधुनिकीकरण करना, बर्थों की वृद्धि करना और बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना जैसे अनेक कदम उठाए जा रहे हैं।

विवरण

पत्तन का नाम	प्रचालन अधिशेष/घाटा (—) (लाख रु०)			निवल अधिशेष/घाटा (—) (लाख रु०)		
	1988-89	1989-90	1990-91 (अनंतिम)	1988-89	1989-90	1990-91 (अनंतिम)
बम्बई	7362.91	6207.19	6388.00	201.07	228.33	21.00
कलकत्ता	5406.07	5825.50	6487.99	101.02	229.14	121.47
कोचीन	1104.42	1743.59	1470.46	(—)248.02	361.40	337.74

1	2	3	4	5	6	7
कांडला	2018.74	2378.87	2840 24	1633 51	1995.72	2603.24
मद्रास	5547.31	5780.04	6423.00	96.26	98.84	99.00
मुरगांव	1609.01	1619.72	1437.23	2.86	5.38	4.85
न्यू मंगलोर	1112.76	648.81	1424.81	170.54	—	237.63
पारादीप	1461.51	2355.86	3519.27	529.43	266.99	413.11
तूतीकोरिन	659.91	816.53	809.08	14.34	14.42	21.17
विशाखापत्तनम	3446.72	5264.78	3806.65	686.67	989.25	341.55
जवाहर लाल नेहरू	—	(—)345.29	708.80	—	(—)69.03	556.34

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला द्वारा नदी दौड़ अभियान

6030. **श्री प्रताप राव बी० भोंसले :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला ने किसी नदी दौड़ अभियान का आयोजन किया है;

(ख) यदि हां, तो ग्रुप के सदस्यों उनके चयन के मानदण्ड तथा अभियान के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र सहित इस अभियान का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अभियान पर कितनी धनराशि खर्च हुई;

(घ) इस अभियान के दौरान क्या उपलब्धि रही;

(ङ) क्या राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला, का विचार भविष्य में भी ऐसे अभियान आयोजित करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री सरद पवार) : (क) से (छ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला ने व्यास नदी में 17-6-91 से 20-7-91 तक नदी दौड़ अभियान का आयोजन किया था।

2. अकादमी के 2 सेना अधिकारी, सेना चिकित्सा कोर के 1 अधिकारी और 15 कैडेटों का एक दल बनाया गया था जिसमें से वस्तुत: 2 सेना अधिकारियों, सेना चिकित्सा कोर के 1 अधिकारी और 12 कैडेटों ने भाग लिया। दल में शामिल अधिकारियों और कैडेटों के नाम इस प्रकार हैं :—

(एक) मेजर एस०एस० यादव	दल का नेता
(दो) कैप्टन अशीष उप्पल	दल का उपनेता
(तीन) कैप्टन (सुश्री) रितु चन्द्र	चिकित्सा अधिकारी
(चार) 20656/सी/83 कैडेट ए० मित्रा	
(पांच) 20472/ई/82 कैडेट बी० गोगई	

(छः) 20027/ई/82 कैडेट ए०डी० साहा

(सात) 20692/एफ/83/कैडेट के०एच० मधनन

(आठ) 19932/एच/81 कैडेट अजय प्रताप

(नौ) 20087/जे/81 कैडेट धीरज भाटिया

(दस) 19400/के/81 कैडेट डी०एस० चीमा

(ग्यारह) 20141/आर/81 कैडेट पी०एस० दसौनी

(बारह) 20149/के/81 कैडेट जी०एस० बाजवा

(तेरह) 20265/एल/82 कैडेट ए० कापड़े

(चौदह) 20294/एन/82 कैडेट एम०एस०आर०के० राजू

(पन्द्रह) 20221/एन/82 कैडेट वी०एस० हुरका

(सोलह) 19944/के/81 कैडेट बी०एस० कादिआन

(सत्रह) 21061/एफ/84 कैडेट राजेश पवार

(अठारह) 20437/के/82 कैडेट ए०जे०एस० संधु

3. सभी वालंटियर कैडेटों का चयन व्यास नदी में तैराकी परीक्षणों और वास्तविक प्रशिक्षण के दौरान उनके कार्यनिष्पादन के आधार पर किया गया। कैडेटों के प्रारम्भिक चयन के निम्नलिखित मानदंड रखे गए थे :

(एक) कैडेटों को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

(दो) कैडेट को उत्कृष्ट तैराक होना चाहिए।

(तीन) पिछले छः महीनों के दौरान कैडेटों को किसी तरह की बीमारी की शिकायत नहीं होनी चाहिए।

(चार) कैडेटों ने दिसम्बर, 1990 के पिछले अभियान में भाग नहीं लिया हो।

यह अभियान कुल्लू से मंडी तक व्यास नदी पर लगभग 80 किलोमीटर का था। अभियान में भाग लेने वाले दल को पार्वती नदी, जो व्यास की सहायक नदी है, में प्रशिक्षण दिया गया था।

4. इस पर लगभग 47000/- रुपये खर्च आया।

5. इस अभियान से भाग लेने वालों की टीम भावना, नेतृत्व गुण, साहसिक भावना तथा शारीरिक मजबूती में वृद्धि हुई।

6. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ने वर्ष 1992 की दूसरी छमाही में 18 कैडेटों के अन्य ग्रुप को लेकर चिनाव अथवा सिंधु नदी में एक और लोक अभियान पर जाने की योजना बनाई है।

बिहार में किसानों को ऋण

[हिन्दी]

6031. श्री ललित उरांव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके अन्तर्गत बिहार में किसानों को ऋण दिये जा रहे हैं;

(ख) क्या इस प्रक्रिया को सरल बनाने तथा इन योजनाओं को उदार बनाने, विशेषतौर पर छोटे और सीमान्त किसानों को ऋण स्वीकृत करने हेतु का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में कौन से कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बिहार सहित पूरे देश के किसानों को उनके द्वारा स्वयं किए जाने वाले कृषि एवं उससे सम्बन्धित कार्यों के लिए अथवा इस सम्बन्ध मे सरकार द्वारा बनाई गई किन्हीं योजनाओं के माध्यम से ऋण प्रदान किए जाते हैं। वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऐसी गतिविधियों का वित्त पोषण करना निरतर आधार पर उधार देने के उनके सामान्य परिचालनों का एक हिस्सा है।

किसानों, विशेष रूप से छोटे एवं सीमांतिक किसानों को ऋण के प्रवाह में वृद्धि करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी उधार प्रक्रियाओं को सरल एवं उदार बनाने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किए हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण ये हैं :

1. 7500/- रुपए तक के फसल ऋणों का ब्याज 10% वार्षिक की कम दर पर रखा जाता है।

2. छोटे एवं सीमांतिक किसानों द्वारा लिए गए 7500/- रुपए तक के किसी निवेश ऋण की ब्याज दर केवल 10% वार्षिक है।

3. छोटे एवं सीमांतिक किसानों द्वारा लिए गए फसल ऋणों के मामले में नामे डाला जाने वाला ब्याज मूलधन से अधिक नहीं होगा।

4. 10,000/- रुपए तक ऋणों के लिए तीसरी पार्टी की गारंटी अथवा सपार्श्विक प्रतिभूति पर जोर नहीं दिया जाएगा।

5. कृषि क्षेत्र में चालू देयराशियों पर ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज में नहीं बदला जाएगा।

6. ग्रामीण शाखा प्रबंधकों को मंजूरी की समुचित शक्तियां प्रत्यायोजित करना ताकि अधिकांश ऋण आवेदन शाखा स्तर पर ही मंजूर कर दिए जायें।

बिहार में गरीबों को ऋण

6032. **श्री ललित उरांव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में गुमला, लोहारदग्गा, रांची, पलामू और समस्तीपुर स्थित राष्ट्रीय बैंकों की विभिन्न शाखाओं द्वारा क्रमश: गरीबी रेखा से नीचे और उससे ऊपर जीवन यापन करने वाले कितने व्यक्तियों को ऋण मंजूर किए गए हैं;

(ख) इस अवधि के दौरान कितने व्यक्तियों को जीप, ट्रक, आटोरिक्शा और ट्रैक्टर खरीदने तथा लघु उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण मंजूर किए गए;

(ग) इन बैंक शाखाओं में कितने ऋण आवेदनपत्र एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित पड़े हैं;

(घ) उनमें से कितने आवेदनपत्र जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा स्वीकृति के लिए भेजे गए हैं; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इन बैंकों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के कितने आवेदकों को ऋण प्रदान किये गये और उनके कितने आवेदनपत्र अभी भी लम्बित पड़े हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण

[अनुवाद]

6033. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वस्त्र उद्योग आधुनिकीकरण निधि में से विभिन्न कपड़ा मिलों को गत तीन वर्षों में, वर्ष-वार, कितनी धनराशि स्वीकृत की गई;

(ख) क्या सरकार ने इन मिलों द्वारा आधुनिकीकरण कार्यक्रम पर व्यय की गई राशि तथा इन मिलों के एककों का आधुनिकीकरण किये जाने के बाद उनके कार्यकुशलता सम्बन्धी कोई आकलन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) :

(क)	वर्ष	स्वीकृत राशि (करोड़ रु०)
	1988-89	114
	1989-90	320
	1990-91	273

(ख) और (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने वर्ष 1989 के उत्तरार्द्ध में किसी समय वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त ऐसे एककों का अध्ययन किया था जिन्होंने आधुनिकीकरण योजना क्रियान्वित की थी। इनमें से अधिकांश कताई एकक थे। मिश्रित एककों के मामले में भी मुख्यतः कताई विभागों को सुदृढ़ बनाने पर बल दिया गया था। आधुनिकीकरण के कारण मशीन और श्रमिकों की समग्र उत्पादकता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, अपशिष्ट में कमी हुई है, बेहतर कीमत वसूली तथा लाभप्रदता प्राप्त हुई है, इसके अलावा आधुनिकीकरण से इस कताई और मिश्रित दोनों प्रकार के एककों को अपनी निर्यात क्षमता बढ़ाने में भी मदद मिली है।

इन्डियन ओवरसीज बैंक द्वारा खाड़ी देशों को जाने वाले लोगों को ऋण देने सम्बन्धी योजना

6034. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डियन ओवरसीज बैंक ने खाड़ी देशों को जाने वाले लोगों के लिए एक ऋण योजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत कौन-कौनसी शर्तें निर्धारित की गई है;

(ग) क्या यह योजना इन्डियन ओवरसीज बैंक की प्रत्येक शाखा में लागू की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन्डियन ओवरसीज बैंक की सभी शाखाओं में इस योजना को लागू करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) इण्डियन ओवरसीज बैंक के अनुसार, खाड़ी क्षेत्र में जाने वाले लोगों के यात्रा व्यय को पूरा करने के लिये, ऋण मंजूरी की उनीन एकयोजना है। इस योजना के अन्तर्गत वैध पासपोर्ट वीसा/अनापत्ति प्रमाण-पत्र धारक तथा सुनिश्चित रोजगार के प्रस्ताव वाले भारतीय राष्ट्रिक 18% प्रति वर्ष की न्यूनतम ब्याज दर पर अधिक से अधिक एक रुपए तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिसे ब्याज सहित 20 मासिक किस्तों में वापस करना 10,000 है। इस प्रकार का ऋण दो व्यक्तियों की गारंटी पर दिया जाता है। वर्तमान में, इंडियन होता,वरसीज बैंक इस योजना को केवल केरल की शाखाओं में कार्यान्वित कर रहा है।

उड़ीसा में चाय बागान लगाना

6035. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में किन-किन क्षेत्रों/जिलों में चाय बागान लगाने का कार्य आरम्भ किया गया है;

(ख) क्या इस राज्य के कुछ अन्य वन क्षेत्रों तथा जनजातीय जिलों की जलवायु सम्बन्धी परिस्थितियां भी चाय बागान के लिए उपयुक्त हैं;

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा में चाय बागानों के क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या उड़ीसा के गंजम जिले में महेन्द्रगिरि तथा अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में चाय की खेती की संभावना का पता लगाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) उड़ीसा राज्य के क्योंझर जिले में स्थित भुयनपीढ़ चाय बागान में चाय रोपण शुरु कर दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रारम्भिक रिपोर्टों से पता चलता है कि कालाहांडी जिले की थुआमुल रामपुर तहसील और फूलबनी जिले के दरागबडी क्षेत्र की लगभग 2800 हेक्टेयुर जमीन चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। इस क्षेत्र में चाय पौध उगाने के प्रथम प्रयास के रूप में चाय नर्सरियां स्थापित करने के लिए चाय बोर्ड ने 25 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है।

(घ) अभी तक इस क्षेत्र में चाय खेती की सम्भावना का पता नहीं लगाया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं का कार्यनिष्पादन

6036. श्री गोपीनाथ गजपति :

श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के कार्य-निष्पादन की पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार के पास इन केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की पुनरीक्षा और निगरानी रखने के बारे में कोई प्रस्ताव आया था जिनमें ये बैंक शामिल हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजवीर सिंह) (क) और (ख) सरकार सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की निरन्तर आधार पर पुनरीक्षा करती आ रही है। आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने के लिए उन्हें समय-समय पर समुचित निर्देश जारी किए जाते हैं।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के कार्यनिष्पादन की सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है और लोगों की आवश्यकतानुरूप इन योजनाओं को अधिक प्रभावी और अनुकूल बनाने के लिए कदम उठाए जाते हैं।

निर्यातकों को शुल्क पुनः वापसी की धनराशि देना

6037. **श्री ताराचन्द खंडेलवाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पिछले बारह महीनों से निर्यातकों को शुल्क पुनः वापसी की धन-राशि नहीं दे रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह धन-राशि कब तक दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) सरकार पिछले बारह महीनों से पहले ही की तरह निर्यातकों का शुल्क प्रति अदायगी की राशियों का संवितरण करती आ रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सरकारी क्षेत्र शिपयार्डों के पुनरुद्धार का कार्यक्रम

6038. **श्री गुरुदास कामत** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के शिपयार्डों के पुनरुद्धार के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे जहाजरानी उद्योग में अधिक पूंजी बढ़ेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) शिपयार्डों के पुनरुद्धार के लिए सरकार इस समय अनेक उपायों पर विचार कर रही है। इनमें पूंजीगत पुनर्गठन, समुद्रगामी जहाजों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा देय सब्सिडी में वृद्धि, जहाज के देय मूल्य का 50% तक के आयात को कर मुक्त करना, इत्यादि शामिल हैं।

(ग) और (घ) हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों के पुनरुद्धार कार्यक्रम का पोतवहन उद्योग में पूंजी प्राप्त होने पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों की वित्तीय स्थिति पर अवश्य ही इसका लाभप्रद प्रभाव पड़ेगा।

अभ्रक व्यापार निगम का खनिज तथा धातु व्यापार निगम के साथ विलय

6039. **श्री विनोद बिहारी महतो** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभ्रक व्यापार निगम का खनिज तथा धातु व्यापार निगम के साथ विलय कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विलय के पश्चात् अभ्रक व्यापार निगम के सभी कर्मचारियों को खनिज तथा धातु व्यापार के वेतनमान दे दिये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

मोटर दुर्घटना दावे सम्बन्धी न्यायाधिकरण

6040. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 अगस्त, 1991 के इंडियन एक्सप्रेस में 'ट्रिब्यूनल्स कम अन्डर फायर फार टार्डीनस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई अथवा किये जाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) मोटर वाहन अधिनियम की धारा 165 के अनुसार दावा न्यायाधिकरण स्थापित करने तथा उनके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करने की जिम्मेदारी राज्यों सरकारों की है। दावों एवं मामलों के शीघ्र निपटान के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु अध्ययन रिपोर्ट में की गई सिफारिशें राज्य सरकारों तथा राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनियों को भी भेज दी गई है ।

विदेशी मुद्रा में लेन-देन सम्बन्धी कार्य करने हेतु बैंक शुल्क

6041. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या वित्त मन्त्री 26 जुलाई 1991 को अतारांकित प्रश्न संख्या 699 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक "रूल्स आफ फारेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन आफ इण्डिया" शीर्षक वाली पुस्तिका में दर्ज शुल्क दरें ही ले सकते हैं या वे उच्च दरें भी लगा सकते हैं; और

(ख) विदेशी मुद्रा में लेन-देन सम्बन्धी कार्य करने हेतु बैंकों द्वारा उच्च शुल्क दरें लगाये जाने से सम्बन्धित निर्यातकों की शिकायतों का निपटान करने के लिए स्थापित की गई अथवा विद्यमान एजेन्सी का नाम क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि भारत में भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर्स संघ द्वारा लगाये जाने वाले प्रभार जो उनकी पुस्तिका में दर्ज हैं, आवश्यक हैं। प्राधिकृत डीलर, अर्थात् बैंक इसमें निर्धारित प्रभारों के अलावा अन्य प्रभार नहीं ले सकते ।

(ख) निर्यातक, प्राधिकृत डीलरों द्वारा लगाए गये प्रभारों सम्बन्धी शिकायतों को निपटाने के सम्बन्ध में भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर्स संघ, 17वी तल, मेकर टावर्स एफ, कफ परेड, बम्बई-5 से सम्पर्क कर सकते हैं।

चावल सौदे में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन का आरोप

6042. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 अगस्त, 1991 के इंडियन एक्सप्रेस में "मासिव फेरा वायोलेशन इन राइस डील" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के करोड़ों रुपये के कई गम्भीर मामले जिनमें बम्बई के प्रभावी चावल निर्यातकों का एक समूह शामिल है, प्रकाश में आये हैं;

(ग) यदि हां, तो चावल निर्यात सौदे में शामिल निर्यातकों का ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन सम्बन्धी अन्य मामलों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) विदेशी मुद्रा विनियमन के उल्लंघन को उकसाने वाली खामियों का पता लगाकर इन्हें समाप्त करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) रुपया व्यापार व्यवस्थाओं के अन्तर्गत किए गए कतिपय निर्यात मामलों में और ऐसे कुछ मामले जिनमें दुर्लभ मुद्रा क्षेत्र की ओर मोड़ दिए जाने का संदेह है, में छान-बीन आरम्भिक स्तर पर है। इस स्तर पर ब्यौरे को प्रकट करने से छान-बीन पर प्रभाव पड़ेगा।

(घ) प्रवर्तन निदेशालय ने छान-बीन के लिए 22,797 मामले दर्ज किए और 13,012 मामलों में न्याय निर्णयन कार्यवाही आरम्भ की; 1210 मामलों में अभियोजन शुरु किया गया था।

(ङ) प्रवर्तन एजेंसियां अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए सतर्क हैं।

उत्तर प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को ऋण

6043. **श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बेरोजगार युवाओं और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले अन्य लोगों की राज्यवार संख्या कितनी है जिन्हें 1 जनवरी, 1990 से जून, 1991 तक बैंकों द्वारा ऋण दिये गये थे;

(ख) उत्तर प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल और चमोली जिलों में ऐसे लोगों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण लोगों को ऋण नहीं दिए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं; और

(ङ) अगले दो वर्षों में बेरोजगार युवाओं तथा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले अन्य लोगों को शामिल करने के सम्बन्ध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) वाणिज्यिक बैंक उत्तर प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल और चमोली जिलों सहित देश के सभी भागों में उन बेरोजगार युवकों एवं अन्य व्यक्तियों को ऋण प्रदान करते हैं, जो सर्वक्षम योजना के साथ आगे आते हैं। आंकड़ा सूचना प्रणाली से गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले उन बेरोजगार युवकों एवं अन्य व्यक्तियों की संख्या के बारे में जिन्हें ऋण मंजूर किए गए हैं, सूचना प्राप्त नहीं होती।

(ग) और (घ) सितम्बर, 1989 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश (पौड़ी गढ़वाल और चमोली जिलों सहित) में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अन्तर्गत कमजोर वर्गों को दिए गए अग्रिमों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

	खातों की संख्या (लाख में)	शेष बकाया (करोड़ में रुपए)
1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०)	12.50	345.74
2. विभेदी ब्याज दर के हिताधिकारी	2.89	94.04
3. लघु एवं सीमांतिक कृषक आदि	15.70	533.17
4. कारीगर, ग्राम एवं कुटीर उद्योग	2.16	117.19
5. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हिताधिकारी	10.16	392.68
6. शहरी गरीबों के स्वरोजगार कार्यक्रम के हिताधिकारी	1.13	39.94

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण लोगों को ऋण मंजूर न करने के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार के ध्यान में लाई जाने वाली विशिष्ट शिकायत को उपचारात्मक कार्रवाई के वास्ते जांच की जाती है।

(ङ) गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले बेरोजगार युवकों एवं अन्य व्यक्तियों को स्वरोजगार प्रदान करने के प्रयोजन के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, विभेदी ब्याज दर और शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम जैसी योजनाएं हैं। शहरी गरीबों के स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों से प्रत्येक शहरी केन्द्र में 1981 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक 600 की जनसंख्या के लिए कम से कम एक हिताधिकारी को शामिल करने की अपेक्षा की जाती है। विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों से पिछले वर्ष के अन्त की स्थिति के अनुसार उनके कुल अग्रिमों का कम से कम एक प्रतिशत उधार देने की अपेक्षा की जाती है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों से प्रत्येक वर्ष 22.54 लाख परिवारों को शामिल करने की अपेक्षा की जाती है।

शारीरिक दृष्टि से अयोग्य हुए भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन की सुविधाएं

6044. **श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी संख्या में सैनिकों को शारीरिक अयोग्यता के कारण रक्षा सेवाओं से हटा दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो थलसेना, वायुसेना तथा नौसेना से पृथक पृथक, ऐसे कितने-कितने सैनिकों को सेवाकाल में 3 वर्ष के अन्दर 3 से 5 वर्ष के बीच, 5 से 10 वर्ष के बीच और 15 वर्ष तथा इससे अधिक की अवधि के बाद हटाया गया;

(ग) इनमें से कितने व्यक्तियों को पेंशन मिल रही है और कितने व्यक्तियों को नहीं;

(घ) उन्हें पेंशन न देने/मंजूर न करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार सम्बन्धित नीति की पुनरीक्षा करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

आयकर विभाग को प्राप्त शिकायतें

[हिन्दी]

6045. **श्री गोविन्द चन्द मुण्डा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर विभाग को संसद सदस्यों द्वारा वर्ष 1987, 1988 और 1989 के दौरान पूर्वी दिल्ली में रहने वाले लोगों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) कितनी शिकायतों पर कार्रवाई की गई है ;

(ख) कितनी शिकायतों पर अब तक कार्रवाई नहीं की गई है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन शिकायतों पर कार्रवाई कब तक की जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) कैलेण्डर वर्ष 1987, 1988 तथा 1989 के दौरान संसद-सदस्यों की मार्फत दिल्ली महानगर में रहने वाले व्यक्तियों से केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड में प्राप्त हुई ऐसी शिकायतों की कुल संख्या क्रमश: 10, 3 तथा 2 थी, जिसमें आयकर का अपवंचन किए जाने का आरोप लगाया गया था। इन शिकायतों में उन व्यक्तियों द्वारा की गई शिकायतें भी शामिल हैं जो पूर्वी दिल्ली में रहते हैं।

(ख) ऊपर (क) में उल्लिखित सभी शिकायतों पर अपेक्षित कार्यवाही की गई है।

(ग) और (घ) ऊपर भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

पूर्वी दिल्ली के निवासियों द्वारा कर अपवंचन

6046. **श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद सदस्यों से पूर्वी दिल्ली के निवासियों द्वारा कर अपवंचन की वर्ष 1987, 1988 और 1989 के दौरान, प्राप्त कुल शिकायतों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन सभी शिकायतों पर कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और लंबित पड़ी शिकायतों का कब तक निपटान कर दिया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा विश्वविद्यालय विशेष बस सेवायें

[अनुवाद]

6047. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय, बाबा खड़क सिंह मार्ग, मंदिर मार्ग स्थित सरकारी कालोनियों से दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी और दक्षिणी परिसरों को जाने वाले छात्रों के लिए कोई विश्वविद्यालय विशेष बस सेवा नहीं है;

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन स्थानों से विश्वविद्यालय—विशेष बस सेवायें प्रारम्भ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) दिल्ली परिवहन निगम का नियमित बस रूटों का एक नेटवर्क केन्द्रीय सचिवालय और दिल्ली विश्वविद्यालय नार्थ कैम्पस/साउथ कैम्पस के बीच यात्रा सुलभ कराता है। बी०के०एस० मार्ग तथा मंदिर मार्ग स्थित सरकारी कालोनियों के छात्र केन्द्रीय सचिवालय तक दिल्ली परिवहन निगम की बसों में यात्रा कर सकते हैं और आगे की यात्रा के लिए वे बस बदल सकते हैं। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित "यू" विशेष सेवाएं बी०के०एस० मार्ग तथा मंदिर मार्ग स्थित सरकारी कालोनियों में चलती है :

(i) "यू" विशेष सेवाएँ गोल मार्किट से 7.50 बजे पटेल चेस्ट के लिए जाती हैं और इनकी "रिटर्न ट्रिप" 13.30 और 15.20 बजे की हैं।

(ii) "यू" विशेष सेवाएं सदर बाजार, दिल्ली कैंट से 7.20 बजे पटेल चेस्ट के लिए जाती हैं और इनकी "रिटर्न ट्रिप" 15.30 बजे की हैं।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त की अध्यक्षता में एक अपैक्स समन्वय समिति कार्य कर रही है जिसमें अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ छात्र कल्याण से सम्बन्धित डीन, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष एवं महासचिव सदस्य के रूप में शामिल है। इस अपेक्स समिति से, केन्द्रीय सचिवालय, जो एक गैर-रिहायशी क्षेत्र है, अथवा मंदिर मार्ग, बी०के०एस० मार्ग से साउथ दिल्ली कैम्पस के लिए यूनिवर्सिटी विशेष सेवा शुरू करने के सम्बन्ध में कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

लार्सन और टूब्रो के प्रमुख शेयर होल्डर

6048. **प्रो० के०वी० थामस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लार्सन और टूब्रो के प्रमुख शेयर होल्डरों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या रिलायंस उद्योग लिमिटेड ने लार्सन और टूब्रो के शेयर खरीदने की कोशिश की है

और इस प्रकार बम्बई स्टाक एक्सचेंज तथा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार आयोग के साथ किसी समझौते का उल्लंघन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) मैसर्स लार्सन और टूब्रो लिमिटेड के 21 अगस्त, 1991 तक प्रमुख शेयर-होल्डर निम्नलिखित थे :—

1. भारतीय जीवन बीमा निगम
2. तृष्णा इन्वेस्टमेंट एण्ड लीजिंग लिमिटेड
3. भारतीय यूनिट ट्रस्ट
4. न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
5. भारतीय साधारण बीमा निगम
6. ओरियंटल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
7. नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
8. जे०एम० बोल्थ जी०एम०बी०एच०, पश्चिम जर्मनी
9. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
10. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

(ख) और (ग) बम्बई स्टाक एक्सचेंज से स्थिति का पता लगाया गया था जिसने यह बताया है कि बम्बई स्टाक एक्सचेंज के सूचीकरण करार का पूर्व खण्ड 40, जो 21-8-90 तक लागू था, रिलायंस इन्डस्ट्रीज़ लिमिटेड की सहायक कम्पनी तृष्णा इन्वेस्टमेंट एण्ड लीजिंग लिमिटेड द्वारा मैसर्स लार्सन और टूब्रो शेयरों के अर्जन को शासित नहीं करता। उन्होंने आगे यह भी बताया है कि चूंकि 22-8-1990 अर्थात् बम्बई स्टाक एक्सचेंज सूचीकरण करार के खण्ड 40-क और 40-ख लागू होने की तारीख पश्चात् तृष्णा इन्वेस्टमेंट एण्ड लीजिंग लिमिटेड द्वारा लार्सन और टूब्रो के शेयरों का अर्जन नहीं हुआ था, इसलिए सूचीकरण करार के इन प्रावधानों के लागू होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

बम्बई स्टाक एक्सचेंज ने यह भी बताया है कि किसी भी स्तर पर किसी भी बड़े घराने ने मैसर्स लार्सन और टूब्रो लिमिटेड की पूंजी में 25 प्रतिशत से अधिक के इक्विटी शेयरों का अर्जन नहीं किया है, अतः एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 30-ख के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

एज़ीमाला नौसैनिक अकादमी के लिए निधि

6049. **श्री रमेश चेन्निताला :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल स्थित एज़ीमाला नौसैनिक अकादमी के लिये कितनी धनराशि आबंटित की गयी है; और

(ख) इस प्रतिष्ठान को शीघ्र पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) परियोजना के लिए भूमि की जांच, भू-तकनीकी अध्ययन तथा अन्य प्रारम्भिक कार्यों पर अब तक एक करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है तथा इन्हीं कार्यों के लिए चालू वित्त वर्ष (1991-92) के दौरान 2.50 करोड़ रुपये की राशि की और व्यवस्था की गई है। इस सम्बन्ध में मास्टर प्लान/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कार्रवाई चल रही है।

कोचीन शिपयार्ड की ओर करों की बकाया राशि

6050. **श्री रमेश चेन्नितला** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन शिपयार्ड की ओर कर की कितनी राशि बकाया है जो केरल सरकार को जानी है;

(ख) करों का भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इनकी वसूली के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) केरल सरकार ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड पर 11.73 करोड़ रुपये का क्लेम किया है। यह क्लेम कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा पहले से डिलीवर किए गए जहाजों पर लगने वाले बिक्री कर के लिए है।

(ख) और (ग) केरल सरकार द्वारा किए गए अनुरोध के उत्तर में भारत सरकार ने केरल सरकार पर जोर डाला है कि वे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को 10 वर्षों के लिए बिक्री कर के सम्बन्ध में छूट दे दें क्योंकि इस अवधि के दौरान शिपयार्ड की वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है।

अनुकम्पा आधार पर रोजगार देना

[हिन्दी]

6051. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रक्षा विभागों में अनुकम्पा आधार पर रोजगार देने की नीति क्या है;

(ख) अनुकम्पा आधार पर किस तरह के रोजगार दिये जाते हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस आधार पर कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) रक्षा मंत्रालय, इस सम्बन्ध में कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित नीति का अनुसरण करता है। मौजूदा नीति के अनुसार जिन सरकारी कर्मचारियों की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है उनके पुत्र, पुत्री या नजदीकी सम्बन्धी अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के पात्र होते हैं, आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन करना होता है और यदि यह सुनिश्चित हो जाता है कि आश्रित एवं परिवार की स्थिति वास्तव में दयनीय है तो अनुकम्पा के आधार पर नौकरी दे दी जाती है, बशर्ते इसके लिए रिक्त स्थान उपलब्ध हो। समूह "ग" पदों पर इस प्रकार की नियुक्तियां, इस समूह में स्वीकृत पदों के 14.5% तक और समूह "घ" के पदों पर 4.5% तक की जा सकती है। अपवादिक मामलों में इस प्रकार की नियुक्तियों की प्रतिशतता बढ़ाई जा सकती है बशर्ते कुल आरक्षण 50% से अधिक न होता हो।

(ख) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति समूह "ग" में केवल अवर श्रेणी लिपिक, स्टोर कीपर

आदि के पदों पर और समूह "घ" में दफ्तरी, चपरासी, संदेशवाहक, श्रमिक आदि के पदों पर की जाती है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

कोचीन पत्तन में अप्रत्यक्ष धन-भुगतान प्रणाली

[अनुवाद]

6052. प्रो० के० वी० थामस : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन पत्तन में अप्रत्यक्ष धन भुगतान प्रणाली चल रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या इस प्रत्यक्ष धन का भुगतान न होने के कारण हाल ही में कोचीन पत्तन का कार्य बंद रहा था अथवा मंद गति से हुआ था; और

(घ) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितने श्रम दिवसों का नुकसान हुआ था ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) यह सूचित किया गया है कि पत्तन में अप्रत्यक्ष धन भुगतान प्रणाली चल रही है। यह सूचना भी मिली है कि स्टीमर एजेंटों/स्टीवडर्स/प्रयोक्ताओं द्वारा सभी श्रेणियों के कामगारों को भुगतान किया जा रहा था, जिसमें प्रयोक्ताओं द्वारा नियोजित निजी श्रेणियां भी शामिल हैं, ताकि कार्गो हैंडलिंग प्रचालन गति पकड़ सकें। कोचीन पत्तन किसी भी रूप में उक्त अप्रत्यक्ष भुगतान धनराशि से सम्बन्धित नहीं है।

(ख) कोचीन पत्तन न्यास के अध्यक्ष ने चैम्बर्स आफ कामर्स, स्टीमर एजेंट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों और स्टीवडर्स के साथ दिनांक 31-7-91 को एक बैठक आयोजित की थी और इस बैठक में निर्णय लिया गया कि दिनांक 1-8-91 से अप्रत्यक्ष धन भुगतान की अवैध प्रथा को बंद कर दिया जाए। तदनुसार पत्तन प्रबन्ध ने सभी पत्तन और गोदी कामगारों और सम्बन्धित एजेंसियों को आगाह कर दिया कि अप्रत्यक्ष धन प्राप्त करने वालों अथवा इसका भुगतान करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

(ग) अप्रत्यक्ष धन के भुगतान के बन्द होने के कारण बन्द नहीं हुआ है। तथापि पत्तन द्वारा 1-8-91 से अप्रत्यक्ष धन के अवैध भुगतान को बन्द करने सम्बन्धी कारंवाई करने के पश्चात् ब्रेक/बल्क में कंटेनरों और कार्गो हैंडलिंग में स्टफिंग/डिस्टफिंग, लादने/उतारने के औसत उत्पादन/उत्पादकता में काफी कमी हुई है। तत्पश्चात्, उत्पादन में वृद्धि हुई है लेकिन इसे 1-8-91 से पहले के स्तर पर अभी पहुंचना है। उत्पादकता में और सुधार लाने के आशय से पत्तन द्वारा स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

(घ) अप्रत्यक्ष धन के भुगतान के बन्द हो जाने के कारण कार्य बन्द नहीं हुआ है। अतः किसी श्रम-दिन की हानि नहीं हुई है।

अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग निगम की स्थापना

6053. श्री महेश कुमार कनोडिया :

श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों की विदेशों में स्थित विभिन्न शाखाओं का संचालन करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग निगम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों की विदेशों में स्थित वर्तमान शाखाओं के नेटवर्क के लिए अलग से एक नया अन्तर्राष्ट्रीय बैंक स्थापित करने के लिए सरकार ने सिद्धांत रूप से अपनी स्वीकृति दे दी है।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक मामले पर विचार कर रहा है और इस बारे में विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर रहा है।

भारतीय रुई निगम को घाटा

6054. **डा० जी०एल० कनोडिया :**

श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1991 की स्थिति के अनुसार भारतीय कपास निगम का घाटा कुल कितना था;

(ख) इस घाटे के क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय कपास निगम के कार्यक्रम में सुधार लाने तथा घाटे को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) वर्ष 1990-91 के लिए भारतीय कपास निगम के अन्तिम वित्तीय परिणामों के अनुसार 31 मार्च, 1991 तक निगम के संचित घाटे 41.91 करोड़ रु० होने का अनुमान है। चूंकि निगम का वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च होता है इसलिए 30 जून, 1991 तक के संचित घाटों को बता पाना संभव नहीं है।

(ख) वर्ष 1977-78 से 1979-80 और 1981-82 से 1987-88 तक की अवधि के दौरान निगम को बफर स्टाक की व्यवस्था करने के लिए कपास की खरीदारी बढ़ाने, स्टाक को बेचने के समय कपास की कीमतों में गिरावट आने तथा उसके द्वारा परिवहन पर अत्याधिक खर्च करने के कारण घाटे हुए।

(ग) भारतीय कपास निगम के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं : निगम की कपास की वाणिज्यिक खरीदारियों को मिल के मांग पत्रों या उसके रिलीज किए गए निर्यात कोटाओं के अनुरूप बनाना, मांग सूचियों को कम करना, निधियों का तेजी से आवर्तन बैंकों के ऋणों में कटौती आदि। अब निगम लाभ कमा रहा है।

सिंथेटिक और पालिएस्टर यार्न उद्योग के लिए कच्चे माल की सप्लाई

[हिन्दी]

6055. **श्री राम बदन :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सिंथेटिक और पालिएस्टर यार्न उद्योग के विकास के लिए सिंथेटिक और

पालिएस्टर यार्न एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने कच्चे माल की भारी मात्रा में सप्लाई करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण

[अनुवाद]

6056. **श्री गुरुदास कामत :**

श्री साईमन मराण्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रतिपूरक आकस्मिकता वित्त पोषण सुविधा के अन्तर्गत आपात ऋण पर एक समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां तो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दिए जाने वाले आपात ऋण की राशि कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) भारत ने प्रतिपूरक और आकस्मिक वित्तीय सुविधा के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जनवरी, 1991 में 716.9 मिलियन एस०डी०आर० तथा जुलाई, 1991 म 166.18 मिलियन एस०डी०आर० की राशि की निकासी की है।

इस सुविधा के अन्तर्गत और अधिक निकासियों की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है।

अनिवासी भारतीयों द्वारा गठित वित्त कम्पनियां

6057. **प्रो० के०वी० थामस :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "एन०आर०आई० फाउन्डेशन इंडिया" ने सरकार को एक ज्ञापन दिया है जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि अनिवासी भारतीयों को ऐसी वित्तपोषी कम्पनियां स्थापित करने की अनुमति दी जावे जिन्हें पांच वर्ष तक कर-भुगतान से छूट प्राप्त हो; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां। 20 अगस्त, 1991 को इस मंत्रालय में 'एन०आर०आई० फाउन्डेशन इंडिया" से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है।

(ख) पांच वर्ष तक कर-भुगतान छूट सहित वित्तपोषी कम्पनियां स्थापित करने के लिए अनिवासी भारतीयों को अनुमति दिए जाने सम्बन्धी प्रश्न की जांच की जाएगी।

गहरे समुद्र में मत्स्य उद्योग को पुनः स्थापित करना

6058. **श्री के. प्रधानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय नौवहन ऋण और निवेश कम्पनी के तत्वाधान में जनवरी-फरवरी, 1991 में गहरे समुद्र में मत्स्यन उद्योग को पुनः स्थापित करने हेतु एक नई योजना की घोषणा की है;

(ख) क्या उक्त योजना के अन्तर्गत निष्क्रिय पड़ी मत्स्यन नौकाओं की मरम्मत और रूपान्तरण करने के लिए अतिरिक्त ऋण जारी किए जाने थे; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना के कार्यान्वयन में कितनी प्रगति हुई है, उक्त उद्योग के पुनर्स्थापन का ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए अब तक कितनी धनराशि जारी की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां। सरकार ने भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश कम्पनी लिमिटेड, खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय तथा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले उद्योग के परामर्श से अप्रैल, 1991 में भारत में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग के लिए एक संशोधित पुनरुद्धार योजना की घोषणा की थी।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत सरकार/भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश कम्पनी लिमिटेड, पुनरुद्धार कार्यक्रम का लाभ उठाने वाली कम्पनियों को जलयानों की मरम्मत का खर्च पूरा करने के लिए अतिरिक्त ऋण देने के प्रश्न पर विचार करेगी। इस योजना के अन्तर्गत विविध मत्स्यन के लिए मछली पकड़ने के सामान में परिवर्तन करने अथवा उसमें वृद्धि करने के लिए अतिरिक्त ऋण देने का प्रावधान करने के प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा।

(ग) जिन 23 कम्पनियों ने पुनरुद्धार सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए हैं उनमें से 15 कम्पनियों को अनुमोदन दे दिया गया है और प्रलेखन सम्बन्धी औपचारिकताओं पर कार्रवाई की जा रही है।

सेना मुख्यालय में अनुसूचित जातियों/जनजातियों का प्रतिनिधित्व

[हिन्दी]

6059. **श्री राम सागर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना मुख्यालय, नई दिल्ली की "वेट एण्ड ड्राइ" कैंटीन में संवर्ग (ग) तथा (घ) रिक्त पदों को भरते समय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिये बने आरक्षण नियमों का अनुपालन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो वहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने कर्मचारी हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

प्रश्न में उल्लिखित "वेट एण्ड ड्राइ" कैंटीन शब्दों का आशय नहीं समझा गया है। फिर सेना मुख्यालय में यूनिट द्वारा चलाई गई एक कैंटीन है जो कैंटीन स्टोर विभाग के माध्यम से प्र उपभोक्ता वस्तुओं को बेचती है। यह कैंटीन एक रेजिमेंटल/प्राइवेट कैंटीन है जिसका संचालन उस प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है। इस कैंटीन के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। इस प्र

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदों के आरक्षण से सम्बन्धित नियम उन पर लागू नहीं हैं।

तीनों सेना मुख्यालयों और अंतर सेवा संगठनों में सोलह गैर-सांविधिक विभागीय कैंटीनें/टिफिन रूम हैं। केवल सेना मुख्यालय के लिए ही अलग-से कोई कैंटीन नहीं है। इन कैंटीनों का संचालन सम्बन्धित प्रबंध समितियों द्वारा किया जाता है। इन कैंटीनों के कर्मचारियों पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित नियम लागू होते हैं और विभागीय कैंटीन कर्मचारियों के बारे में आरक्षण सम्बन्धी नियम लागू करने के बारे में कोई विशिष्ट आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

केनरा बैंक द्वारा इन्डो-हांगकांग फाइनेंस कम्पनी को अपने अधिकार में लिया जाना

[अनुवाद]

6060. **श्री गुरुदास कामत :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केनरा बैंक का हांगकांग में स्थापित इन्डो-हांगकांग फाइनेंस कम्पनी को अपने अधिकार में लेने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केनरा बैंक का किन शर्तों के अधीन इस कम्पनी को अपने अधिकार में लेने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) यह प्रस्ताव, अनुकूलतम कार्यकुशलता हासिल करने के लिए बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित करने तथा इण्डो-हांगकांग इन्टरनेशनल फाइनेंस लिमिटेड को लागत के हिसाब से अधिक सफल बनाने की दृष्टि से तैयार किया गया है।

(ग) केनरा बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अनुसार, अन्य दो संयुक्त मालिक बैंकों अर्थात् सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया तथा सिंडिकेट बैंक को मुआवजे का भुगतान करके, उक्त कम्पनी के स्वामित्व को अपने अधिकार में ले लेगा।

जनता कपड़े पर राजसहायता

6061. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**

श्री रमेश चन्द्र तोमर : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान और जुलाई, 1991 तक, राज्य सरकारों को जनता कपड़े पर, राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी राजसहायता दी;

(ख) उस एजेंसी का ब्यौरा क्या है जो यह इस बात पर निगाह रखती है कि राजसहायता के लाभ राज्य में बुनकरों/सहकारी समितियों तक भली प्रकार से मिल गए हैं या नहीं;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान इस सबंध में राज्यों से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) राज्यों में जनता कपड़ा योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और योजना की मानिटरिंग करने के लिए सभी जनता कपड़ा क्रियान्वयन राज्यों में राज्य स्तर क्रियान्वयन समितियां

(एस० एल० आई० सी०) गठित की गई हैं जिनके निम्नलिखित सदस्य होंगे :

1. मुख्य सचिव अथवा हथकरघा वस्त्र प्रभारी सचिव—अध्यक्ष ।
2. नागरिक आपूर्ति प्रभारी सचिव ।
3. हथकरघा प्रभारी निदेशक—सदस्य सचिव ।
4. क्रियान्वयन अभिकरणों के मुख्य कार्यकारी ।
5. अनुमोदित विवरण अभिकरणों के प्रतिनिधि; और
6. कोई अन्य उपयुक्त विशेषज्ञ, गैर-सरकारी संगठन, महिला प्रतिनिधि आदि ।

(ग) और (घ) इस योजना के क्रियान्वयन/मानिटरिंग के संबंध में इस योजना के क्रियान्वयन करने वाले किसी भी राज्य से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं ।

विवरण

जनता कपड़ा योजना के अंतर्गत वर्ष 1988-39, 1989 90, 1990-91 और 1 अप्रैल, 1991 से 3 सितम्बर, 1991 के दौरान दी गई राजसहायता का राज्यवार ब्यौरा ।

(लाख रुपयों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	वर्ष के दौरान जारी की गई रासहायता 1988-89	1989-90	1990-91	1991-92 (अप्रैल, 91 से सितम्बर, 91 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	1354.48	1516.42	1767.02	386.50
2.	असम	1131.89	877.80	921.97	255.00
3.	बिहार	179.87	865.27	409.54	11.32
4.	गुजरात	119.21	378.87	404.12	36.81
5.	जम्मू व कश्मीर	—	8.90	—	—
6.	कर्नाटक	806.44	815.37	1053.22	—
7.	केरल	16.36	4.25	0.57	—
8.	मध्य प्रदेश	465.77	505.11	489.32	95.82
9.	महाराष्ट्र	1464 60	1251.98	952.96	594.57
10.	उड़ीसा	727.21	635.60	890.92	—
11.	पंजाब	—	—	8.12	—
12.	राजस्थान	59.75	274.03	279.52	31.16
13.	तमिलनाडु	516.21	1669.14	518.32	282 93

1		2	3	4	5
14.	त्रिपुरा	90.24	87.87	79.58	9.23
15.	उत्तर प्रदेश	1981.13	2621.32	3812.05	619.45
16.	पश्चिमी बंगाल	1087.68	1401.17	1412.77	17.92
17.	पांडिचेरी	5.70	0.93	0.31	—
	कुल :	10006.54	12913.03	13000.31	2340.73

पानीपत में दिल्ली परिवहन निगम की बसों को क्षति

6062. **श्री मदनलाल खुराना** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में हरियाणा में पानीपत में दिल्ली परिवहन निगम की कुछ बसों को जला दिया गया था तथा क्षतिग्रस्त कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली परिवहन निगम को कितनी वित्तीय हानि हुई है;

(घ) क्या दिल्ली परिवहन निगम को हुई क्षति की पूर्ति के लिए इस मामले में हरियाणा सरकार से बातचीत की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) 15-8-91 को हरियाणा में पानीपत में हुए आंदोलन के दौरान अंतरराज्यीय-सेवाओं के अंतर्गत चलने वाली दिल्ली परिवहन निगम की 6 बसों को नुकसान पहुंचा था।

(ग) दिल्ली परिवहन निगम द्वारा कुल 2.55 लाख रु० की वित्तीय हानि का अनुमान लगाया गया है।

(घ) और (ङ) चूंकि नुकसान हरियाणा सरकार द्वारा नहीं पहुंचाया गया था, इसलिए दिल्ली परिवहन निगम को हुए कुल घाटे की प्रतिपूर्ति के संबंध में हरियाणा सरकार को कहने का प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली और हरियाणा के मुर्गी फार्मों द्वारा बीमे के दावे

6063. **डा० सी० एल० कनौजिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और हरियाणा में सामान्य बीमा निगम द्वारा बीमाकृत मुर्गी फार्मों की संख्या कितनी है और प्रत्येक फार्म से अर्जित प्रीमियम का जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(ख) अर्जित प्रीमियम की तुलना में प्रत्येक मुर्गी फार्म द्वारा घाटे के लिए किए गए दावों के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(ग) क्या मुर्गी फार्मों को मुर्गियों के स्वास्थ्य सम्बन्धी झूठे प्रमाण-पत्रों और मुर्गियों के शव परीक्षा संबंधी रिपोर्टों के आधार पर बीमे के दावों के लिए भारी धनराशि का भुगतान किया गया;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में कोई जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं और दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कारंवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

छत्तीसगढ़ क्षेत्र में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करना

6064. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को छत्तीसगढ़ क्षेत्र में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो यह खंड पीठ कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ रायपुर में स्थापित किए जाने के संबंध में जसवंत सिंह आयोग की विनिर्दिष्ट सिफारिशें इस अनुरोध के साथ मध्य प्रदेश सरकार को, भेज दी गई थी कि वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करके अपने विचार/टिप्पणी भेजे। अभी तक वहां से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अतः वह समय बताना संभव नहीं है, जब न्यायपीठ स्थापित कर दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में बैंक नोट मुद्रणालय की स्थापना

[हिन्दी]

6065. **डा० लाल बहादुर रावल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में एक बैंक नोट मुद्रणालय की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में इस समय बैंक नोट मुद्रणालय कहां-कहां स्थित हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) देश में मौजूदा बैंक नोट प्रेस नासिक (महाराष्ट्र) और देवास (मध्य प्रदेश) में स्थित हैं।

उत्तर प्रदेश को कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गई धनराशि

6066. **डा० लाल बहादुर रावल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश को कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के अन्तर्गत कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है और अभी तक वास्तविक रूप से कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ख) शेष राशि कब तक जारी की जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि 31 अगस्त, 1991 की स्थिति के अनुसार कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी बैंक और उत्तर प्रदेश राज्य भूमि विकास बैंक को भारत सरकार के शेयर के लिए अनुदान के रूप में तथा उत्तर प्रदेश सरकार के शेयर के लिए ऋण के रूप में निम्नलिखित राशियां मंजूर और जारी की गई :

31-8-1992 की स्थिति के अनुसार नाबार्ड द्वारा मंजूर और जारी की गई राशि

(रुपए करोड़ में)

	केन्द्र सरकार के 50 प्रतिशत शेयर को दर्शाने वाला अनुदान		राज्य के 50 प्रतिशत के शेयर के लिए नाबार्ड द्वारा दिया गया ऋण	
	मंजूरी	संवितरण	मंजूरी	संवितरण
उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी बैंक	128.16	128.16	128.16	128.16
उत्तर प्रदेश राज्य भूमि विकास बैंक	33.02	33.02	33.02	33.02
जोड़ :	161.18	161.18	161.18	161.18

उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ऋण माफी के रूप में दी गयी रकम की प्रतिपूर्ति के लिए नाबार्ड ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 59.06 करोड़ रुपए मंजूर और 58.81 करोड़ रुपए जारी किए हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण के विरुद्ध शिकायतें

[अनुवाद]

6067. श्री मदन लाल खुराना : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण के बारे में शिकायतों में वृद्धि हुई; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991 के दौरान अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उच्चतम न्यायालय (उच्च न्यायालयों) में न्यायाधीशों के रिक्त पद

[हिन्दी]

6068. श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायालयवार न्यायाधीश के पद कब से रिक्त पड़े हैं और उनके क्या कारण हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) : 3-9-1991 को, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के 3 पद, और देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में स्थायी न्यायाधीशों के 40 पद और अपर न्यायाधीशों के 17 पद रिक्त थे। वे तारीखें, जिनसे उक्त पद रिक्त हैं, संलग्न विवरण में दी गई हैं। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पद भरने के लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है। सिफारिशें शीघ्र भेजने के लिए उन्हें स्मरण कराया गया है। कुछ उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के पदों को भरे जाने के बारे में परामर्श की प्रक्रिया चल रही है। शेष उच्च न्यायालयों की बाबत राज्य प्राधिकारियों की उतनी सिफारिशें भेजने के लिए स्मरण कराया गया है।

विवरण

क्रम० सं०	उच्च न्यायालय	रिक्तपद		तारीख जिनसे ये रिक्त हैं
		स्थान	(अपर)	
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद	5	3	15-10-84 (अ०)
				15-10-84 (अ०)
				7-2-85 (अ०)
				22-2-91 (स्था०)
				30-6-91 (स्था०)
				8-7-91 (स्था०)
				16-7-91 (स्था०)
				5-8-91 (स्था०)
2.	आंध्र प्रदेश	4	2	26-11-82 (अ०)
				29-11-82 (अ०)
				10-07-90 (स्था०)
				22-03-91 (स्था०)
				30-05-91 (स्था०)
				08-08-91 (स्था०)
3.	मुंबई	4	4	29-10-90 (अ०)
				20-11-90 (अ०)
				30-12-90 (अ०)

1	2	3	4	5
				30-12-90 (अ०)
				01-02-91 (स्था०)
				22-02-91 (स्था०)
				25-03-91 (स्था०)
				19-07-91 (स्था०)
4.	कलकत्ता	4	1	01-01-91 (स्था०)
				01-01-91 (स्था०)
				18-03-91 (स्था०)
				25-04-91 (अ०)
				01-07-91 (स्था०)
5.	दिल्ली	2	1	21-07-91 (स्था०)
				05-08-91 (स्था०)
				03-09-91 (अ०)
6.	गुवाहाटी	1	—	22-03-91 (स्था०)
7.	गुजरात	—	—	—
८.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—
9.	जम्मू-कश्मीर	—	—	—
10.	कर्नाटक	2	2	5-6-91 (स्था०)
				2-8-91 (अ०)
				2-8-91 (अ०)
				26-8-91 (स्था०)
11.	केरल	2	—	12-06-61 (स्था०)
				20-08-91 (स्था०)
12.	मध्य प्रदेश	2	4	27-07-90 (अ०)
				27-07-90 (अ०)
				28-12-90 (अ०)
				28-12-90 (अ०)
				11-03-91 (स्था०)
				22-03-01 (स्था०)

1	2	3	4	5 6
13.	मद्रास	3	—	28-04-91 (स्था०)
				28-05-91 (स्था०)
				01-07-01 (स्था०)
14.	उड़ीसा	—	—	—
15.	पटना	5	—	18-12-90 (स्था०)
				01-01-91 (स्था०)
				04-02-91 (स्था०)
				11-02-91 (स्था०)
				02-04-91 (स्था०)
16.	पंजाब-हरियाणा	2	—	01-05-01 (स्था०)
				05-08-91 (स्था०)
17.	राजस्थान	3	—	30-06-90 (स्था०)
				08-10-90 (स्था०)
				28-11-90 (स्था०)
18.	सिक्किम	1	—	05-01-89 (स्था०)
	योग :	40	17	

	रिक्त पदों की सं०	वे तारीखें जिनसे ये रिक्त हैं
उच्चतम न्यायालय	3	25-9-1990
		19-1-1991
		01-3-1991

अफीम की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र

6069. श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में अफीम की खेती के अधीन आने वाले क्षेत्र में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार कितना क्षेत्र कम हुआ है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय अफीम गुणवत्ता में अन्य देशों की अफीम से कम है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यों में फसल वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान अफीम

की खेती का लाइसेन्सशुदा क्षेत्र निम्नलिखित था :

(आंकड़े हेक्टेयर में हैं)

राज्य	1988-89	1989-90	1990-91
मध्य प्रदेश	7112	7102	7067
राजस्थान	4778	4873	4814
उत्तर प्रदेश	3258	2631	2879
जोड़ :	15,748	14,606	14,760

भारत में अफीम का उत्पादन मुख्यत: निर्यातोन्मुखी है। तथापि, हमारे अफीम के निर्यातों पर वैकल्पिक सस्ती सस्ती कच्ची सामग्री अर्थात् पोस्त की पुआल के सांद्रण (सी०पी०एस०) के आविर्भाव के कारण बुरा असर पड़ा है। स्वापक औषध-द्रव्य आयोग और अन्तर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण बोर्ड (संयुक्त राष्ट्र अभिकरण) ने भारत के अफीम के भण्डार के बारे में अपनी चिन्ता प्रकट की है। पिछले करीब एक दशक के दौरान अफीम के बढ़ते भण्डार से उत्पन्न स्थिति का सामना करने और इसके भंडार में होने वाली और अधिक वृद्धि को रोकने के लिए, सरकार द्वारा किए गए उपायों में से एक उपाय पोस्त की खेती के क्षेत्र में उत्तरोत्तर कमी करना था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

जापान से ऋण

6070. **श्री दाउ दयाल जोशी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा जापान सरकार से गत छः महीनों के दौरान प्राप्त किए गए ऋणों का ब्यौरा क्या है और यह ऋण किसलिए लिया गया था; और

(ख) तत्सम्बन्धी शर्तें क्या हैं तथा उसकी ब्याज-दर कितनी है ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) भारत सरकार ने पिछले छः महीनों के दौरान जापान सरकार के साथ निम्न उल्लिखित चार ऋण करारों पर हस्ताक्षर किए हैं :

क्र०सं०	ऋण का नाम/संख्या	हस्ताक्षर की तारीख	ऋण धनराशि (अरब येन)	परिशोधन तथा ब्याज की दर	उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
1.	आपातकालीन वस्तु ऋण (आई०डी०सी०6)	31.5.91	20.256	7 वर्ष की छूट अवधि सहित 18 वर्ष तथा 2.6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज	डीजल आयात के लिए एशियाई विकास बैंक से इतनी धनराशि का सह-वित्तपोषी ऋण।
2.	लघु उद्योग विकास कार्यक्रम (111) (आई०डी०पी० 77)	13-6-91	20.256	10 वर्ष की छूट अवधि सहित 20 वर्ष तथा 2.6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज	एस०आई०डी०बी०आई० को ऋण लाइन के जरिए लघु उद्योगों का वित्त-पोषण करना।
2.	अंपरा विद्युत संप्रेषण प्रणाली परि-योजना (1)(आई०डी०पी० 65)	13-6-91	19.318	10 वर्ष की छूट अवधि सहित 20 वर्ष तथा 2.5 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज	अंपरा तापीय विद्युत केन्द्र से विद्युत निकासी के लिए संप्रेषण प्रणाली का सर्जन।
4.	कर्नाटक, राज्य वृहत् भूमि उपयोग प्रबंध परियोजना (आई०डी०पी० 67)	13-6-91	16.050	—यथोक्त—	पर्यावरणीय संरक्षण उत्पादकता वृद्धि तथा रहन-सहन के स्तर में सुधार के उद्देश्य के लिए।

पंजाब, जम्मू और कश्मीर तथा असम में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं में व्यापार

[अनुवाद]

6071. **श्री सी॰पी॰ मुदाल गिरियप्पा :**

श्री सी॰ श्रीनिवासन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, जम्मू, और कश्मीर और असम में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं के व्यापार में काफी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन राज्यों में बैंकों के व्यापार में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री दलबीर सिंह : (क) और (ख) दिसम्बर, 1988, दिसम्बर, 1989 और दिसम्बर, 1990 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार अखिल भारत के साथ-साथ पंजाब, जम्मू और कश्मीर तथा असम में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के जमा और ऋण के आंकड़े नीचे दिए गये हैं :

(रुपये करोड़ में)

के अंत की स्थिति के अनुसार	जमा	जमा में प्रतिशत वृद्धि	ऋण	ऋण जमा अनुपात
पंजाब				
दिसम्बर 1988	7539	—	3094	41.0
दिसम्बर 1989	8226	9.10%	3659	44.4
दिसम्बर 1990	9376	13.98%	4088	43.6
जम्मू और कश्मीर				
दिसम्बर 1988	715	—	229	32.0
दिसम्बर 1989	793	10.87%	258	32.5
दिसम्बर 1990	833	5.11%	267	32.0
असम				
दिसम्बर 1988	1483	—	794	53.5
दिसम्बर 1989	1639	10.50%	885	54.0
दिसम्बर 1990	1882	14.80%	976	51.8
अखिल भारत				
दिसम्बर 1988	127069	—	76204	59.9
दिसम्बर 1989	143276	12.75%	90035	62.8
दिसम्बर 1990	161943	13.02%	104536	64.6

यह देखा जा सकता है कि यद्यपि पंजाब, जम्मू और कश्मीर तथा असम में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं में जमा रकमों में वृद्धि हुई है, तथापि, पंजाब और असम में जमा रकमों की

वृद्धि दर में नाममात्र की कमी आई है, जबकि जम्मू और कश्मीर में इसमें काफी गिरावट आई है। इन तीन राज्यों में ऋण-जमा अनुपात में भी नाममात्र की कमी हुई है ।

उपर्युक्त राज्यों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जमा रकमों की वृद्धि दर और कारोबार में गिरावट मुख्यतः वर्तमान कानून और व्यवस्था की समस्याओं के कारण है ।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों के ग्राहकों/उधारकर्ताओं को कतिपय रियायतें देने का परामर्श दिया है, जो इस प्रकार है—गुणा व गुण के आधार पर अतिरिक्त सीमाओं की मंजूरी, मालसूची तथा प्राप्तियों के वर्तमान मानदण्डों में ढील सहित अग्रिमों की मंजूरी की शर्तों में ढील, उदार ऋणों/साख-पत्र लिमिट पर विचार, कुल मिलाकर अनुज्ञेय बैंक वित्त के अन्तर्गत उधारकर्ताओं को उच्च बिल भुनाई की सीमा की इजाजत देना, सामान्यतया 10% से अनधिक के बिलों पर मार्जिन सुनिश्चित करना आदि। ये रियायतें मार्च 1992 तक लागू रहेंगी।

सी० एस० डी० कैंटीनें

6072. **श्री सीपी मुदाल गिरियप्पा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या जवानों और दूसरे रैंकों के अधिकारियों को सी०एस०डी० कैंटीनों से समुचित वस्तुएं नहीं मिल पाती हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) कैंटीन स्टोर्स डिपों में वर्तमान प्रबन्धन-व्यवस्था को व्यापक करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संगठन में बाहर के व्यवसायिक प्रबन्धन विशेषज्ञों को लाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) कैंटीन स्टोर विभाग द्वारा खरीदे गये सामान की सभी मदें यूनिट द्वारा चलाई जा रही कैंटीनों के माध्यम से, सभी पात्र कार्मिकों को उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके लिए रैंक या किसी अन्य प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। जिन मदों की मांग अधिक होती है उन सबको यहां उपलब्ध किया जाता है।

(ग) से (च) कैंटीन स्टोर विभाग में कुशल तथा व्यवसायिक दृष्टि से अर्हता प्राप्त कर्मचारियों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है। कार्मिकों को अत्याधुनिक प्रबन्ध तकनीकी से अवगत कराए जाने के लिए, उन्हें समय-समय पर व्यावसायिक प्रबन्ध प्रशिक्षण, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों तथा कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भेजा जाता है। विशिष्ट समस्याओं को हल करने के उपाय सुझाने के लिए समय-समय पर व्यावसायिक परामर्शदाताओं की सेवायें भी ली जाती हैं। इन परामर्शदाताओं की सिफारिशों को कैंटीन सेवा को कार्यकारी समिति/नियन्त्रण बोर्ड के अनुमोदन के बाद लागू किया जाता है।

विशेष अनुमति हेतु सेवा मामलों से संबंधित उच्चतम न्यायालय में लंबित याचिकाएं

6073. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) सेवा मामलों से सम्बन्धित कितनी याचिकाएं विशेष अनुमति हेतु न्यायालय में लंबित हैं; और

(ख) इन याचिकाओं को शीघ्रताशीघ्र निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) तारीख 3 सितम्बर, 1991 को उच्चतम न्यायालय में सेवा मामलों से संबंधित 4199 विशेष इजाजत अर्जियां लंबित थीं ।

(ख) सेवा मामलों से सम्बन्धित विशेष इजाजत अर्जियां ग्रहण सम्बन्धी मामलों की तरह सामान्यतया न्यायालय के समक्ष कालानुक्रमानुसार उसी प्रकार सूचीबद्ध की जाती हैं, जिस क्रम में उन्हें रजिस्टर किया गया है । इनमें ऐसी अर्जियां सम्मिलित नहीं हैं जिनकी तत्काल सुनवाई के लिए काउंसेल/पक्षकार द्वारा अनुरोध किया जाता है और जिनमें तद्‌विषयक निदेश दिया जाता है ।

दिल्ली में वाहनों द्वारा प्रदूषण

6074. डा० सी सिलवेरा : या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के परिवहन विभाग ने दिल्ली में वाहनों से पैदा होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए नई नीति तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा बनाई गई नीति के अनुसार वाहन मालिकों/ट्रकों, बसों और आटो-रिक्शा के प्रचालकों को वाहन प्रदूषण नियंत्रित करने में प्रशासन की सहायता करने में प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जाएगा । प्रवेश स्थान पर, ट्रकों और बसों के दिल्ली में प्रवेश करते समय ऐसी सुविधाएं सुलभ कराई जाएंगी कि वे इस बात की जांच कर सकें कि क्या वाहन प्रदूषण सीमाओं के अन्दर हैं और यदि यह नहीं है तो ड्राइवर को तत्काल कमी दूर करने की सलाह दी जाएगी । प्रवेश स्थान पर वाहनों की जांच करने के लिए सुविधाएं सुलभ कराने हेतु कार्रवाई की जा रही है । इसके अलावा, प्रदूषण कम करने और माइलेज बढ़ाने तथा ईंधन में किफायत के लिए रख-रखाव सम्बन्धी तकनीक के बारे में वाहन मालिकों/ड्राइवरों को शिक्षित किया जाएगा । बेड़ा मालिकों, विभिन्न यूनियनों के सदस्यों और अलग-अलग वाहन मालिकों के साथ सेमिनार, जागरूकता शिविर और विचार-विमर्श आयोजित किए जाने का भी प्रस्ताव है ।

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा नोएडा और रामकृष्ण पुरम् के बीच ग्रीन सर्विस चलाया जाना

6075. डा० सी० सिलवेरा : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम ने नोएडा और रामकृष्ण पुरम् के बीच हाल में ग्रीन सर्विस शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बालिगों और नाबालिगों सहित सभी यात्रियों से समान किराया लिया जाता है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस प्रकार की ग्रीन सर्विस को निकट भविष्य में दिल्ली के अन्य भागों में भी शुरू करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) जी, हां। नौएडा सेक्टर 37 और आर० के० पुरम-1 के बीच प्रयोग के तौर पर 35/70 मिनट के अन्तराल पर ग्रीन लाइन सेवा शुरू की गई है जिसमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को छोड़कर सभी यात्रियों से समान किराया लिया जाता है।

(घ) ये सेवाएं शुरू करने का उद्देश्य, चार्टर्ड बसों, आटो रिक्शाओं, टैक्सियों आदि का प्रयोग करने वाले यात्रियों के लिए सामान्य किराये से अधिक किराये पर तीव्र और आरामदायक सेवा उपलब्ध कराना है।

(ङ) और (च) ग्रीन लाइन सेवा को जारी रखना अथवा अन्य क्षेत्रों में इसका विस्तार करना प्रायोगिक तौर पर शुरू की गई सेवाओं के सफल प्रचालन पर निर्भर करेगा।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कर्मचारी संघों को प्रदान की गई सुविधाएं

6076. **डा० पी० वल्लल पेरुमन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निदेश दिए हैं कि वे अपने यहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघों को कार्यालय हेतु स्थान तथा पैसे काटने की सुविधा (चेक आफ फैसीलिटी) इत्यादि जैसी अन्य सुविधाएं प्रदान करें;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सिंडीकेट बैंक ने सरकार की अनुमति के बिना ही सिंडीकेट बैंक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ (पंजीकृत), नई दिल्ली तथा इसके प्रतिनिधियों को पहले ही सुसज्जित कार्यालय तथा अन्य सुविधाएं प्रदान कर रखी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सिंडीकेट बैंक ने इस प्रकार की सुविधाएं अखिल भारतीय सिंडीकेट बैंक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ (पंजीकृत) नई दिल्ली तथा इसके प्रतिनिधियों को भी प्रदान की हैं;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) ऐसे अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के नाम क्या हैं जिन्होंने ऐसी सुविधाएं अपने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघों को दे रखी हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) सिंडीकेट बैंक ने सूचित किया है कि उसने अपनी दिल्ली की एक शाखा में काम में न आने वाले एक स्थान को सिंडीकेट बैंक अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी संघ (रजि०)

को इसके कल्याणकारी कार्यकलापों के लिए उपलब्ध कराया है। इस प्रयोजन के लिए बैंक द्वारा कोई अलग से परिसर किराये पर नहीं लिया गया है।

(ङ) और (च) बैंक ने आगे बताया है कि उसने अखिल भारत सिंडीकेट बैंक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण संघ (रजि०) को इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई है क्योंकि यह अल्प संख्या में है।

(छ) पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक आफ इण्डिया, इण्डियन बैंक तथा इण्डियन ओवरसीज बैंक ने अपने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ के सदस्यों के वेतन से सदस्यता शुल्क काटने की सुविधा को अनुमति दी है। यूको बैंक तथा बैंक आफ महाराष्ट्र ने अपने अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ को कार्यालय स्थान उपलब्ध कराया है तथा इलाहाबाद बैंक ने अपने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ को पैसे काटने की सुविधा (चैक आफ फंसलिटी) के साथ-साथ कार्यालय स्थान उपलब्ध कराया है।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, की लखनऊ इकाई में घटिया पुर्जे उपयोग में लगाए जाने के विरुद्ध शिकायतें

[हिन्दी]

6077. **श्री शिवचरण वर्मा :**

श्री मृत्युंजय नायक : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड की लखनऊ इकाई में घटिया पुर्जों के उपयोग के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं तथा दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री श्री शरद पवार : (क) जी, हां;

(ख) से (घ) इस सम्बन्ध में हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने जांच कराई थी, जिसमें इसे प्रणाली की कमी का मामला पाया गया और इसके लिए किसी विशिष्ट अधिकारी को उत्तरदायी नहीं पाया गया है। कम्पनी ने इस सम्बन्ध में सुधार के लिए उचित कार्यवाही आरम्भ कर दी है।

रक्षा सेवाओं के लिए चयन

[अनुवाद]

6078. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुसेना, जलसेना और थलसेना में चयन के लिए अधिकारी एस०एस०एल०सी० परीक्षा में न्यूनतम 70 प्रतिशत प्राप्तांकों के लिए जोर दे रहे हैं जबकि इस समय तक इनमें क्रमश: 60 प्रतिशत, 50 प्रतिशत और 45 प्रतिशत प्राप्तांकों पर चयन किया जाता है जैसाकि तिरुअनन्तपुरम,

कोलम और एलप्पी जिलों के उम्मीदवारों के चयन के लिए मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं जबकि दूसरे जिलों के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत बहुत कम निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन सेवाओं में चयन के लिए समान मानदण्ड निर्धारित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) रक्षा सेनाओं की सामान्य/गैर-तकनीकी ट्रेडों में भर्ती के लिए अभ्यावेदन करने के लिए एस०एस०एल०सी०/हाईस्कूल परीक्षा में अपेक्षित न्यूनतम अर्हक अंक पूरे देश में एक समान हैं जिसका ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है :

(1) थल सेना में सिपाही (सामान्य ड्यूटी)—पास प्रतिशत

(2) नौसेना के दसवीं पास सीधी भर्ती नौसैनिक-55% (तथापि नौसेना कार्मिकों के लड़कों/भाईयों के लिए अर्हक अंक 45 प्रतिशत हैं)

(3) वायुसेना में वायु सैनिक (गैर-तकनीकी)—45 प्रतिशत

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस मापदण्ड का पूरे देश में समान रूप से पालन किया जाता है ।

मैसर्स आई०टी०सी० लिमिटेड, मुंगेर से प्राप्त आबकारी शुल्क

[हिन्दी]

6079. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने आई०टी०सी० लिमिटेड, मुंगेर से आबकारी शुल्क के रूप में कितना केन्द्रीय राजस्व प्राप्त किया;

(ख) क्या एक शहर से प्राप्त राजस्व का दस प्रतिशत इसके विकास पर खर्च किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो मुंगेर शहर पर यह राशि खर्च न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान मैसर्स आई०टी०सी० लिमिटेड, मुंगेर, बिहार से केन्द्रीय सरकार को प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की राशि इस प्रकार है :

1988-89	144.64 करोड़ रु०
1989 90	195.96 करोड़ रु०
1990-91	243.20 करोड़ रु०

(ख) और (ग) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि किसी शहर से प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की 10 प्रतिशत राशि को उसके विकास पर खर्च किया जाए ।

गाजीपुर एफिम और अलकालायड वर्क्स द्वारा आयातित मशीन का उपयोग

6080. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजीपुर एफिम और अलकालायड वर्क्स में अनुसंधान कार्य के लिए वर्ष 1989 90

के दौरान करोड़ों रुपये मूल्य की मशीनों का आयात किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त मशीनें स्थापित कर दी गई हैं तथा इनका उपयोग किया जा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ङ) जी, नहीं। सरकारी अफीम एवं अल्कालायड वर्क्स उपक्रम, गाजीपुर ने वर्ष 1989-90 के दौरान अनुसंधान कार्य के लिए 10 करोड़ रुपये के मूल्य की मशीनें आयात नहीं की हैं। तथापि, वर्ष 1985 में गाजीपुर स्थित उपक्रम के अल्कालायड संयंत्र के लिए 52.90 लाख रुपये के मूल्य के पांच उपस्कर आयात किए गये थे। इनमें से एक उपस्कर, नामशः हाई परफारमैन्स लिक्विड क्रोमाटोग्राफ को प्रयोग में लाया जा रहा है। जहां तक शेष चार उपस्करों का सम्बन्ध है, इन उपस्करों के दूसरे सेट को, जिन्हें नीमच स्थित अल्कालायड संयंत्र के लिए उसी समय आयात किया गया था, अभी परीक्षण आधार पर चलाया जा रहा है नीमच स्थित सयंत्र में उपस्करों के सफलतापूर्वक परीक्षण के पश्चात् गाजीपुर स्थित संयन्त्र के लिए आयात किए गए उपस्करों को उपयोग में लाया जाएगा।

"ओस्लर्स फार्मा लिमिटेड" के विरुद्ध की गई जांच

[अनुवाद]

6081. **डा० रामचंद्र डोम** :

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

श्री सुदर्शन राय चौधरी :

श्री राजवीर सिंह :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने तमिलनाडु स्थित जीवन-रक्षक औषधियां बनाने वाली कम्पनी "ओस्लर्स फार्मा लिमिटेड" के विरुद्ध जांच के आदेश दिए थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इस कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाई की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन, कुमारमंगलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सम्बन्धित अनुचित व्यापार प्रथा जांच (संख्या 1989 का 31) 15-1-1992 को आयोग के समक्ष आनी है। ऐसे मामलों में एम०आर०टी०पी० आयोग को, एक न्यायिककल्प निकाय होने के नाते, एम०आर०टी०पी० अधिनियम, 1969 के उपबन्धों के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई करने की शक्तियां प्राप्त हैं।

सैन्य बलों द्वारा मानवाधिकारों का कथित उल्लंघन तथा शक्ति का दुरुपयोग

6082. डा० एस० पी० यादव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में सैन्य बलों द्वारा मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन तथा शक्ति के दुरुपयोग के बारे में, जिसमें मनमाने ढंग से कैद करना, यातना देना और हत्या करना शामिल है, निरन्तर आरोप लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन आरोपों की जांच करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) इसके क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं; और

(घ) दोषी कार्मिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (घ) 1990 के अन्त में चलाई गई बजरंग संक्रिया के दौरान सेना द्वारा कथित रूप से किए गए अत्याचारों के बारे में हाल में असम को छोड़कर शेष उत्तर-पूर्वी राज्यों की कोई शिकायत नहीं है। असम से सम्बन्धित आरोपों की पूरी तरह जांच की गई हैं और इनमें से अधिकतर आरोप निराधार तथा उत्प्रेरित पाए गए हैं। सेना द्वारा नियमों तथा कार्य विधियों का जहां थोड़ा-सा भी उल्लंघन किए जाने की बात सामने आई है वहां दोषी कार्मिकों के खिलाफ सख्त कारंवाई की गई है। सेना द्वारा अत्याचार किए जाने के आरोपों के बारे में गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा निपटाई गई 295 रिट याचिकाओं में से 291 के निर्णय सरकार के पक्ष में गए हैं।

भारतीय सेना देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत और व्यावसायिक रूप से कुशल है। अपनी उच्च परम्परा के अनुरूप उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में अपने बहुत ही कठिन दायित्व को निभा रही है।

देश में स्वापक औषधियों के गिरोह

[हिन्दी]

6083. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार स्वापक औषधियों के कितने गिरोह पकड़े गए, उनसे बरामद स्वापक औषधियों का ब्यौरा क्या है और उनकी अनुमानित कीमत कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने स्वापक औषधियों के व्यापार को रोकने के लिए नियुक्त अधिकारियों की इन गिरोहों के साथ मिलीभगत की संभावना का पता लगाने का प्रयास किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) गत तीन वर्षों में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों और जब्त की गई स्वापक औषधियों का विवरण संलग्न है। चूंकि पकड़े गए सभी नशीले पदार्थों को जब्त किया जाता है और नष्ट किया जाता है तथा कानून भी मुकदमा चलाए जाने से पूर्व इनके नष्ट होने की इजाजत देता है, अतः पकड़े गए नशीले पदार्थों का मूल्यांकन नहीं किया जाता।

(ख) से (घ) सरकार इस बारे में सतर्क है तथा ऐसी मिलीभगत के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। ऐसे अपराधों को रोकने, पता लगाने तथा सजा देने के लिए सम्बन्धित विभाग तथा संगठन, केन्द्र और राज्य तथा इन विभिन्न संगठनों के प्रत्येक रैंक के सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों पर निगरानी रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं।

विवरण

वर्ष 1988-1989 तथा 1990 के दौरान गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या और पकड़े गए नशीले पदार्थों की मात्रा का राज्यवार ब्यौरा।

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	पकड़े गए नशीले पदार्थों की मात्रा (कि०ग्रा०)				
			अफीम	हेरोइन	गांजा	हशीश	मैथाक्यालीन
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	702	49.970	2.254	6197.00	—	—
2.	अंडमान-निकोबार द्वीप	9	—	—	9.00	00.018	—
3.	असम	97	103.25	3.189	4162.275	—	—
4.	बिहार	205	4.3	26.315	46892.66	2287.350	—
5.	दिल्ली	956	649.027	517.721	764.991	4876.55	40.00
6.	गुजरात	129	167.6	64.93	322.478	160.99	—
7.	केरल	727	30.335	94.44	4448.903	2337.003	—
8.	मिजोरम	164	1.75	7.154	160.066	—	
9.	नागालैंड	87	00.003	6.003	1551.00	—	—
10.	उड़ीसा	117	0.859	1.009	1402.403	9.35	—

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	पंजाब	265	1637.15	2409.095	25.00	645.52	0.300
12.	राजस्थान	218	1263.74	1255.114	64.227	4457.13	252 गोलियां +0 100
13.	तमिलनाडु	2962	157.605	191.604	34126.8	4.003	—
14.	उत्तर प्रदेश	2192	510.73	56.896	1970.915	1665.682	—
15.	पश्चिम बंगाल	343	136.64	37.865	8196.4	43.28	00.200
16.	जम्मू और कश्मीर	83	27.105	13.80	51.0	257.915	—
17.	कर्नाटक	254	23.5	26.3	233.6	0.234	00.480
18.	हरियाणा	512	196.45	3.002	86.06	140.656	—
19.	हिमाचल प्रदेश	172	35.809	0.015	—	128.613	—
20.	मध्य प्रदेश	274	3511.262	26.151	195.233	86.425	221.00
21.	महाराष्ट्र	1461	158.391	2968.65	2677.604	4422.312	4366 614
22.	मणिपुर	474	3.00	21.086	15889.5	—	3
23.	मेघालय	607	—	6.803	886.2	20.0	—
24	अरुणाचल प्रदेश	4	—	—	8808.0	—	—
25	चंडीगढ़	39	22.00	32.017	—	14.0	—
26.	दादर व नागर हवेली	—	—	—	—	—	—
	दमन और दीव	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	गोवा	72	1.066	0.014	4.116	9.051	—
29.	पांडीचेरी	6	—	0.031	0.026	—	—
30.	त्रिपुरा	2	—	3.0	—	—	—
31.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—
32.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—
	कुल :	13133	8691.542	7898.658	139125.457	17577.122	4631.694 + 252 गोलियां

कपड़े के आयात के लिए आदान-उत्पादन सम्बन्धी मापदंड

[अनुवाद]

6084. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कपड़े के आयात के लिए आदान-उत्पादन सम्बन्धी-मान दंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कपड़े के आयात के लिए आदान-उत्पादन सम्बन्धी मापदंडों को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जाएगा ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) सिले सिलाए परिधानों के निर्यातों के आधार पर फैब्रिकों के आयात के लिए इनपुट और आउटपुट के मानदण्ड आयात-निर्यात नीति के परिशिष्ट 13 "ग" के अंतर्गत पहले से ही निर्धारित हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

काले धन में वृद्धि को रोकने के लिए करों के ढांचे की जांच के लिए समिति

6085. श्री काशीराम राणा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार काले धन में वृद्धि को रोकने हेतु करों के ढांचे की जांच के लिए एक समिति गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों की संरचना की जांच करने के लिए तथा अन्य बातों के साथ-साथ कर-प्रणाली को अपेक्षाकृत अधिक लचीली एवं व्यापक आधार वाली बनाने के निमित्त सिफारिशें करने हेतु और इसके अलावा मौजूदा कानूनों एवं विनियमों के बेहतर ढंग से प्रवर्त्तन एवं अनुपालन को सुविधाजनक बनाने के लिए उन्हें सरल बनाने हेतु अपेक्षितउपायों के बारे में सुझाव देने के लिए सरकार ने दिनांक 29 अगस्त 1991 को एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। कर-कानूनों का बेहतर ढंग से प्रवर्त्तन करने तथा उनका बेहतर ढंग से अनुपालन करने से अवैध धन की उत्पत्ति की रोकथाम करना संभव हो सकेगा।

(ग) ऊपर भाग (क) तथा (ख) में उल्लिखित उत्तर को देखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

सार्वजनिक क्षेत्र में स्वर्ण बैंक स्थापित करना

[अनुवाद]

6086. श्री मोहन रावले :

श्रीमती सुमित्रा महाजन :

डा० सी० सिलवेरा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र में स्वर्ण बैंक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार का स्वर्ण बैंक के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी, 1991 में एक पत्र के माध्यम से भारत सरकार को एक स्वर्ण बैंक की स्थापना करने के विचार के बारे में अवगत कराया।

(ख) इन विचारों की जांच करने तथा जांच को ध्यान में रखते हुए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के निर्णय के पश्चात् ही इसके ब्यौरे तैयार किये जायेंगे।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) को देखते हुए ऐसे बैंक के कितने समय में तैयार हो जाने की संभावना है, यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

व्यापार नीति में सुधार करने के लिये उच्च स्तरीय समिति

6087. **श्री मृत्युंजय नायक :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने व्यापार नीति में सुधार करने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति को किन बातों का अध्ययन करने का दायित्व सौंपा गया था;

(ग) क्या समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत कर दिये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ङ) जी, हां। वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में व्यापार नीति से सम्बन्धित एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति के विचारार्थ विषयों की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है। समिति को अपनी रिपोर्ट 30-6-1992 तक प्रस्तुत करनी है।

विवरण

व्यापार नीति से सम्बन्धित उच्च-स्तरीय समिति के विचारार्थ विषय :

(1) हाल की व्यापार नीति और औद्योगिक नीति में परिवर्तनों के शुरू होने के बाद पूंजीगत वस्तुओं और कच्चा माल/इंटरमीडिएटस/संघटकों पर लाइसेंसिंग नियंत्रण के स्वरूप और सीमा की समीक्षा करना और इन प्रतिबन्धों के होते हुए आयात के मूल्य को निर्धारित करना। इस समीक्षा में सरलीकरण सम्बन्धी नीतियों पर विचार करना शामिल होगा।

(2) निर्यातों को बढ़ाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इन लाइसेंसों को उपयुक्त निश्चित अनुक्रम में 3-5 वर्षों के भीतर हटाने के लिए समय-ढांचे का सुझाव देना, व्यापार घाटे के कारगर प्रबन्ध को सुनिश्चित करना और साथ ही आयात नियंत्रणों में कमी के साथ समायोजन करने के लिए आंतरिक औद्योगिक क्षेत्र के लिए पर्याप्त समय की व्यवस्था करना। समिति, अनुशंसित समय-

ढांचे के प्रत्येक चरण में विदेशी मुद्रा भण्डारों के वांछित स्तरों और भुगतान संतुलन की स्थिति का ध्यान रखेगी ।

(3) खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत मदों को शामिल करते हुए नियंत्रण में कमी तथा विस्तारित एक्सिम स्क्रिप में मदों को अंतरित करने के बीच उपयुक्त संतुलन का सुझाव देना ।

(4) उन मदों की सूची का पता लगाना जिसे 5 वर्षों के अन्त तक भी लाइसेंसिंग की श्रेणी में रखे जाने की आवश्यकता होगी ।

(5) टैरिफ को कम करने और उदारीकृत बनाने पर निर्भर टैरिफ सुधारों को आयात विनियंत्रण की प्रगति के साथ सम्बद्ध करने के तरीकों के बारे में सुझाव देना ।

(6) क्रमबद्ध विनिर्माण कार्यक्रमों की मौजूदा प्रणाली की जांच करना क्योंकि यह आयात नीति, विशेष रूप से औद्योगिक नीति और व्यापार नीति में हाल के परिवर्तनों से सम्बन्धित है; और

(7) ड्यूटी रियायतों के समस्त क्षेत्र की जांच करना क्योंकि ये आयात नीति में अत्यधिक पारदर्शकता लाने की दृष्टि से आयात क्रियाविधियों से सम्बन्धित हैं ।

पंजाब में बैंकों को ऋण देने सम्बन्धी नीति

6088. **श्री महेश कुमार कनोडिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 अगस्त, 1991 के दि हिन्दुस्तान टाइम्स में "पंजाब बैंक्स टोल्ड टु रिव्यू लेंडिंग पोलिसी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) पंजाब में बैंकों के विभिन्न प्रशासनिक कार्यालयों और शाखाओं को समय-समय पर उग्रवादियों से धमकियां मिलती रही हैं । हाल ही में, कुछ उग्रवादियों द्वारा दो बुलेटिन जारी किए गए थे जिनमें पंजाब में बैंकों और उनके कर्मचारियों से विभिन्न मांगें की गयी थी । इन मांगों का सम्बन्ध मुख्यत: पंजाब से राज्य के बाहर जमा रकमों को भेजने पर रोक लगाने, बैंकों के कार्य में पंजाबी भाषा का इस्तेमाल करने, बैंकों में अधिकांश सिख युवकों की भर्ती करने, राज्य में गरीब लोगों को उदारता से ऋण देने आदि से था । उक्त भाग (क) में संदर्भित समाचार में लगभग इन्हीं धमकियों और मांगों का जिक्र किया गया है ।

(ग) भारत सरकार और राज्य सरकार ने बैंकों के साथ स्थिति की समीक्षा की है । राज्य सरकार और बैंकों को उपयुक्त एहतियाती उपाय करने के लिए सावधान किया गया है ।

विदेशी बैंकों द्वारा ग्राहकों का शोषण करना

6089. **श्री महेश कुमार कनोडिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने अमरीकी सिटी बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में कार्यरत विदेशी बैंकों द्वारा ग्राहकों के शोषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने मैसर्स सिटी बैंक, नई दिल्ली को उनके द्वारा जारी किए गए दिनांक 20-2-1991 के एक परिपत्र के सम्बन्ध में एक जांच का नोटिस जारी किया है। जांच बैंक ग्राहकों से "सेवा शुल्क" वसूल करने के बारे में शुरू की गई है जोकि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 20(ण) के अर्थ के अन्तर्गत एक अवरोधक व्यापारिक व्यवहार हैं। आयोग ने मैसर्स सिटी बैंक को एक व्यादेश नोटिस भी जारी किया हैं जिसमें उन्हें यह स्पष्ट करने का निदेश दिया है कि क्यों न उन्हें खाताधारियों के खातों से, जिन्हें प्रतिवादी बैंक से अतिरिक्त सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है सेवा शुल्कों के कारण कटौतियां करने से रोका जाए।

(ग) जब कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं, भारतीय रिजर्व बैंक सम्बद्ध बैंक के साथ ऐसी शिकायतों के निवारण हेतु मामला उठाता है।

वेतनमानों में संशोधन

6090. **डा० लाल बहादुर रावल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व सशोधित 550-900 रुपये के वेतनमान में उन श्रेणियों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए चौथे वेतन आयोग ने 2000-3200 रुपये अथवा 2000-3500 रुपये के वेतनमान की सिफारिश की थी और सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया था;

(ख) क्या सरकार द्वारा चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के पश्चात् पूर्व संशोधित 550-900 रुपये (संशोधित वेतनमान 1640-2900 रुपये) के वेतनमान में कुछ और श्रेणियों ने सरकार को यह अभ्यावेदन दिया है कि उनको दिए जाने वाले 1640-2900 रुपए के वेतनमान में सशोधन करके उन्हें 2000-3200 रुपये अथवा 2000-3500 रुपये का वेतनमान दिया जाए; और

(ग) यदि हां, तो उन श्रेणियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अब तक 2000-3200 रुपये अथवा 2000-35 0 रुपये का संशोधित वेतनमान दिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) 550-900 रुपये के संशोधन-पूर्व वेतनमान के उन पदों की श्रेणियों के पूरे ब्यौरे वित्त मंत्रालय की दिनांक 22-9-1986 की अधिसूचना सं० एफ 15(1) आई० सी०/86 में दिए गए हैं जिनके लिए चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग ने 2000-3200/3500 रुपये के वेतनमानों की सिफारिश की थी तथा जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया था।

(ख) और (ग) इस बारे में प्राप्त अभ्यावेदनों की जांच की गई थी और 1640-2900 रुपये के वेतनमान को 2000-3200/3500 रुपये में पुनरीक्षित करना सम्भव नहीं पाया गया था।

जोधपुर हवाई पट्टी का क्षेत्र

[हिन्दी]

6091, **श्री विश्वनाथ शास्त्री** :

श्री राम बदन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि,

(क) गाजीपुर जिले में घोषपुर हवाई पट्टी का क्षेत्रफल कुल कितने एकड़ है;

(ख) इस हवाई पट्टी का वर्तमान क्षेत्रफल कितना है;

(ग) क्या सरकार इस हवाई पट्टी की देखभाल कर रही है; और

(घ) क्या हवाई पट्टी की फालतू भूमि भूमिहीन व्यक्तियों में वितरित कर दी गयी है अथवा वितरित करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) इस मंत्रालय के अधीन गाजीपुर जिले में "घोषपुर" नामक कोई हवाई पट्टी नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

कृषि को संस्थान ऋणों का दिया जाना

[अनुवाद]

6092. **प्रो० उमारेड्डि वेंकटेश्वरलु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में प्रति हैक्टेयर कृषि के लिए दीर्घावधि, अल्पावधि और मध्यावधि के लिए कुल कितनी धनराशि के संस्थागत ऋण दिए गए; और

(ख) इन वर्षों के दौरान कितने प्रतिशत ऋणों की वसूली की गई तथा कितने प्रतिशत ऋण बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गए अनुसार सूचना उपलब्ध नहीं होती है। तथापि, जून 1987, जून 1988 तथा सितम्बर 1989 (अद्यतन उपलब्ध) को समाप्त गत तीन वर्षों में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए दिए गए राज्यवार अग्रिमों की बकाया राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है। सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक केवल प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की वसूली की निगरानी रखते हैं। जून 1987, 1988 तथा 1989 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की वसूली की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

विवरण-1

(करोड़ रुपये)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1987 जून	1988 जून	1989 सितम्बर
	उत्तरी क्षेत्र	**2179.77**	**2392.24**	**2946.09**
1.	हरियाणा	435.18	531.12	634.17
2.	हिमाचल प्रदेश	54.87	62.26	70.68
3.	जम्मू व कश्मीर	42.02	45.89	50.73
4.	पंजाब	818.13	872 51	1045.67

1	2	3	4
5. राजस्थान	508'92	597.18	721.97
6. चण्डीगढ़	203.89	156.?6	186.65
7. दिल्ली	116.76	126.92	236.22
उत्तर-पूर्व क्षेत्र	129.53	153.35	198.95
8. असम	87,47	102.19	131.00
9. मणिपुर	4.50	5.07	6.49
10. मेघालय	7.63	8.74	11.53
11. नागालैण्ड	10.21	12.84	17.96
12. त्रिपुरा	14.69	17.60	22.61
13. अरुणाचल प्रदेश	1.45	1.68	2.93
14. मिजोरम	1.38	1.64	2.04
15 सिक्किम	2.28	3.60	4·39
पूर्वी क्षेत्र	1214.07	1361.93	1643.17
16. बिहार	494.14	562.60	690.22
17. उड़ीसा	268.61	303.01	358.61
18. पश्चिम बंगाल	449.45	494.28	591.88
19. अंडमान निकोबार	1.87	2.04	2.46
केन्द्रीय क्षेत्र	1700.55	1925.91	2400.29
20. मध्य प्रदेश	589.83	713.28	934.52
21. उत्तर प्रदेश	1110.72	1212.63	1465.77
पश्चिमी क्षेत्र	1671.62	1983.47	2392.72
22. गुजरात	587.51	714.91	786.73
23. महाराष्ट्र	1062.57	1242.79	1571.51
24. गोवा, दमन व दीप	21.02	25.22	33.74
25. दादरा व नागर हवेली	0.52	0.55	0.74
दक्षिणी क्षेत्र	4068.34	4698.22	5803.81
26. आन्ध्र प्रदेश	1356.83	1561.02	1926.73
27. कर्नाटका	1016.00	1182.90	1466.67

1	2	3	4
28. केरल	477.78	530.43	609.01
29. तमिलनाडू	1193.68	1395.44	1770.66
30. पांडिचेरी	23.71	28.10	30.40
31. लक्षद्वीप	0.34	0.33	0.34
अखिल भारत	10963.91	12515.14	15385.02

विवरण-2

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मांग की तुलना में वसूली का प्रतिशत		
	जन-1987	जून-1988	जून 1989
I. उत्तरी क्षेत्र	60.4	59.8	58.5
हरियाणा	53.4	48.0	55.3
हिमाचल प्रदेश	40.6	40.8	43.2
जम्मू व कश्मीर	27.2	24.2	40.1
पंजाब	69.8	71.8	69.4
राजस्थान	49.5	44.8	44.1
चण्डीगढ़	76.8	66.5	70.1
दिल्ली	48.0	35.3	35.7
II. उत्तरी पूर्वी क्षेत्र	48.2	35.3	38.7
असम	39.4	36.6	39.0
मणिपुर	21.9	15.2	22.4
मेघालय	30.3	32.5	39.1
नागालैण्ड	43.3	40.0	45.8
त्रिपुरा	41.0	30.7	27.2
अरुणाचल प्रदेश	52.6	56.7	58.6
मिजोरम	50.4	38.9	37.4
सिक्किम	53.0	53·8	59.4
III. पूर्वी क्षेत्र	47.2	49.9	50.3
बिहार	44.7	47.7	47.8
उड़ीसा	52.8	52.3	54.3
पश्चिम बंगाल	45.7	50.4	50.0
	39.9	37.7	33.0

1	2	3	4	5
IV.	केन्द्रीय क्षेत्र	54.1	55.6	57.8
	मध्य प्रदेश	46.0	52.1	57.5
	उत्तर प्रदेश	58.1	57.5	57.9
V.	पश्चिमी क्षेत्र	49.5	50.9	54.5
	गुजरात	51.7	53.3	58.5
	महाराष्ट्र	47.8	49.8	52.0
	गोवा, दमन व दीव	52.1	50.7	56.0* 23.3**
	दादर नागर हवेली	39.2	50.6	55.8
VI.	दक्षिणी क्षेत्र	61.5	59.7	59.7
	आन्ध्र प्रदेश	60.9	59.0	59.5
	कर्नाटक	51.9	46.2	47.3
	केरल	73.1	68.1	65.9
	तमिलनाडु	65.8	67.7	66.3
	पांडेचेरी	62.3	66.5	62.0
	लक्षद्वीप	77.4	56.1	59.3
	अखिल भारत	57.1	56.8	57.3

*दमन और दीव से सम्बन्धित।

**गोवा से सम्बन्धित।

ऋण माफी योजना की समीक्षा

6093. श्री मदन लाल खुराना : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 जून, 1991 के इकानामिक टाइम्स में किसानों को ऋण माफी योजना की समीक्षा के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी समीक्षा की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी समीक्षा कब तक किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार का कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना में परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है।

(ग) प्रश्न पैदा नहीं होता।

बैंकों के भूतपूर्व चेयरमैन प्रबन्ध निदेशकों के विरुद्ध तथाकथित आरोप

6094. **श्री जार्ज फर्नांडीज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कुछ भूतपूर्व चेयरमैन-प्रबन्ध निदेशकों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध किस प्रकार के आरोप लगाए गए हैं;

(ग) क्या देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कई वरिष्ठ अधिकारियों के सम्बन्ध में जांच चल रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है कि उसने सिंडीकेट बैंक के भूतपूर्व अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक श्री आर० रघुपति और भारतीय स्टेट बैंक के भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक श्री अमृत सागर पुरी के विरुद्ध आरोप-पत्र दायर किए हैं। श्री रघुपति के विरुद्ध आरोप-पत्र उनके विदित आय साधनों के मुकाबले मे अनानुपातिक परिसम्पत्तियों के कब्जे में होने के कारण 28-7-86 को दायर किया गया था। श्री पुरी के विरुद्ध आरोप-पत्र निधियों के नियोजन/धनराशि जारी करने के मामले में गैर-सरकारी कम्पनियों को तथाकथित अनुचित पक्षपात करने के कारण 10-6-86 को दायर किया गया था। श्री रघुपति के विरुद्ध मामले को 9-7-89 को खारिज कर दिया गया था। श्री पुरी के विरुद्ध मामला न्यायालय में है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है कि इसने सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों के 42 वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध जारी व्यक्तियों/फार्मों को ऋण मंजूर/जारी करने में अनुचित लाभ दिखाने, अनानुपातिक परिसम्पत्तियों के कब्जे, रिश्वत, आपराधिक कदाचारों आदि जैसे विभिन्न आरोपों के 37 मामले में जांच शुरु की है।

पूरक लाइसेंस

6095. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरक लाइसेंस देने की प्रथा समाप्त कर दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पूरक लाइसेंस देने के लिए कौन से मानदंड निर्धारित किये गये हैं;

(घ) क्या स्वत: लाइसेंस देने की कोई प्रथा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके लिए निर्धारित किए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) वाणिज्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 4-7-91 को घोषित नई व्यापार नीति के अनुसरण में लघु क्षेत्र के एककों और जीवन रक्षक औषधियों/उपस्करों के विनिर्माण में लगे एककों को छोड़कर सीमित अनुमेय सूची (परिशिष्ट-3) में दर्शाई गई मदों के लिए पूरक लाइसेन्स देना समाप्त कर दिया गया है। ऐसा देश में भुगतान सन्तुलन की विपरीत स्थिति को देखते हुए किया गया है। तथापि, प्रतिबन्धित सूची (परिशिष्ट-2 (ख) में दर्शाई गई मदों के लिए पूरक लाइसेन्स देने का प्रावधान अभी जारी है। पूरक लाइसेन्स, जिन्हें अब विशेष लाइ-

के रूप में जाना जाता है, सम्बन्धित एकक के प्रायोजित प्राधिकारी की सिफारिश के आधार पर दिए जाते हैं।

(घ) और (ङ) स्वत: लाइसेन्स देने की प्रथा जारी है। परन्तु ये लाइसेन्स अब केवल पूर्ववर्ती लाइसेन्सिंग वर्ष में सम्बन्धित एकक को दिए गए पूरक लाइसेन्स के 50% के बराबर मूल्य के लिए लघु क्षेत्र एककों और जीवन-रक्षक औषधियों और उपस्करों के विनिर्माण में लगे एककों को दिए जायेंगे।

औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में विश्व बैंक से बातचीत

6096. **श्री रवि राय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में विश्व बैंक से कोई बातचीत की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) विश्व बैंक के साथ एक संभावित संरचनात्मक समायोजन ऋण के लिए प्रारम्भिक चर्चा की गई है। इस संदर्भ में बैंक दल को औद्योगिक नीति सम्बन्धी विवरण की व्याख्या की गई।

12.00 मध्याह्न

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, हरियाणा में बहादुरगढ़ पुलिस स्टेशन में एक शर्मनाक घटना घटी जहां महिलाओं के समक्ष पुरुषों को निर्वस्त्र किया गया। यह एक शर्मनाक घटना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपा बारी-बारी से बोलें।

[हिन्दी]

(व्यवधान)

श्री जंगबीर सिंह (भिवानी) : यह मामला उठाने की अनुमति दी जाए। वीकर सेक्शन पर अत्याचार हो रहा है। कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मर्दों को उनकी औरतों के सामने नंगा किया जा रहा है...। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। आप बारी-बारी से बोलें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : एक-एक करके बोलें। आप जो बोल रहे हैं। उसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है। इसलिए, बारी-बारी से बोलें। मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज को बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नांडीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, मैंने कल इस सदन में मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी का एक प्रश्न उठाया था संविधान की धारा 75 (3) के अंतर्गत। आपने मुझे आदेश दिया था कि जो सवाल मुझे उठाना है, उसे पहले मैं न केवल आपके पास बल्कि विशेषकर जिस मंत्री के खिलाफ मुझे वह सवाल उठाना था, उनकों भी देने का काम करूं। मैंने कल रात को विदेश राज्य मंत्री श्री एडुआर्डो फैलीरो के यहां वह तमाम अखबार के कतरत और आपके नाम भेजे पत्र की प्रतिलिपि भेजने का काम किया। अध्यक्ष जी, सवाल बहुत गंभीर इस माने में है कि जो फैसलों को इस सदन में आज लगभग डेढ़-पौने दो साल के पहले लिया था और जिन पर अमल करने का काम तब से लेकर आज तक रोहा से लेकर मंगलौर तक कोंकण रेलवे के निर्माण के रूप में चल रहा है।

उसमेंकेवल रुकावट डालने के काम में मंत्रिमण्डल के एक सदस्य आज लगे हैं बल्कि वे उस रुकावट को डालने के साथ-साथ, अपनी सरकार के ऊपर, अपनी खुद की सरकार के ऊपर और उस सरकार के दो मंत्रियों का नाम लेकर, उन्होंने यह कहा है कि इनकी तरफ से जो होने वाला काम है—

[अनुवाद]

गोवा की जनता के खिलाफ यह बहुत ज्यादती है।

[हिन्दी]

और यह एक्ट आफ वैंडलिजम का आरोप अपनी सरकार के दो मंत्रियों—रेल मंत्री श्री जाफर शरीफ और रेल राज्य मंत्री श्री मल्लिकार्जुन, इन दोनों के ऊपर लगाते हुए श्री फैलीरो का यह कहना है कि ये लोग अपने सूबे के हित से, अपने क्षेत्र के हित से काम कर रहे हैं और राष्ट्र के हित की इन्हें किसी भी प्रकार की कोई चिन्ता नहीं है। इसके साथ-साथ उन्होने ये आरोप लगाए हैं कि कोंकण रेलवे का जो निर्माण हुआ है, या इसके निर्माण की जो योजना बनाई गई है, यह योजना महाराष्ट्र में पैदा हुए रेल मंत्री बने, उसने बनाई और कर्नाटक में पैदा हुए रेल मंत्री बने, उन्होंने अपने सूबों के हितों को मद्दे-नजर रखते हुए इस योजना पर काम शुरु करवाया और इसमें गोवा को बर्बाद करने की एक साजिश इन लोगों ने की।

अध्यक्ष महोदय, अगर उनका आरोप इसके पहले के भूतपूर्व रेल मंत्रियों के लिए होता—अब मुझे नहीं मालूम कि कौन कर्नाटक के मंत्री अपने क्षेत्र के हित में इस रेलवे के काम में लगा है। क्यों कि जहां तक मैं जानता हूं—जाफर शरीफ का क्षेत्र बंगलोर है और यह रेल—बंगलोर से निकलती है। हो सकता है एडुआर्डो फैलीरो का ज्ञान इतना कम हुआ हो कि "बंगलोर" और "मंगलोर" में उन्हें कोइ फर्क समझ में नहीं आता हो, और जहां तक महाराष्ट्र में पैदा हुए रेल मंत्री की बात है, तो मुझे याद है श्री एस० के० पाटिल, एक जमाने में रेल मंत्री थे, लेकिन 1970 के बाद से वे इस सदन में कभी आए नहीं और कोंकण रेलवे का काम अभी साल, डेढ़ साल से शुरू हुआ है। प्रो० मधु दण्डवते, महाराष्ट्र में जन्म लिए व्यक्ति हैं। बम्बई से मंगलोर तक रेलवे को निर्माण करने की दिशा में उन्होंने पहल की थी और आपको याद होगा अध्यक्ष जी कि होहा से दास गांव तक के रेल के निर्माण में प्रो०

मधु दण्डवते ने रेल मंत्री, रहते हुए पहल की थी और वह काम बाद में पूरा हुआ था, लेकिन मंत्रिमण्डल के एक मंत्री, जिन्होंने भारत के संविधान के प्रति, उसको अक्षुण्य रखने और उसकी पूरी इज्जत करने, बिना किसी डर, और किसी व्यक्ति के लिए, किसी विभाग के लिए विशेष उसके बारे में सोचने और अपनी जिम्मेदारी को अमल करने की शपथ ली है, तो उस व्यक्ति की ओर से आज नंबर-एक-अपने सहमंत्रियों के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाना कि ये वैंडल्स हैं, ये वैंडलिज्म कर रहे हैं, कोंकण रेलवे का निर्माण बम्बई और मंगलौर से जोड़ने का, समूचे पश्चिमी किनारे को जोड़ने का निर्माण कुल मिलाकर कुल 1500 करोड़ रुपए इस पर लगने हैं अध्यक्ष जी और अगर इस काम को आज रोकने का प्रयास, जिसको मंत्रिमण्डल के एक मंत्री कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर कर रहे हैं, अगर इस प्रयास में उदको कहीं कामयाबी मिलती है, तो जो 15000 करोड़ रुपए में होने वाला काम है, वह 1800 करोड़ रुपए में होगा और कम से कम एक साल अधिक समय इसमें लग जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, ये तथ्य सरकार के पास होने चाहिए, प्रधान मंत्री जी के पास होने चाहिए, मंत्रीमण्डल के पास होने चाहिए और एक व्यक्ति, उस मंत्रिमण्डल का एक जिम्मेदार सदस्य, इन तथ्यों को जानते हुए, इस प्रकार के आरोप लगाता है अपने सहमंत्रियों के ऊपर अध्यक्ष जी, तो भारत के संविधान की धारा 75(3) यहां पर सीधे अमल में आ जाती है। यहां पर प्रधान मंत्री नहीं हैं, लेकिन सदन के नेता यहाँ पर हैं। वे एक ज्येष्ठ मंत्री भी हैं और हम जानना चाहेंगे कि क्या इस सरकार का कोई ऐसा रवैय्या आज चल रहा है कि यहां एक मंत्री दूसरे मंत्रियों का नाम लेने का काम करे ? इस सदन में स्वीकार की हुई योजनाओं को आज खत्म करने के प्रयास में लग जाए ? मैं जानता हूं कि क्या परेशानी है उनकी ? उनकी परेशानी है कि गोवा में जो ट्रांसपोर्टर्स लाबी है, जिसमें ट्रक आपरेटर्स है, बस आपरेटर्स हैं और टैक्सी आपरेटर्स हैं ये लाबियां काम करती हैं। मैं उनकी परेशानी को जानता हूं। उनके अपने क्षेत्र में अमीरों के मोहल्ले हैं' वे नहीं चाहते हैं कि ऐसे इलाके में जाएं जहां बड़े आदमी की चार गज जमीन चली जाए। गरीब की जमीन जरूर चली जाए लेकिन अमीर की जमीन नहीं जाए। इन सारी बातों को लेकर जो हरकत आज खड़ी की है और सरकार के तय किए हुए काम को एक्ट आफ वैंडलिज्म शब्द प्रयोग करना, सार्वजनिक निन्दा करने का जो काम हो रहा है, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से जानना चाहता हूं, प्रधान मंत्री जी तो नहीं हैं देश के बाहर हैं, लेकिन हम प्रधानमंत्री जी से जानना चाहेंगे कि क्या ऐसे व्यक्ति का इस मंत्रिमंडल में स्थान रहेगा।

अभी बीच में काण्ड हुआ था। श्री राममूर्ति श्रम मंत्री थे। उन्होंने कर्नाटक और तमिलनाडू को कावेरी नदी के बारे में (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : महोदय, मेरा व्यवस्था संबंधी प्रश्न है। क्या उन्होंने इन आरोपों को आपको पहले ही लिखित रूप में दिया हुआ है : वह एक व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हैं। क्या उन्होंने लिखित में दिया है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हां, मैंने लिखित में दिया है। मुझे खेद है कि मेरी आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही है। मैंने लिखित में दिया है। मैं केवल आपको बता रहा हूं। (व्यवधान)

मेरी आपसे प्रार्थना है, इस मामले को प्रधानमंत्री जी की गैरहाजिरी में कौन कर सकता है मुझे

नहीं मालूम, लेकिन हम चाहते हैं कि इस मसले को आप किस तरह से हल करना चाहेंगे इसपर आदेश देने का काम करें।

[अनुवाद]

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : केरल में चावल की कमी है। इसे सार्वजनिक विवरण प्रणाली के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा। एक लाख पचहत्तर हजार टन चावल आंध्र प्रदेश से भेजे जाने के लिए तैयार है। लेकिन रेलवे के मालवाहक डिब्बों की कमी के कारण इसे नहीं भेजा जा सका है। पुनः पंजाब से 50 हजार टन गेहूं भेजे जाने के लिए तैयार है। वह रेलवे के मालवाहक डिब्बों की कमी के कारण नहीं भेजा जा सका है।

जब से नई सरकार केरल में आई है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली अच्छी तरह कार्य कर रही है। इसलिये यदि यह स्थिति अधिक समय तक चलती रही तो राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पास चावल और गेहूं की कमी हो जाएगी और पूरी प्रणाली ही अव्यवस्थित हो जाएगी।

मैं निवेदन करता हूं कि सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और ढके हुये माल डिब्बे उपलब्ध कराए जाएं ताकि वहां खाद्य पदार्थों को भेजा जा सके।

श्री बसुदेव आचार्य : हरियाणा में बहादुरगढ़ पुलिस स्टेशन पर महिलाओं के सामने पुरुषों को पुलिस हिरासत में निर्वस्त्र किया गया। शुक्रवार की रात को पुलिस का एक दल भगाई पहुंचा। जहां वे बिना वारंट के ग्रामीणों के घर में जबर्दस्ती दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए। ग्रामीणों के घरों की दीवार को तोड़ कर वे घर में घुस गए तथा महिलाओं व पुरुषों की पिटाई की। दूसरे दिन वे फिर आए और 35 पुरुषों और महिलाओं को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गए और उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस ने पुरुषों को उनकी महिलाओं के सामने निर्वस्त्र कर दिया उन्होंने महिलाओं से उन निर्वस्त्र पुरुषों को पुलिस के सामने पीटने को कहा। यह हरियाणा राज्य की पुलिस का बर्बरतापूर्ण कार्य है। हरियाणा पुलिस की इस बर्बरतापूर्ण कार्य करने के संबंध में मैं गृह मंत्री से एक वक्तव्य देने की मांग करता हूं। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : जो मुद्दा उठाया गया है वह हमारे चुनाव क्षेत्र के संबंध में है।

[हिन्दी]

पुलिस वहां पर गई। दो पार्टियों का कौमन लैंड पर डिस्प्यूट था। एक पार्टी पुलिस को लेकर गई। वे वहां डिमोलिश कराना चाहते थे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : पुरुषों को निर्वस्त्र क्यों किया गया।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : यह मामला हमारे चुनाव क्षेत्र के संबंध में है। मैं आपकी बात सुन रहा था। पहले आप मुझे सच्चाई बताने दें। मुझे बोलने दें। आप सब कुछ बोले जा रहे हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

वहां पुलिस गई, पुलिस के साथ झगड़ा हुआ, गांव वालों ने पुलिस पर अटैक किया। पुलिस वालों ने ज्यादतियां की हैं।

[अनुवाद]

मैं यह स्वीकार करता हूं। इसके बाद जब मुझे घटना की जानकारी मिली तो मैंने मुख्यमंत्री से बात की। मुख्यमत्री ने संबंधित थानेदार को निलंबित कर दिया। जिस आरक्षी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस पार्टी ने विवादग्रस्त स्थल का दौरा किया था उसे भी निलंबित कर दिया गया और मुख्यमंत्री ने मामले की मजिस्ट्रेटी जांच करवाने के आदेश दिये है। हमने यह भी कहा है कि उस व्यक्ति को दण्डित किया जाना चाहिये जिसने उक्त पुलिस दल का नेतृत्व किया था। इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? मेरी समझ में नहीं आता।

[हिन्दी]

मैं मानता हूं कि जनसाधारण पर कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिये। पुलिस का किसी भी प्रकार का एक्शन गलत है। उसके लिए मुख्यमंत्री ने मजिस्ट्रेट द्वारा उसकी इनक्वायरी कराने के आर्डर दिये हैं।

[अनुवाद]

श्री जंगबीर सिंह (भिवानी) : मैं आप का संरक्षण चाहता हूं। आपने मुझे बोलने का कभी अवसर नहीं दिया। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मुझे कुछ कहने दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये, यह बहुत गलत बात है। देखिये, जो कुछ भी हुआ है, उसका कोई भी यहां समर्थन नहीं कर सकता है। मगर क्या हुआ, एक तरफ से एक कहा जाता है और दूसरी तरफ से दूसरा कहा जाता है। क्या हम इस पोजिशन में हैं कि क्या हुआ है यह बताने के? आप नेशनल और इंटरनेशनल इशूज को ध्यान में नही लेंगे, ऐसी बातों पर पालिसी क्या होनी चाहिये, उस पर नहीं बोलेंगे, जो मैटर कोर्ट में डिसाइड होना है, उस पर चर्चा करेंगे तो इस प्रकार से पार्लियामेंट का काम कैसे चलेगा? पूरी तरह से सहानुभूति रखते हुए भी सत्य की तह तक हमें पहुंचना पड़ेगा और इसलिये एक तरफ से एक वर्णन आया है और दूसरी तरफ से दूसरा वर्णन आया है। जो भी है, वह वहां पर है। हर मैम्बर उस पर बोलने की कोशिश न करे।

श्री जंगबीर सिंह (भिवानी) : जब तक फैक्ट्स नहीं आयेंगे तब तक इंसाफ कैसे मिलेगा?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इस पर बोलने के लिए एलाऊ कर रहा हूं। आप इस पर बोलिये।

श्री जंगबीर सिंह (भिवानी) : अध्यक्ष महोदय, 31 तारीख को एक छोटे से मामले की वजह से पुलिस वहां पर गई। पुलिस जिस आदमी को पकड़ना चाहती थी, उसको पकड़ने की बजाये पुलिस दूसरे

घर में घुसी । जब इस बात का एतराज किया तो पुलिस ने उस औरत को पीटने की कोशिश की । बाहर से मर्द आदमी ने आकर उस औरत को बचाने की बात की । अगले दिन डी० एस० पी० की रहनुमाई में 200 आदमी पुलिस के वहां गये । यह नहीं देखा कि किसका कसूर है, यह नहीं देखा कि कौन कहां छिपा हुआ है; जो भी आगे आया, गर्भवती महिला आगे आई, बच्चा आगे आया, उसको पकड़ा गया, खेतों से आती महिलाओं को पकड़ा गया । फिर 35 आदमियों को थाने में ले जाकर बंद किया । गांव के सभी आदमियों ने यह कहा कि आप कसूरवार को दंड दें । बिल्कुल कोई बात ऐसी नहीं थी··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप वहां पर थे ।

श्री जंगबीर सिंह : मैं शाम को वहां जाकर आया हूं । पूरे गांव से सारी हिस्ट्री का जायजा लिया । हम एक बात चाहते हैं कि मजिस्ट्रेट की इनक्वायरी एक आई वाश है, इसलिए हाई कोर्ट के सीटिंग जज से इनक्वायरी होनी चाहिये । हम यह भी चाहते हैं कि जिस किसी भी पुलिस अधिकारी ने ज्यादती की है, हमारी मां-बहनों को अपने मर्दों के सामने नंगा कर देखने पर मजबूर किया गया है, उस पर मुकदमा चलाया जाये । सिर्फ ट्रांसफर करने से बात नहीं चलती है । जब तक डी० एस० पी० के खिलाफ कारंवाई नहीं की जाती है, एस० एच० ओ० के खिलाफ कारंवाई नहीं की जाती है, तब तक कोई न्याय वहां के लोगों को नहीं मिल पायेगा । ससपैंशन कोई सजा नहीं है । उनको जब तक जेल में नहीं डाला जायेगा, उन पर मुकदमा नहीं चलाया जायेगा तो वहां की पंचायत इस बात को नहीं मानेगी । और मैं चाहता हूं आपके माध्यम से, माननीय होम मिनिस्टर साहब से भी यह कहना चाहूंगा कि इस किस्म की वारदातें हम रोजाना सदन में कहते हैं कि हरिजनों पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, इसके बावजूद भी सरे आम महिलाओं को नंगे पुरुषों को देखने को मजबूर किया जा रहा है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती । (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस बात को न खींचें । यह न्यायालय नहीं है । हम किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते । आपने अपनी बात कह दी है । अब आप बैठ जाइए । कृपया आप बैठ जाएं ।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा): इस सम्बन्ध में सिर्फ एक बात मुझे कहनी है···(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हरियाणा में हुए मेहम काण्ड और दूसरे काण्डों को भूल गये ?

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी, हर बात में आपको बोलना जरूरी नहीं है ।

श्री राम विलास पासवान : आपने कह दिया है इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं वार्निंग देना चाहता हूं कि मेहम काण्ड का रिपीटीशन वहां होगा, यदि इस मामले को सदन ने लाइटली लिया । पुलिस एट्रासिटीज के मामले में जिस तरीके से बहादुरगढ़ में हुआ है तो मेहम काण्ड को दोबारा होने से कोई रोक नहीं सकता है इसलिये मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ला एण्ड आर्डर को इस मामले में सामने रखते हुए इसमें कारंवाई हो··(व्यवधान)···हरियाणा की सरकार इसी में जायेगी । (व्यवधान)

श्री जंगबीर सिंह : हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए. आप गलत आदमी को बचाने की कोशिश मत कीजिए । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब बहुत हो गया। आप बैठ जाइये, प्लीज।

[अनुवाद]

मैं रवि राय जी को अनुमति दे रहा हूं।

[हिन्दी]

मैं आपको एलाऊ करूंगा। आप ही चलाइये यहां बैठकर अपना-अपना हाउस। आपके कहने के मुताबिक ही यह हाउस चलेगा। आप बैठकर डिसाइड कीजिए कि किस-किस को बोलना है।

श्री उदय प्रताप सिंह (मैनपुरी) : मैं इसी सम्बन्ध में सिर्फ एक मिनट में अपनी बात कहूंगा। मैं कल वहां गया और मैंने वहां देखा चूंकि महिलाओं पर अत्याचार का मामला है इसलिए इधर के लोग भी चिन्तित हैं, हम लोग भी चिन्तित हैं इसलिए मेरा एक सुझाव है कि इस सदन की चार महिलाओं को, जो विभिन्न पार्टियों से हैं, वह वहां जायें और वहां पर सारी स्थिति का अध्ययन करके यहां रिपोर्ट दें और उसके मुताबिक तब कारंवाई की जाय। आप इस बात को मानिये। (व्यवधान)

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : मैं जिस सवाल को उठाना चाहता हूं, उसको उठाने के पहले एक वाक्य बोलूंगा, बहादुरगढ़ के बारे में मैंने कल उठाने के लिए दिया था लेकिन वह अभी तक नहीं आया है। बात यह है कि इसद जो कोई विवाद चलता है, उसको आप एक सेकेण्ड के लिए भूल जायें, वहां उस गांव का जो सबसे बुजुर्ग आदमी है, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, पुलिस थाने में जाकर उसके मुंह से निकला, यह जरूर बताना चाहूंगा, कि क्या यह ब्रिटिश सरकार आ गई है? मैं सिर्फ यही बात कहकर अपने विषय पर आ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, आज सदन का समय। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिये गये हैं। मुख्यमंत्री ने थानेदार और आरक्षी निरीक्षक को निलंबित करने के आदेश दिये हैं। आप और क्या चाहते हैं? (व्यवधान)

इसका मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी का आर्डर कर दिया है, उसमें इनकी सहमति नहीं है...

(व्यवधान)

श्री तारा सिंह (कुरूक्षेत्र) : एक बात है, इनको लेकर कौन गया है, यहां से, वह आदमी लेकर गया है जो मुख्यमंत्री के खिलाफ है। जो सारे चार एम० पीज० गये हैं, यह एक खास आदमी के साथ गये हैं और यहां सारा पोलिटिकल मामला बना रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

अब आप कृपया बैठ जाएं। मैंने दो तीन बार अनुमति दी है। यह ठीक नहीं है। अन्य सदस्यों को अन्य मुद्दों पर बोलने की भी अनुमति मुझे देनी है। महिलाओं पर अत्याचार के मामले पर सभा में चर्चा होगी यह मैंने कह दिया है। उसके लिये हम समय निश्चित करेंगे। आवश्यकता से अधिक समय आप क्यों लेना चाहते हैं। आपको अपनी बात कहने का मौका दिया गया था। अन्य सदस्यों को भी बोलने की अनुमति दें।

(व्यवधान)

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये एक बहुत महत्व का अन्तर्राष्ट्रीय सवाल उठाना चाहता हूं। यह सवाल हमारे देश के लिए बहुत महत्व रखता है और यह है कि रूस और सोवियत यूनियन हमारे बन्धु राष्ट्र हैं। मैं आज रूस की संसद् को धन्यवाद देता हूं कि रूस को जिस तरीके से डिसइण्टीग्रेशन से वहां की पार्लियामैण्ट ने बुद्धिमत्ता और कुशलता के जरिये रक्षा करने हेतु काम किया···मैं इस मौके पर श्री गोर्वाचोव, बोरिस येलत्सिन, कजाकिस्तान के नरसुलतन और यूक्रेन के लोनिद करवेजुक को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। रूस हमारा दोस्त राष्ट्र है, हम सब लोग चाहेंगे कि रूस की इण्टिग्रिटी बरकरार रहे। जिस बुद्धिमत्ता से वहां की पार्लियामेंट में विशाल बहुमत से रूस की इन्टिग्रिटी को बरकरार रखा है, उसके लिए मैं चाहूंगा कि हम संसद की ओर से और दलों से ऊपर उठकर सारे दलों की ओर से, हम रूस की संसद को धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं आपके जरिये से अनुरोध करना चाहता हूं कि 16 तारीख को सदन के उठने से पहले, इस सत्र के समाप्त होने से पहले, इस चीज के बारे में, जो रूस में डवेलपमैंट हुई है, उसके बारे में सदन चर्चा करे। यही मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं।

श्री दिग्विजय सिंह : आपकी अनुमति से मैं विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम (कॉफेपासा के आरोप में पकड़े गये 11 लोग जो देश से विदेशी मुद्रा बाहर भेज रहे थे उन्हें आम माफी देने के मुद्दे को उठाना चाहता हूं। इन लोगों को 1985 में गिरफ्तार किया जाना था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है।

(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : यह बहुत ही गंभीर मामला है। 18 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा को हस्तांतरित किया है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : मैंने लिखित में नोटिस दिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जॉर्ज फर्नान्डीज एक मुद्दा उठा रहे थे। मैंने उनसे निवेदन किया था कि अन्य सदस्यों के प्रति भी शिष्टाचार व्यक्त किया जाना चाहिए और उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। जब नोटिस दिया गया तभी वे आज बोले। यदि आप कोई ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं जो किसी भी सदस्य को बदनाम करे या यह आक्षेपपूर्ण है तो यह आवश्यक है कि उस संबंधित सदस्य को नोटिस दें। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। आज आप संबंधित सदस्य को सूचित कर दें और कल प्रश्नकाल के बाद आपको बोलने की अनुमति दी जाएगी।

(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : लेकिन मैंने नोटिस दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : यदि कुछ भी आक्षेपपूर्ण है तो वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसे पढ़ने के बाद ही मैं निर्णय करूंगा।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण-दिल्ली) : अध्यक्ष जी, सरकार की कैलैस, क्रूड और अपराधपूर्ण लापरवाही तथा सौतले व्यवहार के कारण कश्मीरी माइग्रेंट्स अपने गुस्से को प्रकट करने के लिए आज अनिश्चित काल के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। नौवीं लोकसभा में यह मामला बार-बार इस सदन में उठता रहा। प्रधान मन्त्री और गृह मन्त्री जी की ओर से ··

अध्यक्ष महोदय : खुराना जी, इसके ऊपर हम बजट पर डिसकशन कर रहे हैं। इसके ऊपर डिसकशन करने का वह ओकेजन है। यह बात पहले भी उठाई गई थी।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि वे आज धरने पर बैठे हैं।

अध्यक्ष महोदय : ओकेजन है, डिसकश कर रहे हैं।

श्री मदन लाल खुराना : मेरा यह निवेदन है कि वे कहां जाएं। अगर वे यहां आते हैं तो पुलिस वाले लाठी मारते हैं और आप हमको उठाने नहीं देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ओकेजन है, उस पर बोलने के लिए।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मैं यही कहना चाहता हूं, कश्मीर का कोई मैम्बर यहां नहीं है, जो इस इशू को उठाए···(व्यवधान)···

अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है, नौवीं लोकसभा से यह मामला बार-बार उठ रहा है। उस समय के प्रधानमन्त्री, गृह मन्त्री ने और इस दफा भी बार-बार यह आश्वासन दिया था, लेकिन व्यवहार में कुछ नहीं हुआ। ये देश के नागरिक हैं या नहीं---मैं यह जानना चाहता हूं ? लगता है, सरकार की संवेदनशीलता जैसे है ही नहीं। अढ़ाई लाख कश्मीरी माइग्रेंट्स सब-ह्यूमन-कंडीशन में दो सालों से रह हैं। सरकार ने जम्मू में नौ हजार परिवारों को अर्थात् 15 प्रतिशत को, और दिल्ली में केवल 800 परिवारों को अर्थात् पांच प्रतिशत को, उनके लिए नाममात्र रहने का प्रबन्ध किया। कैंपों और टैंटों में जो रहने का प्रबन्ध है, ये वर्षा में उखड़ रहे हैं। एक-एक टैंट के अन्दर आठ-आठ और दस दस परिवार रह रहे हैं। लगभग सौ लोग दिल्ली में "लू" और सांपों के डसने से मर चुके हैं। जम्मू में एक हजार रुपए और (व्यवधान)···

[अनुवाद]

श्री सुधीर सावंत (राजापुर) : आपके कहने के बावजूद वह अपना भाषण जारी रखे हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : कल मैंने आपको भी अनुमति दी थी।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, जम्मू में एक हजार रुपए और दिल्ली में आठ सौ रु० प्रति परिवार दिया जाता है। क्या दिल्ली में एक कमरा 300-400 रु० से कम में मिल सकता है ? अगर

एक कमरा 300-400 रु० में मिलेगा तो क्या 400 रु० में कोई परिवार दिल्ली में गुजारा कर सकता है। अध्यक्ष जी, जैसे उनकी प्राइवेट लाइफ बिल्कुल समाप्त हो गई है। (व्यवधान) सरकारी अधिकारियों को वापस जाने के लिए कहा जा रहा है, परिवार समाप्त हो रहे हैं। मकानों को वहां लूटा जा रहा है। उस दिन आजाद साहब ने कहा था, चेलेन्ज किया था और मैंने यहां एफ०आई०आर० दिखाई थी, उसका पत्र भी मेरे पास है और मैं यहां उसे दिखा सकता हूं।

आज जम्मू से जो लोग आये हैं उनका कहना है कि हमारे मकान वहां लूटे जा रहे हैं। मैं आजाद साहब से कहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने कहा था कि वहां ऐसा नहीं हो रहा है, क्या वे इस चेलेन्ज को स्वीकार करते हैं। अध्यक्ष जी, अभी भी वहां अपहरण हो रहे हैं। श्री विजय कुमार कौल, डायरेक्टर का अपहरण हुआ है, श्री एस०एल० खोसा, जनरल मैनेजर, इन्श्योरेन्स कम्पनी का अपहरण हुआ, खेमलता वाखलू और उनके पति एक्स मिनिस्टर टूरिजम का अपहरण हुआ, लेकिन आज तक कोई प्रधानमन्त्री इन कैम्पों में नहीं गया।

अध्यक्ष जी, मेरा सुझाव यह है कि क्वासी परमानेंट बेसिस पर इन्हें बसाया जाये और जब तक इनको बसाया नहीं जाता तब तक इनको मासिक सहायता 2000/- रु० प्रति माह दी जाये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप तो भाषण कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले दो-ढाई सालों से केवल हम इस हाउस में कह देते हैं और कोई सुन लेता है। इसके अलावा कोई कार्यवाही होगी या नहीं होगी, यह मैं जानना चाहता हूं। वे कहां जाएं? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : राम निहोर जी, आप बैठ जाएं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : अध्यक्ष जी, श्री राम निहोर जी जो बात करने वाले हैं उस बात को सुना जाए।

अध्यक्ष महोदय : इनको बाद में हम बोलने का मौका देंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। जब कश्मीर के बजट पर चर्चा होगी तो इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी। इस मुद्दे पर हमें उत्तर अवश्य मिलेगा और वह सरकार देगी। यदि किसी मुद्दे को सदन में उठाने का आपको अधिकार है तो यह अधिकार दूसरे सदस्यों को भी है। पूरा समय केवल आप ही नहीं ले सकते। अपना मुद्दा सामने रखने के बाद दूसरे सदस्यों के प्रति शिष्टाचार निभाते हुए आपको बैठ जाना चाहिये ताकि वे अपना मुद्दा रख सकें। सभा के पास जो समय उसे आप ही पूरी तरह नहीं ले सकते। कृपया इतना शिष्टाचार तो अन्य सदस्यों के प्रति आप दिखाएं। मैंने श्री मोहम्मद युनूस सलीम का नाम पुकारा है। वह उठते हैं और बैठ जाते हैं क्योंकि वह अपनी आवाज नहीं तेज कर सकते। इसलिये कृपया ऐसा नहीं करें।

श्री मोहम्मद युनुस सलीम (कटिहार) : जनाब स्पीकर साहब, मैं बहुत अहम मसले की तरफ हाउस की तवज्जह दिलाना चाहता हूं, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हमारी जंगे आजादी के ऐसे शख्सियत थे कि वे दुनिया के जिस मुल्क में पैदा हुए होते तो वहां के लिए काबिलेफख्र थे। हिन्दुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने जो हिस्सा अदा किया है वह तारीख का एक जुज़ है।

جناب محمد یونس سلیم (کٹیهار) : جناب اسپیکر صاحب میں بہت اهم مسئلے کی طرف هاوس

هاوس کی توجه دلانا چاهتا هون - مولانا ابوالکلام آزاد هماری جنگ آزادی کی

ایسی شخصیت تهے که اگر وه دنیا کے کسی ملک میں پیدا هوئے هوتے تو وهان کے لئے

قابل فخر هوتے - هندوستان کی آزادی کی لڑائی میں انهون نے جو حصّه ادا کیا هے

وه تاریخ کا ایک حصه هے -

कई सालों तक वे कांग्रेस के सदर रह चुके हैं। वे जिस जमाने में कांग्रेस के सदर थे, उस जमाने में कैबिनेट मिशन और क्रिप्स मिशन आया था और एक मौका ऐसा आया था कि मोहम्मद अली जिन्ना और मौलाना अबुल कलाम आजाद की मुलाकात जरूरी समझी गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने यह कह कर मौलाना अबुल कलाम आजाद से मुलाकात करने से इन्कार कर दिया कि ये कांग्रेस के शो-ब्वाय हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अफसोस और बहुत नाराजगी के साथ यह कहना चाहता हूं कि दूरदर्शन में एक प्रोग्राम शुरु किया गया है जो पार्लिमानी जानकारी के मुत्तलिक है। अब यह मामला पार्लिमानी वजारत के तहत है या इनफरमेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग मिनिस्ट्री के तहत है, किस तरह से और किसने यह प्रोग्राम शुरु किया है मालूम नहीं है? पहली सितम्बर को कुछ लड़कों को जमा किया गया और उनसे सवाल-जवाब का सिलसिला शुरु हुआ। एक साहब ने यह सवाल किया कि एक शख्स जिसका नाम मोहिउद्दीन अहमद था, जो कांग्रेस को शो-ब्वाय कहा जाता था, वह शख्स कौन था। एक लड़के ने जवाब दिया "मौलाना अबुल कलाम आजाद" और उस लड़के को 10 में से 10 नम्बर दिए गए।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस तरीके के खिलाफ सख्त बरहमीयो (नाराजगी का इजहार) दर्ज करता हूं। मौलाना अबुल कलाम आजाद की शख्सियत ऐसी नहीं थी जिसको दूरदर्शन पर इस तरह से शो-ब्वाय कह कर सारी दुनिया में बदनाम किया जाए। खासकर जब यह प्रोग्राम पालियामानी वजारत या इनफरमेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग मिनिस्ट्री के तहत तैयार किया गया हो। यदि हम अपने नेशनल हीरोज को इस तरह से जलील करेंगे तो हमारे देश की खुद्दारी किस तरह से कायम रहेगी।

अध्यक्ष महोदय, मेरे अल्फाज में जितना जोर है, जितनी ताकत है, उसके साथ मैं इसकी मुखालिफत करता हूं और चाहता हूं कि यदि यह मामला पार्लियामानी वजारत के तहत हैं तो संबंधित मंत्री बयान दें और यदि इनफरमेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग मिनिस्ट्री के मुत्तलिक हैं तो इनफरमेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग मिनिस्टर बयान दें। मंत्री महोदय बताएं कि यह वाकया क्या था और ऐसा क्यों कहा गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है और उसको क्या सजा दी जा रही है, मैं यह जानना चाहता हूं।

کئی سالون تک وہ کانگریس کے صدر رہ چکے ہین - وہ جس زمانے مین کانگریس کے صدر تھے اس زمانے مین پارٹیشن کو پیریشن آیا تھا اور ایک موقعہ ایسا آیا تھا کہ محمد علی جناح اور مولانا ابوالکلام آزاد کی ملاقات ضروری سمجھی گئی - محمد علی جناح نے یہ کہہ کر مولانا ابولکلام آزاد سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ کانگریس کے "شو بوائے" ہین -

ادھیکش مہودے مین بہت افسوس اور بہت ناراضگی کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہون کہ دوردرشن مین ایک پروگرام شروع کیا گیا ہے جو پارلیمانی جانکاری کے متعلق ہے - اب یہ معاملہ پارلیمانی وزارت کے تحت ہے یا انفارمیشن اینڈ براڈکاسٹنگ منسٹری کے تحت ہے کس طرح سے اور کس نے یہ پروگرام شروع کیا ہے کہ پہلی ستمبر کو کچھ لڑکون کو جمع کیا گیا اور ان سے سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا - ایک صاحب نے یہ سوال کیا کہ ایک شخص جس کا نام محی الدین احمد تھا جو کانگریس کا شو بوائے کہا جاتا تھا وہ شخص کون تھا - ایک لڑکے نے جواب دیا "مولانا ابولکلام آزاد اور اس لڑکے کو دس مین سے دس نمبر دیئے گئے -

ادھیکش مہودے مین اس طریقے کے خلاف سخت نارا‌ضگی کا اظہار کرتا ہون - مولانا ابولکلام آزاد کی شخصیت ایسی نہیں تھی جس کو دوردرشن پر اس طرح سے شو بوائے کہہ کر ساری دنیا مین بدنام کیا جائے - خاص کر جب یہ پروگرام پارلیمانی وزارت یا انفارمیشن اینڈ براڈکاسٹنگ منسٹری کے تحت تیار کیا گیا ہو - یدی ہم اپنے نیشنل ہیروز کو اس طرح سے ذلیل کرین گے تو ہمارے دیش کی خودداری کس طرح سے قائم رہے گی -

ادھیکش مہودے میرے الفاظ مین جتنا زور ہے جتنی طاقت ہے اس کے ساتھ مین اس کی مذمت کرتا ہون اور چاہتا ہون کہ اگر یہ معاملہ پارلیمانی وزارت کے تحت ہے تو سمبندھت منتری یہاں رہین اور اگر انفارمیشن اینڈ براڈکاسٹنگ منسٹری کے متعلق ہے تو انفارمیشن اینڈ براڈکاسٹنگ منسٹر یہاں رہین - منتری مہودے بتائین کہ یہ واقعہ کیا تھا اور ایسا کیون کیا گیا - اس کے لئے کون ذمہ دار ہے اور اس کو کیا سزا دی جا رہی ہے مین یہ جاننا چاہتا ہون -

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष जी, यह बहुत गंभीर सवाल है। **(व्यवधान)** इस सवाल को बहुत गभीरता से लिया जाना चाहिए। इस सवाल पर इस सदन में कोई मतभेद नहीं है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष जी, एक तो आप मंत्री जी को इस बात की हिदायत दें कि वे पता लगाएं कि वास्तविकता क्या है और इस बारे में वे सदन के सामने एक बयान दें। उसके बाद जैसा आप उचित समझें, कार्यवाही करें, इस पर सदन में कोई मतभेद नहीं है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे विश्वास है कि वे सच्चाई का पता लगाएंगे।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : ईश्वर ही जानता है कि दूरदर्शन का संचालन कौन कर रहा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : इसकी जांच होनी चाहिए और दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : इस पर कार्यवाही होनी चाहिए। (व्यवधान)

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री मोहम्मद युनुस सलीम जी नें जिस विषय की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित किया है, जैसाकि माननीय चन्द्रजीत यादव जी ने कहा है कि इस विषय पर सदन में कोई मतभेद नहीं हो सकता है। हमारे मुल्क के इतने बड़े नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद की शान के खिलाफ कोई बात कही जाए, वह कभी भी बरदाश्त नहीं की जाएगी। (व्यवधान)

सदन के सभी सदस्य चाहे आपकी तरफ के हों या इधर की तरफ के हों, मौलाना आजाद की शान के खिलाफ कोई भी ऐसी बात बरदाश्त नहीं करना चाहेंगे, जिसका जिक्र अभी माननीय सदस्य ने किया है। क्योंकि माननीय सदस्य ने इस बात का जिक्र किया है, निश्चित रूप से इसकी इन्क्वारी होनी चाहिए और यदि किसी भूल से या जानबूझ कर यह बात आई है तो सदन को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। इसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय जैसा उचित समझेंगे निर्देश देंगे।

श्री रामनिहोर राय (राबर्ट्सगंज) : अध्यक्ष महोदय, 4 तारीख को मेरे क्षेत्र मिर्जापुर, जहां से मैं जीत कर आया हूं, वहां पर एक बांध है खजूरी, वह टूट गया, जिसमें 50 लोग बह गए और करीब 30 लोगों का अभी तक पता नहीं है। अभी तक केवल 5 शव मिले हैं। वहां पर एक बरहा नाला है। पिछली बार जब मैं वहां गया था तो मैंने वहां पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को कहा था कि बारिश हो रही है, पानी अधिक हो जाएगा और बांध टूट जाएगा। पर इस ओर अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। कल टी०वी० पर भी इस घटना को दिखाया गया है। अभी तक सिर्फ 5 शव मिले हैं और करीब 30 लोगों का कोई पता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि वहां पर टांडा फाल ऐतिहासिक जगह है, जहां पर हर प्रान्त से पर्यटक आते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण स्थान के होते हुए वहां के अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वह बांध टूट जाने से नाले के पानी से तमाम तहस-नहस हो गया है। वहां पर जन-जीवन खतरे में है और किसानों की फसल नष्ट हो चुकी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वहां के लोगों को और किसानों को मुआवजा दिया जाए।

दूसरी चीज यह है कि सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, जिनको मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था कि इसका पानी पूरा खोल दो, पानी बहुत ज्यादा हो चुका है, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मैंने कहा था कि धान की रुपाई भी हो जाएगी, आप पूरा पानी खोल दो। मैं मांग करूंगा कि केन्द्रीय सरकार वहां की सरकार को हिदायत दे कि इसकी न्यायिक जांच कराए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री फैलीरो, आप क्या कहना चाहते हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि ....

अध्यक्ष महोदय : यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो प्रक्रिया यह है कि श्री जार्ज फर्नान्डीज ने जो कहा है उसे आप पहले पढ़कर सुनाएं, फिर, जो आपको कहना है वह लिखकर आप हमें दें। मैं उसकी जांच करूंगा फिर मैं आपको बोलने की अनुमति कल दूंगा ताकि आगे कोई अड़चन पैदा नहीं हो।

(व्यवधान)

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदय, मैं आपको अभी तुरन्त दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप कल दें।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : कल छुट्टी का दिन है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जो कहा है उसे पढ़ने के लिए आपको कुछ समय मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदय, मैं इसको शीघ्र प्राप्त करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप जो कहना चाहते हैं मुझे उस पर विचार करने की जरूरत है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब सभा में वक्तव्य दिए गए थे तो उनसे बहुत सी जटिलताएं उभर आई हैं। इसलिए, मैं आपसे अधिक सावधानी बरतने के लिए कहूंगा।

(व्यवधान)

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैं ज्यादा सावधानी बरतूंगा। मैं इसे अब आपको देता हूं। महोदय, आप इसकी जांच करें, और दोपहर में इसे आप मुझे दे दें।

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल ठीक बात है।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, आपने बहुत ही ठीक कहा है कि जब जम्मू और कश्मीर का बजट सदन में प्रस्तुत किया जाएगा तो इस राज्य से संबंधित विषयों पर सदन में चर्चा हो सकती है। अब, निरीह लोगों के अपहरण के कुछ अविलम्बनीय मामले घटित हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : और इसी वजह से, मैं आपको बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : जब किसी व्यक्ति का अपहरण होता है, तो आप समझते होंगे कि उस व्यक्ति पर और उसके परिवार पर क्या गुजरती है। महोदय, विगत में जब कभी भी अपहरण की घटनाएं हुईं हमने इस सदन में कई बार अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और सौभाग्य से इनमें से अधिकांश अपहृत व्यक्ति छोड़ दिए गए थे। हाल ही में, जम्मू तथा कश्मीर के एक भूतपूर्व मंत्री का अपहरण हुआ उसके पति का भी अपहरण हुआ। इसके बाद श्री विजय कुमार नाम के एक व्यक्ति का अपहरण हुआ। मुझे बताया गया है कि वह अपनी पत्नी के साथ श्रीनगर में रहते थे। लेकिन वह जम्मू चले गए। फिर वह दिल्ली आए और कुछ दिन पहले वे दोबारा किसी काम से श्रीनगर चले गए। इसके बाद श्री विजय कुमार का अपहरण हुआ। अब उसकी पत्नी वहां पर अकेली है। क्या किसी ने उसकी पत्नी से सम्पर्क किया है कि क्या उसे जम्मू अथवा दिल्ली लाने की जरूरत है? जो बात मेरे दिमाग में आती है वह यह है कि क्या इस तरह की घटनाएं घाटी में सदा के लिए होती रहेंगी। इस बारे में हम क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं? अब हमारा सत्र खत्म होने जा रहा है और सरकार ने राजनितिक समाधान ढूंढने के लिए राजनीतिक दलों की बैठक नहीं बुलाई है। जब किसी व्यक्ति का अपहरण होता है, तो आतंकवादी गिरोह से सम्पर्क स्थापित किया जाता है और परिणामस्वरूप कुछ व्यक्तियों को छोड़ा जाता है और इसके बदले उस अपहृत व्यक्ति की रिहाई होती है। कब तक हम इस प्रक्रिया को जारी रख सकते हैं? सीमापार से घाटी में अस्थिरता पैदा करने के प्रयास हो रहे हैं। महोदय, अब इस मामले में हम क्या राजनीतिक पहल कर रहे हैं? इस समय यह हमारी चिन्ता है।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा करेंगे।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : सभी दलों की बैठक न बुलाने का कारण क्या है? यह मेरी स्पष्ट मांग है और मैं सरकार से इस मामले में स्पष्टीकरण चाहता हूं। अभी तक सभी राजनीतिक दलों की बैठक क्यों नहीं बुलाई गई? इस समस्या का समाधान वहां पर कैसे किया जाए इस पर बहुत-सी राजनीतिक पार्टियां अपना चिन्तन कर योगदान कर सकती हैं। हम किस प्रकार इस प्रक्रिया को हमेशा इसी तरह जारी रहने देंगे? इस मुद्दे पर कोई अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता है? इस मामले पर कोई व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया क्यों व्यक्त नहीं करता? (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, कृपया इस मामले पर व्यक्तियों की किसी प्रतिक्रिया का पता लगाएं। यदि बजट पर चर्चा केवल दो घंटे के लिए ही होती है तो इससे क्या होने वाला है? यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। हमें इस मामले में उनसे प्रत्युत्तर की जरूरत है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब, यदि सरकार अपहरण के बारे में कुछ कहना चाहती हैं तो इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहां तक नीति-संबंधी मामले का संबंध है, वह बजट पर चर्चा के समय ही उस पर बहस की जाएगी।

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह (जालौर) : अध्यक्ष जी, आमतौर पर मैं कभी सदन के सामने ऐसी बात नहीं कहता हूं। मगर, आप जानते हैं कि इस सदन में शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के बारे में आपकी कृपा से कितना अच्छा डिसकशन हुआ और सारी पार्टियों ने उसमें समर्थन किया, यूनिवर्सिली समर्थन हुआ। दुर्भाग्य से दूरदर्शन और आल इण्डिया रेडियो ने सबसे बड़ा हमारे ऊपर अत्याचार यह किया कि हमारे जितने सदस्य यहां पर बोले, उनका किसी ने जिक्र नहीं किया। कल हमारे शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स फोर्म के जो कन्वीनर हैं, उन्होंने प्रैस कांफ्रेन्स बुलाई थी लेकिन हमारा प्रोग्राम राष्ट्रपति जी और प्रधानमन्त्री जी के पास जाने का था और उसका भी उन्होंने बिल्कुल ब्लैक

आऊट किया। इसलिए, कल आपने साठ एम०पीज० को मौका दिया और आपके सामने हमने अपनी बात रखी। आपने बड़ी सहानुभतिपूर्वक बातों को सुना। दुख की बात है कि जो गवर्नमेंट का मीडिया है तो उसने बिल्कुल कम्पलीटली ब्लैक आऊट किया है। हम उसकी निन्दा करते हैं। सदन में जो शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के बारे में कहा गया तो गृह मन्त्री जी का स्टेटमेंट आ गया कि हम मुख्य मन्त्रियों की कांफ्रेन्स कर रहे हैं। यह बड़ी अच्छी बात है कि कांफ्रेन्स हो और उसमें से कोई समाधान निकलेगा। लेकिन जो यहां पर कहा गया तो उनकी पोजीशन को और उनकी समस्याओं को तथा उनकी दयनीय हालत को जो हाइ-लाइट किया गया उसके बारे में दूरदर्शन, आल इंडिया रेडियो और दूसरी प्रैस ने भी हमारे साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार नहीं किया। उनकी निन्दा करते हैं और आपके सामने यह आग्रह करते हैं कि कम से कम गवर्नमेंट मीडिया को ऐसी डायरेक्शन दी जाए कि जो यहां पर सभी वर्गों और सभी सैक्शनों की ओर से कहा जाए, उसको पूरी तरह से रिपोर्ट किया जाए।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, मैं बार-बार इस बात की सरकार को हिदायत करता आया हूं और फिर कहना चाहता हूं कि जो मीडिया का रुख है, इससे इन्टेन्शन पर डाऊट होता है। कौन रिसपांसीबिलिटी फिक्स करने के लिए जिम्मेदार है। क्या उसके लिए डी०जी०, एडीटर या कोई और जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है। कौन ऐसा आदमी बैठा हुआ है जिसने एंटी विकर सैक्शन, एंटी दलित और गरीबों के खिलाफ दूरदर्शन में ऐसा चलाकर रखा है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : सैन्सर की कार्यवाही का दूरदर्शन द्वारा सीधा प्रसारण होना चाहिए। हम इस मामले में किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर क्यों रहें? मैं सीधा प्रसारण का सदैव समर्थक रहा हूं। हमें उस व्यक्ति पर निर्भर नहीं होना चाहिए जो हमारी कार्यवाही का सारांश लिखता है। इस प्रस्ताव पर निर्णय करने के लिए आप किसी बैठक को क्यों नहीं बुलाते? (व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : अध्यक्ष जी, दूरदर्शन और समाचारपत्रों का रवैया हरिजनों के बिल्कुल खिलाफ है। सूचना और प्रसारण मंत्री को वक्तव्य देना चाहिए कि क्या वे दूरदर्शन के ऊपर कोई कार्यवाही करेंगे। समाचार-पत्रों के एडीटर्स और अन्य सभी लोग गड़बड़ कर रहे हैं क्योंकि हरिजनों के मामले हाई-लाईट नहीं करते। कृपया, इस पर आप मंत्री जी से वक्तव्य दिलवाएं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : ब्रॉडकास्ट होना चाहिए उससे जीरो-ऑवर की प्राबलम साल्व हो जाएगी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अभी सोमनाथ जी ने कहा कि आप मीटिंग क्यों नहीं बुलाते हैं। मैं, जरूर मीटिंग बुलाऊंगा और मिनिस्टर साहब को भी बुलाऊंगा। उसके साथ-साथ इस हाऊस की कार्यवाही भी टी०वी० पर दिखाने के लिए आपकी राय भी उस बारे में जानना चाहूंगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : जी, हां। सीधा प्रसारण होना चाहिए। यह उस व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है जो इसका सारांश लिखता है। हम इसकी अनुमति क्यों दें? (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : बूटासिंह जी ने जो मामला उठाया है, उस मामले के संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्री का वक्तव्य दिलवाएं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने बोल दिया है।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : इस मामले में सरकार को गम्भीरता से लेना चाहिए और सरकार को वक्तव्य देना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सदन, सारे हिन्दुस्तान की सबसे ज्यादा जानकारी रखने वाले संवेदनशील लोगों का सदन है। एक शब्द से हम सब-कुछ जान लेते हैं। मैंने यहां पर कह दिया है कि मैं मिनिस्टर साहब से बात करूंगा और दूसरी चीज की बात भी करूंगा।

व्यवधान

श्री कालका दास (करोलबाग) : टी०वी० ने बिल्कुल ब्लैक आउट कर दिया। यह सारी पार्टियों का मामला है जो हरिजनों के बारे में उठाया गया है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं अब बोलना चाहूंगी क्योंकि अध्यक्ष महोदय द्वारा मेरा नाम पुकारा गया है।

महोदय, आपकी सहायता के लिए, मैं बहुत ही संक्षेप में बोलूंगी। मैं एक ऐसा मुद्दा उठा रही हूं जो मेरे राज्य के हित से अत्यन्त संबंधित है। हाल ही में, भारतीय नौवहन निगम ने एक आदेश जारी किया है कि कलकत्ता पत्तन से कंटेनरों का उपयोग अन्य देशों को भेजे जाने वाले माल आदि की ढुलाई के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। भारतीय पत्तन न्यास संयोगवश प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुआ है।

महोदय, अपने राज्य के और इस पत्तन के हित में जो एक महत्वपूर्ण पत्तन है और जो अब खतरे में है, पश्चिम बंगाल सरकार की वजह से नहीं अपितु अन्य कारणों से है। जिसकी चर्चा मैं नहीं कर रही हूं—आपके माध्यम से मैं श्री जगदीश टाईटलर से अनुरोध करती हूं कि वह इस प्रतिबन्ध को खत्म करें।

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : मेरे सहयोगी चिदम्बरम जी पहले ही कलकत्ता गये हुए थे। उन्होंने इस समस्या को मुझे संक्षेप में बताया है। मैं भी इस समस्या को हल करने के लिए कलकत्ता जा रहा हूं।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमन और निकोबार द्वीपसमूह) : अध्यक्ष महोदय, अंतर्द्वीपीय नौवहन सेवा अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के वासियों के लिए जीवन आधार है। दुर्भाग्यवश, विभिन्न मंचों पर चर्चा के बावजूद अन्तर्द्वीपीय बेसिन में कार्यरत नाविकों के लिए सेवा आयोग और वेतन पुनरीक्षण को स्वीकार नही किया गया है। इसके परिणामस्वरूप इन नाविकों के बीच व्यापक असंतोष व्याप्त है। यह असंतोष समुद्री लोगों और नौवहन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों में भी है।

जल भूतल परिवहन मन्त्री यहां मौजूद हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले में अविलम्ब हस्तक्षेप करें क्योंकि जब यह अंतर्द्वीपीय सेवा विफल हो जाएगी तो केद्रशासित प्रदेश अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के लोगों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। खाद्य पदार्थ हम तक पहुंच नहीं पाएंगे। यात्री एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक पहुंच नहीं पाएंगे।

अतः मैं जल भूतल परिवहन मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें और इस सदन को आश्वासन दें कि वह इस मामले में शीघ्र कुछ कार्यवाही करेंगे।

श्री जगदीश टाईटलर : मैं इस मामले को देखूंगा।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष जी, अपंगों के बारे में जो रेल मंत्रालय के जरिये उन पर अन्याय हुआ है मैं उसकी ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हम सभी लोग उनकी मदद करते हैं, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार और सामाजिक संस्थायें तथा रेल मंत्रालय भी अपंगों की मदद करता है। रेल मंत्रालय द्वारा रेल किरायों में उनके लिए 75 प्रतिशत छूट दी थी। उसके कारण अपंगों को काफी सहायता होती थी। मुम्बई नगर में 55 लाख लोग जो यात्रा करते हैं उनमें से 25 हजार अपंग हैं। सरकार ने बिना कोई नोटिस दिये हुए कहा है कि उनको जो छूट दी गई है हम उसे विदड्रा किया है वापस लिया है। इसमें तकनीकी बात बताते हुए कहा है कि जिन अपंगों को गाड़ी में उठाकर रखा जा सकता है उनको ही छूट मिलेगी। परिणाम यह हो रहा है कि अंधों, गूंगों और बहरों क्रच के आधार पर चलने वालों, टूटे हुए हाथ वालों आदि को रेल किराये में कोई कंसेशन नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरी मांग है कि अपंगों पर जो यह अन्याय हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए इस सुविधा को रीस्टोर किया जाये वापस शुरू किया जाये ताकि उनको अधिक तकलीफ न हो। रेल मंत्री ख्याल करें और पूरे कंसेशन को रीस्टोर करें, यही मेरी मांग है।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंह पुर) : महोदय, पंजाब में भारतीय खाद्य निगम के अन्तर्गत कार्यरत पल्लेदार पिछले 83 दिनों से हड़ताल पर हैं। उनकी माँग है कि ठेका प्रणाली को खत्म किया जाए। यह बहुत ही लम्बा मामला है। यह मामला उच्चतम न्यायालय तक गया था। उच्चतम न्यायालय ने निदेश दिया था कि उन्हें कुछ शर्तों के अन्तर्गत नियमित किया जाए। उच्चतम न्यायालय के इस निदेश को हरियाणा और राजस्थान में कार्यान्वित किया जा चुका है।

लेकिन जहां तक पंजाब का संबंध है, इसका कार्यान्वयन नहीं किया गया है। यह मेरा पहला मुद्दा है। यह बहुत ही संवेदनशील मामला है। पंजाब के लोग अभी भी अपने आपको उपेक्षित महसूस करते हैं।

जब यह दो राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है और यदि पंजाब में इसका कार्यान्वयन नहीं होता तो इससे इसे विशेष महत्व मिलता है।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है। कुछ ठेकेदारों के हितों को ध्यान में रखते हुए आप इन बातों को ध्यान में क्यों नहीं रख रहे हैं।

अत: मैं सरकार से अनुग्रह करता हूं कि इस ठेका पद्धति को शीघ्र समाप्त किया जाए और उच्चतम न्यायालय के निदेशों को लागू करें। इस मामले में किसी भी प्रकार की और देरी से दो बातें होंगी—यह पंजाब के कर्मचारियों को नाराज कर देगा और इससे उस समुदाय के लोगों को चोट पहुंचेगी।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, मैंने एक नोटिस दिया है कि बिहार के 24 जिलों में काला-एजार की बीमारी फैली हुई है और उसमें करीब-करीब 54 हजार लोग आक्रांत हैं। आज भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री फोतेदार और बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के बीच में बातचीत हुई जिसमें मैं भी मौजूद था। उस समय भारत सरकार ने स्वीकार किया कि मामला बहुत गंभीर है। लाखों लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं और जान-माल की क्षति हो रही है। ऐसी परिस्थिति में हम सिर्फ आपसे इतना ही आग्रह करना चाहते हैं कि मामले की गंभीरता को देखते हुए मैंने मंत्री महोदय से आग्रह किया था कि इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन में निश्चित रूप से वक्तव्य दें और मैं आपसे भी यही आग्रह करूंगा कि काला-ए-जार के गंभीर मामले को देखते हुए उनको सदन में वक्तव्य देने का निर्देश करें।

[अनुवाद]

प्रो० सावित्रि लक्ष्मणन (मुकुन्दपुरम) : मैं माननीय सदस्य श्री बसुदेव आचार्य के प्रति आभारी जिन्होंने आज इस सदन में महिलाओं के बारे में एक महत्वपूर्ण विषय उठाया है। लेकिन, महोदय, मुझे इस बात का खेद है कि वह अपने राज्य पश्चिम बंगाल की घटनाओं से अवगत नहीं हैं। पश्चिम बंगाल में एक 18 वर्षीय लड़की के साथ एक सहायक उप-निरीक्षक और चार अन्य व्यक्तियों ने 28 सितम्बर को बलात्कार किया। यह कंटाई में हुआ था, जो मिदनापुर जिलों में है। यदि सुरक्षा अधिकारी स्वयं इसमें सम्बद्ध हों तो इस देश में महिलायें सुरक्षा की क्या आशा करेंगी। इस देश में इस तरह की यह पहली घटना नहीं है। यह पता चला है कि बलात्कार की इस घटना के बाद कंटई में उत्तेजित भीड़ पर गोली चलाई गई और दो युवक मारे गये और तीन घायल हुए।

पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री विदेश यात्रा पर थे और पश्चिम बंगाल के विपक्षी दलों के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य 'ज्योति' की अनुपस्थिति में बिल्कुल अंधेरे में है।

इस संदर्भ में पश्चिम बंगाल की पुलिस के महिलाओं के प्रति कठोर रवैये के बारे में इस बात को जारी रखते हुए अपने अनुस्मरण पेश कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हम उस मामले पर चर्चा करने जा रहे हैं। आपने उसे उठाया है।

प्रो० सावित्रि लक्ष्मणन : मैं इस सभा के सम्मुख एक बात और उठाना चाहता हूं। मैं वह घटना दोहराना चाहता हूं जिसमें हमारी माननीय मंत्री महोदय कुमारी ममता बनर्जी शामिल थीं। प्रत्येक समाचारपत्र में यह घटना प्रकाशित हुई थी। पश्चिम बंगाल की पुलिस की निर्दय पिटाई ने तो उन्हें मौत के घाट उतार ही दिया था।

मैं इसके बाद हुई घटनाओं और बलात्कार के मामले में न्यायिक जांच का अनुरोध करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अगर इस सभा का कोई माननीय सदस्य, जो उस राज्य का निवासी है, गलत जानकारी देता है तो उस पर प्रतिक्रिया जाहिर करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। उन्होंने हमें नहीं बताया कि वह पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किया जा चुका है। यह बहुत ही घृणित और निन्दनीय घटना है। संभवतः व्यक्ति इसके समर्थन एक शब्द भी नहीं कह सकता। हम इस बारे में बहुत चिंतित हैं। उसे गिरफ्तार किया जा चुका है और हरियाणा और पश्चिम बंगाल की पुलिस में यही अन्तर है। उसके तथा अन्य लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया जा चुका है और उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है। ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही जारी रहेगी। इस बारे में कोई शक नहीं है। हम इसे उचित नहीं ठहरा रहे हैं।

1.00 म० प०

मेरा विचार था कि शून्यकाल में पिछले वर्ष हुई कुछ अन्य घटनाओं का नहीं अपितु वर्तमान घटनाओं पर विचार होता है।

प्रो० सावित्रि लक्ष्मणन् : यह घटना पिछले वर्ष नहीं अपितु पिछले सप्ताह 28 तारीख को हुई थी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उसकी भी पश्चिम बंगाल में प्रत्येक व्यक्ति ने कड़ी निंदा की थी। किसी ने भी उसका समर्थन नहीं किया। इसलिए मुझे नहीं मालूम कि अगर इसे सिर्फ उकसाने के उद्देश्य से ही बताया गया है तो वह एक अलग चीज है। किसी ने भी इसका समर्थन नहीं किया। दुर्भाग्य से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। यहाँ तक कि देश के विभिन्न भागों में इन घटनाओं में पुलिस भी शामिल है। यह एक ऐसा रोग है जिसे शुरु में ही दबा देना चाहिये, समाप्त कर दिया जाना चाहिये और हम इसके बारे में बहुत चिन्तित हैं। अतः मैं केवल यही उम्मीद करूंगा कि माननीय सदस्य को सावधानीपूर्वक जानकारी प्राप्त करनी चाहिये, उसे दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिये। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री हन्नान मोल्लाह।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सुधीर गिरि।

[हिन्दी]

आपकी कांसटीटूऐंसी में हुई है।

[अनुवाद]

श्री सुधीर गिरि (कोन्टाई) : इस घटना का सम्बन्ध मेरे निर्वाचन क्षेत्र से है। जब घटना हुई, तब मै वहीं था। बलात्कार के मामले में चार व्यक्ति सम्मिलित थे। उनमें से एक पुलिस अधिकारी था और अन्य तीन व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के थे। पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब न्यायिक हिरासत में है। उसके विरुद्ध मामले दर्ज किए गए हैं और जिला न्यायालय में मामला लम्बित है। भीड़ क्रुद्ध हो गई और पुलिस स्टेशन पर पथराव किया गया। इसी कारण पुलिस को गोली चलानी पड़ी। यह स्थिति है।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : पूरे देश को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से आए सैकड़ों छात्र इस अनवरत वर्षा में बोट क्लब पर धरने पर बैठे हुए हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शिक्षा, भारतीय शैक्षिक प्रणाली का सबसे उपेक्षित क्षेत्र है क्योंकि वहां न्यूनतम धनाभाव और आधारभूत संरचना की कमी है तथा उत्पादन प्रणाली के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। इसी कारण वहां स्थिति गंभीर है। उनके पास छात्रावासों, प्रशिक्षण और उपकरणों हेतु कोई सुविधा नहीं है। ये सभी समस्यायें वहां हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को इन संस्थानों में उचित स्थान नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में वे यहां मंत्री महोदय से मिलने आये हैं।

उनकी मुख्यतः तीन मांगें हैं। उनकी एक मांग यह है कि आई०टी०आई० के प्रश्न-पत्र उनके राज्यों की मातृभाषा में होने चाहिये। दूसरे वे 1961 के प्रशिक्षु अधिनियम में संशोधन चाहते हैं ताकि एक ऐसी प्रणाली तैयार की जा सके जिसके अन्तर्गत आई०टी०आई० से प्रशिक्षण प्राप्त सभी प्रशिक्षुओं को उद्योगों में रोजगार की गारंटी मिल सके।

तीसरे 150/- रुपये मासिक न्यूनतम छात्रवृत्ति सभी विद्यार्थियों को दी जानी चाहिए। इन सभी मांगों को लेकर वे यहां आये हैं और मंत्री महोदय से मिलने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि श्रम मंत्री महोदय उनकी मांगों पर सहानुभूतीपूर्वक विचार करेंगे।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (पोन्नानी) : आज शुक्रवार है। हमें भोजनावकाश लेना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : अब हम सभा-पटल पर रखे गए पत्रों को लेंगे।

———

13.04 म० प०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

महापत्तन-न्यास अधिनियम, 1963 के अधीन अधिसूचनायें

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा० का० नि० 150(अ), जो 19 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पारादीप पत्तन कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) विनियम, 1991 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा० का० नि० 180(अ), जो 25 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मारमुगाओ पत्तन कर्मचारी (अवकाश यात्रा भत्ता) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1991 का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा० का० नि० 201 (अ), जो 3 अप्रैल, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापतनम पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) संशोधन विनियम, 1991 का अनुमोदन किया गया है।

(चार) सा० का० नि० 214(अ), जो 15 अप्रैल, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मद्रास पत्तन न्यास (पेंशन) (संशोधन) विनियम, 1991 का अनुमोदन किया गया है।

(पांच) सा० का० नि० 217(अ), जो 15 अप्रैल, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मद्रास पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवा-निवृत्ति) (संशोधन) विनियम, 1991 का अनुमोदन किया गया है।

(छह) सा० का० नि० 228(अ), जो 22 अप्रैल, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कांडला पत्तन (पायलटों का प्राधिकरण) संशोधन (दूसरा) विनियम, 1991 का अनुमोदन किया गया है।

(सात) सा० का० नि० 278(अ), जो 17 मई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मारमुगाओ पत्तन न्यास (विभागाध्यक्षों की नियुक्ति) विनियम, 1991 का अनुमोदन किया गया है।

(आठ) सा० का० नि० 931(अ), जो 30 नवम्बर के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मद्रास पत्तन न्यास (पेंशन) (पहला संशोधन) विनियम, 1990 का अनुमोदन किया गया है तथा इसका एक शुद्धि-पत्र जो 3 अप्रैल, 1991

के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 202 (अ), में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—543/91]

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन अधिसूचनाएं और वार्षिक प्रतिवेदन तथा भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली आदि के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : मैं, सभा-पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्रारूप अधिसूचना, जिसके द्वारा मिश्र धातु निगम लिमिटेड को उक्त अधिनियम की धारा 217 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के उपबंधों से छूट दी गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिए सं०एल०टी० 544/91]

(2) (एक) भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं०एल०टी० 545/91]

(4) (एक) संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 546/91]

राष्ट्रीय लोक वित्त नीति संस्थान नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : मैं, श्री रामेश्वर ठाकुर की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 575/91]

जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अधीन अधिसूचनायें केन्द्रीय सरकार के वर्ष 1989-90 के विनियोग लेखाओं (डाक सेवायें तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन—दिल्ली नगर निगम—नई दिल्ली नगर पालिका, इत्यादि

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : मैं, श्री दलबीर सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम (अभिकर्ता) दूसरा संशोधन निगम, 1990, जो 5 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 745 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[मंत्रालय में रखे गये। देखिए सं० एल० टी० 547/91]

(2) केन्द्रीय सरकार के वर्ष 1989-90 के विनियोग लेखाओं (डाक सेवायें) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[मंत्रालय में रखे गये। देखिए सं० एल० टी० 548/91]

(3) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन (1991 का संख्या 12)—दिल्ली नगर निगम—नई दिल्ली नगर पालिका, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं० एल० टी० 549/91]

(4) निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) चन्द्रपुर गडचिरोली ग्रामीण बैंक, चन्द्रपुर के 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 550/9]

(दो) अम्बाला कुरुक्षेत्र ग्रामीण बैंक, अम्बाला शहर के 31 मार्च, 1991 को समाप्त

हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए सं० एल० टी० 551/91]

(तीन) विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विदिशा के 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए सं० एल० टी० 552/91]

(चार) दुर्ग राजनन्दगाव ग्रामीण बैंक, राजनन्दगांव के 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए सं० एल० टी० 553/91]

(पांच) मारवाड़ ग्रामीण बैंक, पाली के 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये सं० एल० टी० 554/91]

(छह) बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बरेली के 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये सं० एल० टी० 555/91]

(सात) ग्वालियर दतिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दतिया के 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये सं० एल० टी० 556/91]

(आठ) देवी पाटन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोंडा के 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये सं० एल० टी० 557/91]

(नौ) शेखावटी ग्रामीण बैंक, सीकर के 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये सं० एल० टी० 558/91]

(दस) पिथौरागढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पिथौरागढ़ के 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये सं० एल० टी० 559/91]

(ग्यारह) थार आंचलिक ग्रामीण बैंक, जोधपुर के 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये सं० एल० टी० 560/91]

(बारह) श्री सतवाहन ग्रामीण बैंक, करीमनगर के 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष

का प्रतिवेदन लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी० 561/51]

(तेरह) गोदावरी ग्रामीण बैंक, राजामुंदरी के 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी० 562/91]

(चौदह) बुन्देलखण्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, टीकमगढ़ के 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी० 563.91]

(पन्द्रह) सुरेन्द्रनगर भावनगर ग्रामीण बैंक, सुरेन्द्रनगर (गुजरात) के 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी० 564/91]

(सोलह) वर्धा ग्रामीण बैंक, कुमटा के 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी० 565/91]

(सत्रह) मरीजा ग्रामीण बैंक, कोटा के 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी० 566/91]

(अठारह) हडोटी ग्रामीण बैंक, कोटा के 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी० 567/91]

(उन्नीस) श्री अनन्त ग्रामीण बैंक, अनन्तपुर के 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी० 568/91]

(बीस) औरंगाबाद जालना ग्रामीण बैंक, औरंगाबाद के 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी० 569/91]

(इक्कीस) अलवर भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक, भरतपुर के 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी० 570/91]

(बाईस) इन्दौर उज्जैन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उज्जैन के 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी० 571/91]

(तेइस) सहयाद्री ग्रामीण बैंक, शिमोगा के 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी० 572/91]

(चौबीस) वल्लालर ग्राम बैंक, कुड्डालोर के 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी० 573/91]

(5) निक्षेप *बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी० 574/91]

निर्यात अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : मैं निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 16क की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) का० आ० 481 (अ), जो 25 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अधिसूचना में उल्लिखित कतिपय वस्तुओं के निर्यात को निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 6 की उपधारा (घ) के क्षेत्राधिकार से छूट देने के बारे में है।

(दो) का० आ० 482 (अ), जो 25 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अधिसूचना में उल्लिखित कतिपय वस्तुओं के निर्यात को केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार ट्रेडिंग हाऊसिस, ट्रेडिंग हाऊसिस तथा एक्सपोर्ट हाऊसिस द्वारा निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 6 की उपधारा (घ) के क्षेत्राधिकार से छूट देने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी० 576/91]

———

1.06 म० प०

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है :

*निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम, मुम्बई का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन 26 जुलाई 1991 को सभा-पटल पर रखा गया।

"राज्य सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसार, मुझे दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1991, जो 4 सितम्बर, 1991 को हुई राज्य सभा की बैठक में पारित किया गया था, की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

महासचिव : महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा पारित दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1991 सभा-पटल पर रखता हूं।

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सत्र की शेष अवधि के लिए इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :

1. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना :

   (क) पूजा स्थल (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 1991

   (ख) विशेष संरक्षण दल (संशोधन) विधेयक, 1991

   (ग) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विधियां (संशोधन) विधेयक, 1991

   (घ) विदेशी मुद्रा प्रेषण और विदेशी मुद्रा बन्धपत्र में विनिधान (उन्मुक्ति और छूट) विधेयक, 1991

   (ङ) वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1991

2. वर्ष 1991-92 के लिए पंजाब बजट पर सामान्य चर्चा

3. वर्ष 1991-92 के लिए पंजाब के सम्बन्ध में लेखानुदान की मांगों पर सदन मे मतदान

4. वर्ष 1991-92 के लिए जम्मू और कश्मीर बजट पर सामान्य चर्चा

5. वर्ष 1991-92 के लिए अनुदान मांगों (जम्मू और कश्मीर) पर चर्चा और मतदान

6. निम्नलिखित पर विचार और पारित करना :

   (क) स्वैच्छिक जमा (उन्मुक्ति और छूट) विधेयक, 1991

   (ख) राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में दण्ड प्रक्रिया संहिता (दूसरा संशोधन), विधेयक, 1991

   (ग) राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 1991

7. अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : मैं निवेदन करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय को शामिल कर लिया जाये :

उड़ीसा में आई अप्रत्याशित बाढ़ ने बहुत भारी नुकसान किया है। राज्य द्वारा स्थिति पर नियत्रण पाना बहुत कठिन है। इतनी बड़ी आपदा से निबटने के लिये 50 करोड़ रुपये के ऋण की, जिसका पांच वर्षों में भुगतान किया जायेगा, स्वीकृति दी जानी चाहिये। और बाढ़ को भी राष्ट्रीय आपदा के रूप में घोषित कर दिया जाये।

श्री सुधीर गिरि (कोन्टाई) : मैं निवेदन करता हूं कि निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की विषय-सूची में शामिल कर लिया जाये :

(1) सुवर्ण रेखा उद्दुउद्देशीय परियोजना पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा का संयुक्त उपक्रम है। परियोजना का कार्य 1978 में आरम्भ हो गया था किन्तु इसकी ठीक प्रकार से प्रगति नहीं हुई है। 1988 में योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति ने पश्चिम बंगाल की परियोजना के लिए 226.8 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी। जिसमें से, 25 करोड़ रुपये सातवीं योजना की अवधि के दौरान खर्च किए गए थे। पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लोगों के लिये यह परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार के पर्यावरण विभाग ने अभी तक इस परियोजना को मंजूरी नहीं दी है। अतः इस समस्या पर चर्चा की जानी चाहिए।

(2) सरकार की मालभाड़ा समीकरण नीति से देश के पूर्वोत्तर भाग के हितों का नुकसान हुआ है। बिहार, असम और पश्चिम बगाल की सरकारों ने इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास की गम्भीर अड़चनों की ओर केन्द्र सरकार का कई बार ध्यान दिलाया है। मालभाड़ा समीकरण नीति पर चर्चा की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, मैं अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित करने का अनुरोध करता हूं :

"बरेली जिसका चयन काउण्टर मैगनेट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु केन्द्र सरकार ने नैशनल कैपिटल रीजन के अन्तर्गत किया है, के उपयुक्त विकास हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना में आवश्यक धन की व्यवस्था किए जाने की घोषणा की जाए।"

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं निवेदन करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषयों को सम्मिलित कर लिया जाये :

(1) अमरीकी बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों, जैसे, आई० बी० एम०, ड्यूपोंट, मोटोरोला, जनरल इलैक्ट्रिक, फोरट्यून 500 समूह, का भारतीय बाजार में अनियन्त्रित प्रवेश तथा परिणामस्वरूप राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर हो रहे नुकसानदायक प्रभाव।

(2) वर्ष 1991-92 के लिए रसोई गैस कनैक्शन के लक्ष्य को संख्या में आधा करने का (अर्थात् 10 लाख से 5 लाख) प्रस्ताव तथा इसके फलस्वरूप उत्पन्न सामाजिक तनाव।

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : मैं निवेदन करता हूं कि निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलित कर लिया जाये :

(1) जोधपुर डिवीज़न में राजस्थान नहर तथा इंदिरा नेहरू नहर का युद्ध स्तर पर निर्माण तथा उसे पूरा करना, इसके साथ-साथ केवल पाली जिले के लिए जवाई बांध जल का प्रयोग करने की अनुमति देना ।

(2) अहमदाबाद से दिल्ली द्वारा पालनपुर, अबु फलना रानी तक की छोटी रेल लाइन का बड़ी रेल लाइन में परिवर्तन ।

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण (कराड़) : मैं निवेदन करता हूँ कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को शामिल किया जाए :

(1) कृष्णा नदी के बारे में राज्य विवाद पर बछावत अवार्ड में निर्धारित किये गये प्रावधान के अनुसार 2000 ईसवी से पूर्व कृष्णा बेसिन वेस्टर्न महाराष्ट्र में सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु, 750 करोड़ रुपये के परियोजना सम्बन्धी बंध पत्रों को जारी करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को जल्द अनुमति दिये जाने की आवश्यकता ।

(2) राज्यों को विकास परियोजनाओं के लिये आम जनता से ऋण लेने के लिए अनुमति दिये जाने सम्बन्धी सामान्य नीति पर चर्चा करना ।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं अनुरोध करता हूं कि निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाये :

(1) उत्तर प्रदेश सीमेंट कार्पोरेशन के डल्ला एकक के 7000 से अधिक मजदूर उस एकक के निजीकरण किए जाने के विरोध में हड़ताल पर हैं । वे लखनऊ में धरना दे रहे हैं । उन पर लाठियां बरसाई गई तथा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया । केन्द्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए तथा इस शोचनीय समझौते को समाप्त करके उन मजदूरों के परिवारों को मुआवजा दिया जाये जो पुलिस गोलीबारी में मारे गये थे ।

(2) 1956 में इस्पात तथा कोयले की मालभाड़ा समीकरण नीति आरम्भ की गई थी जिससे सम्पूर्ण पूर्वी क्षेत्र में औद्योगिक विकास अवरुद्ध हो गया था । पाण्डे समिति तथा मराठे समिति ने मालभाड़ा समीकरण नीति को पूर्ण रूप से समाप्त करने की सिफारिश की है । उनकी सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है । राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति तथा मराठे समिति की अनुशंसा को तुरन्त लागू किया जाये तथा मालभाड़ा समीकरण नीति को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाये ।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाए :

(1) बरेली उत्तर प्रदेश का औद्योगिक क्षेत्र तथा विभिन्न संयन्त्रों के रूप में विकसित एक जनपद है लेकिन यहां से राजधानी दिल्ली आने हेतु कोई रात्रि एक्सप्रेस रेल सेवा नहीं है जोकि रात्रि में लगभग दस बजे के आसपास बरेली से चले और प्रातःकाल दिल्ली आ गए । इसी प्रकार रात्रि में दिल्ली से प्रस्थान करे और बरेली प्रातःकाल पहुंच जाए । इस प्रकार की रेल

व्यवस्था किए जाने हेतु क्षेत्रीय जनता और उद्योगपतियों की काफी अरसे से मांग चली आ रही है तथा मैंने भी सरकार से इस सम्बन्ध में अनुरोध किया है। सभी वर्गों का विभिन्न आवश्यक कार्यों से दिल्ली आना-जाना लगा रहता है। इस प्रकार की व्यवस्था किया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है इससे समय की बचत होगी।

अतः मेरा अनुरोध है कि बरेली से दिल्ली व दिल्ली से बरेली एक रात्रि एक्सप्रेस रेलगाड़ी चालू की जाए।

(2) आंवला, फरीदपुर दूरभाष केन्द्रों को एस०टी०डी० सुविधा से जोड़े जाने हेतु मेरे क्षेत्र की जनता काफी समय से पुरजोर मांग करती चली आ रही है तथा मैंने भी सरकार का ध्यान इस तरफ कई बार आकृष्ट किया है। यहां के लोगों को यह सुविधा न होने के कारण विविध दूरभाष की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेरा मा० संचार मंत्री जी से अनुरोध है कि आंवला, फरीदपुर दूरभाष केन्द्रों को एस०टी०डी० सुविधा से अविलम्ब जोड़ने का कष्ट करें।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषय को सम्मिलित करने की कृपा करें :

(1) अजमेर जिले में उद्योगों के विकास की बहुत संभावनाएं हैं परन्तु लघु एवं वृहद् उद्योगों की स्थापना नहीं होने से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है तथा ग्रामीण जनसंख्या का बड़ा भाग अन्यत्र रोजगार की तलाश में स्थानान्तरित हो जाता है। अतः अजमेर जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला घोषित किया जाए और उद्योग विकास केन्द्र स्थापित किया जाए।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्यावरण के नाम पर पूर्व वर्षों में बने वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम किसानों के लिए अलाभकारी बन गया है। राजस्थान के कई भागों में नील गायों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो गई है और वे किसानों की बोई हुई फसलों को मटियामेट कर लाखों रुपये का नुकसान पहुंचा रहे हैं। अतः नील गायों के लिए अभ्यारण्य बना कर अथवा अन्य कोई उपाय कर नील गायों के संकट से किसानों को मुक्ति दिलाई जाए।

1.14 म० प०

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.15 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.20 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[राव रामसिंह पीठासीन हुए।]

2.20 म० प०

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1991 के निरनुमोदन बारे में सांविधिक संकल्प
और
संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक

[राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन पर विचार]

सभापति महोदय : अब हम विषय संख्या 10 तथा 11 को एक साथ उठाएंगे।

जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं, कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1991 को 19 अगस्त, 1991 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया था। चूंकि राज्य सभा का सत्र नहीं चल रहा था, इसलिए पिछले सत्र में इसे राज्य सभा द्वारा पारित नहीं किया जा सका। जैसाकि सरकार ने महसूस किया कि इस विधेयक के कानून बनाने में देरी होने से इस कानून का मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा तो 20 अगस्त, 1991 को लोक सभा द्वारा पारित किये गए विधेयक के प्रावधानों समेत, बिना किसी परिवर्तन के, राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किया। चूंकि सदन ने 19 अगस्त, 1991 को इस अध्यादेश के प्रावधानों को विधेयक के रूप में पहले ही मंजूरी दे दी थी, अब इस विधेयक के गुणों के बारे में चर्चा करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। अतः, सांविधिक संकल्प की चर्चा को सख्ती से केवल अध्यादेश जारी किये जाने के विषय तक सीमित रखा जाना चाहिए।

अब, श्री राम नाईक सांविधिक संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 20 अगस्त, 1991 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश संख्या 7) का निरनुमोदन करती है।"

महोदय, आपने विषयवस्तु पढ़ी है और अपने विचारों को इस अध्यादेश तक सीमित रखने के लिए कहा है, और मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं आपके निर्देश का पालन करूंगा।

महोदय, यह अध्यादेश क्या है ? जैसा कि आपने पढ़ा है, 20 अगस्त को एक विधेयक के सम्बन्ध में कर्नाटक राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ वर्ग विशेषों को सम्मिलित करने के लिये इस अध्यादेश को जारी किया गया था। उस विशेष विधेयक को इस सदन द्वारा 19 अगस्त को पारित किया गया था। तब इसे राज्य सभा के पास जाना चाहिए था। परन्तु राज्य सभा का सत्र नहीं चल रहा था तथा 19 अप्रैल का मूल अध्यादेश, जिसके अधीन यह विधेयक यहां आया था, समयातीत हो गया। मैं केवल इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं यह सरकार किस प्रकार कार्य कर रही है और किस प्रकार यह सरकार अध्यादेश का सहारा लेती है।

यह अध्यादेश विधान संबंधी गलतियों, सरकार की अयोग्यता तथा अध्यादेश निर्माताओं द्वारा सारी स्थिति को भ्रमित करने की अजब क्षमता दर्शाने का यह एक जबरदस्त उदाहरण है, इसीलिए मैं इस अध्यादेश का विरोध कर रहा हूं।

19 अप्रैल, 1991 को जम्मू और कश्मीर की विशेष जनजातियों तथा कर्नाटक राज्य की विशेष जनजातियों के सम्बन्ध में, सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया था। दिनांक 19 अप्रैल को जारी इस अध्यादेश की संख्या 3 है। उस अध्यादेश में दोनों राज्य सम्मिलित थे और इसके फलस्वरूप सरकार ने दो विधेयक प्रस्तुत किये थे। सामान्य प्रक्रिया यह है कि एक अध्यादेश के विरोध में एक विधेयक होना चाहिए। मैंने पिछले दो-तीन दिनों में ग्रन्थालय से यह पता लगाने का प्रयत्न किया कि लोक सभा अथवा राज्य सभा के संसदीय इतिहास में, क्या एक समय में एक अध्यादेश के विरोध में दो विधेयक जारी किए गए हैं और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ऐसा पहली बार हुआ है कि एक अध्यादेश के विरोध

में दो विधेयक जारी किए गए हैं। जम्मू और कश्मीर के बारे में एक विधेयक राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था। अन्य विधेयक—वह भी बहुत देरी से—कर्नाटक जनजातियों के सम्बन्ध में लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। लोक सभा में क्या हुआ था ? लोक सभा में, संविधान के अनुसार, प्रत्येक अध्यादेश को सभा पटल पर रखा जाता है तथा सत्र आरम्भ होने के छः सप्ताहों के भीतर विधेयक को पारित किया जाता है। इस विशेष मामले में, सत्र 9 जुलाई को आरम्भ हुआ था। सरकार को इस विधेयक को पहले प्रस्तुत करना चाहिए था। किन्तु सरकार इसे सदन के समक्ष केवल 12 अगस्त को लाई थी।

एक माननीय सदस्य : आप उन्हें क्षमा कर दें।

श्री राम नाईक : हम उन्हें क्षमा कर देंगे। किन्तु हमें यह मालूम होना चाहिए कि हम उन्हें किस आधार पर क्षमा करें। वे विधेयक को सदन के पास लगभग पांच सप्ताह तक नहीं लाए। सरकार क्या कर रही थी ? उस अध्यादेश को 20 अगस्त को समयातीत हो जाना चाहिए था। आप कृपया याद करें—उस समय आप पीठासीन थे—जब मैंने कहा था कि सरकार भली प्रकार काम नहीं कर रही है। तब आपने कहा था : "नहीं, नहीं। हमने कुछ समय दिया है।" सरकार को प्रत्येक विधेयक के लिए सात दिन का नोटिस देना चाहिए और हमें, सदस्य होने के नाते, दो दिन का नोटिस मिलना चाहिए। सरकार ने यह भी नहीं किया था। अन्ततः विधेयक यहां चर्चा के लिए आया था।

सभापति महोदय : आप इस बात से सहमत होंगे कि सभा सात दिन का नोटिस देने की शर्त को छोड़ने के लिए मान गयी है।

श्री राम नाईक : हम सहमत हैं। अध्यादेश के स्थान पर सरकार पहले यह बात कर सकती थी। हम इसे त्याग देते। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सरकार इन बातों को दोहराती रहे। अब चूंकि हम यह नोटिस की बात ही छोड़ रहे हैं, क्योंकि अध्यक्ष महोदय की यह सहृदयता है इसीलिए सरकार इसका नाजायज फायदा उठा रही है।

हमें वे पुराने दिन याद आते हैं जब श्री मावलंकर अध्यक्ष थे और जब वह प्रत्येक अध्यादेश का विरोध करते थे। यहाँ ऐसी सरकार है जो प्रत्येक सप्ताह एक नये अध्यादेश के साथ आती है और आम नियमों को और उस आम व्यवहार को ताक पर रखने की कोशिश कर रही है जोकि उन्हें सदस्यों और सभा के प्रति दिखाना चाहिए अर्थात विधेयक को दो दिन पहले पेश करना। ऐसा नहीं किया गया। फिर क्या हुआ था ? हमने यहाँ लोक सभा में 19 अगस्त को विधेयक पारित किया और अगले ही दिन अध्यादेश व्यपगत हो गया। राज्य सभा का सत्र नहीं चल रहा था। अब चूंकि राज्य-सभा का सत्र नहीं चल रहा था अतः सरकार के लिए इस बात के अलावा कोई चारा नहीं था कि वह एक अन्य अध्यादेश जारी करे। यदि सरकार इस विधेयक को 9 जुलाई, 10 जुलाई या 12 जुलाई या इससे पहले किसी दिन लाती तो यह विधेयक निश्चित रूप से पारित हो जाता। सरकार इस सम्बन्ध में ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रही हैं। सभा के लिए कितनी परेशानी हो जाती है ? कितना समय बर्बाद होता है ? मैं अब 5-10 मिनट और बोलूंगा। अब अन्य सदस्य भी बोलेंगे। पहले भी हमने कहा है। इस सभा का समय बहुत महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। अध्यक्ष महोदय का समय मूल्यवान है। राष्ट्रपति का समय मूल्यवान है। जिस मंत्री परिषद की बैठक में दूसरे अध्यादेश पर विचार हुआ उसका समय भी मूल्यवान है। लेकिन किसलिए यह लाया गया ? क्योंकि श्री सीताराम केसरी समय पर विधेयक नहीं ला पाये

जबकि उनके पास काफी समय था। वह दलित वर्ग के समर्थक हैं और वह कल्याण मंत्री हैं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मंत्री हैं। लेकिन उन्हें 12 अगस्त तक सभा में आने का समय नहीं मिला और वह भी उस अध्यादेश के वास्ते जोकि 19 अप्रैल को जारी किया गया था ताकि पिछला अध्यादेश व्यपगत हो जाये। 20 अगस्त को एक अन्य अध्यादेश जारी किया गया। जब यह विधेयक जिसे हमने पारित किया था राज्य सभा में गया तो राज्य सभा ने विधेयक संशोधित किया और इसमें एक उपबन्ध जोड़ा ताकि यह अध्यादेश राज्य सभा में निरस्त हो जाये। इसी वजह से यह यहाँ जो कुछ संशोधन राज्य सभा ने किया है, उसकी सहमति के लिए लाया गया है।

महोदय, इसमें एक अन्य भारी कमी भी है जिसे जानकर आप चकित होंगे। वह यह है कि यह विधेयक संख्या 111, जो यहां लोक सभा में लाया गया अर्थात वह विधेयक जिसे पुरःस्थापित किया गया था और जिसे हमने 19 अगस्त को पारित किया था, उसमें पिछले अध्यादेश को निरस्त करने संबंधी कोई खण्ड नहीं है। आप तो जानते ही हैं कि प्रत्येक अध्यादेश को निरस्त करना होता है। तथा प्रत्येक अध्यादेश के लिए निरस्त करने वाले खण्ड के साथ-साथ एक निवारक खण्ड भी होना चाहिए ताकि अध्यादेश के चालू रहने तक जो कुछ भी किया गया वह बचाया जा सके। लेकिन यहां तो यह भी नहीं किया गया। यदि आप इसे पढ़ें तो देखेंगे कि इसमें तो केवल एक, दो और तीन धाराएं हैं, निरस्त करने वाला कोई खण्ड नहीं है और इसी कारण ......

सभापति महोदय : क्या उस समय यह गलती आपको पता नहीं चली थी?

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : जो भी समय दिया गया था मुझे तो उस पर कायम रहना था। (व्यवधान) अतः जो कुछ भी समय मुझे दिया गया था, मुझे उसमें बोलना था।

श्री पी० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, वह सभा का समय बर्बाद कर रहे हैं। पहले ही काफी समय बर्बाद हो गया है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : हमारी जिन्दगी और हमारी सीख। मेरा मतलब है हम सभी सीख रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, यह सैन्य अनुशासन है।

सभापति महोदय : जी नहीं, मैं समझता हूं यह बात यहां शामिल नहीं है।

श्री राम नाईक : महोदय, विधेयक राज्य सभा में एक संशोधन के साथ पारित किया गया था और फिर वह वापस आया। विधेयक कब पारित किया गया था? 26 अगस्त को। और फिर अध्यादेश का उद्देश्यों और कारण बताने वाला कथन इस सभा के सभा पटल पर 3 सितम्बर को रखा गया, 13 दिन बाद।

सीताराम केसरीजी, आप उस दिन उपस्थित नहीं थे। मैंने सभा पटल पर उद्देश्यों और कारणों को बताने वाला कथन इतनी देर से रखे जाने के लिए आपत्ति प्रकट की थी अर्थात् दूसरे अध्यादेश को जारी करने के बाद भी सरकार इस सभा में 13 दिन बाद आई। मैं इसी पर आपत्ति प्रकट कर रहा

हूं। सरकार इतनी लापरवाह है, वह गम्भीर नहीं है। पहले तो अध्यादेश पारित किया गया और अब यह बगैर किसी मनोमालिन्य के साथ हमारे समक्ष आये हैं। अतः हमारे लिए इसका विरोध करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है।

महोदय, विधेयक की विषय सूची स्वीकार्य है इस संबंध में कोई विवाद नहीं है और जैसे कि आपने ठीक ही कहा है हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। महोदय मैं सरकार के लापरवाहपूर्ण रवैये के कारण इस पर आपत्ति प्रकट कर रहा हूं। यदि यह विधेयक इस सभा में पहले पेश किया जाता तो इसके इधर से उधर के द्राविड़ प्रणायम से बचा जा सकता था—दो अध्यादेशों का कार्य—और इसी वजह से सरकार को डांटने की आवश्यकता है। महोदय, हमारे अधिकारों के संरक्षक के रूप में आपका यह कर्तव्य हो जाता है कि आप उन्हें समय पर अपना कार्य न करने पर डांटें। हम यह भी आशा करते हैं कि भविष्य में हमारे पास ऐसे अध्यादेश नहीं आयेंगे। यही पहली बात है।

दूसरी बात जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं यह है कि मैंने नाईक, "नायक" कहा था तथा इस विधेयक में उल्लखित के सभी समुदाय महाराष्ट्र के साथ-साथ कर्नाटक की सीमा पर रह रहे हैं। (व्यवधान) जब दूसरा अध्यादेश जारी किया गया था तो सरकार महाराष्ट्र के समुदायों को इसमें शामिल कर सकती थी जिन्हें पहले इसमें से निकाल दिया गया था लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। दूसरे अध्यादेशों में भी उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया।

सभापति महोदय : लेकिन यदि यह विधेयक केवल अध्यादेश को विनियमित करने के प्रयोजन से लाया गया था तो क्या अन्य राज्य के संबंध में गुंजाइश हो सकती थी ?

श्री राम नाईक : महोदय, पहला अध्यादेश व्यपगत हो गया था अतः जब पहला अध्यादेश व्यपगत हो तो क्या अध्यादेश जारी किया गया और जब नया अध्यादेश जारी किया गया तो उस समय वह इसमें सुधार कर सकते थे और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार तो बिल्कुल भी नहीं सुधर रही है। मेरी आपत्ति इसी वजह से है कि सरकार स्वयं को नहीं सुधार रही है। सरकार को स्वयं में कुछ सुधार करना चाहिए, यही मैं कह रहा हूं।

इसलिए महोदय, इन मुद्दों पर मैं अध्यादेश का विरोध कर रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि सभा मुझसे इस बात पर सहमत होगी कि सरकार द्वारा अध्यादेश की शक्ति को इतनी लापरवाही से उपयोग नहीं करना चाहिए।

जैसाकि मैंने पहले कहा है, मैं विधेयक का समर्थन कर रहा हूं, मैं इसकी विषय सूची का समर्थन करता हूं लेकिन मैं इन मुद्दों पर अध्यादेश का विरोध करता हूं और मैं आशा करता हूं कि सभा भी मुझसे सहमत होगी।

महोदय, जो अध्यादेश व्यपगत हो गया है उसके संदर्भ में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है अर्थात् जो अध्यादेश 19 अप्रैल को जारी किया गया था, कि 19 अप्रैल को जारी किए गए अध्यादेश के अनुसरण में उस विधेयक में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया जोकि हमारे पास विधेयक द्वारा की गई कार्यवाही को कायम रखने के वास्ते लाया गया था। मैं जानता हूं कि तकनीकी तौर पर मैं संशोधन नहीं दे सकता हूं लेकिन सरकार को इस तरह कार्य नहीं करना चाहिए।

इसलिए पहले के विधेयक तथा उसके बाद के विधेयक में बचत या प्रावधान किया जाना चाहिए था। इन तकनीकी दोषों के कारण मैं इस अध्यादेश का विरोध करता हूं तथा आशा करता हूं कि यह सदन इस प्रबंध में मेरा समर्थन करेगा।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

(1) कि यह सभा 20 अगस्त, 1991 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश संख्या 7) का निरनुमोदन करती है।"

[हिन्दी]

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं—

"कि कर्नाटक राज्य के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ जनजातियों को सम्मिलित करने का उपपंध करने वाले विधेयक लोकसभा द्वारा यथा पारित, में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधन पर विचार किया जाए :

नया खण्ड 3

पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 9 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए,

"3.(1) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संसोधन) अध्यादेश 1991 का एतद्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा-संशोधित, के अधीन किए गए किसी कृत्य अथवा की गई किसी कार्यवाही को उक्त आदेश, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित, के अधीन किया गया कृत्य अथवा कार्यवाही माना जायेगा।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कर्नाटक राज्य के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ जनजातियों को सम्मिलित करने का उपबंध करने वाले विधेयक लोकसभा द्वारा यथापारित में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधन पर विचार किया जाए :

नया खण्ड 3

पृष्ट 1 पर, पंक्ति 9 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए,

3.(1) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अध्यादेश 1991 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा-संशोधित, के अधीन किए गए किसी कृत्य अथवा की गई किसी कार्यवाही को उक्त आदेश, इस अधिनियम द्वारा तथा संशोधित, के अधीन किया गया कृत्य अथवा कार्यवाही माना जाएगा।"

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : मैंने कुछ प्रश्न उठाए थे। मंत्री महोदय ने उनका उत्तर नहीं दिया है।

सभापति महोदय (राव राम सिंह) : अब चर्चा होगी तथा उसके पश्चात् मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

इसके लिए आधे घण्टे का समय दिया गया है जिसमें से बहुत सा समय हम पहले ही ले चुके हैं। अब मैं श्री गिरधारी लाल भार्गव से बोलने का आग्रह करता हूँ।

[अनुवाद]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापति महोदय, मेरा यहां पर निवेदन यह है कि 19 अप्रैल को एक अध्यादेश निकला था, उसमें जम्मू और कश्मीर में जिन जातियों को अनुसूचित जाति और जनजाति में शामिल करना था, वह था और उसी अध्यादेश में कर्नाटक की जिन जातियों को अनुसूचित जातियों और जनजातियों में शामिल करना था, वह भी था। एक ही आर्डिनेंस जो 19 अप्रैल को निकाला गया, उनमें यह प्रावधान था।

सभापति महोदय (राव राम सिंह) : मेरा निवेदन यह है कि समय कम है। श्री राम नाईक जी ने सारी चीजें काफी विस्तार से सदन के सामने रख दी हैं, इसलिए उनको दोहराना ठीक नहीं होगा। जो नए प्वाइंट्स हैं, वे आप खुशी से सामने रखिए। समय कम है, इसका ध्यान अवश्य रखिए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सभापति महोदय, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि केन्द्रीय सरकार पहले जम्मू और कश्मीर के बारे में बिल लाई, कर्नाटक के बारे में भी साथ-साथ बिल लाना चाहिए था। राज्य सरकार की भूल को दुरुस्त करने के लिए और कर्नाटक के सांसदों का प्रभाव पड़ने से फिर कर्नाटक का बिल लाया गया। जब एक ही आर्डिनेंस था तो बिल भी एक ही आना चाहिए था। इसमें एक साथ जम्मू कश्मीर और कर्नाटक के अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों को निपटाया जा सकता था। केन्द्रीय सरकार ने पहले भूल की और वह भी इतने योग्य मंत्री श्री सीता राम केसरी जी ने भूल की, इसलिए बड़ा अचम्भा होता है।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि चालू सत्र में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के * द्वारा फिर से आर्डिनेंस निकलवाया गया। इस तरह से यह एक तरह से सदन का अपमान किया गया है। जिन जातियों को अनुसूचित जाति और जनजाति में जोड़ना चाहते हैं, उनके बारे में सरकार ने भूल की है और दोबारा चालू सत्र में यह आर्डिनेंस निकाला गया है।

सभापति महोदय (राव रामसिंह) : हमारे राष्ट्रपति बहुत एक्टिव हैं, मैं समझता हूं कि उनके बारे में इस तरह की कोई बात यहां नहीं आनी चाहिए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि एक अनुसूचित ज जनजाति आयोग बनाकर देश भर में जो इस तरह की जातियां हैं, उन सब पर विचार करना चा। जैसे राजस्थान में कठपुतली का काम करने वाले हैं, शहद बेचने वाले हैं, बन्जारा जाति के लोग हैं

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

देश में जहां कहीं भी इस तरह की जातियां हैं, कर्नाटक में भी और कई जातियां छूट गई हैं, इस तरह से सारे भारतवर्ष में जितने प्रांत हैं, उनमें जितनी इस तरह की जातियां हैं, उनका पूर्ण अध्ययन करके उनको अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल किया जाए। सारा अध्ययन कर के एक कंक्रीट बिल लाया जाए।। हमने 44 वर्ष इन जातियों को लाभ न दे कर पीछे कर दिया है।

44 वर्ष का समय चला गया। जो जातियां 44 वर्ष पहले आ गई थीं, वे आगे आ गई। जिन जातियों को जोड़ना था, वे जातियां और पीछे हो गई। जो आपने भूल की है उसके लिए आपको पश्चाताप करना चाहिए। भारत के अनुसूचित जन-जाति के लोगों से क्षमा याचना करनी चाहिए। इसलिये कम से कम आयोग बैठाकर के जल्दी से जल्दी कंसोलिडेटेड बिल, पूरे देश में जितने प्रान्त हैं, जिन-जिन जातियों को आगे लाना चाहते हैं अनुसूचित जन-जाति और अनुसूचित जाति में जोड़कर के तो उसको आप लाएं। हमारे सीताराम जी के ऊपर केसरी है। उनसे निवेदन है कि जिस प्रकार उनका नाम है उसी प्रकार का आचरण करके जिस प्रकार से भारत की जातियों का उत्थान करना चाहते हैं तो हम भी उत्थान करना चाहते हैं। मेरी बात को मानेंगे, यही मेरी प्रार्थना है।

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, मैं नाईक जी और भार्गव जी से निवेदन करूंगा कि अपना संशोधन वापिस लें। सबसे बड़ी बात मावलंकर जी की है। वे आज होते तो वे इस आर्डिनेंस को रोकते नहीं क्योंकि अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रश्न है। जहां तक जिन जातियों को आरक्षण में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति में शामिल करने का प्रश्न है, मैं आपको सदन में आश्वस्त करता हूं और आश्वासन देता हूं कि कम-से-कम 150 जातियों की लिस्ट मेरे पास तैयार है। उसको मैं छान-बीन करके पूर्ण रूप से सर्वेक्षण करने के बाद आपके बीच लाकर के उनका जो अधिकार है, उसको निश्चित रूप से पूरा करूंगा। इन शब्दों के साथ मेरा निवेदन है कि आप अपने संशोधन को वापिस लें और फिर प्रस्ताव पास करें।

श्री राम नाईक : माननीय सभापति जी, मेरे प्रस्ताव के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा कि मावलंकर जी यदि होते तो यह जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का आर्डिनेंस है उसको तुरन्त समर्थन देते। मुझे लगता है कि मावलंकर जी होते तो सरकार को ऐसा डांट देते कि आप इतना अच्छा शेड्यूल्ड ट्राइब्स के काम के लिए इतनी ढिलाई से काम करते हैं। इसलिए मैं नहीं मानता कि मावलंकर जी होते तो ऐसा हो जाता। लेकिन अब हो गया है। हम भी आपको कहेंगे कि दुबारा कम से कम इस प्रकार से न करें। श्री भार्गव जी ने मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया, उसके लिए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने एक बात और भी कह दी कि इसमें राजनीतिक दबाव है। इसके लिए सरकार कर्नाटक वालों को सुविधाएं नहीं देना चाहती आर्डिनेंस निकालने के बाद भी। जैसा मैंने कहा कि मैं कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा पर रहने वाला "नाईक" हूं। जो सुविधायें हैं वे "नाईक और नायक," जैसी जातियों को मिल रही हैं। इसलिए दबाव पर आप इस विधेयक को लायें हैं। इस बात को कम से कम मैं सदन में लाना चाहता हूं जिससे किसी को गलतफहमी न हो। यह बात सही है कि राजनीतिक दबाव के कारण यह दूसरा विधेयक आया। कृपा ऐसे मामलों में हमको राजनीतिक दबाव लाने के लिए मजबूर मत कीजिए। इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को सभागृह की अनुमति से वापिस लेना चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय (राव राम सिंह) : क्या सभा माननीय सदस्य को अपना संकल्प वापस लेने की अनुमति देती है?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संकल्प सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कर्नाटक राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जन-जातियों की सूची में कुछ जन-जातियों को सम्मिलित करने का उपबंध करने वाले विधेयक लोकसभा द्वारा यथापारित, में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधन पर विचार किये जायें :

नया खण्ड 3

पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 9 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए,

"3.(1) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1991 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा-संशोधित, के अधीन किये गये किसी कृत्य अथवा की गई किसी कार्यवाही को उक्त आदेश, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित, के अधीन किया गया कृत्य अथवा कार्यवाही माना जाएगा।"

यह प्रस्ताव भी करेंगे कि राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों को स्वीकृत किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 3

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 9 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाए,

"3.(1) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1991 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा-संशोधित, के अधीन किये गये किसी कृत्य अथवा की गई किसी कार्यवाही को उक्त आदेश, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित, के अधीन किया गया कृत्य अथवा कार्यवाही माना जायेगा।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री सीता राम केसरी : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन को स्वीकार किया जाये।"

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किये गये संशोधन को स्वीकार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

2.20 म०प०

बैंक आफ क्रेडिट एण्ड कामर्स इन्टरनेशल (ओवरसीज़) लिमिटेड के बारे में प्रस्ताव

श्री जसवन्त सिंह (चितौड़गढ़) : सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि यह सभा बैंक क्रेडिट एण्ड कामर्स इन्टरनेशनल (ओवरसीज) लिमिटेड (बी०सी०सी०आई०) के बन्द होने को गंभीरता से लेते हुए भारतीय कंपनियों के स्टॉक को हड़पने सहित इस बैंक द्वारा धन के दुरुपयोग से सम्बन्धित विभिन्न समाचारों पर अपनी चिन्ता व्यक्त करती है और सिफारिश करती है कि लोक वित्तीय संस्थानों के आचरण के मानदण्डों सम्बन्धी तुरन्त घोषणा की जाये और इस मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाये।"

यह प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए तथा इस सम्बन्ध में चर्चा को आरम्भ करते हुए मैं सबसे पहले यह कहना चाहूंगा कि संसार में वित्तीय घोटालों की कमी नहीं है।

ब्रिटेन में 'नैशनल बैंस्टमिनिस्टर बैंक' घोटाला, 'ब्लू ऐरो' घोटाला तथा फ्रैंकफर्ट में आन्तरिक व्यापार घोटाला हमारे सामने है :

इससे पहले अमरीकी जंक बॉन्डज़ का घोटाला सामने आया था जिसके कारण 'माईकल मिल्कल' को जानक्रोश का सामना करना पड़ा।

अमरीका में ट्रेजरी बांडज़ के व्यापारी सालमन ब्रदर्ज के दण्डित होने का मामला भी पिछले दिनों सामने आया।

अभी-अभी पिछले दिनों जापान में ओसाका क्रेडिट यूनियन में नीमकारा सिक्यूरिटीज़ में तथा टोयो शिनकिन बैंक इत्यादि में अनियमितताओं के उदाहरण हमारे समक्ष आए।

इन वित्तीय घोटालों के संदर्भ में अब बी० सी० सी० आई० का एक बड़ा घोटाला हमारे सामने है।

महोदय, इन घोटालों के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी करने से पहले मैं इस सारी चर्चा से सुसंगत एक टिप्पणी को उद्धृत करना चाहूंगा।

"जापान में हुए इन घोटालों की ओर विशेष ध्यान देने का सबसे प्रमुख कारण यह है कि जो 12 घोटाले सामने आए हैं, वे ही मात्र घोटाले ही नहीं हुए हैं।"

यह उद्धरण जापान में हुए घोटालों के बारे में है। परन्तु मुझे यह भारत के संदर्भ में कहना सुसंगत तथा व्यावहारिक लगा कि मैं इसे सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

"ये घोटाले ही मात्र ऐसी घटनाएं नहीं हैं। वे जापान की अर्थव्यवस्था, राजनैतिक भ्रष्टाचार तथा व्यापार व्यवस्था में रच बस गये हैं। वे प्राकृतिक तौर पर ही नहीं बल्कि जो खतरा वे उत्पन्न करते हैं, उसके कारण भी व्यवस्थापरक हो गए हैं।"

इसके पश्चात् इस उद्धरण में जापान के उद्योग, व्यापार तथा वाणिज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को होने वाले खतरों के सम्बन्ध में विचार व्यक्त किए गए हैं। यह खतरा मेरे मन में सर्वोपरि है तथा देश के मूल ढांचे को होने वाले खतरे की शंका ने ही मुझे एक प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया है।

महोदय, इन सभी घोटालों में एक कीमत दी गई है और यही मुख्य बात है कि हमें विशेष ध्यान देना होगा। मुझे यह भी पता चला है कि जापान के वित्त मंत्री श्री अशिमीतो त्यागपत्र दे रहे हैं। हमारे वित्त मंत्री के लिए मेरा यह सुझाव नहीं है। परन्तु यह पक्ष स्पष्ट है कि इन घोटालों में एक कीमत दी गई है। चाहे यह ब्रिटेन, जर्मनी अथवा जापान या अमरीका हो। जितना भी बड़ा व्यापारी घराना हो तथा इसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति कितना भी बड़ा राजनैतिक व्यक्ति रहा हो, फिर भी प्रत्येक घोटाले में एक कीमत दी गई हैं।

संभवत: सालोमन ब्रदर्स, सबसे पुरानी और प्रसिद्ध फर्म है जो सरकार के ट्रेजरी बांड्स का लेन-देन करती है। 'बी०सी०सी०आई०' के कारण चेयरमैन को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, श्री क्लीफोर्ड जैसे राजनेता जो संयुक्त राज्य अमरीका के काफी राष्ट्रपतियों के सलाहकार थे, को अपने जीवन के इस मोड़ पर त्यागपत्र देना पड़ा। मुझे इसी बात का डर है कि स्वतंत्रता के बाद एक समय में भी भारत में भी राजनैतिक नेताओं द्वारा गलत कार्य किये गये, धन का दुरुपयोग किया गया और यहां तक कि इसके लिए किसी का दायित्व भी निर्धारित नहीं किया गया और हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। पहले जीप कांड और फिर मुन्द्रा कांड हुआ। वह भी वित्तीय संस्थान के बारे में था। मेरे कुछ वरिष्ठ सहयोगियों को तुलमोहन राम कांड के बारे में याद होगा। इन सभी कांडों में दायित्व की ही बात थी। किसी न किसी को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। इसीलिए मैंने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है क्योंकि उन दशकों में दायित्व जैसी कोई चीज नहीं थी, सार्वजनिक दायित्व, सार्वजनिक जीवन में एकता, औद्योगिक वित्तीय और वाणिज्यिक उद्यमों में जिम्मेदारी नहीं था। सभी कार्य ऐसे ही चलते रहे। सार्वजनिक संस्थान, वित्तीय बैंक और यहां तक कि भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार भी उस धोखे का हिस्सा बन गए थे। मेरे पास ऐसे अनेक उदाहरण नहीं हैं। बोफोर्स का ही उदाहरण लें। संभवत. यह राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के लिए हथियार खरीदने की प्रणाली से सम्बन्धित सबसे बड़ा कांड है। अभी 65 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना शेष है। शायद राजनीतिक तौर पर उसकी कीमत चुका दी गई है लेकिन इस 65 करोड़ रुपये की जिम्मेदारी तय की जानी शेष है। सनाम प्रोग्रेट्टी और उर्वरक सम्बन्धी सौदे अथवा 'सभी टोमों' अथवा 'कुओं ऑयल डील' तथा अन्य अनेक इसी प्रकार के उदाहरण हैं। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि इनमें से किसी में भी दोषी पक्ष को कीमत नहीं चुकानी पड़ी। अत: जब उन्होंने इसकी कीमत नहीं चुकाई तब देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। देश ने इसकी कीमत चुकाई है कि देश में भ्रष्टाचार फैल गया है। पूरे देश में भ्रष्टाचार का वातावरण बन गया है। हमें यह कीमत इसलिए चुकानी पड़ी क्योंकि दोषी व्यक्तियों को हम सामने नहीं ला सके। राष्ट्र को यह कीमत इसलिए चुकानी पड़ी क्योंकि सब जगह द्वेष की भावना व्याप्त है तथा अक्सर यह कहा जाता है कि :

[हिन्दी]

कुछ नहीं है, कोई जवाबदेह नहीं है, किसी की जवाबदेही नहीं है।

[अनुवाद]

आपको राष्ट्र में व्याप्त द्वेष की भावना को दूर करना है। इन सबके परिणाम भारत की नैतिक और कार्यकारी शक्ति कम हो रही है। देश की शक्ति कम ही नहीं कर दी बल्कि उसे नष्ट भी कर दिया है। वास्तव में वे ही भ्रष्टाचार फैलाते हैं। इस प्रस्ताव का यही मुख्य मुद्दा है। इसीलिए इस सत्र के शुरु ही में 'बी०सी०सी०आई०, के इस कांड के उठाने का अवसर प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूं। हम किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं? प्रस्ताव का मुद्दा मैंने पढ़ कर सुना दिया है। हम अंतर्राष्ट्रीय साख और वाणिज्य बैंक के असफल होने और इसके हम पर पड़े कुप्रभाव पर चर्चा कर रहे हैं। हम सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं, उनके दायित्व अथवा इन सब में उनके शामिल होने के पहलू पर भी चर्चा कर रहे हैं। हम इसमें सरकार के कार्य, भूमिका तथा दायित्व पर चर्चा कर रहे हैं। हम इसीलिए इस प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। इस प्रस्ताव पर चर्चा करने से जिस विधायिका में हम बैठे हैं उसकी परीक्षा है कि वह इस प्रस्ताव विशेष पर क्या कार्यवाही करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के कुछ ऐसे पहलू हैं जिनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। कल ही रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री ने स्वयं कहा था कि 'आंतरिक' शब्द हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की पूर्णता का एक पहलू है। उन्होंने कहा था कि 'आंतरिक शब्द में मादक पदार्थ आतंकवाद, नशीले पदार्थों का व्यापार जैसे पहलू भी राष्ट्रीय सुरक्षा का भाग बन गए हैं। यदि हम बी०सी०सी०आई०' के कार्यों की जांच करने पर पाएं कि यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बन्धित है तब मेरा और सभा का यह कर्त्तव्य है कि हम इस पहलू पर विशेष ध्यान दें।

3.00 म०प०

मैं 'बी०सी० सी० आई०' के कृत्यों के कार्यक्षेत्रों का मोटे रूप से ब्योरा देना चाहूंगा। मैं कुछ प्रकाशित विस्तृत रिपोर्टों के आधार पर ब्योरा दे रहा हूं क्योंकि भारत में हमें इस विषय पर माननीय वित्त मंत्री के मूल वक्तव्य पर निर्भर करना पड़ता है। इसके पूरे विषय को ही बदल दिया जाता है। हमें यह जानकारी दी गई है कि यह पाकिस्तानी बैंक :

"......अंतर्राष्ट्रीय अस्त्रों के विश्व के गरीब देशों का एक शक्तिशाली व्यापारी का कार्य करता है। बी०सी०सी०आई० जिसे ऋण देने के लिए स्थापित किया गया था ने गलत तरीके अपनाकर ऋण दिया और कुछ मामलों में सौदे करने में पहल की जिसने संयुक्त राज्य अमरीका के तकनीकी सैन्य संतुलन को बिगाड़ दिया......इसके अलावा बी०सी०सी०आई० के माध्यम से व्यापार कर रहे सरकारी स्रोतों, भूतपूर्व बी०सी०सी०आई० बैंकरों और शस्त्र व्यापारियों ने पाकिस्तान, ईरान, इराक और लीबिया को आणविक अस्त्र प्रौद्योगिकी देने में गलत भूमिका निभाई, ऐसा समझा जाता है वे कथित 'इस्लामिक बम्ब' की बात करते हैं ताकि इजरायल के पास जो आणविक शक्ति है उसका सामना कर सकें। इन स्रोतों के अनुसार 'बी०सी०सी०आई०' पाकिस्तान तथा पूरे मध्य-पूर्व के अन्य ग्राहकों को ऐसे हथियार देने में व्यस्त है।"

यह न केवल हथियारों की खरीद या उनके उत्पादन बल्कि उनकी सुपुर्दगी का भी तंत्र है।

बी०सी०सी०आई० का वर्णन इस प्रकार है :

"यह एक विशाल, राज्यविहीन, बहुराष्ट्रीय निगम है जो अपनी उन सूचना एजेंसी, अर्धसैनिक टुकड़ी और प्रवर्त्तन एककों का उपयोग करते हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से 'ब्लैक नेटवर्क' कहा जाता है। यह विदेशों के साथ अपना कूटनीतिक सम्बन्ध बैंक के प्रोटोकोल आफिसर्स की सहायता से कायम करते हैं और वे स्पष्ट रूप से अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिये असीम धनराशि का उपयोग करते हैं।"

सभापति महोदय : आप किस पत्रिका से उद्धृत कर रहे हैं ?

श्री जसवन्त सिंह : मैं उस पत्रिका से उद्धृत कर रहा हूं जो मैं प्राय: नहीं पढ़ता हूं। यह "टाईम" पत्रिका के सितम्बर माह का दूसरा अंक है।

सभापति महोदय : क्या यह अमरीका से प्रकाशित "टाईम" पत्रिका है।

श्री जसवन्त सिंह : यह "टाईम इंटरनेशनल" है। मैं नहीं जानता कि यहां कहां से प्रकाशित होती है। मैं समझता हूं कि यह सिंगापुर से भी प्रकाशित होती है।

"झूठे दस्तावेजों का चालाकीपूर्ण उपयोग करके बिलियनों डालर के बिना हिसाब-किताब के धन को ऋण-पत्रों के रूप में उपयोग किया जाता है······"

उन्होंने जो कुछ किया है, उसके उदाहरण मैं दूंगा। उनकी भारत में भी ऐसी ही गतिविधि रही है।

"··· और निष्ठावान सरकारी अधिकारियों के साथ गोपनीय मिलीभगत थी···"

जब मैं इस पूरे ब्यौरे से अवगत हुआ तो मुझे बेहद चिन्ता हुई।

"······कई देशों में बी०सी०सी०आई० विश्व में, विशेषकर मध्य पूर्व देशों में हथियारों के सौदागर के रूप में अपनी भूमिका निभाने लगा।"

मुझे आगे यह और जानकारी मिली

"बी०सी०सी०आई० ने पैसा देने या उन देशों के बीच हथियारों के सौदे में दलाली करने का कार्य किया, जो राजनैतिक सम्बन्धों के पर्दाफाश होने का खतरा मोल नहीं ले सकते थे। यूरोप और मध्य-पूर्व देशों के हथियारों के सौदागर, तथा साथ ही बी०सी०सी०आई० के कराची स्थित "ब्लैक नेटवर्क' के एक उच्चस्तीय अधिकारी ने टाईम पत्रिका को, परम्परागत हथियारों की बिक्री के लिये बी०सी०सी०आई० की व्यापक सेवाओं के बारे में पृथक रूप से, लेकिन एक ही जैसी जानकारी दी।"

वे दलाली, आर्थिक सहायता देना, ऋण पत्र जारी करना, जाली प्रयोगकर्ता अंतिम प्रमाण पत्र देना, कलपुर्जे की खरीद व बिक्री, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना आदि सभी कार्य करने में समर्थ थे।

इन क्षमताओं की सहायता से बी०सी०सी०आई० ने पहले से प्रसिद्धि प्राप्त सैनिक विमानों के निर्माता 'दस्साल्ट एविएशन' के साथ महत्वपूर्ण व्यापारिक सम्बन्ध कायम कर लिये और यदि बात विशेषरूप से हमारे मामले से सम्बद्ध है।

आरिफ दुर्रानी के अनुसार, जो पहले बी०सी०सी०आई० के लिए कार्य करते थे और हथियारों के सौदागर हैं और अभी वे इराक को अवैध रूप से एक विमानभेदी प्रक्षेपास्त्र देने के आरोप में

अमरीका में जेल की सजा भुगत रहे हैं, मिराज विमानों का सौदा करने वाला दुनिया के सबसे बड़े सौदागरों में 'आसफ अली' नाम का एक पाकिस्तानी शामिल है। अन्य जानकारियों का मैं यह उल्लेख नहीं करूंगा। लेकिन आसफ अली को बी०सी०सी०आई० से आर्थिक सहायता मिलती थी और उसने मिराज विमानों सहित बेचे गए कई सर्वोत्कृष्ट मिराज 2000, विमानों की बिक्री में बिचौलिये का कार्य किया, और ये विमान जिन देशों को बेचे गये, उनमें इराक, लीबिया और अबू धाबी शामिल हैं।

सबसे अधिक विचलित करने वाली बात यह है कि एक महाशक्ति की राजनैतिक तत्परता को दर्शाते हुए इस आसफ अली ने भारत को मिराज-2000 किस्म के 49 विमानों की बिक्री में बिचौलिए की भूमिका निभाई और समता बनाए रखने के लिये उसने उतनी ही संख्या में पाकिस्तान को भी नए मिराज विमान उपलब्ध कराए और उसी से पेरू का मिराज घोटाला भी जुड़ा है। पेरू के मिराज घोटाला कांड के विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। उसी व्यक्ति ने जो बी०सी०सी०आई० से सम्बद्ध था दो दर्जन मिराज विमान जिसे पेरू को बेचा गया था, पाकिस्तान को सप्लाई कर दिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : पचास हजार डालर।

श्री जसवंत सिंह : उससे भी अधिक। केवल इन मिराजों की ही बात नहीं है, मैं और भी ब्यौरा अभी बता रहा हूं। इसलिये, पिछले महीने जब ब्रिगेडियर इमाम-उल-हक को फ्रैंकफर्ट में गिरफ्तार किया गया और जिनकी गिरफ्तारी की मांग अमरीका द्वारा 1987 से ही की जा रही थी···।

सभापति महोदय : श्री जसवन्त सिंह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं इसलिये मैं नहीं चाहता कि इस दौरान कोई व्यवधान हो। इस चर्चा के लिये कोई समय निर्धारित नहीं है। मैं सभा का सर्वसम्मत विचार जानना चाहता हूं कि वह कितना समय इसके लिये निश्चित करना चाहते हैं। गैर सरकारी सदस्यों सम्बन्धी कार्य के कारण ही यह रोकना पड़ेगा। गैर सरकारी सदस्यों सम्बन्धी कार्य शुरू होने के बाद इसमें कम से कम $2\frac{1}{2}$ घंटे लगेंगे। यह करीब 3.30 बजे शुरु होगा। इसलिये समय को देखते हुए यह सभा पर निर्भर है कि वह कितना समय निर्धारित करेगी।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : चर्चा अगले सप्ताह होगी। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : कार्य मंत्रणा समिति में एक निर्णय लिया गया था। अध्यक्ष महोदय ने स्वीकार किया था कि यह चर्चा—जो आज शुरु होगी—अगले सप्ताह भी जारी रहेगी। अगले सप्ताह इस पर किस दिन चर्चा होगी, यह निर्णय अभी लिया जाना है। लेकिन आज गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य शुरु होने तक इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी। यह चर्चा अगले सप्ताह उस समय तक जारी रहेगी, जब तक वह समाप्त नहीं हो जाती और इसमें समय की कोई सीमा नहीं होगी।

सभापति महोदय : ठीक है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : धन्यवाद।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मैं फ्रैंकफर्ट में ब्रिगेडियर इनाम-उल-हक की गिरफ्तारी के बारे में बोल रहा था। उनके गिरफ्तारी की मांग 1987 से ही अमरीका में की जा रही थी। यह सर्वविदित है कि उनके गिरफ्तारी की मांग पाकिस्तान के परमाणु बम विकसित करने के लिये न्यूक्लियर वैपन्स

श्रेणी के इस्पात की खरीद के सम्बन्ध में की गई थी। अमरीकी न्याय विभाग ने यह स्वीकार किया है कि बी०सी०सी०आई० ब्रिगेडियर इनाम-उल-हक को वित्तीय सहायता उपलब्ध करता है।

बी०सी०सी०आई० के परमाणु हथियार सम्बन्धी और भी बातें हैं। यह एक अब सुस्थापित तथ्य है कि बी०सी०सी०आई० पाकिस्तान सरकार के एजेंटों को परमाणु हथियार सम्बन्धी वस्तुओं के खरीद और विश्व में जहां कहीं इससे सम्बन्धित प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, उसे प्रदान करने के लिये अपनी सेवाएं देता रहा है। बी०सी०सी०आई० ने पाकिस्तान को परमाणु बम परियोजना के स्वामी के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य किया था। पाकिस्तान को बी०सी०सी०आई० द्वारा दी गई प्रक्षेपास्त्र सम्बन्धी सहायता देने के पहलू का मैं उल्लेख नहीं कर रहा हूं। अमरीका में हथियार नियंत्रण विशेषज्ञों के पास यह प्रमाण है कि इराक और ईरान को परमाणु हथियार सम्बन्धी सामग्री और प्रौद्योगिकी को उपलब्ध कराने में बी०सी०सी०आई० ने प्रमुख भूमिका निभाई और अवैध की चहुमुखी सेवाओं का मुख्य लाभ प्राप्तकर्ता पाकिस्तान रहा। एक अंतर्राष्ट्रीय हथियारों के दलाल का कहना है "पाकिस्तान की खुफिया सेवा और बैंक के काले धंधों में लिप्त अधिकारियों के बीच आप अंतर नहीं कर सकते।" यह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात है। मैंने शुरु में कहा था कि बैंक ने एक गुप्त कार्य करने का एक नेटवर्क था, जिसे 'ब्लैक नेटवर्क' कहा जाता है। और कुछ देर पहले जो हम कह रहे थे, उन बातों की पुष्टि यहां हो गई। केवल इतनी ही बात नहीं है कि आई०एस०आई० अर्थात् पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस का बी०सी०सी०आई० एक प्रमुख बैंक था। वास्तव में बैंक का जो ब्लैक नेटवर्क था, उसे पाकिस्तानी खुफिया नेटवर्क से अलग करना मुश्किल था। यह सब कराची में हो रहा था।

दूसरा मुद्दा, जिसके बारे में, मैं आगे बताना चाहता हूं, वह चीन से प्रक्षेपास्त्र देने की प्रणाली और परमाणु हथियार सम्बन्धी सामग्री की आपूर्ति से सम्बन्धित है। महोदय, यह भी अब तक मालुम हो गया है कि चीन पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति करता है।

यह कुछ वैसी ही बात है, जिसकी ओर माननीय रक्षा मंत्री ने यह इंगित किया था कि सरकार चीन द्वारा पाकिस्तान को न्यूक्लियर हार्डवेयर दिये जाने पर चिंतित है और इससे इसकी यहाँ एक बार पुष्टि हुई है। चीन पाकिस्तान को न्यूक्लियर हार्डवेयर सप्लाइ करता है और साथ ही पाकिस्तान, सीरिया, इराक, सऊदी अरब को प्रेक्षापास्त्र प्रक्षेपण प्रणाली भी सप्लाई करता है, जिसमे मध्यम दूरी के बैलास्टिक, 'प्रक्षेपास्त्रों की सऊदों की बिक्री भी शामिल है, जिसमें बी०सी०सी०आई० ने कमीशन लिया था। इस अवसर पर मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इसमें मुख्य बात यह है कि इसे बी०सी०सी०आई० ने चीन के माध्यम से वित्तपोषित किया था, फिर चाहे यह बिक्री सऊदी अरब को की गई हो या अन्य किसी को की गई। अभी हाल ही में, सऊदी अरब द्वारा पाकिस्तान को 300 टैंक भेंट किये जाने का मामला इसका उदाहरण है और यह मेरे द्वारा व्यक्त चिंता की ओर ही इशारा करता है। मैं इस तरह के अनगिनत उदाहरण दे सकता हूं। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूं, वह बात मेरे द्वारा दिये गये कुछ उदाहरणों में अच्छी तरह से कह दी गई है। मैंने विस्तारपूर्वक पूरी बात कह दी है। लेकिन मैंने यह उदाहरण क्यों दिये हैं? एक क्षण के लिए भी मैं यह विश्वास नहीं कर पाता कि बी०सी०सी०आई० यह सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1980 के दशक के प्रारम्भ से कर रहा था, जब वह किसी प्रकार की जोड़-तोड़ से भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के संपर्क में आये और इस जोड़-तोड़ ने इस तरह से काम किया कि बी०सी०सी०आई० की बम्बई शाखा को बेकसूर घोषित कर माफ कर दिया गया। यही सब माननीय मंत्री ने अपने पिछले वक्तव्य में सबूत

और समूचे राष्ट्र को बताने का प्रयास किया था। जबकि 1980 के दशक के प्रारम्भिक वर्षों से बी०सी०सी०आई० संसार में हर तरह की गतिविधियों लिप्त थी, लेकिन जब इन्होंने मुम्बई में अपना कार्य प्रारम्भ किया तब सरकार निरीह बनी रही, उनके लिए वह बेकसूर थे। महोदय, मुझे इस पर विश्वास नहीं होता (व्यवधान) मुझे इसका कारण यह नजर आता है कि या तो गंभीर रूप से बहकाने की कोशिश की गई है या संसद या इसके बाहर राष्ट्र में हम सबकी पूर्णतया: उपेक्षा की गई है। हमें विश्वास करना चाहिए कि इससे सत्ता-पक्ष द्वारा किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। माननीय वित्त मंत्री के लिए मैं कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता। लेकिन सवाल यह है कि यह कुछ अर्थ नहीं रखता कि जो कुछ उन्होंने बताया है उसके प्रभाव चाहे कितना ही अपमानजनक हो, राष्ट्र उसे स्वीकार करेगा और फिर भगवान के सत्य के रूप में राष्ट्र उसे स्वीकार भी करेगा चाहे उससे राष्ट्र के भविष्य का अहित ही क्यों न हो। आखिरकार हम यहां किसलिए हैं ? बी०सी०सी०आई० की गतिविधियों के अन्तर्राष्ट्रीय पहलू पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। इस प्रस्ताव के माध्यम से आखिर हम किस उद्देश्य की पूर्ति का प्रयास कर रहे हैं ? हम यह सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के साथ बी०सी०सी०आई० के सम्बन्ध थे। हम यह सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि बी०सी०सी०आई० भारत या विदेशों में नशीले पदार्थों के व्यापार से प्राप्त धनराशि को जमा रखने और एक वित्त पोषक के रूप में कार्य कर रहा था, और हम यहां यह सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि बी०सी०सी०आई० अपने सभी काम करते हुए अपने मुख्य कार्य हथियारों की दलाली और खरीद में लिप्त रहा है, फिर चाहे वह उसकी मुम्बई शाखा के माध्यम से हो या लंदन शाखा के माध्यम से। 303 राइफलों और मिराज, जिनकी हम बात कर रहे हैं वह तो इन सबका मात्र छोटा-सा हिस्सा है। हम यह सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि बी०सी०सी०आई० का कार्य विशेष संदर्भ में चाहे भारत में रहा हो अथवा विदेशों में, आतंकवादियों के संगठनों के बैंकर और वित्त-पोषक का रहा है। यह सर्वज्ञात है कि अबू निदाल ने लंदन शाखा में अपना खाता खोल रखा था। यह भी सर्वविदित है कि सी०आई०ए० बी०सी०सी०आई० के जरिए अपने कार्य कर रही थी। यह भी सर्वविदित है कि मैनुएल नोरिगा भी, जिन्हें अब सजा मिलना सुनिश्चित सा है, इसमें शामिल थे। यदि सारे विश्व में इस तरह की घटना हो रही थी और यदि पाकिस्तान से राजस्थान के रास्ते मादक पदार्थ मुम्बई पहुंचते हैं, तब भी हम क्या यह विश्वास करेंगे कि बी०सी०सी०आई० की मुम्बई शाखा या मुम्बई में बी०सी०सी०आई० मात्र रेडक्रास जैसा कार्य कर रही थी जैसाकि मेरे मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी भी कह चुके हैं ? सरकार को इस अविश्वसनीय सुझाव की वकालत नहीं करनी चाहिए। हम इस प्रकार क्या सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं ? अब यह बात सिद्ध हो गई है कि बी०सी०सी०आई केवल दलाल या हथियारों के खरीददार के रूप में ही कार्य नहीं कर रही थी, अपितु पाकिस्तान के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी और न्यूक्लियर ग्रेड मैटिरियल प्राप्त करने में मुख्य भूमिका निभा रही थी। यह बात पाकिस्तान, लीबिया, इराक, ईरान के मामले में पूर्णतया सिद्ध हो चुकी है। अतएव हम क्या यह सोच लें कि सारे विश्व में यह सब हो रहा है ? मुम्बई को ही अलग क्यों रखें ?

महोदय, दूसरी ध्यान देने की बात है संगठनों में बी०सी०सी०आई० की घुसपैठ जोकि भारत में इसकी भूमिका से सिद्ध होता है। मैं नहीं समझता कि इसके लिए किसी सबूत की आवश्यकता है, मेरे लिए यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यही हमारी मुख्य चिन्ता है।

यह सिद्ध हो चुका है कि राजनीतिज्ञों और भ्रष्टाचार के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध है। मैं यह कहूंगा कि भारत में हमेशा ऐसा नहीं हुआ है। सांसदों और विधायकों ने इस पर विचार किया है और सरकार ने जरूरी कार्यवाही की है। यह मात्र जीप काण्ड, या मूंदड़ा काण्ड या तुलमोहन राम मामले

तक की सीमित नहीं है। सांसदों और विधायकों द्वारा व्यक्त की गई चिन्ताओं पर सरकार ने कार्यवाही की है।

जब हम उन बदनाम दशकों के दौर में आते हैं, जब राजनीतिज्ञों, उद्योगपतियों और भ्रष्टाचार में साठगांठ हुई थी, और इसी से हमारी व्यवस्था में खराबी आ गई है।

सभापति महोदय : सदन को विचार करने के लिए इतना ही काफी है।

श्री जसवंत सिंह : क्या अब आप गैर-सरकारी सदस्यों संबंधी कार्य को लेना चाहेंगे ?

सभापति महोदय : नहीं, मैं समझता हूं कि संशोधनों को प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए।

श्री जसवन्त सिंह : मैं अभी बहुत कहना चाहता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : उन्होंने अपनी बात कहना अभी शुरु ही किया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्होंने अभी कहना शुरु किया है। यह प्रस्तावना है, आप हमारे लिए भी कुछ कहने को छोड़ दीजिए।

श्री जसवन्त सिंह : यही वह बैंक है। अपने देश में इस बैंक की स्थापना के सम्बन्ध में मैंने इसकी पृष्ठ भूमि को देखना आवश्यक समझा। माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि इस बैंक की स्थापना वर्ष 1977 में हुई थी। वह ठीक है। परन्तु भारत में इस बैंक की स्थापना के बारे में हमारे पास जो भी जानकारी है, हम मुख्यतः सभी प्रकार की जानकारी के लिए भारत सरकार पर ही निर्भर हैं, अतः मैं अत्यधिक खेद के साथ माननीय वित्त मंत्री जी के वक्तव्य के बारे में कुछ कहना चाहूंगा।

यही वह वक्तव्य है जिसने इस सारे विवाद को जन्म दिया है। यदि उनका वक्तव्य पूर्ण होता तथा इसने सत्य और झूठ में साफ-साफ अन्तर स्पष्ट कर दिया होता तो

[हिन्दी]

दूध का दूध पानी का पानी कर दिया होता, तो आज यह जरूरत नहीं होती।

[अनुवाद]

परन्तु मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि वह वक्तव्य असम्बद्ध था तथा एक प्रकार यह संसद के लिए अशोभनीय है। माननीय वित्त मंत्री का वह वक्तव्य उनके अच्छे नेता की छवि के अनुरूप नहीं है तथा उनका व्यवहार, उनकी प्रकृति तथा उनके पुराने अनुभव को देखते हुए उनके इस वक्तव्य में उनकी पूर्ण सत्यनिष्ठा सिद्ध नहीं होती। इसीलिए मुझे खेद से कहना पड़ रहा है कि ऐसे श्रेष्ठ जन नेता को राजनैतिक हालातों ने इतना विवश कर दिया कि अब वह स्वेच्छा से ही ऐसा चाहते हैं···

श्री इन्द्रजीत (दार्जीलिंग) : उन्होंने मांग नहीं की है। उन्हें पद दिया गया है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह : मान्यवर, कहा जाता है कि कोयले की दलाली में हाथ काले होते हैं। ···**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मुझे पक्का पता नहीं है। मैं आशा करता हूं कि 'सहवास' असंसदीय नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : इस प्रसंग में नहीं।

श्री जसवन्त सिंह : सभापति महोदय जो इतनी आम बात है तथा जो रोजाना ही घटित हो रही है वह शब्द असंसदीय नही हो सकता।

श्री दिग्विजय सिंह : यह शब्द असंसदीय नहीं है। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : अतः हमें यह सूचित किया गया है कि वर्ष 1977 में जनतादल सरकार शासन के दौरान इस देश में बैंक खोलने का अनुरोध प्राप्त हुआ था। मुझे बताया गया है कि जनता दल सरकार ने बैंक खोलने की अनुमति नहीं दी थी। यह बैंक दुराग्रही था तथा जनता दल सरकार की दलगत कठिनाईयों से निबटने में असमर्थता के फलस्वरूप उत्पन्न हुई हलचल के समय में इस अप्रिय दुराग्रही बैंक ने एक प्रतिनिधित्व कार्यालय के लिए किसी प्रकार अनुमति प्राप्त कर ली।

श्री इन्द्रजीत : आपके समर्थन वापस लेने के पश्चात (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : मुझे खुशी होगी यदि माननीय वित्त मंत्री इस स्थिति को स्पष्ट करें।

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि विचार भिन्न हो सकते हैं परन्तु तथ्य एक समान ही हैं। (व्यवधान)

मैं यह कह रहा था कि विचारों में भिन्नता हो सकती है परन्तु तथ्य तो तथ्य ही रहेंगे। मैं इस सभा को अब विश्वास में चाहूंगा क्योंकि परोक्ष रूप से काफी संकेत दिये गये हैं। सबसे पहली बात मैं यह कहना चाहूंगा कि इस बैंक को उस सरकार द्वारा एक प्रतिनिधित्व कार्यालय खोले जाने की अनुमति दी गई थी, जिसमें माननीय सदस्य का दल भी एक घटक था। केवल इतना ही नहीं, आप यह भी कह रहे हैं कि उसी सरकार ने इस बैंक को एक शाखा खोलने के लिए भी सहमति प्रदान की थी इस सरकार के वित्त राज्य मंत्री ने भारतीय रिजर्व बैंक को इस हेतु अनुमति देने के लिए कहा था (व्यवधान) ··

श्री जसवन्त सिंह : क्या आप एक मिनट के लिए रुकेंगे। (व्यवधान)

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री वह फाइल तत्कालीन वित्त मंत्री चौधरी चरण सिंह के पास ले गये जोकि तत्कालीन उप प्रधान मंत्री भी थे, और उनकी स्वीकृति प्राप्त की तथा ऐसा कहा गया कि रिजर्व बैंक को निदेश दिया जाये कि वह इस बैंक की एक शाखा खोलने की अनुमति प्रदान करे। यह सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य था कि उसके तुरन्त बाद वह सरकार गिर गई तथा उस पूरे मामले पर फिर से विचार किया गया। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मामला आपकी स्वीकृति के लिए आ गया।

श्री जसवन्त सिंह : मैंने बिल्कुल यही कहा था। मैं दो पक्षों के बारे में बहुत प्रसन्न हूं। पहला यह कि वर्ष 1977 में तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह द्वारा इस बैंक को एक प्रतिनिधित्व

कार्यालय का दर्जा प्रदान करने अथवा इस कार्यालय को खोलने देने की अनुमति प्रदान करने को अत्यन्त खेदजनक पाया। ऐसा मैं सोच रहा हूं। (व्यवधान)

श्री मनमोहन सिंह : यह प्रतिनिधित्व कार्यालय नहीं है। तत्कालीन भारत सरकार ने एक पूर्ण शाखा की सिफारिश की थी (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री सभा को गुमराह कर रहे हैं··· (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया वित्त मंत्री से ऐसा कहने के लिए न कहें।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नांडीज : महोदय, मेरे पास वित्त मंत्री का वक्तव्य है, जिसे मैंने "कूड़ा-करकट" कहा था। मैंने कहा था कि ·· (व्यवधान)

श्री ए. चारलेस (त्रिवेन्द्रम) : जब आपकी बारी आये, आप तब बोलना।

श्री जार्ज फर्नांडीज : ठीक है। जब मेरा बोलने का अवसर आयेगा, उस समय आप यहां पर नहीं होंगे। आप मेरी बात सुनिये··· (व्यवधान) आप अपनी पारी की प्रतीक्षा कीजिये। मैं भी अपनी पारी की प्रतीक्षा कर रहा हूं।

वित्त मंत्री ने यह कहा है :

"इस बैंक ने अप्रैल 1977 में भारतीय रिजर्व बैंक को एक आवेदन दिया था···"

जनता दल की सरकार उसी समय सत्ता में आई ही थी। उन्होंने कहा है :

"···उस बैंक ने भारत में दो शाखाएं खोलने की अनुमति प्राप्त के लिए आवेदन किया था। तथापि भारतीय रिजर्व बैंक ने बी० सी० सी० आई. को जून 1977 में केवल एक प्रतिनिधित्व कार्यालय खोलने की ही अनुमति दे दी थी।"

अतएव, अब वह इस मामले को क्यों उलझा रहे हैं ? अब वह इस मुद्दे को इससे मिलाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं ·· (व्यवधान)

श्री मनमोहन सिंह : मैं आपको एक ऐसी सरकार की अन्दरूनी बात बता रहा हूं जिसके आप विशिष्ट सदस्य थे (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नांडीज : आप *···आप उस सरकार के परामर्शदाता थे (व्यवधान)···

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : उन्होंने वित्त मंत्री के बारे में जो शब्द बोले हैं, उनकी प्रकृति अपमानजनक है। ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इन शब्दों को सभा की कार्यवाही से हटा देना चाहिए। (व्यवधान)

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाएं।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलढाना) : महोदय, यह कोई तरीका नहीं है··· (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : मैं इस पक्ष के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि जब सभापति खड़े हों तो वे कृपया अपने स्थान पर बैठें।

(**व्यवधान**)

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : क्या आप यह मानते हैं कि इस प्रकार कहना अनौचित्यपूर्ण नहीं है ? (**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नांडीज : क्या यह अपमानजनक है ? (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : श्री फर्नान्डीज, कृपया बैठ जाएं।

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : श्री दिग्विजय सिंह, कृपया बैठ जाएं। मैं कार्यवाही वृत्तान्त देखूंगा।

श्री जसवन्त सिंह : मैं माननीय वित्त मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने यह बताया कि अंततः यह कार्यालय किस प्रकार स्थापित हुआ। इस बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय का खुलना कितना शर्मनाक पाया गया, सत्ता पक्ष के इस उत्तर से मैं पर्याप्त उत्साहित हुआ हूं, और मेरा मनोबल बढ़ा है। मैं उन्हें यह बताऊंगा कि मार्च 1983 में, जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, तब यह प्रतिनिधि कार्यालय खुला था, तो क्या वह 'शर्म शर्म' कहने में मेरा साथ देंगे। अब मुझे 'शर्म' की आवाजें सुनाई नहीं दे रही (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : हमने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने पर 'शर्म शर्म' कहा था। (**व्यवधान**)

श्री मनमोहन सिंह : मैं दोहराता हूं कि उस समय की सरकार इस बैंक की एक शाखा भारत में खोलने पर सहमत हुई थी। इस निर्णय को लागू नहीं किया गया क्योंकि इसी बीच सरकार गिर गई थी।

श्री जार्ज फर्नांडीज : वह सरकार 1979 में गिरी थी, 1983 में नहीं। यह शाखा 1983 में खुली थी (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : चर्चा अगले हफ्ते होगी और श्री जसवन्त सिंह उस समय अपना भाषण जारी रखेंगे।

वस्तुतः मैंने उन शब्दों को सुना नहीं। अगर श्री जार्ज फर्नान्डीज ने इन शब्दों का प्रयोग वित्त मंत्री के संदर्भ में किया है कि वह···*···थे, तो उन्हें कार्यवाही में से निकाल दिया जाएगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : वह सरकारी कर्मचारी थे। 'सरकारी कर्मचारी' एक अत्यन्त सम्मानसूचक शब्द है।

श्री जसवन्त सिंह : मैंने अभी बोलना शुरु ही किया है और मेरे हस्तक्षेप को बीच में ही रोक

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

दिया गया है (व्यवधान) मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि मेरी बात को अब बीच में ही रोक दिया गया है (व्यवधान) तो क्या आप अगले सप्ताह में सभा की अवधि, शनिवार 14 तारीख तक बढ़ा दी गई है— यह चर्चा शनिवार को पुनः होगी, 14 सितम्बर को 11 बजे क्योंकि सभा की अवधि उस दिन तक के लिए बढ़ा दी गई है (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं निश्चय ही यह करता, किन्तु मुझे खेद है, मुझे स्पष्ट पता नहीं है कि शनिवार या अगले सप्ताह की कार्य सूची क्या है। अतः मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि मैं इसे अध्यक्ष के ध्यान में ल ऊंगा। आपने मुझसे यही कहा है कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि यह बहस अगले सप्ताह होगी। इसलिए मुझे अध्यक्ष महोदय से उचित समय निर्धारित करने का अनुरोध करना होगा।

श्री जसवन्त सिंह : सोमवार को, अन्य विषय कार्य सूची में रखे गए हैं जैसे कि—पूजा स्थल सम्बन्धी विधेयक। इसके लिए चार घंटों का समय निर्धारित किया गया है। हमने शनिवार के लिए सभा की अवधि बढ़ाई है।

सभापति महोदय : आपने मेरा ध्यान सिर्फ इस तथ्य की ओर आकृष्ट किया था कि "यह बहस अगले सप्ताह होगी" इस तथ्य का ज्ञान मुझे नहीं था। आपने मुझसे कहा है कि कार्य मंत्रणा समिति में यह निर्णय लिया गया है कि यह चर्चा अगले सप्ताह होगी...

(व्यवधान)

सभापति महोदय : हां यह चर्चा यहीं समाप्त कर देनी चाहिए। हमें अध्यक्ष महोदय के ध्यान में यह बात लानी होगी और मैं उनसे यह अनुरोध करूंगा कि यदि कार्य मंत्रणा समिति में यह निर्णय लिया गया था कि यह चर्चा अगले सप्ताह होगी, तो अगले सप्ताह इस चर्चा के लिए वह समय निर्धारित कर दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह : आपने मुझे बोलने के लिए रोका है और मिनिस्टर को बयान देने की इजाजत दे दी है। तो गैर-सरकारी सदस्यों के कार्यों के समय का क्या अर्थ हुआ। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस सभा की यह परम्परा रही है कि जब कोई मंत्री अध्यक्ष की अनुमति से हस्तक्षेप करना चाहे...

(व्यवधान)

सभापति : तो वह हस्तक्षेप कर सकते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह चर्चा अगले सप्ताह जारी रहेगी। किन्तु यह विषय चर्चा में है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मंत्री जी यह आदेश नहीं दे सकते कि वह किस समय वक्तव्य देंगे।

पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : मैंने आदेश नहीं दिया है। (व्यवधान) सभा की ओर से यह मांग की गई थी कि एक वक्तव्य दिया जाना चाहिए। इसलिए, मैं वक्तव्य दे रहा हूं।

सभापति महोदय : सभा की ओर से यह मांग की गई थी कि 4 सितम्बर को मेजर जनरल ए०एन० मलिक की दुर्घटना से हुई मृत्यु के विषय में एक वक्तव्य दिया जाए। क्योंकि यह विषय आजकल चर्चा में है, इसलिए मेरे विचार से इसके बजाय कि बाद में इस पर वक्तव्य दिया जाए, जबकि इसका महत्व कम हो जाए, मंत्री जी वक्तव्य दें। मंत्री सभा की मांग के अनुसार इस पर वक्तव्य देने को तैयार हो गए हैं और अध्यक्ष ने इसकी अनुमति दे दी है।

श्री जार्ज फर्नांडीज (मुजफ्फरपुर) : गैर-सरकारी सदस्यों संबंधी कार्य के समय को किसी अन्य कार्य के लिए नहीं लिया जा सकता।

श्री एस० कृष्ण कुमार : ऐसा कुछ माननीय सदस्यों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं एक बात उठाना चाहता हूं। चूंकि आपके इस कथन को, कि यही परम्परा है, कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित कर लिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह सत्य नहीं है। कृपया इसे कर दें।

सभापति महोदय : श्री चटर्जी, मेरा कहना यह था कि यदि कोई मन्त्री अध्यक्षपीठ की अनुमति से हस्तक्षेप करना चाहता है तो उसे अध्यक्षपीठ की अनुमति से ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। केवल मन्त्री ही क्यों? मेरे विचार में यदि कोई भी सदस्य अध्यक्षपीठ की अनुमति से कुछ कहना चाहता है, तो वह कह सकता है।

(व्यवधान)

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, मैं आपकी अनुमति से वक्तव्य दे रहा हूं।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : गैर-सरकारी सदस्यों संबंधी कार्य 3.30 म०प० आरंभ हो जाना चाहिए था। किन्तु श्री जसवन्त सिंह ने पहले ही पांच मिनट अधिक ले लिए हैं। इस मामले में अध्यक्षपीठ की अनुमति से माननीय मन्त्री दो मिनट का वक्तव्य दे सकते हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया मन्त्री महोदय को वक्तव्य देने की अनुमति दें।

3.30 1/2 म०प०

मन्त्री द्वारा वक्तव्य

सेना मुख्यालय के सैन्य प्रशिक्षण महानिदेशालय में अपर महानिदेशक, मेजर जनरल ए०एम० मलिक की 4 सितम्बर, 1991 को दुर्घटनावश हुई मृत्यु के बारे में

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस कृष्ण कुमार) : प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मेजर जनरल ए०एम० मलिक 4 सितम्बर, 1991 को सुबह लगभग 10 बजकर 50 मिनट पर सेना भवन के "ए" विंग की सीढ़ियों से नीचे गिर पड़े और उनका वहीं तत्काल निधन हो गया। वे सेना मुख्यालय के सैन्य प्रशिक्षण महानिदेशालय में अपर महानिदेशक थे। उनका कार्यालय सेना भवन के "ए" विंग की सातवी मंजिल पर था। उपलब्ध प्रथम रिपोर्ट के अनुसार यह मालूम नहीं हुआ है कि वे भवन की किस मंजिल से नीचे गिरे।

2. इस दुर्घटना की खबर पहले सेना भवन के "ए" विंग में तैनात सुरक्षा कर्मचारियों ने दी और उसके तत्काल बाद सह-सेनाध्यक्ष और मंत्रालय के मुख्य प्रशासन अधिकारी सहित रक्षा मुख्यालय के कई वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। दिल्ली पुलिस को भी तत्काल सूचित किया गया और वे भी वहां पहुंच गए। मालूम हुआ है कि उन्होंने घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव-परीक्षा करवा ली है जिससे पता चला है कि जनरल की मृत्यु बहुत ऊंचाई से गिरने के कारण हुई है।

3. स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा घटना की जांच किए जाने के अलावा सेना विनियम के अनुसार अलग से एक जांच अदालत भी बैठाई गई है, जिसके अध्यक्ष एक मेजर जनरल हैं और उसमें ब्रिगेडियर रैंक के दो सदस्य हैं। यह जांच अदालत इस बात की जांच करेगी कि उनकी मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई।

———

3.40 म०प०

नियम 357 के अधीन वैयक्तिक स्पष्टीकरण

सभापति महोदय : श्री एडुआर्डो फैलीरो अब वक्तव्य दे सकते हैं।

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : महोदय, हाल ही में मैंने गोआ में कोंकण रेलवे परियोजना सम्बन्धी जो संवाददाता सम्मेलन बुलवाया था उस बारे में आज लोक सभा में संसद सदस्य श्री जार्ज फर्नान्डीज ने मेरे विरुद्ध कुछ आरोप लगाये हैं और मैं इस मामले को निम्न प्रकार से स्पष्ट करना चाहता हूं।

कोंकण रेलवे परियोजना में महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोआ, तथा दक्षिण गोआ का मेरा निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। यह परियोजना इन तीनों राज्यों के लिए फायदेमंद है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बहुत छोटे भाग में वे इस रेल मार्ग में पूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता है। इस रेल मार्ग की कुल दूरी 770 कि०मी० है और 30 कि०मी० से कम के क्षेत्र के पुन: मार्ग-निर्धारण की आवश्यकता है। यह बहुत ही अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों से निकलती है तथा यदि इसे वर्तमान स्थिति में रखा गया तो बहुत अधिक नुकसान होगा। इस सीमित क्षेत्र के मार्ग-निर्धारण की बहुत आलोचना हुई है तथा इसका लोगों

ने दृढ़ता से विरोध किया है। चूंकि इसकी पुनर्व्यवस्था कोंकण रेलवे के उन अधिकारियों ने की थी जिन्होंने गोआ की स्थिति से परिचित पर्यावरण विशेषज्ञों से सलाह नहीं ली थी । मैं यह प्रस्ताव करता रहा हूं कि उस सीमित क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ समिति द्वारा दी गई अनुशसाओं, जो देरी से बचने के लिए दो महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं, के आधार पर पुनः निर्धारण किया जाना चाहिए।

मैंने संवाददाता सम्मेलन में इसी सन्दर्भ में कहा था कि लघु क्षेत्र में वर्तमान मार्ग-रेखा-निर्धारण पूर्ण रूप से अस्वीकार्य है क्योंकि यह कई पीढ़ियों तक उस क्षेत्र के लोगों पर प्रभाव डालेगी। इस लघु क्षेत्र में पुनर्निधारण अतिआवश्यक था और अतिआवश्यक है तथा इसे विशेषज्ञों की समिति के परामर्श से किया जाना चाहिए और परियोजना में देरी न हो इसके लिए, इसे लगभग दो महीनों के भीतर अन्तिम रूप दे दिया जाना चाहिए।

अब, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि संवाददाता सम्मेलन के दौरान मेरे अथवा किसी अन्य के द्वारा किसी भी समय श्री सी० के० जाफर शरीफ, रेलवे मन्त्री तथा श्री मल्लिकार्जुन, रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री के नाम का उल्लेख नहीं किया गया। मुझे पूरा विश्वास है कि रेल मन्त्री सन्तोषजनक रूप में इस मामले को निपटायेंगे। (व्यवधान)

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैंने एक महीने पहले उन्हें सम्पर्क करने का प्रयत्न किया था। यदि वे मेरे पास आ जाते, तो उन्हें इस बात का पता चल जाता।

सभापति महोदय : अब हम······लेंगे

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ (मुजफ्फरपुर) : महोदय, जब मैंने कल इस मामले को उठाया था और पुनः जब आज सुबह यह मामला उठाया गया था, तब मेरे पास प्रेस विज्ञप्तियों की प्रतियाँ थीं····(**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : यह समय गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए है। महोदय, ऐसा कब तक चलेगा ? (**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आपके मन्त्री ने वक्तव्य दिया था और मुझे जवाब देना है···(**व्यवधान**) महोदय, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अब गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का समय है, मैं सोमवार सुबह मन्त्री जी के वक्तव्य पर चर्चा करने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करूंगा। मैंने उस अधिकार के लिए भी नोटिस दे दिया है···(**व्यवधान**)

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैंने आपको सम्पर्क करने का प्रयत्न किया था क्योंकि मैं आपके सुझाव चाहता था। मैं जानता हूँ कि आप इस परियोजना में इच्छुक हैं। कम से कम आप मुझे टेलिफोन करके यह पता कर सकते थे कि क्या हुआ है। आप एक वरिष्ठ सदस्य, सम्माननीय सदस्य हैं। (**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : आप अपनी ही सरकार के विरुद्ध अशिष्टता के बारे में बात कर रहे हैं (**व्यवधान**)

सभापति महोदय (राव राम सिंह) : कृपया बैठ जाइये। श्री फर्नान्डीज, यदि श्री एडुआर्डो फैलीरो ने किसी व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के विषय पर वक्तव्य दिया है और यदि आप व्यक्तिगत

स्पष्टीकरण के किसी अन्य विषय पर और वक्तव्य देना चाहते हैं तो, मैं अध्यक्ष महोदय को आपको अगले सप्ताह किसी समय अनुमति देने का अनुरोध करूंगा।

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : सभापति महोदय, क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि उन्हें मिलने-जुलने और चर्चा करने और मामले सुलझाने हेतु लांबी का प्रयोग करना चाहिये ? **(व्यवधान)**।

———

बेरोजगारी के बारे में गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का संकल्प

सभापति महोदय : अब हम 23 अगस्त, 1991 को श्री तेज नारायण द्वारा पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर और चर्चा करेंगे :

"यह सभा देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी से उत्पन्न स्थिति पर विचार करती है और सरकार से सिफारिश करती है कि वह इस स्थिति से निपटने के लिए अविलम्ब उपाय करे।"

श्री ई० अहमद बोल रहे थे। वे कृपया अपना भाषण जारी रखें।

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : सभापति महोदय, पिछली बार मैंने देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी की गम्भीर समस्या का उल्लेख किया था और इस सन्दर्भ में मैंने बेरोजगारी की वृद्धि दर का भी उल्लेख किया था जो, दुर्भाग्य से एक पंचवर्षीय योजना से अन्य पंचवर्षीय योजना तक पहुंच गई है।

मेरा कहना है कि वर्ष 1972-78 के दौरान रोजगार की विकास दर 2.82 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी जो कम होकर 1977-83 के दौरान 2.22 प्रतिशत प्रतिवर्ष और वर्ष 1983-88 के दौरान कम होकर 1.55 प्रतिशत रह गई। साथ ही निर्माण और खदान क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की विकास दर में भी बढ़ोतरी हुई है। मैंने इन सब बातों का जिक्र यह बताने के लिए किया कि हमारे देश में आज वर्ष 1987-88 में बेरोजगारी की समस्या कितनी गंभीर है।

यह देखा गया है कि हमारे देश में कृषि क्षेत्र ही महत्वपूर्ण नियोजक है जहां कुल श्रम-शक्ति का 65.5 प्रतिशत क्षेत्र में लगा हुआ है। यह क्षेत्र देश की कुल श्रम शक्ति के सबसे बड़े हिस्से को रोजगार प्रदान करता है। जबकि उसके साथ ही उद्योग क्षेत्र देश में केवल 10.8 प्रतिशत श्रम शक्ति और सामुदायिक एवं कार्मिक क्षेत्र 8.2 प्रतिशत श्रम शक्ति को रोजगार प्रदान करता है। इन सभी रोजगार-अवसरों के बावजूद भी सामान्य मापदंड के अनुसार वर्ष 1990-91 में अनुमानित बकाया बेरोजगारों की संख्या 13 मिलियन होगी।

मेरे पास भी देश में बड़ी संख्या में रोजगार चाहने वालों के कुछ आंकड़े हैं। इससे पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में मई, 1990 की स्थिति के अनुसार रोजगार चाहने वालों की संख्या 46.35 लाख, बिहार में 31.62 लाख, और केरल में 31.32 लाख हैं। अब प्रश्न यह है कि किस प्रकार हम इस स्थिति से छुटकारा पा सकते हैं। इसका एकमात्र उपाय रोजगार-सृजन है। इससे हम इस समस्या से निपट सकते हैं । इस स्थिति से पार पाने के लिए हमारे पास कोई अन्य सरल उपाय नहीं है। हमें कार्य करना होगा और ग्रामीण विकास हेतु एक विस्तृत योजना तैयार करनी होगी।

देश के प्रत्येक राज्य में शिक्षित बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बन गई है। कल ही मैंने मलयालम के एक प्रसिद्ध दैनिक समाचार-पत्र चंद्रिका में एक प्रेस रिपोर्ट देखी जिसमें यह बताया गया है

कि एक परिवहन संवाहक के पद के लिए एक इंजीनियरिंग स्नातक भी लोक सेवा आयोग में आया हुआ था । मैं बता सकता हूं कि इस नौकरी के लिए योग्यता एस० एस० एल० सी० है । एक अन्य परिवहन संवाहक के पद हेतु दर्शनशास्त्रों डाक्टरेट की उपाधि प्राप्त एक उम्मीदवार था । ये दोनों घटनायें केरल की हैं । यह दर्शाता है कि हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या की विकरालता के बारे में दर्शाता है । अतः केवल शब्दों से ही देश में किसी ठोस परिणाम पर नहीं पहुंचा जायेगा ।

अतः देश में बेरोजगार व्यक्तियों को लगाने और उन्हें खपाने के तौरीके ढूंढ़ना प्रशासन और सरकार का कर्तव्य है । अतः, मेरा सुझाव है कि हमें बेरोजगार युवाओं को लगाने के लिए विशेष उपाय करने होंगे । हमारे पास बहुत सी योजनायें हैं । अभी हमें और अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन करना पड़ेगा । अभी भी कृषि कुल श्रम शक्ति का दो-तिहाई भाग लगाये हुए है बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार योजनाओं को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिये ।

महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जैसी बहुत सी परियोजनायें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से देश में कोई समन्वय करने वाली एजेंसी नहीं है और अगर सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक विस्तृत योजना, विकास योजना लेकर आगे आए तो हम सभी कुशल व्यक्तियों जैसे इंजीनियर और अन्य तकनीकी रूप से योग्य व्यक्तियों को उसमें लगने के लिए तैयार हैं । मेरा सुझाव है कि यह अच्छा अवसर है कि राज्यों में आवश्यक आधार संरचना वाली केन्द्रीय सरकार के पास एक केन्द्रीय ऐजेंसी है और राज्य सरकारों की सहायता से प्रत्येक गांव के लिए एक विस्तृत योजना तैयार करनी है ।

मैं यह भी सुझाव दूंगा कि राज्य-ऐजेंसी को जिला-वार योजना कक्षों की व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें उन्हें स्नातक इंजीनियरों और अन्य तकनीकी रूप से कुशल व्यक्तियों को विस्तृत योजना तैयार करने के लिए नियुक्त करना चाहिये ताकि सरकार की जो भी परियोजनायें हों उन्हीं स्थानों पर कार्यान्वित किया जाये । जल-आपूर्ति के लिए बहुत सी योजनायें हैं लेकिन इसके साथ ही हमें यह कहते हुए बड़ा खेद होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल-संसाधनों का पता लगाने के लिए हमारे पास आवश्यक आधार-संरचना नहीं हैं । सरकार एक योजना क्यों नहीं तैयार करती जिसमें जहां वह इन शिक्षित और तकनीकी रूप से योग्य व्यक्तियों को ऐसे रोजगार प्रदान करें ? हम उन्हें सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र के लिए विस्तृत योजना तैयार करने के लिए भी अवसर प्रदान कर सकते हैं । अतः मैं सरकार से एक राष्ट्रीय संस्था के लिए अनुरोध करता हूं जो राज्य सरकारों को उन राज्यों में रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने और हमारे बेरोजगार लोगों को नौकरियों में लगाने में सहायता करने में समर्थ हो सके ।

एक अन्य बात जो मैं सुझाना चाहता हूं महोदय, वह यह है कि सरकार को श्रम-बहुल औद्योगिक क्षेत्र को लघु और मध्यम क्षेत्र के उद्योग स्थापित करने के लिए उत्साहित करने का प्रयत्न करना चाहिए । सरकार ने बहुत से उद्योगों में लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त कर दिया है लेकिन साथ ही सरकार को यह भी देखना चाहिये कि वित्तीय संस्थाएं ऐसी श्रम-बहुल औद्योगिक इकाइयों को सहायता प्रदान करें जो अधिक रोजगार उपलब्ध करवा सकें अथवा सृजित करेंगी;

3.53 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

तीसरी बात जो मैं सुझाना चाहूंगा वह यह है कि ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाए. खादी-आयोग ने ग्रामीण-क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने हेतु एक व्यापक योजना

तैयार की है। मैं सरकार से ग्रामीण योजनाओं हेतु बजटीय उपबंधों में उचित प्रतिशत रखने का अनुरोध करूंगा जिसे पुलों और सड़कों के निर्माण, पुलियों के निर्माण में तथा साथ ही पक्की सड़कें बनाने और कोलतार चढ़ाने के लिए कुशल और अकुशल लोगों को लगाकर उन्हें रोजगार प्रदान किया जा सके।

महोदय, एक दूसरी बात जो मैं बताना चाहूंगा वह यह है कि ऐसे भी व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि काम के अधिकारों को मौलिक अधिकार बनाया जाना चाहिये। यह अच्छी बात है कि हमें ऐसे अच्छे विचार रखना चाहिये लेकिन साथ ही मुझे रुडयार्ड किपलिंग की बात याद आती है, मैं उद्धृत करता हूं :

"निःसन्देह शब्द और सूक्तियों का प्रयोग मानवता प्रयुक्त प्रभावशाली औषधि है।"

संविधान में यह व्यवस्था करना कि प्रत्येक नागरिक को काम का अधिकार प्रदान लोगों को उस विचार के प्रति आकर्षित करने के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है।

परन्तु भारत जैसे देश में क्या यह सम्भव होगा? इस बारे में कदम उठाने से पहले हमें एक बार फिर सोचना होगा। मैं हमेशा इसी विचार का समर्थन करता रहा हूं। परन्तु कठिन वित्तीय कठिनाइयों तथा बजट संबंधी स्रोतों वर्तमान परिस्थितियों में क्या भारत सरकार अथवा अन्य किसी सरकार के लिए इसे मौलिक अधिकार के रूप में देना संभव होगा। यदि संविधान में ऐसा प्रावधान कर दिया जाता है तो हर कोई मौलिक अधिकार का मामला मानकार न्यायालय से राहत की याचना करेगा। यदि देश में रोजगार तलाश कर रहे सभी 30 मीलियन लोग न्यायालयों से राहत प्राप्त करते हैं तो सरकार की क्या स्थिति होगी? इसलिये सरकार को हर स्थान पर केवल भाषण देने और लोगों को आकर्षित करने की बजाये रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के तीव्र प्रयास करने चाहियें ताकि बेरोजार युवा और बेरोजगार व्यक्ति काम पर लगाये जा सकें। कोई नेक कार्य किया जाना सदैव अच्छा है जिससे हम रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने में समर्थ होंगे।

महोदय, मैं इस सभा का अमूल्य समय अधिक नहीं लेना चाहता। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को अवश्य ही कोई परियोजना तैयार करनी चाहिये जिससे हम रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने में तथा अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करने में समर्थ हों। देश के सामने यह एक गम्भीर चुनौती है और केवल रोजगार के अवसर पैदा करने से ही हम रोजगार तलाश करने वालों को कुछ राहत प्रदान कर सकेंगे और मुझे उम्मीद है कि सरकार उचित दिशा में आवश्यक कदम उठायेगी।

[हिन्दी]

श्री कृष्णदत्त सुलतानपुरी (शिमला) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बेरोजगारों के संबंध में जो प्रस्ताव यहां पर तेजनारायण सिंह जी ने रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, राष्ट्र में इतने लोग पढ़-लिख गये हैं जिनको हम रोजगार देने में अभी तक समर्थ नहीं हैं। सारे देश में बेरोजगारों के आंकड़े अभी आपके सामने कई माननीय सदस्यों ने जो मुझसे पहले बोल चुके हैं, रखे हैं। हर राज्य में बेकारी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हमारे कालेज और स्कूलों से जितने पढ़े-लिखे लोग निकले हैं, अगर उन सबको हमारे यहां सर्विस दी जाए, तो यह देश कंगाल हो जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके लिए एक अलग स्कीम होनी चाहिए। एक अलहदा हिसाब-किताब होना चाहिए, इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा, ताकि इस राष्ट्र के जो पढ़े-लिखे नौजवान हैं या जो अनपढ़ लोग हैं और बेरोजगार हैं, उनको किस तरह से रोजगार दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं समझता हूं और आज कहा जाता है कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोगों को हम रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि यह बात सत्य नहीं है। आज के हालात के मुताबिक जिन लोगों को सविधान में रोजगार देने की व्यवस्था रखी गई है, उनको ही हम पूरा रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए साढ़े सात प्रतिशत रोजगार देने की व्यवस्था की गई है, किन्तु अभी तक हमारे कई ऐसे विभाग हैं जिनमें इन जातियों के लोगों की भर्ती शून्य के बराबर हुई है। इस प्रकार मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर हम गरीब आदमियों का भला करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले इस आरक्षण के आधार पर नियुक्ति करनी चाहिए, लेकिन अभी तक हम इसमें ही काफी पीछे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार को इसकी तरफ तवज्जुह देनी चाहिए क्योंकि आज देश के अन्दर जो नौजवान है, वह बेकारी की स्थिति में जीवन बसर कर रहा है।

4.00 म०प०

सब लोग यह चाहते हैं कि हमें रोजगार प्राप्त हो। आज रोजगार देने में हम जिस तरह का तरीका अपना रहे हैं वह नाकाफी है। कई सरकारें आईं और इस चुनाव से पहले राज्य सरकारों ने अपने मैनीफैस्टों में रखा था कि हर हाथ को काम देंगे, यह उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। इस तरह की बातें करके नौजवानों को फुसलाकर अपनी तरफ लाने की कोशिश हुई है।

मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूं। हमारे वहां जो आज की सरकार है उसने नौजवानों को यह विश्वास दिलाया कि हम हर हाथ को काम देंगे और यदि काम नहीं दे पाये तो उनको बेकारी भत्ता देंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है? मैंने 27 तारीख को इस सदन में बोला और उसके बाद परसों मैंने बात की कि जो लगे हुए इम्प्लाइज हैं, पी०डब्लू०डी० आदि में लगे हुए हैं, उनका भी शोषण होता है। आज सब लोगों का शोषण हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में जगह-जगह पुलिस है, सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं, गांव-गांव में ऐजीटेशन शुरू हो गया है। यहां जो समझौते होते हैं इनसे लोगों को विश्वास में लेने की जरूरत है। मैंने कल भी बोला था और आज इस सदन के जरिए फिर कहना चाहता हूं कि यदि बेरोजगारी खत्म करने का सपना देखा था तो इस तरह से अन्याय नहीं होना चाहिए। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बी०जे०पी० की सरकार हो या किसी और दल की हो, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए यदि सही कदम उठाना है तो हमें यह देखना है कि बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त होना चाहिए। जब मैनीफैस्टो में कहा है तो जरूर होना चाहिए। साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार के जितने भी विभाग हैं उनमें अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों का बैकलॉग पूरा नहीं भरा गया है। एक समयबद्ध प्रोग्राम बनाया जाना चाहिए ताकि गरीब लोगों को नौकरी मिल सके। पढ़े-लिखे लोगों को यह कहा जाता है कि कैपेबल नहीं है, इस तरह की अड़चन डालकर उनको रद्द कर दिया जाता है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। रोजगार कार्यालय से पढ़े-लिखे लोगों की फिगर्स इकट्ठी करके उनको रोजगार देना चाहिए।

आज हमारे जितने पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं चाहे बैंक हो, रेलवे हो, एयर इंडिया या और इंस्टीट्यूशन्स हों, सब जगह बैकलॉग है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को नौकरी देने का प्रयत्न करें वहीं दूसरे जो पढ़े-लिखे लोग हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनको भी जो नौकरी मिल सकती है देनी चाहिए।

आज भारत के सबसे ज्यादा लोग गांवों में रहते हैं। उनकी बेरोजगारी को खत्म करने के तरीके सफल नहीं हो पा रहे हैं। जैसे मैं पहाड़ी क्षेत्र की बात करता हूं। पहाड़ी क्षेत्रों में बेरोजगारी

का बहुत चलन है। वहां की फसलों में बीमारियां लगती हैं। कोई साईंटिस्ट, वैज्ञानिक वहां जाने के लिए तैयार नहीं होता है। बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापक भी हिल्ली एरिया में जाने से कतराते हैं। पहाड़ी क्षेत्र की खेती में बीमारी लगती है, जैसे मेरे क्षेत्र में रेणुका तहसील हैं।

कई ऐसे महकमें हैं जहां पर आप डेली वेजिस पर नियुक्तियां करते हैं। उनको आप 12-15 रु० देते हैं और जिनकी पक्की नौकरी हैं उनको 1800 रु० के करीब देते हैं। उनको चन्द महीनों के लिए रखा जाता है और फिर तीन महीने के बाद उनकी सर्विस ब्रेक कर दी जाती है। भारत सरकार ने एम्पलाइज की भर्ती करने पर पाबंदियां लगाई हुई हैं। ऐसी ही पाबंदी राज्य सरकारों ने भी लगाई हुई हैं। बजट घाटे पर काबू पाने के लिए ही यह पाबंदी लगाई गई है। मेरा आपसे निवेदन है कि यह पाबंदी हटा दी जानी चाहिए। इसके साथ-साथ जहां जहां क्लर्कों, चपड़ासियों और सफाई कर्मचारियों के पद रिक्त पड़े हुए हैं उनको शीघ्र भरा जाये जिससे बेरोजगारी की समस्या पर काबू पाया जा सके।

अभी हमारे एक भाई ने कहा कि इंजीनियर पढ़े-लिखे नौजवान कंडक्टर का पद पाने के लिए दरख्वास्त करते हैं। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसको आप देखें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे माननीय सदस्य हैं जिन्हें इस सत्र के दौरान बोलने का समय नहीं मिला है।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक सदस्य 10 मिनट बोलता है।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : अंत में एक शेर कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं :

"रेशम के गलीचों पर धनवान के बेटे सोते हैं; जिनकी बदौलत सब-कुछ है,
वह रात को बैठे रोते हैं, धनवान खजाना भरता है,
कानून फिर हिफाजत करता है, मजदूर बेचारे रो-रो कर
तकदीर की स्याही धोते हैं।"

शिलाई तहसील है, चौपाल तहसील है, सोली क्षेत्र हैं, यहां अदरक का प्रोडक्शन होता है। आज उसका बीज खराब हो गया है। इससे जिन लोगों को रोजगार मिलता था वह सारा समाप्त हो गया हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने इस कीड़े को दूर करने के लिये काफी खोजबीन की लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। इसी प्रकार से सेब के पेड़ पर भी यह बीमारी लगी हुई है। इससे काफी नुकसान हो रहा है और उसको दूर करने का कोई इलाज नहीं खोजा जा रहा है। इस बीमारी को दूर करने के लिये जो दवाइयां मिलती थीं वे बहुत महंगी हो गई हैं। मेरा आग्रह है कि आप इसके लिये कोई पग उठायें।

किसान जोकि हम को बहुत कुछ पैदा करके देता है, वह देशवासियों का बहुत भला करता है। वह बहुत देशभक्त है और देश को आगे ले जाने के लिये प्रयत्नशील है। वह दिन-रात काम करके इस देश को आगे ले जाने के लिये काम करता है। इस कारण इसको इग्नोर नहीं करना चाहिये और उसको ऊपर उठाने के लिये सोचना चाहिये। किसानों को अपनी उपज के उचित दाम मिलें इसका आप ध्यान रखें। इससे लोगों को गांवों में रोजगार प्राप्त होता है। हमारी सरकार बेरोजगारी को खत्म करने के लिये पग उठा रही है। इन्दिरा जी के समय में जो जमीनें एलॉट की गई थीं उसके कब्जे अभी तक

उनको प्राप्त नहीं हुए हैं। पांच बीघे जमीन उनको एलॉट की गई थी। वे उस पर कब्जा पाने के लिये भटक रहे हैं। आपने कहा था कि इससे आप बेरोजगारी को खत्म करेंगे लेकिन वे तो घर से ही बेरोजगार हो गये हैं। राज्य सरकारों को हिदायत होनी चाहिये कि जहां-जहां इस तरह के केसिज हैं और बेरोजगारी को दूर करने के लिये जो इस तरह के पग उठाये गये हैं, उसका कड़ाई से पालन होना चाहिये। जिन लोगों के जायज पट्टे हैं और जो उनको एलाटमेंट हुआ है उन पर उनको कब्जे दे दिये जाने चाहियें ताकि बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सके।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : मान्यवर जी, पिछले कई वर्षों से इस विषय पर चर्चा हम सुन रहे हैं पर ऐसा लगता है कि ज्यों-ज्यों इसका इलाज किया जा रहा है, त्यों-त्यों मर्ज बढ़ता जा रहा है।

बेरोजगारी का हिसाब-किताब ऐसा है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में देश में पंजीकृत बेरोजगार लोगों की संख्या एक करोड़ थी और इस समय यह 5 करोड़ है। हमें यह लग रहा है कि जब आठवीं पंचवर्षीय योजना समाप्त होगी तो यह संख्या 10 करोड़ से कम नहीं होगी। इक्कीसवीं सदी में जब हम पदार्पण करेंगे तो देश की आबादी एक अरब से ज्यादा होगी और यहां पर बेरोजगार लोगों की संख्या कम से कम 40 करोड़ होगी। मैं तो यह इसलिए बता रहा हूं कि यह तो पंजीकृत संख्या है, 40 करोड़ जो संख्या बताई है, यह वह है जो टोटल मिलाकर संख्या है। देश की अधिकांश आबादी 80 प्रतिशत जनता गांव में बसती है और खेतिहर मजदूरों के बारे में, जो खेती पर निर्भर करते हैं, जिनका रोजगार कार्यालय से कोई वास्ता नहीं है, ऐसे बेरोजगारों की संख्या कितनी है उसका वास्तव में आकलन लगाकर हमको फैसला करना होगा। मैं कुछ बहुत ज्यादा इस संदर्भ में नहीं कहना चाहता हूं।

हजारों वर्ष पहले जब हमारे देश के अंदर गांव ही बहुसंख्या में थे, शहर कम थे तब गांव के अंदर जो स्वरोजगार योजना थी, मैंने पढ़ा है, यह लिखा है कि केवल नमक खरीदना पड़ता था, बाकी सारी व्यवस्था गांव के अंदर पैदा हो जाती थी। उसके हिसाब से सब लोग काम करते थे और कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं था। मैं इस बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहता हूं, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि सत्ता में परिवर्तन कई बार हुए और जो भी सत्ता में आया, जैसे जब श्री वी०पी०सिंह सत्ता में आये तो उन्होंने मुख्य रूप से यह कहा कि हम रोजगार के अधिकार को संविधान का अंग बनाएंगे। हर पार्टी और प्रत्येक दल अपने मैनीफैस्टो में इस बात को निश्चित रूप से जोड़ता है। पर इसके कारण क्या हैं, इसका किस ढंग से निराकरण किया जाए, इसके बारे में विचार करना आवश्यक है और आज बेरोजगारों की संख्या जो निरन्तर बढ़ रही है, अगर इसके हिसाब-किताब को हमने नहीं लगाया तो वास्तव में जो देश के सामने आने वाली समस्यायें हैं, उनका हम सही ढंग से हल नहीं कर पायेंगे।

आज हम कम्पनियों की बात करते हैं। हम औद्योगिक प्रगति की बात करते हैं, उद्योग धन्धे बड़े लगाते हैं। अभी पेप्सी की बात ज्यादा हुई और उसकी बहुत सारी बातें सामने आईं। पेप्सी के बारे में यह कहा गया था कि पहले ही साल में 25 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा पर जब वास्तविकता सामने आई तो 50-60 करोड़ की योजना के बाद भी 850 लोगों को ही रोजगार मिल पाया, यह वास्तविकता सामने आई। इस हिसाब से लोगों को सोचना और समझना चाहिए कि वास्तव में हम देश के भविष्य का फैसला कैसे कर पायेंगे।

मैं बहुत ज्यादा बातें न कहकर कुछ दो तीन सुझाव जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि, वास्तव में

हमारे बहुत से साथी और बहुत कुछ लोग इस पर बोलना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में सरकार विचार करे और उसके हिसाब से फैसला करे। देश के अन्दर पढ़े-लिखे नौजवान बढ़ रहे हैं और उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। आज रोजगार को इस हिसाब से पढ़ाई में लगाया जाय कि निश्चित रूप से दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर काम करें। देश के अन्दर आई०टी०आई० और पोलीटैक्नीक जो संस्थान हैं, उन्हें खोलकर कुशल श्रमिकों को ट्रेनिंग दिये जाने हेतु इन पर अधिक पैसा व्यय किया जाय। रोजगार केन्द्रित नई शिक्षा नीति बनाई जाय और इसके व्यवहारीकरण की प्रक्रिया शुरु की जाय। शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार हेतु लाभप्रद सार्थक योजनायें विकसित की जायें। कृषि उत्पादकता और फसल उत्पादन दक्षता में इजाफा किया जाय। गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वालों को परिचय-पत्र दिये जायें और एक अन्त्योदय की योजना प्रारम्भ की जाय जिसमें उनको रोजगार के लिए प्राथमिकता दी जाय। यह कुछ ऐसी चीजें हैं कि अगर इनको हमने व्यवहार में उतारा और इसके हिसाब से हमने काम किया तो निश्चित रूप से जो देश का स्वरूप हम बनाना चाहते हैं, जो हम देश को इक्कीसवीं सदी में ले जाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि देश का नौजवान बेरोजगार न हो तो यह बात सही है कि अगर हमने नौजवान को काम नहीं दिया, हम पुराना इतिहास उठाकर देखें, देश में जितने भी आन्दोलन हुए हैं, दुनिया में जितने भी परिवतन हुए हैं, सब नौजवानों के द्वारा हुए हैं। अगर हमने नौजवानों को अच्छी दिशा नहीं दी, नौजवानों को काम का सही स्वरूप, सही रास्ता नहीं बनाया तो उसके पास दो ही रास्ते रह जायेंगे, या तो वह देश के निर्माण में काम करेगा या फिर वह दूसरे धन्धे अपनाएगा।

दूसरा धन्धा मैंने इसलिए कहा कि आज पूरे देश के अन्दर आतंकवाद भी फैला हुआ है। उसमें कौन लोग हैं? अगर आप बहुसंख्या में देखें तो उसमें सब नौजवान मिलेंगे, हम उसको काम नहीं देंगे, उसको अच्छा रोजगार नहीं देंगे, उसकी शिक्षा की सही व्यवस्था नहीं कर पायेंगे तो वास्तव में यह परेशानी की बात होगी। आज हम देखते हैं कि स्कूलों में प्रवेश का मौसम है। आज 60, 70 और 80 परसेण्ट अंक लेने वाले बच्चों को विद्यालय में प्रवेश न मिले और प्रवेश मिल जाय तो विद्याध्ययन करने के बाद उनको नौकरी न मिले तो वास्तव में किसको दोष दिया जायेगा?

वास्तव में इस सब की जिम्मेदारी हमारी और इस सरकार की तथा इस देश को चलाने वालों की हैं। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि मैंने जो सुझाव दिए हैं, उनके माध्यम से इसके बारे में फैसला करें। यह बात बिल्कुल सही है कि अगर हम 1990 के वर्ष में न्यूनतम वेतन के हिसाब से फैसला करें और यह तय कर लें कि हम सब को रोजगार गारन्टी देते हैं तो कम से कम एक वर्ष में 14 हजार करोड़ रुपए का वेतन देना पड़ेगा। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इतना ही रुपया और देना पड़ेगा। क्या 30 हजार करोड़ रुपए हम इस वर्ष में लगा सकते हैं? क्या इस हिसाब से व्यवस्था कर सकते हैं? निश्चित रूप से आज आवश्यकता इस बात की है कि देश के गांवों को प्राथमिकता दी जाए। गांवों के अन्दर कुटीर-उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी जाए और उसी हिसाब से एक ऐसा महौल बनाया जाए, ताकि गांवों से लोग शहर की ओर न आयें। आज उल्टा हो रहा है। आज जो भी नौजवान हो जाता है, वह शहर की ओर भागता है। वह गांव के काम में अरुचि रखता है। पढ़ने-लिखने के बाद इस बात को सोचता है कि गांव का काम बिल्कुल खराब काम है, उसका कोई लाभ नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि एक हिन्दुस्तान देश ही ऐसा देश है, जहां पर खेती की स्थिति बहुत ही दयनीय है। खेती करने वाले को बहुत खराब नजरों से देखा जाता है। मैं चाहता हूं कि सरकार अपनी नीति को बदले और इस प्रकार का माहौल बनाए कि हर पंचायत केन्द्र, ग्राम सभा केन्द्र में ऐसे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए, जिसमें कि सब को मौका दिया जाए, जिसमें हाथों को काम दिया जाए। वास्तव में

तभी हम सही मायने में महात्मा गांधी ने जिस भारत की कल्पना की थी, जो स्वरूप महात्मा गांधी ने इस देश के लिए दिया था, उसके हिसाब से हम कुछ कर पायेंगे ।

मैं और ज्यादा न कहते हुए, अपनी बात को समाप्त करते हुए कहना चाहूंगा, एक निजी संकल्प तो हमारे माननीय सदस्य लेकर आए हैं और इसी के साथ-साथ हमारे भाई श्री मुकुल वासनिक जी का भी एक संकल्प पड़ा हुआ है, दोनों को जोड़ कर सरकार अपनी तरफ से कोई ऐसा प्रस्ताव लाए, जो वास्तव में इस प्रकार का माहौल बनें कि वास्तव में युवाओं को मौका देने के लिए सही ढंग के काम हो रहे हैं। मैं कुछ सुझाव और देना चाहुंगा नौकरी पाने के लिए लोग इधर से उधर दौड़ते रहते हैं। उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने-आने में इतना व्यय करना पड़ता है कि वास्तव में रोजगार पाना उसके लिए बड़ा भारी काम होता है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में ध्यान दें और युवकों के कल्याण के लिए योजना बनाए। एक छोटा सा धन आबंटित न कर के, आज आवश्यकता इस बात की है कि देश का निर्माण कराने के लिए एक माहौल बनाया जाए और उसके हिसाब से जरूरी है कि वह इस हिसाब से विचार करे कि देश की जो आने वाली पीढ़ी है, वह कैसी बन रही है और किस दिशा में चल रही है। वास्तव में जब ऐसा होगा, तब हमारा समाज बदलेगा ।

आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी हम लोग बेरोजगारी की समस्या पर गम्भीरता से सदन में विचार कर रहे हैं। माननीय सदस्य, श्री तेज नारायण सिंह, ने गैर-सरकारी निजी संकल्प सदन में पेश किया है। मैं उस संकल्प के पक्ष में और जो बेरोजगारी की समस्या है, उसके पक्ष में कुछ तथ्यों को आपके सामने आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहता हूं ।

बेरोजगारी के संदर्भ में माननीय सदस्य ने पांच करोड़ अंकित बेरोजगारों की संख्या रोजगार कार्यालय में बतलाई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सभी बेरोजगार रोजगार-कार्यालयों में नहीं जा पाते हैं, इसलिए बेरोजगारों की संख्या मेरी समझ में कम से कम 12 करोड़ की है। देश में लगभग वर्तमान समय में 84 करोड़ की आबादी है और लगभग 55 प्रतिशत लोग पूर्ण बेरोजगारी की अवस्था में रहते हैं। बेरोजगारी में भी दो श्रेणियां हैं—एक वे बेरोजगार जो गरीब है, अशिक्षित हैं और दूसरे वे जो शिक्षित बेरोजगार हैं। बेरोजगारों की संख्या कम से कम 12 करोड़ है और बाकी अन्य लोग भी बेरोजगार हैं। इसके कई कारण हैं—44 वर्षों में जो बेरोजगारी की हालत है, हम और आप जानते हैं कि शिक्षा की दोषपूर्ण नीति और शिक्षा में रोजगारोन्मुखी व्यवस्था नहीं है। शिक्षा में जो गड़बड़ी है और योजनाओं को भी समय सीमा के अन्दर पूरा नहीं किया जाता है। देश में भूमि सुधार लम्बित है और भूमि सुधार जमीन पर नहीं उतर पा रहा है। इन्ही कारणों से और इन्हीं बिन्दुओं के कारण बेरोजगारों का तांता लगता जा रहा है ।

बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और इक्कीसवी सदी में काफी लोग और बेरोजगार होने वाले हैं। मान्यवर, मैं आपके सामने यह कहना चाहता हूं कि अभी जो बेरोजगारी के निदान के लिए अकुशल, कुशल, शिक्षित, अशिक्षित बेरोजगारों को काम देने के लिए ग्रामीण विकास के कार्यक्रम में आर० एल० ई० जी० पी०, एन० आर० ई० पी० अन्त्योदय कार्यक्रम के जरिए गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को आई० आर० डी० पी० में ऊपर उठाने का कार्यक्रम किया गया। आज मैं इस सदन में यह कहना चाहता हूं कि जो टोटल कार्यक्रम चलाए भी गए, वे सब के सब कागज पर ही 90 प्रतिशत रहे, मात्र 10 प्रतिशत उसमें से जमीन पर व्यवहार में उतरा है। इन कारणों से भी बेरोजगारी की समस्या

दिन-प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप नक्सलवाद, आतंकवाद, और विधि-व्यवस्था में गड़बड़ी देश में पैदा होती जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बतलाना चाहता हूं और इस गैर-सरकारी संकल्प, निजी संकल्प के सामने सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा कानून और नियम बने, रास्ता बने जिससे कि जो बेरोजगारी अपने यहां पर हैं उन सारे के सारे लोगों की समस्याएं हल हो सकें और इन समस्याओं के आगे बढ़ने की बजाए बेरोजगारी में कमी आए और नौजवान आतंकवाद और इस प्रकार के अन्य कार्यों में से निकलकर रोजगारोन्मुखी योजना के तहत रोजगार में आगे आवें।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अकुशल और अशिक्षित बेरोजगारों के लिए जो गांवों में काम का माहौल बना, जवाहर रोजगार से लेकर एन० आर० ई० पी० तक वह जमीन पर नहीं उतरा, उसमें सही मजबूरी नहीं दी गई इसलिए वहां से श्रमिकों का पलायन होने लगा। पंजाब और हरियाणा से लोग भागने लगे। मैं बिहार से आता हूं इसलिए यह सब मैं आपके सामने बता रहा हूं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि शिक्षित बेरोजगारों के लिए नौकरियों के अलावा स्वनियोजन कार्यक्रम चलाया गया, उस स्वनियोजन में जो अव्यावहारिक पहलू है उस अव्यावहारिक पहलू के कारण जो भी कोई काम करना चाहता है शिक्षित बेरोजगार, वे शिक्षित बेरोजगार स्वनियोजन के जरिए अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पाता। उन्हें जो ऋण मिलता है वे बिजली एवं अन्य समस्याओं के कारण गड़बड़ा जाता है और उनके ऊपर ऋण का बोझ बढ़ जाता है।

मान्यवर, अब मैं केवल आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि शिक्षा में जो दोषपूर्ण नीति है; उन कारणों से भी हमारे यहां बेरोजगारी में दिन-प्रति-दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि अपने देश के बाहर जापान एवं अन्य जगहों में छोटे-छोटे उद्योग को घर-घर में लगाया गया है, ऐसी शिक्षा दी गई है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं, भारत सरकार से यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन किया जाए और शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाया जाए। इसी प्रकार उदाहरण के तौर पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बटन और सूई, जो छोटे-छोटे घरों में भी बन सकती है, वे टाटा, बिड़ला, मफतलाल, डालमियां और बड़े-बड़े उद्योगों में न बनवाई जाए। बड़े उद्योगों में छोटे सामान के निर्माण पर रोक लगाई जाए। छोटे उद्योगों को बढ़ाया जाए और कृषि पर आधारित छोटे-छोटे उद्योग लेकर बेरोजगारों को उसमें समायोजित किया जाए, उनको रोजगार दिया जाए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जनता दल, विश्वनाथ प्रताप सिंह के शासन काल में जो वायदा था, उस समय जो लागू होने वाला था, संविधान में संशोधन करके काम के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल करके नौजवानों को जोड़े जाने की बात थी। मैं यह कहना चाहता हूं कि शीघ्र ही देश के नौजवानों को बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए काम के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल करके देश के नौजवानों को मुख्य धारा में जोड़ा जाना चाहिए और बड़े पैमाने पर योजना को समय-सीमा में पूरा करते हुए और शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाते हुए काम के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल करके रोजगार की समस्या का निवारण होना चाहिए। मैं एक दो बातें और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज मुट्ठी भर बड़े घर के बच्चे जो प्राइवेट शिक्षा और अच्छी टेक्नालाजी की शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, वही रोजगार पा जाते हैं और गरीब का लड़का बेरोजगारी में कराहता रहता है। उसके पास तकनीकी शिक्षा नहीं होती, जिसकी वजह से वह रोजगार नहीं प्राप्त कर पाता, छोटा उद्योग नहीं चला सकता। इसलिए मेरा निवेदन है कि चाहे

माननीय सदस्य की संतान हो या भंगी की संतान हो, सबकी शिक्षा एक समान होनी चाहिए। प्राइवेट विद्यालयों को बंद कर देना चाहिए और नगर तथा गांव में एक समान शिक्षा की सुविधा होनी चाहिए, ताकि भेदभाव न रहे और सब के लिए रोजगारोन्मुखी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि हर व्यक्ति को काम मिल सके।

अंत में मैं इस बात पर दोबारा जोर डालना चाहता हूं कि काम के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। जब तक यह व्यवस्था नहीं होती तब तक तमाम बेरोजगार नौजवानों को 500 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। आपके माध्यम से मैं यह मांग रखना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक मांग और रखना चाहता हूं कि आज के बेरोजगारी के आलम में बेरोजगार युवक नौकरियों के लिए शहरों में आ रहे हैं, रोजगार कार्यालयों में अपना नाम लिखवाते हैं तथा दूर-दूर एप्लाई करते हैं। दूर-दूर इनको इंटरव्यू देने के लिए जाना होता है। मेरी गुजारिश है कि अर्जियों के साथ लगने वाले पोस्टल आर्डर समाप्त किए जाने चाहिए और पटना, लखनऊ, नागपुर और कन्याकुमारी, जहां कहीं भी इंटरव्यू देने जाना हो, बेरोजगारों के लिए सरकारी बसों और रेलों में मुफ्त यात्रा की सुविधा होनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री सुब्रत मुखर्जी (रायगंज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश में बेरोजगारी की गंभीर समस्या है और इस समस्या पर खाली चर्चाएं करने से और बेकारों की संख्या आदि का अध्ययन करने से काम नहीं होगा, बल्कि हमें सोचना होगा कि यह बेकारी क्यों है। किन नीतियों के कारण बेकारी है और किस तरह से यह बेकारी दूर हो सकती है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या हम समय बढ़ायें ? यदि ऐसा है, तो कितना ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): एक घण्टा बढ़ा देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : एक घण्टे समय बढ़ाया जाता है।

श्री सुब्रत मुखर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी दो तरह की है। एक शिक्षित बेरोजगार है, जो इम्पलायमेंट एक्सचेंज में अपना नाम दर्ज करते हैं। हमारे देश में ऐसे भी बेकार हैं जो गांव के लोग हैं, जिनको शिक्षा नहीं मिली है। इम्पलायमेंट एक्सचेंज के जरिए उनको नौकरी मिल सकती है, ऐसी धारणा उनकी नहीं है। इसलिए इम्पलायमेंट एक्सचेंज में वे अपना नाम दर्ज नहीं कराते। जब हम चर्चा करते हैं तो हमारे सामने जो शिक्षित बेकार हैं उनकी संख्या आती है, लेकिन जो अशिक्षित बेकार हैं, जिनको शिक्षा नहीं मिली है और जो इम्पलायमेंट एक्सचेंज में अपना नाम दर्ज नहीं कर सकते हैं, उनकी संख्या नहीं आती है। उनके बारे में अभी चर्चा में बात आयी, बहुत से माननीय सदस्यों ने बोला कि 5 करोड़ शिक्षित बेरोजगार हमारे देश में हैं। मैं कहना चाहता हूं अगर 5 करोड़ शिक्षित बेकार हैं, जिनका नाम इम्पलायमेंट एक्सचेंज में दर्ज है तो 7 करोड़ या 8 करोड़ बेकार या इससे भी ज्यादा बेकार गांवों में हैं, जो इम्पलायमेंट एक्सचेंज में अपना नाम दर्ज नहीं कराते हैं। उनको भी हमें हिसाब में लेना पड़ेगा।

उनके बारे में चर्चा विगत दिनों में भी हुई है और आज भी हो रही है। लेकिन ऐसा कोई तरीका, ऐसा कोई प्लान क्या निकल पाया है जिसके जरिए हम अन-इम्पलायमेंट को सोल्व कर सकते हैं ? नहीं। अभी हमारा बजट सैशन चल रहा था। इस बजट सैशन में उद्योग-धन्धों पर बातचीत हुई, कृषि पर बातचीत हुई, लेकिन कहीं पर भी हमने नहीं देखा कि बेकारी की समस्या का समाधान करने के लिए कोई तरीका निकाला गया है। चूंकि मुझे बहुत कम समय मिलेगा, इसलिए मैं अपने कुछ सजेशन्ज रखना चाहता हूं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहां कृषि पर निर्भर लोग हैं। कितने प्रतिशत आदमी कृषि पर निर्भर कर सकते हैं, यह सोचना पड़ेगा। जहां तक मुझे मालूम है 40 फीसदी लोग कृषि पर निर्भर कर सकते हैं। इतनी ही जमीन हमारे पास है। बाकी 60 फीसदी आदमियों के लिए दूसरा कोई बन्दोबस्त करना पड़ेगा। यहां पर माननीय मनमोहन सिंह जी भी बैठे हैं। जब वे बजट रख रहे थे तो उन्होंने इस तरह से बताया कि विदेशों के बाजारों में हमारी सामग्री बेचने के लिए दरवाजे खोलने पड़ेंगे और उनका सामान यहां लाने का बन्दोबस्त किया जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि क्या हम अपने देश में बाजार तैयार नहीं कर सकते हैं ? अगर ऐसा किया जाए तो हमारे देश से बेकारी काफी हद तक दूर हो सकती है। हमारे देश में कितने लोग गरीबी की रेखा से नीचे वास करते हैं, प्रधान मंत्री जी बोल रहे थे। सही आंकड़े अगर ये बता सकें तो मैं इनका स्वागत करूंगा। परसेंट से क्या होगा ? परसेंट से कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारे देश में ज्यादातर आदमी गरीबी की सीमा से नीचे वास करते हैं. ये सब जानते हैं। इनके खरीदने की ताकत बढ़ाने की कोई स्कीम हमने ली है ? नहीं ली है। 40 फीसदी आदमियों के अन्दर जमीन का बंटवारा कर सकें, जमीन का डी-सेंट्रलाइजेशन कर सकें तो ठीक रहेगा। 40 फीसदी लोगों के पास अपनी जमीन होगी, ऋण अगर उनको दिया जाए, अनुदान दिया जाए तो उसमें जो पैदा होगा उस पैदावार को बेच कर वह अपने खरीदने की ताकत को बढ़ा सकते हैं।

मिसाल के तौर पर हम कहते हैं। वियतनाम एक छोटा सा देश है। अमेरिका में साम्राज्यवाद के विरुद्ध उन्होंने लड़ाई की है। लगातार 17 साल तक लड़ाई करने के बाद वियतनाम आजाद हुआ। सबसे पहले वहां के किसानों की हालत को सुधारने का बन्दोबस्त उन्होंने किया। कैसे किया। वहां के किसानों के सामान को सरकार ने ज्यादा दाम पर खरीद लिया और राशन के जरिए कम दाम पर बेच कर सब आदमियों की खरीदने की ताकत बढ़ायी। नतीजा यह हुआ कि वहां पर जितने आदमी कृषि पर निर्भर करते थे वे कृषि की ओर चले गए और बाकी आदमी उद्योग के धन्धे में चले गए। वहां पर बेकारी बहुत हद तक कम हो गयी। इन सब बातों को सोचना पड़ेगा। हमारे देश में, पश्चिम बंगाल के बारे में माननीय सदस्य कह रहे थे, रिकार्ड के आधार पर कहा जाए तो 44 प्रतिशत या 44.35 प्रतिशत लोग वहां पर बेकार हैं। लेकिन कैसे बेकार हैं ? वहां पर काश्तकार, जो कृषि मजदूर हैं, उनके पास जमीन नहीं है, लेकिन वे किसान हैं, उस तरह के मजदूर भी वहां पर अपने नाम इम्पलायमेंट एक्सचेंज में दर्ज करते हैं।

इसलिए यह सोचना पड़ेगा कि वहां पर इतनी संख्या है। लेकिन गांवों की बेरोजगारी वहां बहुत हद तक दूर हुई है। प्रधान मंत्री जी गांवों के कृषि मजदूरों के बारे में चर्चा कर रहे थे कि उनको काम नहीं मिलता है। पश्चिम बंगाल ऐसी जगह है जहां खेत मजदूर को रोजाना काम मिलता है। पहले ऐसा नहीं था। पहले तीन महीने का काम मिलता था लेकिन अब रोजाना काम मिलता है। अब खरीदने की ताकत बहुत आगे बढ़ गई है। इस तरह से सोचना पड़ेगा कि हम उनको कैसे काम में ला सकते हैं। कम्प्युटर के लिए अब हम चले जा रहे हैं कि बीसवीं शताब्दी में देश को ले आयेंगे। कम्प्युटर देने से देश

जरूर आगे बढ़ना चाहिए और कम्प्युटर का इस्तेमाल होना चाहिए ! लेकिन किस हालत में इस्तेमाल करेंगे जबकि देश में करोड़ों लोग बेकार हैं। कम्प्युटर की वजह से काफी लोग बेकार हो रहे हैं। कुछ ऐसी जगह जरूर है जहां पर कम्प्युटर का इस्तेमाल होना चाहिए। हर जगह कम्प्युटर का इस्तेमाल देश में हो सकता है या नहीं, यह सोचना जरूरी है। इन बातों को मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। केन्द्र सरकार में जो खाली जगह हैं, उनको कम्प्युटर के जरिये भरा जा रहा है। रेलवे, सबसे बड़ा विभाग है। जहां पर 23-24 लाख की बजाए 40-50 लाख लोग काम कर सकते थे। लेकिन वहां पर काम करने वालों की संख्या कम हो गई है। अब वहां पर 9 लाख लोग काम कर रहे हैं क्योंकि कम्प्युटर मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रामीण उद्योग के बारे में भी कहा गया है। अगर एक तरफ आदमी को खरीदने की ताकत को बढ़ाया जाए तो दूसरी तरफ ग्रामीण उद्योगों को बढ़ाया जाए। जब इंडस्ट्रीयल पालिसी के बारे में चर्चा हो रही थी तो ग्रामीण उद्योग के बारे में भी बात हुई थी। मंत्री जी ने उत्तर देते हुए कहा कि ग्रामीण उद्योगों का ध्यान रखना है। ग्रामीण उद्योगों के जरिये गांव के बेरोजगार लोगों के लिए काम का बंदोबस्त किया जा सकता है। पोल्ट्री या मुर्गी पालना या फिशरीज छोटी-छोटी स्कीम शुरू की जा सकती हैं। हरिजन लोग भी सूअर पालते हैं और गाय रखने जैसी स्कीम से गांवों की बेकारी दूर हो सकती है। इन बातों को मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। बहुत दिनों से इस तरह की चर्चा करते आ रहे है, लेकिन यह काम नहीं होता है। हमारे देश में आजकल डिवीजीव फोर्सेस खड़ी हो रही हैं। इनको सही ढंग से रोकने का बंदोबस्त नहीं किया गया तो देश के टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे। देश में बेकारी दूर करने के लिए इसको करना पड़ेगा। माननीय सदस्य इस प्रस्ताव को लाए हैं तो मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि बेरोजगारों को काम देने की स्वीकृति संविधान में दी थी। जब तक काम नहीं दे पायेंगे तो उनको भत्ता देंगे या नहीं, इसके बारे में अलग से चर्चा की जा सकती है। आपने मुझे बोलने का वक्त दिया इसलिए मैं धन्यवाद देते हुए अपनी बात खत्म करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, श्री पेरुमान ।

डा० पी० वल्लल पेरुमान (चिदम्बरम) : महोदय, मैं तमिल में बोलूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने इसकी सूचना दे रखी है ?

डा० पी० वल्लल पेरुमान : जी नहीं, महोदय ।

उपाध्यक्ष महोदय : तब कृपया आप रूपांतरण संबंधी व्यवस्था किए जाने जाने तक प्रतीक्षा कीजिये ।

अगले वक्ता श्री मुकुल वासनिक हैं ।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलढ़ाना) : महोदय, मैं बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा के लिए लाए गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। महोदय, हम सब के लिए यह अत्यन्त खेद का विषय है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 44 वर्षों के बाद भी हमारे देश में बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हैं। जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो हम उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनके पास आज तक आमदनी का कोई साधन अथवा कोई कामकाज नहीं है। ऐसे आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं। मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि माननीय प्रधान मन्त्री जी ने परसों अपने कथ्य में यह संकेत किया था कि समाज का एक बहुत बड़ा भाग अल्प-रोजगार में है। ऐसे आंकड़े हमारे पास नहीं हैं। मैं यह कहूंगा कि ऐसे लोग

जो भले ही आज रोजगार में हैं किन्तु जिनके सामर्थ्य और क्षमता का हम पूर्ण संभव हद तक उपयोग नहीं कर पाए हैं, भी लक्षित वर्ग होना चाहिए जिस पर हमें अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए तथा ऐसे कुछ कार्यक्रम लागू करने चाहिएं जिनसे उनको पूर्ण रोजगार के अवसर मिल सकें।

पहले बोल चुके बहुत से सदस्यों ने भी बहुमूल्य सुझाव दिए हैं और मैं भी इन सुझावों का समर्थन करता हूं। मैं यह संकेत करना चाहूंगा कि हर सरकार तथा विभिन्न राजनीतिक दल चुनावों के समय, चुनावों के बाद तथा चुनावों से ठीक पहले भी बार-बार रोजगार को, जनता के सामने जाने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यक्रम बनाते रहे हैं। परन्तु महोदय, मुझे यकीन है कि यह सरकार अथवा कोई भी पिछली सरकार समस्या की प्रकृति तथा समस्या की गहराई को आंकने के किसी व्यवस्था-बद्ध प्रयास को सही जामा पहनाने में नाकाम रही है।

हमारे यहां योजना आयोग है। रोजगार कार्यालय हमारे पास हैं। इन निकायों से हम कुछ आंकड़े प्राप्त करते हैं परंतु यह हम भलीभांति जानते हैं कि देश में रोजगार कार्यालय संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं। योजना आयोग देश में बेरोजगारी के सही आंकड़ों का पता नहीं लगा पाया है। इसलिए मैं यह मानता हूं कि एक तरफ हम अपने इंजीनियरिंग कालेजों, मेडीकल कालेजों की, जहां दान के रूप में शुल्क लिया गया है, कुकुरमुत्तों की तरह से उगते जा रहे हैं लेकिन इस बात का हमें आभास नहीं है कि आगामी 5 या 6 वर्षों में समस्या और अधिक जटिल बन जाएगी। अपने कृषि-विकास, इंजीनियरी तथा इलेक्ट्रोनिक उद्योग के विकास को ध्यान में रखकर हमने ऐसी कोई योजना बनाने का कभी भी प्रयास नहीं किया कि आने वाले 5 वर्षों में कितने डाक्टरों, इंजीनियरों ऐनाइस्थिशियन ग्यनाक्लोजिशियन आदि की आवश्यकता होगी। हमने इस बारे में कोई योजना नहीं बनाई। जब तक कि हम इस तरह की योजना नहीं बनाते तो मेरे विचार से इस दिशा में हमारे कोई भी प्रयास सही दृष्टिकोण नहीं होंगे। ये संस्थाएं सैकड़ों, हजारों इंजीनियर तथा डॉक्टर बना रही हैं। ये डाक्टर तथा इंजीनियर इतना भारी प्रावेशिक शुल्क अदा करने के बाद जब इन संस्थाओं से बाहर आते हैं और जब वे देखते हैं कि भारत सरकार के पास इन्हें लाभप्रद रोजगार के अवसर प्रदान करने की पर्याप्त क्षमता नहीं है तो यह लोग कुण्ठाग्रस्त हो जाएंगे। परिणाम क्या होगा? हिंसा होगी। नक्सलाइट आंदोलन होंगे। ऐसे आंदोलन होंगे जैसे कि आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, उड़ीसा तथा बिहार में हो रहे हैं। आंदोलन बढ़ जाएगा। केवल यही ही नहीं बल्कि जहां कहीं भी शिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे, वहां किसी तरह से वे काला धन पैदा करने की ओर आकर्षित होंगे। बहुत अधिक युवा लोग जिनकी शक्ति तथा सामर्थ्य राष्ट्र निर्माण के क्रियाकलापों के प्रयोग में लाई जा सकती है, उनकी शक्ति तथा सामर्थ्य का ऐसे लोग लाभ उठाएंगे जो राष्ट्र को बर्बाद करना चाहते हैं तथा जो हमारी सामाजिक व्यवस्था को बर्बाद करना चाहते हैं।

अतः मैं यह बताना चाहूंगा और मांग करना चाहूंगा कि —जब यह सरकार साफ-साफ कह चुकी है कि रोजगार के अवसर उत्पन्न करना इस सरकार की पहली प्राथमिकता होगी—इस सरकार को राष्ट्रीय श्रम शक्ति योजना आयोग का गठन करना चाहिए और जैसे ही यह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। लेकिन एक स्थाई संस्था के रूप में इसे योजना संबंधी कृषि और उद्योग के क्षेत्रों में हुए विकास के अनुसार रोजगार के अवसरों के लिए योजना बनाने का कार्य जारी रखना चाहिए और तत्संबंधी वास्तविक आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिएं।

एक दिन, कुछ आंकड़े दिये गये थे कि हम इतना रोजगार के अवसर उत्पन्न करेंगे। ये आंकड़े सही नहीं हैं। अतः, यदि हम व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहते हैं, तो सरकार को स्थाई रूप से,

राष्ट्रीय श्रम शक्ति योजना आयोग का गठन करना चाहिये ताकि रोजगार के अवसर उत्पन्न करने संबंधी ब्यौरा तैयार किया जा सके।

दूसरी बात यह है कि पहले बोल चुके कुछ सदस्यों ने यह मांग की है कि काम के अधिकार को संविधान में शामिल किया जाना चाहिये। मैं इस मांग का समर्थन करता हूं। अनेक ऐसे भी सदस्य थे जिनका यह कहना था कि यदि एक बार काम के अधिकार को संविधान में शामिल कर लिया गया तो इस पर कार्यवाही करने के लिये सरकार के पास पर्याप्त संसाधनों का अभाव होगा। यदि सरकार के पास पर्याप्त ससाधनों का अभाव होगा तो इस अधिकार का कार्यान्वियन कर पाना सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं उनसे सहमत नहीं हूं। कई ऐसे मामले सुनने में आये हैं जहां अनावश्यक खर्चा होता है। यदि हम सरकारी स्तर पर व्यर्थ खर्च को रोकें, यदि हम उन कार्यक्रमों के लिए बजट आबंटन को रोकें जो उच्च वर्ग को बिलासिता की सुविधाएं प्रदान करता है और यदि हम इन कार्यक्रमों का कार्यान्वियन सक्षमतापूर्वक करें तो जाहिर है कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन होगा और हम काम के अधिकार को कार्यान्वित कर सकने में सक्षम होंगे।

महोदय, मैं इस मांग का पूरा समर्थन करता हूं और मेरा सरकार से निवेदन है कि यदि इस सत्र में संभव नहीं हो तो कम से कम अगले सत्र में सरकार काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बनाने के लिये संविधान में संशोधन करने के लिये एक विधेयक प्रस्तुत करे। महोदय, रोजगार कार्यालय की कार्यप्रणाली को सुधारने की भी आज भारी जरूरत है। मेरे क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में ये कई ऐसे मामले देखने में आये हैं कि कई लोगों ने दस या पन्द्रह वर्ष पहले रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज कराया था लेकिन आज तक उन्हें किसी साक्षात्कार के लिए एक भी 'काल' नहीं आई। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें नाम दर्ज कराने के कुछ ही महीने या कुछ वर्षों के बाद ही 'काल' मिल गई। यहां ध्यान देने की जरूरत है। हमें इसे रोकने की जरूरत है। यदि बड़े पैमाने पर कम्प्यूटरीकरण की जरूरत है तो हमें रोजगार कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण करना चाहिये और कई तरीके अपनाने चाहिएं जो यह सुनिश्चित कर सके कि जिन लोगों ने अपना नाम पहले दर्ज कराया था उन्हें काल पहले मिले।

माननीय सदस्यों ने अनेक आंकड़े दिये हैं। मेरे पास भी कुछ आंकड़े हैं। रोजगार कार्यालयों ने सरकार को सूचना दी है कि फरवरी 1991 तक 1,39,75,500 ऐसे युवकों को रोजगार दिया गया जिनकी शैक्षिक योग्यता मैट्रिक से अधिक थी। इसी प्रकार 1,36,39,900 मैट्रिक पास लोगों को रोजगार नहीं मिला। फिर उसी प्रकार, 1,91,36,300 ऐसे लोग थे जो मैट्रिक से नीचे थे और बेरोजगार थे।

ये बहुत ही खेदजनक आंकड़े हैं 4,67,51,700। मैं नहीं समझता हूं कि यह सही आंकड़े हैं और ये पूरे आंकड़े हैं। लेकिन अपूर्ण आंकड़ों के रूप में भी ये हों तो यह खेदजनक स्थिति है और मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि यह सुनिश्चित करना चाहिये कि आंकड़े सही हैं।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : 12 करोड़ से ऊपर हैं। आप तो सिर्फ इम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज के फीगर बता रहे हैं।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : यह जो रीसेन्ट फीगर हैं, वह मैंने क्वोट की हैं। अलग-अलग समय पर अलग-अलग फीगर क्वोट की जाती है।

श्री संतोष कुमार गंगवार : आप देखिए, बाहर इम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज के कितने लोग हैं जो खेतिहर मजदूर हैं और जो अनइम्प्लायड हैं ?

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : मैं वही चीज कह रहा हूं । यह तो सिर्फ इम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज में दिये हुये फिगर्स हैं । ये फिगर्स कितने सही और गलत हैं इसके बारे में हमें यहां कोई जानकारी नहीं, लेकिन इतनी भी जो फिगर्स हैं ये बहुत डरावनी फिगर्स हैं । ये बहुत बड़ी फिगर हैं और ये फिगर सिर्फ उन लोगों की हैं जो बेरोजगार हैं, जो खेत में जाकर काम कर रहे हैं, जिनका हम पूरी तरह से पोटेन्शियल यूज नहीं कर पा रहे हैं जिससे एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय नुकसान आज देश को हो रहा है । वैसे लोगों की कोई फिगर आज तक सरकार ने किसी तरह से वर्क आउट करने की कोशिश नहीं की । तो जो चीज आप कह रहे हैं, उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं ।

[अनुवाद]

महोदय, दो या तीन बातें हैं जो मैं आपको ध्यान में लाना चाहता हूं । लेकिन इस मामले को मैंने कई बार उठाया है । मैं आपके पास इस बात को बार-बार लाना नहीं चाहता हूं कि एक तरफ तो हम प्रतिबद्धता व्यक्त करते रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करेंगे लेकिन होता जाता कुछ भी नहीं है । राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हां, रोजगार के अवसर व्यापक पैमाने पर उत्पन्न किए जाएंगे ।

कई राजनीतिक दलों के घोषणापत्रों में भी इस तरह की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है । लेकिन, महोदय, हम बार-बार समाचारपत्रों में इस आशय की खबरें पढ़ते हैं कि मन्त्रालयों में या केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों में नई भर्ती पर प्रतिबन्ध लगाया जाएगा । इससे हम बहुत ही चिन्तित और कुपित होते हैं । कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो प्रतिबन्ध लगा चुके हैं और कुछ लगाने की योजना बना रहे हैं । महोदय, यह जानलेवा कदम है । यदि हम विभिन्न राज्यों में प्रतिबन्ध नहीं हटाते हैं, तो जहां यह लगाया गया है, वहां बेरोजगार आदमी उन क्षेत्रों में प्रतिक्रिया करेंगे और बहुत ही बुरी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे ।

महोदय, यह विभिन्न राजनैतिक दलों के द्वारा इस संबंध में आश्वासन दिया हैं । जबकि कदम कुछ और ही उठाये गये हैं । और यदि बेरोजगार युवक बुरी तरह प्रतिक्रिया करते हैं तो जो कुछ भी होगा इसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी । इसके लिए युवकों पर दोषारोपण नहीं होना चाहिए ।

महोदय, जब मैं पूरक प्रश्न करता हूं तो माननीय वित्त मन्त्री कहते हैं कि सदस्यगण दोनों हाथ में लड्डू नहीं ले सकते ।

[हिन्दी]

दोनों हाथ में सांसद लड्डू नहीं रख सकते । एक तरफ तो यह कहा जाता है कि सरकार को खर्च कम करना चाहिए, दूसरी तरफ कहा जाता है कि नौकरियों में ज्यादा भर्ती होनी चाहिए । दोनों काम नहीं हो सकेंगे । सरकार अपना खर्च कम करने की कोशिश कर रही है और वह करते समय जो भी कदम जरूरी हैं वे उठाने होंगे । इस तरह का बयान माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने दिया था । मैं यह साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि हम गवर्नमेंट का सिर्फ वही खर्च कम करने की बात कर रहे हैं, जो एक वेस्टफुल एक्सपेंडीचर है । जो सरकारी खर्च जरूरी है, वह सरकार को करना पड़ेगा और वह खर्च पूरा करने के लिए अगर हमारे किसी नागरिक के लिए कोई सैक्रिफाइस करने की जरूरत है, तो,

वह सैक्रिफाइस होगा । अगर हिन्दुस्तान की सीमाओं की रक्षा करने के लिए सरकार को खर्च करना जरूरी है, तो भारत का हर नागरिक वह खर्चा पूरा करने के लिए जो भी बलिदान करने की जरूरत है, वह बलिदान देने को तैयार है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं वह खर्च कम करने के लिए कह रहा हूं जो वेस्टफुल एक्सपेंडीचर है। जो आवश्यक खर्च है, वह तो होगा ही । वह तो करना ही चाहिए और उसके लिए देश का हर नागरिक जो भी त्यागपत्र करने की जरूरत है, वह करेगा । वेस्टफुल एक्सपेंडीचर वह है जैसे मंत्रियों के पीछे चार-चार, पांच-पांच और छः-छः गाड़ियां घूमती हैं । आज किस तरह से सरकारी अफसरों के घरों में, दफ्तरों में नौकर-चाकर काम करते हैं ।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : आप मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुये, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं ?

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : नहीं, ऐसी बात नहीं है । अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, तो ऐसा बोलिए, नहीं तो वैसा बोलिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से गाड़ियां आज सरकार चला रही है, उनमें जिस तरह से बेहिसाब तेल खर्च किया जा रहा है, आज नौकर-चाकर हमारे सरकारी दफ्तरों में घूमते नजर आ रहे हैं, तो इस वेस्टफुल एक्सपेंडीचर को कम करने की जरूरत है ।

उपाध्यक्ष महोदय, नागपुर में तो डिप्टी डिवीजनल कमिश्नर ने अपने कमिश्नर के खिलाफ एक कम्पलेंट फाइल की है, महाराष्ट्र सरकार के डिवीजनल कमिश्नर के खिलाफ कि कमिश्नर के काम से जब गाड़ी ज्यादा नहीं घूमी, तो उन्होंने उस गाड़ी को अपने बीबी-बच्चों को स्कूल लाने और ले जाने के लिए काफी घुमा दिया जिसका कई हजार रुपये का बिल है । इस प्रकार से वह अधिकारी बधाई का पात्र है, जिसने अपने सीनियर आफीसर के खिलाफ कम्पलेंट की । इससे यह भी पता चलता है कि गवर्नमेंट का खर्चा किस तरह से हो रहा है । तो यह तो एक उदाहरण है । इस तरह के उदाहरण देश के अलग-अलग प्रदेशों में, अलग-अलग भागों में हो सकते हैं । मैं तो वित्त मन्त्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि नौकरियों पर लोगों के रखने से वेस्टफुल एक्सपेंडीचर नहीं होगा । अगर आप 4 लोगों को नौकरी देंगे, तो राष्ट्रीय सम्पत्ति का निर्माण करेंगे । उससे राष्ट्र को सम्पत्ति मिलेगी, लेकिन अगर आप इस तरह गाड़ियों पर और तेल पर खर्च करने लगे, तो राष्ट्र को इससे बहुत बड़ी हानि पहुंचेगी ।

5.00 म०प०

वह हानि जल्दी रोकने में यदि सरकार नाकामयाब रहेगी तो देशवासी सरकार को कभी भी माफ नहीं करेंगे ।

अन्त में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जिस तरह के आश्वासन सभी राजनैतिक दलों ने दिये हैं उन आश्वासनों को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस ने भी इस तरह का आश्वासन दिया था । उन आश्वासनों की पूर्ति करने के लिए उनका कदम आगे बढ़ना चाहिये । नहीं तो जैसा माहौल पंजाब, असम, उड़ीसा और बिहार में आज है, जहां पर लोकतन्त्र कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, लोक प्रतिनिधि पर विश्वास कम होता नजर आ रहा है, लोक प्रतिनिधियों की प्रतिमा लोगों के सामने गिरती जा रही है, वैसा माहौल सब जगह हो जाएगा । हम आश्वासन देते चले जाएंगे, यदि उसकी पूर्ति नहीं करेंगे तो लोगों का लोकतन्त्र से विश्वास खत्म हो जाएगा और फिर हम इस देश को कभी भी एक नहीं रख

सकेंगे। इतना कहते हुए मैं आपका आभार मानता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए मुझे मौका दिया।

***श्री पी० पी० कालियापेरूमल** (कुड्डालोर) : सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस माननीय सभा में अपना पहला भाषण देने का अवसर दिया गया।

मानव अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों पर बहुपक्षीय संधि तथा राजनीतिक अधिकारों को मैं मानवता संबंधी मैगनाकार्टा ही कहूंगा।

सबसे पहला अधिकार जो मानवता की भलाई के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में उल्लिखित हैं वह है जीने का अधिकार। मुझे डर है कि भारत के कई नागरिकों को जीने का अधिकार प्राप्त नहीं हो रहा है। जीविका अर्जन का अधिकार जीने के अधिकार का एक हिस्सा है। हमारा उच्चतम न्यायालय भी इस जीविका अर्जन के अधिकार को बहुत महत्व देता है। जीने के अधिकार तथा जीविका अर्जन के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए हमें सभी लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने चाहिए तथा बेरोजगारी की समस्या को जड़ से उखाड़ना चाहिए। कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि काम के अधिकार को हमारे संविधान में शामिल किया जाना चाहिए तथा इसे मौलिक अधिकारों में सम्मिलित करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। परन्तु मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 पहले से ही इसका समर्थन करता है तथा काम का अधिकार इसमें दिया गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं काम के अधिकार को अपने मौलिक अधिकारों में शामिल करने के प्रस्ताव के विरुद्ध हूं। परन्तु मैं इस तथ्य को उजागर कर रहा हूं कि इसे पहले ही संविधान में दिया गया है।

जीवन का अर्थ केवल पशुओं की भांति जीना नहीं है। इसमें जीविकार्जन तथा व्यक्तित्व का विकास करने के अवसर भी शामिल हैं। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन स्तर ऐसा होना चाहिए जिसमें उसे न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवारजनों तथा दूसरे आश्रितों के लिए भोजन, आश्रय, वस्त्र तथा चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त हों। जब हम अपने देश के विशाल जनसाधारण की दशा पर गौर करते हैं तो हम पाते हैं कि इनमें से अधिकतर लोगों की मूल आवश्यकताएं पूरी नहीं होतीं तथा इनमें से बहुतों के पास काम नहीं हैं, रोजगार के अवसर नहीं हैं तथा जीविकार्जन के साधन नहीं हैं। इस बेरोजगारी की समस्या को हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक वर्ग है शिक्षित बेरोजगारों का। मैं महसूस करता हूं कि इनकी समस्या इन परिस्थितियों में हमेशा के लिए दूर नहीं की जा सकती। परन्तु फिर भी हम कुछ हद तक समाज पर इनके असर तथा नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं। वे कौन लोग हैं, जो इस प्रकार की बेरोजगारी से सबसे अधिक प्रभावित हैं? मेरे विचार से इस समस्या से सबसे अधिक वे शिक्षित प्रभावित हुए हैं जो बहुत ही गरीब परिवारों से संबंध रखते हैं तथा जिन्होंने पीढ़ियों से शिक्षा नहीं पायी। इन गरीब परिवारों की यह पहली नौजवान शिक्षित पीढ़ी ही बेरोजगारी की समस्या से सबसे अधिक प्रभावित हुई है।

कई गरीब अभिभावकों तथा माताओं ने अपनी जमीन के टुकड़े अथवा जेवर बेच कर या गिरवी रख कर अपने बच्चों को इस उम्मीद से पढ़ाया कि इस शिक्षा से वह सरकारी नौकरी पाने में सफल होंगे। उन्हें अभी भी आशा है कि उनके बच्चे सरकारी नौकरी की नियमित आय से उन अपूर्ण इच्छाओं को पूरा करने में उनका हाथ बंटाएंगे। परन्तु जो आज हम देखते हैं वह एकदम इस

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

उल्ट है। गरीब आदमियों के गरीब बच्चे जीविकार्जन तथा रोजगार के अवसर की चाह में दयनीय स्थिति में ही रहते हैं। बहुत से स्नातकोत्तर डिग्री तथा डिप्लोमाधारकों और यहां तक कि भाषाविज्ञों को भी नौकरी नहीं मिलती। मैंने अपने पैतृक राज्य में स्वय देखा कि तमिल ब्राह्मण भी अत्यन्त गरीबी की अवस्था में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जूझते रहे हैं।

मैं सरकार का ध्यान गरीब परिवारों की पहली पीढ़ी में शिक्षित बेरोजगारों की दयनीय स्थिति की ओर दिलाना चाहूंगा, विशेषकर उन डिग्री-धारकों की ओर जोकि बहुत सी आकांक्षाएं लेकर शिक्षा-प्राप्ति के लिए जी-तोड़ मेहनत करते हैं। उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए तथा सरकार को इसकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि सम्भव हो तो सरकार को ऐसे युवकों को रोजगार में आरक्षण देने पर विचार करना चाहिए। हम तभी इस बात का दावा कर सकते हैं कि हमने इन शिक्षित युवाओं तथा उनके परिवारों के लिए जीने का अधिकार सुनिश्चित कर दिया है।

हम कहते हैं कि महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए। हम महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए भी जोर देते रहते हैं। परन्तु क्या हमने यह सुनिश्चित किया है कि महिलाओं को रोजगार मिले ? कई लाख महिलाएं डाक्टर की उपाधि तथा स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् भी इस प्रणाली को चुपचाप सहन करते हैं जिसमें रोजगार के अवसर तथा विवाह उनकी पहुंच के बाहर है। मैंने इसे स्वयं देखा है तथा अपने लोगों में मैंने स्वयं इसे सहन किया है। महिलाओं के अधिकारों का दावा करना तथा महिलाओं की शिक्षा के लिए शोर मचाना एक निष्फल प्रयास ही होगा। हम रोजगार का एक निश्चित प्रतिशत शिक्षित बेरोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित क्यों नहीं करते ? इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह हरेक भर्ती में शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को प्राथमिकता दे। जब उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे तभी महिला शिक्षा का कुछ अर्थ होगा तथा उनका स्तर ऊपर उठेगा। केवल तभी स्त्री जाति जोकि मानव जाति के उत्थान में अपना पूरा योगदान देती है, अपने अधिकारों तथा सम्मान के लिए गर्व महसूस करेगी।

अकुशल श्रमिक, बेरोजगार युवकों की श्रेणी का दूसरा भाग है। उनकी संख्या अनुमान से भी अधिक है। वे करोड़ों की संख्या में हमारे पूरे देश के ग्रामों में मौजूद हैं। इनमें से अधिकतर भूमिहीन मजदूर तथा गरीब दस्तकार हैं उनके अनेक दुख तथा परेशानियां हैं। हमने उनके उत्थान तथा उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए उनको रोजगार देने की कई योजनाएं बनाई होंगी। परन्तु जो हमने किया है वह बहुत कम है तथा उनके दुःखों को कम करने के लिए बहुत कुछ किया जाना है। इसलिए देखते हैं कि हमें अपनी सारी ताकत एक ऐसी नीति बनाने में लगाने की आवश्यकता है जिससे उनकी यह समस्या हल हो सके।

हमारे देश में करीब 7 मिलियन हेक्टेयर भूमि, परती भूमि, अनउपजाऊ भूमि तथा उपजाऊ बेकार पड़ी हुई भूमि की श्रेणी में आती है। हमें ऐसी भूमि का पता लगाकर इसे भूमिहीन श्रमिकों में बांटना चाहिए। हमें उन भूमिहीन श्रमिकों को पट्टा देना चाहिए जो अपनी जीविका अर्जन के लिए कठोर परिश्रम कर सकें। मैं सरकार से इस उपाय को लागू करने का निवेदन करता हूं।

यद्यपि भूमि जोतने वालों को भूमि का मालिक बनाने की हमारी पुरानी घोषित नीति एक दावा ही बन कर रह गई है तथा अभी भी यह एक अधूरा वादा ही बनी हुई है। इसे लागू करने से हम बेरोजगारी की समस्या का, जिसने कि हमारे ग्रामों को चपेट में ले रखा है, सद्भाव-पूर्ण ढंग से समाधान कर सकते हैं।

भूमि सुधार कानूनों को ईमानदारी से लागू करना चाहिए तथा भूमि की अधिकतम सीमा घटाई जानी चाहिए। हमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व परिवर्तन करने चाहिए। हमें उचित कानून बनाने चाहिए जिससे कि बेनामी जोतों को जब्त किया जा सके।

हमें ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक निवेश करना होगा। तभी ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी दूर हो सकती है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक निवेश करे।

गरीबी मिटाने के लिए हमें दोहरी नीति अपनानी होगी। एक ओर हमें बेरोजगारी की समस्या दूर करनी होगी तथा दूसरी ओर हमें सामाजिक तथा आर्थिक असमानताओं को समाप्त करने की कोशिश करनी होगी। यह व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है कि आप जरूरतों की अनदेखी करते हुये उत्पादन पर जोर देते जाओ तथा इसे उन सभी लाभार्थियों/हिताधिकारियों में बांटने की ओर ध्यान न दें। समान वितरण के बगैर उत्पादन एक तरह का विरोधाभास है। हमें अधिक उत्पादन के प्रयत्न की तरफ ध्यान देते समय इसके समान वितरण की तरफ भी उतना ध्यान देने की जरूरत है। केवल यही हमें गरीबी की हालत में सुधार करने तथा बेरोजगारी की समस्या से निपटने में सक्षम बनाएगा। हमें बेरोजगारी के विरुद्ध अपनी लड़ाई तब तक जारी रखनी होगी जब तक कि यह समाप्त न हो जाये।

मैं एक बार फिर माननीय अध्यक्षपीठ का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने लोक सभा में नये आये सदस्य को इस देश की एक ज्वलन्त समस्या पर अपना पहला भाषण देने का मौका दिया।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस बात के लिए हम इस सदन में चर्चा कर रहे हैं, यह हमारे देश के लिए एक बहुत गंभीर समस्या के रूप में भी उभरकर आई है। विशुद्ध रूप से यह हमारा सौभाग्य होना चाहिए कि जिस देश के पास श्रमशक्ति के नाम पर हजारों लोग हों, किन्तु हमारी यह बदनसीबी है कि जिन लोगों की ताकत के बूते पर हम देश का निर्माण करना चाहते हैं, उन लोगों को काम देने के लिए उन लोगों को रोजगार देने के लिए हमारे पास कोई अवसर नहीं।

देश की आजादी के बाद ही राष्ट्र निर्माण का जो काम जिस तरीके से किया जाना चाहिए था, उसकी संरचना हमने नहीं की और तब हमारे सामने कोई स्पष्ट सरचनात्मक ढांचा नहीं था।

हमारी शिक्षा, हमारे लोगों को काम देने की व्यवस्था के बारे में कभी गंभीरता से विचार नहीं हुआ। पढ़ाई-लिखाई की जो व्यवस्था देश में चली, वह अंग्रेजों ने इस देश में नौकर बनाने के लिए, लोगों को नौकरी देने के लिए, उनकी रोजी-रोटी चलाने के लिए जिस शिक्षा को ईजाद की थी, वही आज चली आ रही है। मैकाले की शिक्षा पद्धति के नाम पर कुछ लोगों को क्लर्क बनाकर, कुछ लोगों को उनकी कामचलाऊ सरकार के लिए अपने साथ जुटाने के लिए उन्होंने जो शिक्षा पद्धति चलाई, उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ होगा, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है, हम कई प्रकार के परिवर्तन के बारे में सोचते तो हैं, किन्तु हमारे देश की श्रम शक्ति के बारे में देश में जो लोग बेकार हैं, बेरोजगार हैं, उनके बारे में सोचने के लिए हमारे पास समय नहीं है।

गरीबी और बेरोजगारी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। गरीबी को दूर करना है तो रोजगार देना है और रोजगार देना है तो उसके लिए कोई योजना बनानी होगी इसलिए गरीबी को हटाने के लिए इस देश में अनेक प्रकार के नारे तो दिये गये, हमने कहा कि देश में हम समाजवाद लायेंगे और समाजवाद के नाम पर देश को एक दशक तक चलाते रहे पर समाजवाद आया नहीं, समाजवाद की बात

का वाद विवाद हो गया। पता नहीं उसका क्या हुआ, समाजवाद का नाम आज लेते जरूर हैं लेकिन समाजवाद के नाम पर हुआ क्या है, इसका अंजाम, इसका परिणाम क्या हुआ है, इसके बारे में आज भी कोई परिणाममूलक तथ्य हमारे सामने नहीं है।

फिर एक बार गरीबी हटाओ की बात को लेकर लोगों के अन्दर एक आकर्षण पैदा हुआ और गरीबी हटाओ के नाम पर भी 10 वर्ष तक देश को चलाते रहे। उसके बाद भी लोगों की गरीबी हटी नहीं, लोगों को रोजगार मिला नहीं। बेकारी के कारण, बेरोजगारी के कारण और बेबसी के कारण आज उनको शोषण का शिकार होना पड़ रहा है। आपको पता है, उपाध्यक्ष महोदय, गरीबी एक ऐसा अभिशाप है जिसके कारण मनुष्य का जीवन जीना दूभर हो जाता है। आदमी काम करना चाहता है, आदमी श्रम, परिश्रम करना चाहता है, वह रोजी-रोटी, स्वाभिमान और सम्मान के साथ जीना चाहता है किन्तु हमारी स्थिति यह बनी हुई है कि हम न तो उसको रोजी-रोटी दे सकते हैं, न उसको स्वाभिमान दे सकते हैं, न सम्मान दे सकते हैं और इसलिए आज वह बेबस, बेकार, लाचार और इन्तजार कर रहा है कि कोई किसी त्राता के रूप में आयेगा और उसको फिर से उबारने की कोशिश कोई की जाएगी। किन्तु सरकार का दायित्व यह तो है कि समाज के कल्याण की दृष्टि से अनेक प्रकार की जो योजनायें चलती हैं, उनको श्रममूलक बनाया जाय।

आज हम नई औद्योगिक नीति के नाम पर अपनी घोषणाओं के कारण लोगों को आकर्षित करने का, लोगों से वायदा करने का काम तो जरूर कर रहे है किन्तु रोजगार के बारे में क्या होगा? इसके बारे में हमारा कोई विचार नहीं रहा। इसलिए श्रम पर आधारित हमारी औद्योगिक नीति होनी चाहिए। अधिक से अधिक लोगों को काम मिल सके, इस प्रकार की हमारी योजनायें होनी चाहियें, किन्तु हम विदेशी तकनीक को इम्पोर्ट करने के नाम पर उसको आयातित करने की दृष्टि से हमारे लोगों को बेरोजगारी के कगार पर ढकेलते चले जा रहे हैं।

हमारे यहां पर अर्थव्यवस्था, औद्योगिक संरचना इस प्रकार की होनी चाहिए कि जिसमें अधिक से अधिक लोगों को काम मिल सके, ज्यादा से ज्यादा हाथों को काम मिल सके परंतु हो यह रहा है कि जो हथकरघा करने वाले लोग थे, वह हट गये।

आज गांव में जो लोग छोटे-छोटे काम करते थे, उन कामों को बड़े-बड़े लोगों ने ले लिया है। आज गांवों में जो बढ़ई का काम कर सकता था, जो काम कर सकता था कुम्भकार का, जो छोटे-छोटे काम कर सकता था कारीगर—उन सारे के सारे लोगों के काम बड़े-बड़े लोगों के द्वारा छीन लिए गए हैं। इसलिए हमको तय करना होगा कि कौन-कौन से काम सरकार करे, कौन-कौन से काम बड़ी कंपनियां करे और कौन कौन से काम छोटे-छोटे लोगों के लिए छोड़ दिए जायें। फावड़ा बनाने का काम, दराती बनाने का काम—ये सारे काम जो पहले गांव में हुआ करते थे, ये सारे के सारे काम बड़े-बड़े उद्योगों के साथ जुड़ गए हैं। गांव में तेल निकालने के लिए पहले कोठारी (घानी) चला करती थी, गांव के अन्दर और भी अन्य प्रकार की व्यवस्थायें थीं, बढ़ई को रोजगार देने के लिए व्यवस्था थीं, लेकिन आज गांवों में बेबसी, बेकारी, लाचारी के सिवाय और कुछ नहीं है। आज गांवों के अन्दर निराशा है। गांवों के अन्दर जो खेतिहर मजदूर के नाम पर भी काम करते हैं, उनको भी साल भर रोजगार मिलने के अवसर नहीं हैं। बरसात के दिनों में वह भूखा मरता है। वह तरस जाता है, अपनी सारी की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। उसके लिए वहां कोई उपाय नहीं है। उसको कोई देखने वाला भी नहीं है। खेतिहर मजदूर की दुर्दशा को देखकर निश्चित रूप से किसी भी

मनुष्य का मन विचलित हो सकता है, लेकिन उसके लिए कोई मौका ही नहीं है। वह काम करना चाहता है, तो उसके लिए कोई काम नहीं है। आज देश में अनेक प्रकार के बांध बनाए जा सकते हैं। अनेक प्रकार की योजना श्रम के माध्यम से सार्थक की जा सकती हैं। लेकिन सारी की सारी योजनाओं का आयोजन न होने के कारण, इसके बारे में विचार नहीं होने के कारण श्रम के माध्यम से जो योजनायें पूरी कर सकते होंगे, किन्तु वे होती नहीं है। श्रम के माध्यम से बांध बनायें, बांध से सिंचाई होगी, सिंचाई से खेती होगी और खेती में लोग लगेंगे। ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई सारी की सारी व्यवस्थायें हैं। इसलिए देश की आजादी के बाद हमने अपनी प्राथमिकता तय करने के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया, जिसमे लोगों के रोजगार के बारे में हम और विचार कर सकें।

जहां तक एम्पलायमेंट एक्सचेंज में पढ़े-लिखे लोगों के आंकड़ों का संबंध है, वे आंकड़े चौंका देने वाले हैं। जनसंख्या और रोजगार का सीधा-सीधा संबंध है। 1951 में देश की आबादी 36 करोड़ थी और यह आबादी 1991 में बढ़ कर 84 करोड़ की हो गई। आबादी में जो प्रतिशत में वृद्धि हुई है, वह 1951 में 13.31 प्रतिशत थी, 1961 में 21.51 प्रतिशत हो गई, 1971 में 24.80 प्रतिशत, 1981 में 24.66 प्रतिशत और 1991 में यह संख्या 23.50 प्रतिशत हो गई। जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ रही है, उसी गति से रोजगार भी मिलना चाहिए, किन्तु रोजगार के अवसर हमने नहीं जुटाए। बेरोजगारी के आंकड़े भी मेरे सामने हैं। 1988 के आंकड़े तो मेरे पास उपलब्ध हैं। हमने जिला रोजगार केन्द्र 840 बनाए, इनमें मैट्रीकुलेट लोग जिनके पास रोजगार नहीं है, उनकी संख्या एक करोड़ एक लाख है, हायर सैकेंडरी 44 लाख बीस हजार, स्नातक और स्नातकोत्तर 29 लाख 22 हजार हैं। इस प्रकार सारे के सारे जो शिक्षित बेरोजगार हैं, उनकी संख्या एक करोड़ 75 लाख 12 हजार हैं। ये वे लोग हैं, जिन्होंने नाम दर्ज करा रखे हैं और जो शिक्षित नहीं हैं ऐसे लोगों की संख्या एक करोड़ 25 लाख 38 हजार। इस प्रकार कुल मिलाकर 1988 में तीन करोड़ 50 हजार लोग बेकार और बेरोजगार हैं। यदि आप 1989 के आंकड़े देखें तो उनकी संख्या है 3 करोड़ 27 लाख 76 हजार। इतने बेकार बेरोजगार हैं जोकि सरकारी कागजात में दर्ज हैं। बाकी लोगों के नाम तो हैं ही नहीं। यदि आप इस प्रकार से सारी बातों की जानकारी लें, तो देश में जो भी ऐसे लोग हैं, उनकी संख्या बहुत है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जिनको रोजगार मिलता है, किन्तु पूरा रोजगार नहीं मिलता है। उनको पूरे समय का काम नहीं मिलता है। देश में भारी बड़ी संख्या ऐसी भी हैं, जो आबादी का 20 प्रतिशत होता है, निश्चित रूप से बेरोजगारी के कगार पर है। आज हमने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई, घर में काम करने वाला एक और खाने वाले चार लोग हैं। इन चारों लोगों के लिए काम की कोई व्यवस्था या कोई योजना बनाई होती, तो निश्चित रूप से हमारे लिए उस काम के आधार पर उसके परिणाम हमारे सामने आते, किन्तु यह नहीं हुआ। ये सारी की सारी चीजें शिक्षा के बिना संभव नहीं है। शिक्षा के प्रसार का काम हमने किया ही नहीं। गांव के अन्दर शिक्षा देने के लिए प्रौढ़ शिक्षा की योजना चलाते हैं, किन्तु प्रौढ़ शिक्षा प्रौढ़ हो गई है। वहां शिक्षा का कोई काम नहीं हुआ है। हमने शिक्षा में भी भेद कर दिया। गरीब को शिक्षा तो मिलती नहीं है, गरीब को शिक्षा का अवसर नहीं है। शिक्षा हम इसलिए देते हैं कि शिक्षा से ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान से वह काम की तलाश कर सकता है। काम से रोटी, कपड़ा मकान पा सकता है और वह स्वाभिमान से खड़ा हो सकता है।

8 सितम्बर को हम विश्व साक्षरता दिवस मना रहे हैं। सारी दुनिया का ध्यान इस ओर है। हम अपने देश में भी साक्षरता दिवस मनायेंगे विश्व साक्षरता से और देश की साक्षरता से निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्त होता है। वह जानता है, समझता है, उसकी बुद्धि बढ़ती है, उसकी अन्याय, शोषण से

मुक्ति होती है। इसलिए विश्व साक्षरता देने के संदर्भ में साक्षरता के बारे में विशेष ध्यान देना चाहिये।

"जिनके लिये अक्षर का अस्तित्व नहीं, शब्दों की नहीं है सार्थकता,
निरक्षरता बना हुआ है अभिशाप, पढ़ने को मौन बोलो ! कौन ?
शब्द देगा साक्षरता सार्थक करेगा।"

आज सारे देश के सामने प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो संविधान की भावना है उसका आदर किया जाए। भारत के संविधान उद्देशिय में यह लिखा है कि हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए राष्ट्र के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक न्याय देंगे। अब आर्थिक न्याय जब तक नहीं होगा तब तक वह अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं कर सकेगा।

इसलिए मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि अब इसमें, इसके लिए इन्तजार करने की आवश्यकता नहीं है। हमें कुछ ऐसी योजनाएं बनानी होंगी, ऐसे काम करने होंगे जिससे बेरोजगारों को काम मिल सके। इसके कारण जो बेरोजगारी की विभिषिका बढ़ती जा रही है, जो असंतोष और आक्रोष बढ़ता जा रहा है, उसके कारण भी हमारे देश के अन्दर जो एकता और एकात्मता है उसको भी खतरा पैदा हो रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो बात हम कहते हैं कि बेरोजगारों को काम दो और काम नहीं तो भत्ता दो। रोजगार अथवा भत्ता जरूर देना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी सरकार के लिए भी होनी चाहिए, मैं कहना चाहूंगा कि सरकार इसके बारे में सार्थक रूप से विचार करे और जो बेकार और बेरोजगार लोग हैं उनको काम देने के लिए पूरी व्यवस्था करें।

5.22 म०प०

[श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुईं]

श्री सूर्यनारायण यादव (सहरसा) : उपाध्यक्ष जी, मैं बधाई देना चाहता हूं अपने सांसद तेज नारायण भाई को, जिन्होंने इस देश में जो मूल समस्याएं हैं बेरोजगारों की, उसके सम्बन्ध में हम लोगों को बोलने का मौका मिला है। मान्यवर, जितने भी सांसद हैं या पोलिटीकल आदमी हैं या सरकार है, यह बड़े पदाधिकारी लोग हैं, मैं नहीं समझता कि उनके यहां प्रत्येक दिन 10, 50, 25, 100 या 200 आवेदन न आते हों, अनुशंसा कराने के लिए। मान्यवर, इस समय का निदान भी आसानी से, ठीक से कर लिया जाएगा, ऐसी भी कोई संभावना नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जो भी रही हो, वह इस समस्या के निदान का कोई ठोस निदान करना ही नहीं चाहती।

मान्यवर, आज इस देश में जो सरकारी आंकड़े हैं वे तो 4-5 करोड़ के हैं, लेकिन इतना नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि जितने बेरोजगार गांव, शहर और कस्बों में हैं, जिन्होंने अपने नाम एक्सचेंज में लिखाया नहीं या अगर उन्होंने अपना नाम दर्ज कराया तो उसका नाम दर्ज नहीं किया गया। इसलिए मैं समझता हूं कि इन सब को जोड़ने के बाद ये सारे आंकड़े आपके धराशायी हो जाएंगे। सवाल यह नहीं है कि ये आंकड़े कितने हैं, बल्कि सवाल यह है कि इसका निदान कैसे हो। आज कोई भी राज्य की सरकार हो या केन्द्र की सरकार हो, वह गरीबी और बेरोजगारी के नाम पर आह्वान करती है, चुनाव घोषणा-पत्र के माध्यम से कि मैं बेरोजगारी को दूर करूंगा, इस देश की गरीबी को मिटाऊंगा और उसमें ऐसा माहौल है, ऐसी गरीबी और बेरोजगारी की समस्या है कि लोग

उस ओर दौड़ पड़ते हैं। उसकी सरकार बनती है और जब उसकी सरकार बनती है तो फिर उसके लिए कोई चिन्ता की बात नहीं रह जाती है। इसलिए आज इस देश की समस्या अति भयावह है बेरोजगारों की ओर से, आज गांव में चोरी, डकैती, पाकेटमारी, उग्रवाद, ये जितनी भी समस्याएं हैं, आज अच्छे-अच्छे नौजवान, अच्छे-अच्छे बड़े बाबू के बेटे जिसे रोजगार मुहैया नहीं हो सका और वे अपने घर मे अपना पॉकेट खर्च नहीं चला पाते, वे आज दिल्ली, मद्रास, बम्बई या पटना जैसे शहर में हथियार उठा कर डकैत करने का काम किया करते हैं। यह मैं नहीं कहता, आज सभी लोग इस बात को कहते हैं और यह बातें हमें पेपर (समाचार-पत्र) के माध्यम से पता चलती हैं कि अमुक जगह डकैती हुई और ये पढ़े-लिखे नौजवान थे, इनमें से कोई अनपढ़ नहीं होता। इसका मतलब यह होता है कि इस देश में हम लोग जितने भी शिक्षित या अशिक्षित बेरोजगार हैं उन लोगों को डकैती की दिशा में हम लोग धकलने का काम कर रहे हैं।

महोदय आश्चर्य है और आश्चर्य क्यों न हो, कोई बाप अपने बेटे को इसलिए पढ़ाता है कि उसका बच्चा देश का बड़ा आदमी बने, अच्छी सर्विस में आए, नौकरी करे, अच्छी तरह से अपना जीवन-यापन करे, मनुष्य के रूप में रहे, लेकिन हमारी जो गलत शिक्षा नीति है, उसके कारण पढ़ाई-लिखाई के बावजूद उसको हम अच्छी तरह से शिक्षित नहीं कर पाते।

महोदय, हम लोगों की सरकार ने भी गलती की, मैं यह नहीं कहता कि सिर्फ कांग्रेस सरकार ने गलती की, 1989 में हमने कहा था कि हम काम के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में सम्मिलित करेंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे या काम देंगे, लेकिन जब हमारी सरकार बनी तो हमलोग भी इस काम को नहीं कर पाए, यह कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। यह इसलिए हुआ क्योंकि देश में ऐसी परिस्थितियां हैं, जिनसे जूझने के लिए, जिनका मुकाबला करने के लिए हिम्मत तथा साहस की आवश्यकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि गांवों में जो नौजवान हैं, छोटे शहरों के जो नौजवान हैं वे सब दिल्ली, मद्रास और बंबई में आकर बैठे हुए हैं। यहां पर वे छोटे-छोटे व्यापार करते हैं, नौकरी और रोजगार की खोज करते हैं और झुग्गी-झोपड़ी बनाकर सड़कों पर रहते हैं। यह सरकार उनको उजाड़कर भगाने का काम करती है। आपको आश्चर्य होगा कि उस झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाला नौजवान बी०ए० है, एम०ए० है, मैट्रिक पास है, बिजनेस में निपुण है और अपना पालन-पोषण करने के लिए आए हैं, लेकिन आज वे पुलिस के डंडे खा-खा कर त्राहि-त्राहि कर रहे हैं।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे मेरी बातों की ओर ध्यान दें। (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : आपकी प्राब्लम्स सुनने में मशगूल हैं।

सभापति महोदया (श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य) : यादव जी, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित की जीयेगा।

श्री सूर्य नारायण यादव : मैडम, हम तो हर बार एम०पी०, एम० एल० ए० चुन लिए जाते हैं, हमारी क्या प्राब्लम हो सकती है, प्राब्लम तो देश के नौजवानों की है, उनकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज बेरोजगारों की देश में जो स्थिति है, बेरोजगारों को सही दिशा और सही व्यवस्था न देने के कारण 25 प्रतिशत नौजवानों ने अपने हाथ में हथियार उठा लिए हैं। जैसाकि अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि बिहार में कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर

पाकेट-मारने का धंधा शुरु हो गया है। इसी तरह से गोरखालैंड की समस्या चल रही है, पंजाब और कश्मीर की समस्या में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जहां-जहां बेरोजगारी की समस्या है, वहां पर बेरोजगारी और गरीबी के चलते इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बेरोजगारी की समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए और बेरोजगारी को दूर करने के लिए कारगर कदम उठाने चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि इस समस्या का निदान नहीं हो सकता, कोई ऐसी समस्या नहीं होती जिसका निदान न हो। हम लोग काम के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल करें। सरकार कहती है कि इतना पैसा कहां से मुहैय्या करवाया जाएगा, इतने लोगों को कहां से काम देंगे, मेरा कहना है कि इतने बड़े देश में इतने उद्योगों की स्थापना की जाती है, एक ही घर में उद्योग है, नौकरी है, आफिसर हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, उद्योग भी चला रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। मेरा कहना है कि एक सिद्धांत को लागू करिए कि एक परिवार में जो बालिग हैं, उनको एक काम मिलेगा। अगर उद्योग चलाता है तो नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी करता है तो उद्योग नहीं मिलेगा। ऐसा करने से हम इस समस्या को दूर करने की ओर निश्चित रूप से अग्रसर होंगे।

सभापति महोदय, एक बात की ओर और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस देश में जितने मारूति कार के शोरूम हैं, मुझे इस बात को कहने में कोई हिचकिचाहट नही है कि एक-एक शोरूम लोगों ने एक-एक करोड़ रुपए देकर दिल्ली, बंबई और मद्रास आदि शहरों में स्थापित किए हैं।

वे करोड़ों रुपये खर्च करते हैं। लेने वाले कौन हैं, यह आपसे और हमसे छिपी बात नहीं है। मेरा कहना है कि बेरोजगार नौजवानों को आप यदि पैट्रोल पम्प और गैस एजेंसियां देने का काम करेंगे तो बेरोजगारी काफी हद तक दूर हो सकती है। यह डिसीजन आपको नहीं लेना है, यह डिसीजन हमारी सरकार ने, नैशनल फ्रन्ट की सरकार ने, वी० पी० सिंह जी की सरकार ने लिया था। उसपर अमल करने का काम आप करें।

आज देश में किसान और किसानों के बच्चे ज्यादातर बेरोजगार हैं। मेरा कहना है कि किसान को अगर आप उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, किसान की उपज, जो वह उपजाता है, अनेक फसलें हैं, जैसे मक्का उपजाता है, लेकिन मक्के का चूरा बड़ी-बड़ी फैक्टरियां बनाती हैं।

सभापति महोदया : यादव जी, एक मिनट के लिए बैठिए।

[अनुवाद]

सभा की स्वीकृति हो तो क्या मैं प्रस्ताव के लिये आबंटित समय को आधा घण्टा और बढ़ा सकता हूं?

कई माननीय सदस्य : जी, हां।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : प्रस्ताव जारी रह सकता है। मंत्री अगली बार उत्तर दे सकते हैं।

सभापति महोदय : इस प्रस्ताव पर बोलने वाले बहुत से वक्ता हैं यदि आप सहमत हों, तो हम प्रस्ताव पर आधा घण्टा और परिचर्चा जारी रख सकते हैं।

श्री सूर्य नारायण यादव : सभापति महोदया, मैं कह रहा था कि अभी भी बड़े-बड़े उद्योगपति,

गांव की छोटी-छोटी जो चीजें हैं, बनाते हैं। इस तरह के उद्योग-धन्धे बड़े-बड़े उद्योगपतियों को नहीं लगाने देने चाहिए। टाटा कम्पनी है, सभापति महोदया, आप भी जानती हैं, सुई से लेकर ट्रैक्टर बनाने का काम यह कम्पनी करती है। जो सुई हम लोग गांव में बना सकते हैं, साबुन गांव में बना सकते हैं, कुदाल और खुर्पी हम गांव में बना सकते हैं ऐसे छोटे-छोटे धन्धों को गांव के रोजगार को छीना गया है और यह बड़ी फैक्टरियों में बनना शुरू हो गया है। आज से हजारों-हजार वर्ष पूर्व यह कहा था कि जिसका जो काम है उसका नाम उसी पर रखा जाएगा। काम के आधार पर जातियां बन गयीं। जो चमड़े का काम करता था वह चमार कहलाता था। आज जूता बनाने वाली फैक्टरी के मालिक को चमार क्यों नहीं कहा जाता। मेरा कहना है कि जो छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे हैं, जो चीज गांव में बन सकती है गांव के माध्यम से हम ले सकते हैं और उससे बेरोजगारी दूर कर सकते हैं, ऐसे लाईसेंस बड़ी-बड़ी फैक्टरियों को न दिये जाएं। इससे भी हम बहुत सारी समस्याओं का निदान कर सकते हैं, बेरोजगारी का निदान कर सकते हैं।

दूसरा हम लोगों की शिक्षा है। जब तक शिक्षा को, पढ़ाई-लिखाई को हम, प्रोत्साहन नहीं देंगे तब तक हम बेरोजगारी पर काबू नहीं पा सकते इसलिए आज 5 करोड़ या 7 करोड़ शिक्षित नौजवान हैं और अशिक्षित लगभग 25-30 करोड़, कुल आबादी का 30 प्रतिशत। जनसंख्या दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है। हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते-लिखते हैं, लेकिन वे फिर भी बेरोजगार होंगे। यह एक दिन की समस्या नहीं है कि एक बार समस्या का निदान करने पर यह समस्या हमारे सामने नहीं आएगी। इसलिए शिक्षा के माध्यम से, कैसी शिक्षा दी जाए ताकि अच्छे किसान बन सकें, कैसे उद्योग-धन्धे, कैसी फैक्टरियां लगायी जाएं ऐसी शिक्षा देने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस पर कुछ हद तक काबू पाने में सक्षम हो सकते हैं।

हमारे देश में बहुत बड़ी बातें चल रही हैं। लेकिन, कार्य के अधिकार को मौलिक अधिकार में लाने की बात को नेशनल फ्रन्ट की सरकार नहीं कर पायी इसलिए जब तक आप इस बुनियादी चीज पर नहीं आते हैं और इस कार्य को नहीं करना चाहेंगे तो तब तक आपको इस देश में लोग माननेवाले नहीं हैं। मैं, दो उदाहरण देना चाहूंगा। जब मंडल कमीशन को लागू करने की बात हुई थी तो आपको याद होगा कि दिल्ली के चौराहों पर जो जवान बेरोजगारी से निराश थे तो जिंदा जला करते थे। वे सही मायनों में नहीं जले थे। वे फ्रस्टट्रेट थे, बेरोजगार थे, नौकरी नहीं मिलती थी, खाने के लिए अन्न नहीं मिलता था तो अपना प्रदर्शन करने का काम किया था। यह मंडल कमीशन की वजह से नहीं हुआ था। इसी प्रकार से बिहार में बहुत ट्रेनें चलती हैं। जब किसी के घर में झगड़ा होता है, नौकरी नहीं है तो जवान कहते हैं कि हमको पैसा दो जिससे हम बढ़िया व्यापार कर सकें। जब अभिभावकों की तरफ से पैसा नहीं मिलता तो ट्रेन के नीचे कटने जाते थे। लेकिन यह मंडल कमीशन के विरोध में चलना शुरू हो गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तक समस्या का निदान आप नहीं करेंगे तब तक देश में कुछ होने वाला नहीं है। आज राजनीति में दो नम्बर के ही लोग आते हैं। यह वही नौजवान करते हैं जिनके पास काम नहीं होता। जब वे चोरी का काम करते हैं तो उनको जेल में ठूंसने का काम किया जाता है। जो नौजवान एम०ए० या पी०एच०डी० करते हैं और कश्मीर देखना चाहते हैं तो वे लखनऊ और दिल्ली तक भी नहीं पहुंच पाते। हमारे देहात में यह कहावत है कि "खाली बैठे को दिमाग शैतान का"। जब मस्तिष्क को काम नहीं मिलेगा तो उसका शिकार हमको और आपको पड़ेगा। जब मैं 1977, 1980 और 1995 में एम० एल० ए० था और 1989 में एम०पी० तो मेरे पास सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब है क्योंकि सुरक्षा के बिना चलना भय लगता है हम देखते हैं तो सारे के सारे पढ़े-लिखे नौजवान फ्रस्टट्रेट हो चुके हैं। कांग्रेस, जनता दल:

पार्टियां अपने उम्मीदवारों को टिकट देती हैं। लेकिन जो उम्मीदवार तीन-चार बार जीतता है तो उसको हटाने का इंतजाम किया जाता है। इस प्रस्ताव को लाने के लिए मैं श्री तेज नारायण सिंह जी को धन्यवाद देता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि कार्य के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया जाना चाहिए।

टाटा और बिड़ला जैसे उद्योगपतियों को छोटा सामान बनाने का लाइसेंस देना बन्द करो। जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको पूरे देश में घूमने के लिए कम से कम रेलवे का पास देने की व्यवस्था करें। कहीं कोई वेकेंसी हो तो वहां आवेदन करने के लिए पोस्टल आर्डर जोकि दस या बीस रुपये जितने का भी हो वह आप देने का काम करें।

यही मेरे सुझाव हैं। मैं आशा करता हूं कि यह सरकार आई है इसके घोषणा-पत्र में भी बेरोजगारों और किसानों के लिए लिखा है, उद्योग की भी चर्चा आपने अपने घोषणा-पत्र में बुलन्दी से की है। इस देश की जनता के साथ जो आपने वादा किया है उसको आप लागू करें, पूरा करें। मैं निश्चितरूप से कहता हूं कि जनता दल, वामपन्थी पार्टी और राष्ट्रीय मोर्चा के अन्य साथी, आप बेरोजगारों के लिए कोई बिल लायेंगे तो हम हृदय से साथ देकर कदम से कदम मिलाकर आपका साथ देने का काम करेंगे।

श्री के० प्रधानी (नवरंगपुर) : महोदया, मैं श्री तेज नारायण सिंह द्वारा रखे गये प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेना चाहता हूं। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है जहां 70 प्रतिशत श्रमिक कृषि पर आश्रित हैं और ये 80 प्रतिशत गांव में रहते हैं। भारत में 1951 में कृषि मजदूरों की संख्या 27.5 मीलियन थी जोकि 1971 में 47.5 मीलियन और फिर 1981 में 64.4 मीलियन हो गई। इसी तरह से छोटे और सीमान्त किसानों की संख्या भी 1971 में 36.2 मीलियन थी जोकि 1986 में 56.70 मीलियन हो गई। मेरा निवेदन यह है कि परिवारों के विभाजन तथा बिखराव के कारण परिवारों की जमीन टुकड़ों में बंट गई है और छोटे तथा सीमान्त किसानों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। छोटे तथा सीमान्त किसान हमारे देश की कार्य शक्ति व श्रम शक्ति हैं। कुछ भूमिहीन लोगों को छोड़कर यही लोग ही हमारे देश की श्रम शक्ति हैं।

महोदया, हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री आदरणीय श्री राजीव गांधी ने जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना लागू कि ताकि इन कामगारों को एक वर्ष में कम से कम एक सौ दिन तक तो रोजगार मिल सके। यह भी प्रस्ताव है कि एक परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार प्रदान किया जाये। ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी पंचायतों में यह कार्य वास्तव में हो रहा है और पंचायतें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अदा कर रही हैं क्योंकि यह एक सरकारी कार्य के रूप में किया जाता है तथा श्रमिकों को सरकारी मजदूरी की अदायगी की जाती है। किन्तु खेतीहर कामगार, जो खेतों में काम करते हैं, वर्ष में केवल तीन माह ही काम कर पाते हैं और वे सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी भी नहीं पाते। इसके पीछे कारण यह है कि किसानों को समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पाता जोकि उत्पादकों के लिये न्यायोचित होता है। यही कारण है जिससे उनको न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल पाती।

महोदया, मैं एक आदिवासी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, जहां पर भूमि के एक एकड़ पर चावल का उत्पादन केवल चार क्विंटल ही है, जोकि एक एकड़ पर केवल 1600/- रुपये का ही बनता

है और इस पर खर्च भी लगभग इतना ही हो जाता है। इस प्रकार उत्पाद को इससे कोई लाभ नह होता। इसी कारण से खेतीहर मजदूरों को अपने उत्पादन के लिये उचित मूल्य नहीं मिल पाता।

मैं एक ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधी हूं जहां की 80 प्रतिशत जनता गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। उनके पास रहने को उचित मकान नहीं हैं। वे अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने ं सक्षम नहीं हैं। खाने को उनके पास उचित भोजन नहीं है और यही कारण है कि वे रोगग्रस्त हो जात हैं। विगत दो वर्षों में, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तपेदिक फैल गया है। कुपोषण की वजह से लगभग एव हजार लोगों की जान चली गई। उड़ीसा राज्य की सरकार इस दिशा में कारगर कदम उठाने क स्थिति में नहीं है क्योंकि लोग इतनी बदस्थिति में हैं कि उनके मकान बहुत गन्दे हैं। झोपड़ में एक तरफ तो मवेशी बांधते हैं और दूसरी तरफ परिवार रहते हैं। वस्तुतः ये सब आवास में एक साथ रहते हैं। ये लोग अनपढ़ हैं और इन्हें इस बात का पता नहीं है कि स्वच्छता क्या होती है। इसलिये सरकार भी इसे नियंत्रित करने में कठिनाई का सामना करती है।

मैं कार्य के अधिकार के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। हमारे संविधान के अनुच्छेद 31 के अन्तर्गत प्रावधान यह है :

"राज्य अपनी नीति का, विशिष्ट तथा इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से—

(क) पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो;"

संविधान के अनुच्छेद 41 के अन्तर्गत यह प्रावधान है :

"राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने ं औ बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्हं अभाव की दशाओं में लोक सहायत पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबन्ध करेगा।"

यह केवल संविधान में लिख तो दिया जाता है परन्तु भारत जैसे सभी देशों में, जहां जनसंख्या बहुत अधिक है, यह व्यावहारिक नहीं है। इस समय देश की अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी हालत में नहीं है कि सभी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करा सके। शिक्षित बेरोजगार लोगों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती रही है। 1983 में बेरोजगार महिलाओं की संख्या 35 लाख थी जोकि अब 64 लाख हो गई है।

अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 25 लाख थी जोकि अब 33 लाख है। अनुसूचित जन-जाति के लोगों की संख्या 6 लाख थी जोकि अब 11 लाख हो गई है। शिक्षित तथा अशिक्षित दोनों ही क्षेत्रों में बेरोजगारी दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही है। सरकार ने इन लोगों को रोजगार पर लगाने के लिये अधिक से अधिक धन खर्च करने हेतु कुछ जोर दिया है। इन लोगों को रोजगार प्रदान करने का मुख्य तरीका यह है कि लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग लगाये जायें और इसके साथ-साथ कुछ नये उद्योग भी स्थापित किये जायें जिनमें निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र भी प्रवेश कर सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदया, हमारे साथी श्री तेज नारायण सिंह जो संकल्प लाये हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं।

महोदया, सबसे बड़ी चीज तो यह है कि हम यहां पर बेरोजगारी पर बहस चला रहे हैं। ...रोजगारी हमारे देश के लिए एक अभिशाप बना हुआ है और उसके परिणाम हमें भिन्न-भिन्न रूप में ...हीं बोडो, कहीं उल्फा, कहीं पार्टी युनीटी, कहीं एम०सी०सी०, कहीं आतंकवाद और कहीं उग्रवाद के ...प में देखने को मिल रहा है और कहीं पर अपराधवाद का काम चल रहा है। इन सब के पीछे ...क काम है—हत्या में विश्वास करना। यह सब क्या है, वही जिसके बारे में हम बहस कर रहे हैं— ...रोजगारी। बेरोजगार लोगों को कोई दूसरा काम नहीं मिल रहा है तो उनका दिमाग दूसरी तरफ ...ा रहा है। वे यही समझते हैं कि इसी काम से हमको रोजगार मिलेगा। यह कितना बड़ा संकट है ...मारे देश के ऊपर बेरोजगारी का? बेरोजगारी के बारे में सिर्फ बहस चलाने से काम नहीं चल सकता ...। हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इस समय चीन की सबसे ज्यादा जनसंख्या है लेकिन उसके ...लिए वहां की सरकार ने कुछ कठोर कदम उठाये हैं। चाहे उसके परिणाम अच्छे हों या बुरे लेकिन उसने कदम उठाये हैं। वहां पर एक से ज्यादा बच्चा नहीं होगा, ऐसा कदम उठाया गया है। यदि हम भी इस पर काबू पा सकते हैं, या कमी ला सकते हैं तो जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मुहैय्या कर सकते हैं।

दूसरी चीज है कि हमारी सरकार बेरोजगार लोगों के लिए ग्रामीण विकास के अंदर कुछ रोजगार देने की योजना चलायी है और उस पर काफी पैसे खर्च किए गए हैं। पढ़े-लिखे लोग या कम पढ़े लिखे लोग दोनों तबके के लोगों के लिए ये योजना चलायीं गई है, लेकिन एक भी योजना इनकी सार्थक नहीं रही। अगर सार्थक योजना होती तो सचमुच में बेकारी का जो आंकड़ा दिया जा रहा है कि 86 में इतना, 87 में इतना, 89 में इतना, इस आंकड़े की जरूरत नहीं, इसमें कमी की जरूरत थी लेकिन बढ़ोतरी दिखाई जा रही है। महोदया, यह बात सही है कि गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का मतलब है कि रोजगार देंगे तो गरीबी रेखा से ऊपर उठेंगे। शहरों और गांव में जो रोजगार चलाया पढ़े लिखे लोगों के लिए, जो बेकार बैठे हुए हैं, उस योजना में आज तक क्या हुआ? वह पूर्णतः विफल हो गई।

विफल क्यों हुई? भ्रष्टाचार रूपी राक्षस ने उसको चबा लिया, उसको खा गया। आज ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक द्वारा जमीन गरीब लोगों को दी जा रही है गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए। इस सदन में बराबर 8वीं लोक सभा से यह हंगामा हुआ, पूरे देश के लोगों ने यहां पर कहा कि इस देश में इतना भ्रष्टाचार है कि सचमुच में जिनको उठाना है, उन तक ये पैसा नहीं जा रहा है। खुद हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री राजीव जी ने कहा था कि अगर एक रुपया हम देते हैं तो उसमें से 15 पैसे गांव में जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि जिस देश के प्रधान मंत्री ने यह बात कही थी, वह गलत नहीं कही थी, वह सही कही थी, लेकिन इस पर कहां ध्यान दिया, कहां लोगों ने इस पर सोचा? नहीं सोच सके, और वह 85 पैसा जिनकी जेब में गया वह कुछ लोग निश्चित तौर पर धनी हो गए वह धनवान हो गए, चाहे बैंक का कर्मचारी हो, बैंक का अफसर हो या ब्लॉक का कर्मचारी हो या बीच का बिचौलिया हो, वह इससे ज्यादा फल गया, लेकिन जिसके लिए योजना बनी, वह गरीब का गरीब ही रहा। हमने कई बार कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए।

कुटीर उद्योग की बात लीजिए। जैसे गांव में बढ़ई हो, लुहार हो, कुम्हार हो, इन्हें कुछ धंधा करने के लिए, तथा साबुन बनाने के लिए, अगरबत्ती बनाने के लिए एक रकम तय की गई कि हम 35,000 तक उद्योग करने के लिए दे सकते हैं। उससे होता क्या है? 35,000 में से 10,000 रुपया भ्रष्टाचार की वेदी पर चढ़ जाता है और 25,000 वह खा-पीकर पचा जाते हैं और 25,000 में कौन-सा उद्योग होता था? इस बात पर भी सरकार ध्यान नहीं दे सकी चाहे वह आज की मौजूदा

सरकार हो या पहले की सरकार हो। इसके पहले भी आपके सामने यह बात रखी गई लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हम यहां रोना रोते रहे बेरोजगारी-बेरोजगारी। ये बेरोजगारी कैसे दूर होगी ?

महोदया, अभी कुछ लोग यहां आए हुए हैं बिहार से। वे सभी के सभी डबल एम०ए० और पी०एच०डी० किए हुए यहां 500 आदमी धरने पर बैठे हुए हैं। वे लोग कौन हैं ? वे सभी के सभी शिक्षा प्राप्त किए हुए लोग हैं और भिन्न-भिन्न सम्बद्ध महाविद्यालय में शिक्षक हैं। जो वित्त रहित महाविद्यालय हैं। वित्त रहित कोई महाविद्यालय होता है क्या ? और आप बेरोजगारी दूर करने की संस्थाओं में 30,000 और 40,000 लेकर उनको रखा भी और आज तक 12-14 वर्ष बाद भी उन लोगों को मेहनतानों का भुगतान नहीं होता है। वे सभी लोग बोट क्लब पर धरना दिए हुए हैं, लेकिन किसी मंत्री ने उनको मिलने की नहीं सोची। वे नौजवान हैं जिनको एक पैसा भी नहीं मिल रहा है। कहते हैं यह राज्य सरकार की बात है। राज्य सरकार ने जो किया है उसका फल तो उसे मिल रहा है और अब केन्द्र सरकार में आ गया है तो इसको कौन देखेगा ? आपको सोचना होगा कि आज क्या उनके साथ हो रहा है ? मसले को बहुत हल्के-फुल्के ढंग से बहस करके छोड़ना नहीं चाहिए। अगर इन में श्रद्धा है, देश के प्रति भक्ति है, राष्ट्र के प्रति भक्ति है तो इन बेरोजगारों को काम दीजिए। बेरोजगारी देश को कमजोर कर रही है।

देश को अपराध की तरफ झुकाए जा रहा है, जिस देश के नौजवान की इतनी बड़ी संख्या है, अगर वह बेकार रहेगा, तो कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाता ही रहेगा। इसलिए हम इस बात का आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि अगर इस विषय पर यहां बहस चलाई है, तो सरकार को इस बारे में कुछ सोचना चाहिए।

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति महोदया, मेरा निवेदन है कि चूंकि इस संकल्प पर बहस लगभग 25 मिनट विलम्ब से शुरू हुई थी इसलिए इस पर बहस के लिए 25 मिनट का समय और बढ़ाया जाए, क्योंकि यह हमारा अपना समय है।

[अनुवाद]

सभापति महोदया (श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य) : चर्चा प्रारम्भ करने में हमें 13 मिनट की देरी हुई है। इसलिये हम इसे 13 मिनट तक आगे बढ़ा सकते हैं।

कई माननीय सदस्य : हम इससे सहमत हैं।

सभापति महोदय : सभा का समय 6.13 म०प० तक बढ़ाया जाता है।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदया, थर्टी मिनट कर दीजिए।

सभापति महोदया (श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य) : अगले हफ्ते में हो सकता है।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : महोदया, अभी जो बात चल रही है, जो हमने अपने माननीय सदस्यों से सुनी, यह बात सत्य है कि हमारे यहां जो शिक्षा नीति चलाई गई है, उसका भी परिणाम है कि आज इतनी बड़ी संख्या में बेरोजगार हैं। हमारे यहां भिन्न-भिन्न किस्म की शिक्षा नीति चलाई गई हैं और शुरू से हम इस बात के लिए जोर देते रहे हैं कि देश में शिक्षा में एकरूपता होनी चाहिए।

एक सिलेबस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, विभिन्न सिलेबस चलाए जा रहे हैं। धनवानों के लिए अलग, महाधनवानों के लिए, निर्धनों के लिए अलग, संसार में ऐसी कोई और दूसरी सरकार नहीं होगी जहां एक ही देश के लोगों के लिए भिन्न-भिन्न शिक्षा नीति हो, ऐसा कहीं नहीं है।

महोदया, दूसरी बात यह है कि कहा जाता है कि शिक्षा रोजगारोन्मुखी होनी चाहिए। हमारे यहां आई० टी० आई० में बढ़ई का काम सिखाया जाता है, लोहारगीरी का काम सिखाते हैं, मैकेनिज्म सिखाते हैं। ये आई० टी० आई० सरकारी क्षेत्र में चल रही हैं, लेकिन वहां से जो निकलने वाले छात्र हैं, उनके पास न पैसा है न पूंजी है और न नौकरी। सरकारी क्षेत्र में जो शिक्षा दी गई है, वह भी तो रोजगारोन्मुखी शिक्षा है, वे लोग भी तो बेकार घूम रहे हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि जो लोग आई० टी० आई. कर के निकले हैं, उनको सरकार रोजगार में लगाए या कारखाने वगैरह में प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दे। क्योंकि सरकारी खर्चे पर पढ़कर आते हैं, उन सब लोगों को तो काम मिलना ही चाहिए।

सभापति महोदया, तीसरी बात यह है कि इस बेरोजगारी को कैसे कम किया जाए, इसके लिए मेरा एक सुझाव है। देश के लोगों का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि पर, जमीन पर निर्भर कर रहा है, लेकिन आज हमारी खेती भी घाटे का सौदा हो गई है। इसलिए लोग खेती में नहीं लग पा रहे हैं। खेती आज अलाभकर हो गई है, इसलिए लोग खेती करने में भी मजबूरी अनुभव करते हैं जिसके कारण दसवीं कक्षा बच्चा पढ़ा और नौकरी के लिए तैयार हो जाता है। आज हमारी कृषि यदि उन्नत होती, लाभकर खेती होती, लोग बहुत अच्छे फार्म चलाते और राष्ट्र को बहुत शक्तिशाली बनाते, लेकिन इस सरकार ने कृषि पर भी ध्यान नहीं दिया। उसी का आज यह परिणाम है कि हमारे यहां इतनी बड़ी संख्या बेकारों की बढ़ती गई।

महोदया, चौथी बात यह है कि गांव को यदि सुंदर ढंग से बनाया जाता, तो भी कुछ हद तक बेकारी की संख्या में कमी होती, लेकिन जितने सुंदर ढंग से गांवों को बनाया जाना चाहिए, जितनी तरक्की करनी चाहिए थी, उतनी नहीं की गई। हुआ यह कि शहरों को सुंदर बनाने के लिए ज्यादा खर्च किया गया और गांव उपेक्षित रह गए क्योंकि इनको अपना राज्य चलाना है। इनका राज्य तो तभी चलेगा, जब शहर सुंदर होंगे क्योंकि इन्होंने राज्य चलाने के लिए तो शहरों में बैठना है। इनको तो अपना राज्य चलाना है, भले ही गांवों में नौजवान बेकार हो जाएं, तो उसके लिए इन्हें कोई चिन्ता नहीं है।

सभापति महोदय, सब बातों को कहकर और अपनी बात को ज्यादा न बढ़ाते हुए मैं समाप्त करता हूं कि यह बहुत बड़ी समस्या है, इस बात को स्वीकार करते हुए, इस पर सोचना चाहिए और जब तक आप नहीं सोचेंगे, देश कमजोर होता जाएगा। देश का खर्च बहुत बढ़ रहा है। मैं आपको भी धन्यवाद देते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं।

6.10 म० प०

श्री अष्ट-भुजा प्रसाद शुक्ल (खलीलाबाद) : महोदया, बेरोजगारी एक ऐसा सवाल है जिससे पूरा समाज चिन्तित है। चाहे कोई भी राजनैतिक दल हो, इस समस्या से निपटना चाहते हैं। लेकिन आज तक जो भी सरकार आई, बेरोजगारी के सवाल को समाप्त करने के लिए जो कदम उठाने चाहिए वे नहीं उठाए। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता क्योंकि सही आंकड़े लाने के लिए जैसे मतदाता सूची बनाई जाती है जनगणना जैसे कराई जाती है उस प्रकार से युद्धस्तर पर काम लेना पड़ेगा, योजना बनानी पड़ेगी। तभी हो सकता है। यह सत्य है कि बेरोजगारी की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है।

बेरोजगारी और गरीबी एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास पर बेरोजगारी का बहुत बड़ा असर पड़ता है। आज हालात जो भी हैं उनमें जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग भोग तो कर रहा हैं लेकिन उत्पादन में अपनी सहभागिता नहीं निभा पा रहा है। बेरोजगारी घटने के बजाए निरंतर बढ़ रही है। यह अब तक बनी हुई आर्थिक और सामाजिक गलत नीतियों का परिणाम तो है ही, योजना आयोग की अदूरदर्शिता का भी परिणाम है। प्रशासन एवं सामाजिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण है। ऐसा नहीं है कि आजादी मिलने के बाद कुछ काम नहीं हुआ है, कुछ काम तो हुआ है लेकिन साक्षरता और रोजगार विकास राज्य के अनुसार जिस तरह होना चाहिए नहीं हुआ है। शायद योजना बनाते समय योजना आयोग ने भी राज्यवार प्रगति को ध्यान में रखकर योजना नहीं बनाई है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि योजना आयोग जब भी अपनी योजना कार्यान्वित करे तो राज्यवार प्रगति को ध्यान में रखकर साक्षरता और रोजगार देने का उपाय करे।

आज अखबारों में हम पढ़ते हैं कि नौजवान आतमहत्या कर रहे हैं। एक तरफ नौजवान आत्महत्या कर रहा है दूसरी तरफ गांव से शहर की ओर आ रहा है। शहरों में आने के बाद विदेशों की तरफ जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि चालीस हजार प्रतिभाएं हमारे देश से विदेशों में जाकर अन्य देशों को उन्नति की ओर ले जा रही हैं। इसका कारण क्या है? जब हम कारण की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि वास्तव में हमने लोगों के रोजगार के अवसर नहीं दिए। आज हम देखते हैं कि शिक्षित अध्यापक बेकार पड़े हैं, पढ़ाने के लिए विद्यालय नहीं हैं। 45 प्रतिशत ऐसे विद्यालय हैं जिनमें अलग-अलग कक्षाओं में पढ़ाने के लिए तीन या चार अध्यापक हैं। एक तरफ विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है और दूसरी तरफ अध्यापक बेकार पड़े हैं, इससे यह साबित होता है कि हमने रोजगार के अवसर पर कितनी सूझबूझ के साथ निर्णय लिया है। इसका समाधान हो सकता था अगर हमने अपनी नीतियों को ठीक बनाया होता। आजादी मिलने के तुरत बाद हमारी नीतियां बड़े-बड़े उद्योगों की तरफ, शहरों की तरफ गईं। बड़े-बड़े उद्योगों में कुछ लोगों को रोजगार मिला होगा लेकिन सबको नहीं मिल सकता। जिनको रोजगार मिला, जिन फैक्ट्रियों में मिला, आज इतने वर्षों बाद एक लाख से ज्यादा फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो बन्द पड़ी हैं। और उन फैक्ट्रियों के बन्द होने का कारण क्या दीखता है, उन फैक्ट्रियों को कच्चा माल न मिलने के कारण है। इसलिए हमारी नीति अगर इस सोच से बनी होती कि कच्चा माल कहां से पैदा होगा, अगर यह सवाल आया होता तो नीतियां बनाने वालों का ध्यान खेत की तरफ गया होता और गांव की तरफ गया होता। उन्हें किसान को केन्द्र बनाना चाहिए था, खेती को उद्योग का दर्जा देना चाहिए था। 80 परसेन्ट लोग जो गांवों में रहते हैं और खेती पर निर्भर रहते हैं उनकी तरफ ध्यान दिया होता तो आज यह हालत नहीं होती। इसके अतिरिक्त किसान को खाद, बीज, बिजली, पानी, कीटनाशक दवाइयां, खेती के काम में आने वाले उपकरण सस्ते देने चाहिएं थे और जब वह पैदावार लेकर बाजार में आता तो उसको लाभकारी दाम देना चाहिए था। जिस दिन किसान के हाथ में लाभकारी पैसा आता और फिर किसान ने उस पैसे को खेत में लगाया होता तो स्थिति काफी अच्छी होती।

उस कच्चे माल से उद्योग धन्धे चलते, उद्योग धन्धों से लोगों को मिलती नौकरी इसलिए महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि हमें नीतियां बदलनी होंगी। हमें पहले कृषि को उद्योग मानना पड़ेगा।

हमारे कथकरघे चलते थे, लोग कहते हैं कि हमारे यहां साड़ियां जो थीं लोग पहनकर देखा करते थे। हमारे यहां हाथ की कला की बहुत तारीफ होती थी। मैं बहुत इस चर्चा में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसमें

बहुत समय लग जाएगा लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज हथकरघे बन्द हो रहे हैं, कारण क्या है, आज पावरलूम बीमार पड़ गये हैं, कारण क्या है, सूजरलूम का फैशन आ रहा है। एक सूजरलूम के लगने से 500 लोगों का रोजगार चला जाता है। इसलिए रोजगार की नीति को बदलना होगा, वस्त्र नीति को बदलना होगा।

करोड़ों रुपए स्वरोजगार के नाम पर खर्च कर दिए गए। कितने लोगों को रोजगार मिला स्वरोजगार के नाम पर? पैसा तो हमने दिया लेकिन उस पैसे के माध्यम से कितने लोगों को रोजगार के रूप में हम विकसित कर सके, एक बहुत उठा हुआ मूलभूत सवाल है। साबुन, दियासलाई और अगरबत्ती बनाने के नाम पर पैसा दिया लेकिन बाजार में विक्रय का साधन नहीं था। दूसरा कारण यह था कि हमने पैसा तो दिया लेकिन पैसा हमारे पास लौटकर आया नहीं, पैसा तो हमने दिया लेकिन जिसको रोजगार देने के लिए दिया वह रोजगार कर पाया नहीं इसलिए कि जिस रोजगार को करने में जितना पैसा देना चाहिये था, उतना पैसा नहीं दिया। जिस उद्योग को बाजार की सुविधा देनी चाहिये थी उसको विक्रय का साधन नहीं दिया, जिस उद्योग को जहां लगाना चाहिए वहां लगाया नहीं इसलिए स्वरोजगार की योजना फेल हो गई। बाकी प्रांतों की मैं नहीं जानता लेकिन उत्तर प्रदेश में स्वरोजगार योजना सफल नहीं हुई। नौजवान आज भागा-भाग फिर रहा है, उसके पीछे-पीछे वसूली की एक दौड़ लगी हुई है। एक अजीब स्थिति है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वास्तव में सरकार यदि बेरोजगारी के सवाल पर गंभीर है तो उसको कुछ तय करना पड़ेगा। जो बड़े उद्योगों में सामान बनेगा, वह मझोले उद्योगों में नहीं बनेगा। उद्योगों का वर्गीकरण करके, उनमें सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा। सभी उद्योगों को एक दूसरे का पूरक बनाना पड़ेगा। अतः हर हाथ को काम, काम का उचित दाम (श्रमिकों के श्रम को, किसानों को उत्पादन का) जहां मांग वहां काम। हमें स्थान-स्थान पर कच्चे माल के उत्पादन के अनुसार उद्योग लगाना पड़ेगा और लिए किसानों, नौजवानों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। इनमें खेती के प्रति रुचि और उन्नति का विश्वास पैदा करना पड़ेगा।

हमारी शिक्षा नीति ने भी कम योगदान नहीं दिया है, बेकारी के सवाल पर। जबसे हमने होश संभाला है तब से जो भी सरकार आती है चाहे किसी भी राजनीति दल की हो एक ऐसी शिक्षा नीति लाने की बात करती है जिसके आधार पर लोगों को रोजगार मिलेगा। आज की शिक्षा नीति है क्या? किसने परिवर्तन नहीं किया? डिग्रियां आज माध्यम बन रही हैं नौकरियों में और लोग देखते हैं कि किसी भी प्रकार से डिग्री को प्राप्त करना आवश्यक है, नहीं तो हमें नौकरी मिलने वाली नहीं है। किसी भी प्रकार से डिग्री को हासिल करने की होड़ लगी है। ज्ञान प्राप्त करने की नहीं। एक तरफ जहां ऐसा माहौल है, दूसरी तरफ हमारी शिक्षा नीति की जो दोहरी व्यवस्था है वह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है। एक तरफ गांव में चलने वाला प्राइमरी स्कूल है, जहां लड़का अपने घर से टाट-पट्टी लेकर बैठने के लिए आता है, जहां गांव में चलने वाले विद्यालयों में पढ़ाने वाला अध्यापक गांव के किसी घर से चारपाई मंगाकर बैठकर पढ़ाता है। गांव में चलने वाले वह विद्यालय हैं, जहां के लोग दो रुपए तक की फीस नहीं दे सकते, अपने लड़के को पढ़ा नहीं सकते। पांच वर्ष की अवस्था में नंगे शरीर, अंडरवीयर पहनकर काम करने वाले लड़के दीखते हैं, उन लड़कों को शिक्षा की जरूरत होनी चाहिये। उनको शहरों में रहने वाले बड़े-बड़े लोगों के बीच में खड़ा करने के लिये मनोबल चाहिये। इन्हें विकास के साधन चाहियें, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए।

दूसरी तरफ क्या है, अच्छे-अच्छे ट्यूटर्स चाहिए, अच्छे विद्यालय चाहिए, गाड़ी में जाना चाहिये, एयरकण्डीशंड कमरा चाहिये, उन दोनों को नौकरी के लिये एक ही कम्पीटीशन में खड़ा होना है, इस

सवाल को सोल्व करना पड़ेगा इसलिये गांवों में रहने वाले लोगों को, गरीबों को, मजदूरों को, उनके लड़कों को, किसान के उस लड़के को जिसके पैर की बिवाई एक अंगुल गहरी है लेकिन 50 पैसे का मोम नहीं खरीद पाता, जिसको भरकर वह अपनी दवाई कर सके, उसके लड़के को रोजगार देना, उसके लड़के को नौकरी देना, उसके लड़के को शिक्षा देना, जब तक इस बात का केन्द्र मानकर कोई नीति नहीं बनती तब तक इस देश से बेरोजगारी के सवाल का समाधान नहीं होने वाला। शिक्षा नीति अब ऐसी नहीं बननी चाहिये जो रोजगार दे सके, मैं तो कहना चाहता हूं कि इस देश की आवश्यकता ऐसी शिक्षा नीति की है, ऐसी क्षमतावान शिक्षा नीति की है, जो देश की आवश्यकता के अनुसार रोजगार का उत्पादन कर सके, जहां लोगों को रोजगार मिले।

मैं समझता हूं कि संक्षेप में, जितना हमें समय दिया है, हम समय से अपनी बात समाप्त करते हैं। हमें आपने अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हरीश नारायण प्रभु झांटये (पणजी) : सभापति महोदय, बेरोजगारी की समस्या गांवों में और भी अधिक गंभीर है। हम सभी जानते हैं कि 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। इसलिये मैं ग्रामीणों द्वारा झेली जा रही समस्याएं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। मेरे बहुत से महानुभाव तथा माननीय वरिष्ठ सदस्य जो पहले से ही इस विषय पर अपने विचार रख चुके हैं, ने अपने अमूल्य सुझाव दिये हैं। बल्कि मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा। आज बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है जोकि हम सभी झेल रहे हैं और दिन-प्रति-दिन यह बद से बदत्तर होती जा रही है। आज हम जिन सामाजिक बुराइयों को झेल रहे हैं, उनमें से अधिकतर बेरोजगारी के कारण हैं। जन-संख्या में वृद्धि ही बेरोजगारी का एकमात्र कारण नहीं है। यह केवल उन साधनों में से एक है जो बेरोजगारी में सहयोग दे रहे हैं।

मेरी राय में बेरोजगारी पैदा करने वाला मुख्य कारण बच्चों को, ठीक उनके बचपन से ही, उचित शिक्षा का अभाव है। हमें यह महसूस करना चाहिये कि शहरी विद्यार्थियों तथा ग्रामीण विद्यार्थियों का शिक्षा स्तर बिल्कुल भिन्न होता है। शहर के विद्यार्थी जिस माहौल में उभरते हैं, वह गांव की अपेक्षकृत विकास के अधिक अनुकूल होता है। यही कारण है कि शहर के विद्यार्थी अपने जीवन में निखर जाते हैं और अच्छी-अच्छी नौकरियां, स्थान प्राप्त करते हैं और इस प्रकार सम्मान-पूर्वक जीवन जीते हैं जबकि पड़ोस व घर की परिस्थितियों तथा निर्धनतावश, गांवों के बच्चे कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं को भी मुश्किल से पास कर पाते हैं। और यदि उनमें से कुछ पास कर भी लेते हैं, वे उच्च शिक्षा, आगे बढ़ने के लिये साधन नहीं जुटा सकते, वे शहरी विद्यार्थियों से प्रति-योगिता नहीं कर सकते क्योंकि शिक्षा का उनका स्तर बहुत नीचा होता है। ऐसा विगत 40 वर्षों से हो रहा है और परिणामतया शहरी विद्यार्थी अधिक समृद्ध बन गये हैं जबकि गांवों के विद्यार्थी उत्तरोत्तर निर्धन होते जा रहे हैं।

बेरोजगारी कुण्ठा को जन्म देती है। यह कुण्ठा ही उन सभी सामाजिक बुराईयों का मूल कारण है जिन्हें हम अपने समाज में और अपने जीवन के चतुर्दिक देखते हैं। इसलिए यदि हमें बेरोजगारी पर नियंत्रण रखना है, हमें गांवों पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। सबसे पहले तो हमें ऐसी विस्तृत शिक्षा देनी होगी जोकि व्यक्ति के चरित्र का सार्वभौमिक विकास कर सकेगी, इसके अन्दर छिपे गुणों को उभार सके तथा जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करने के लिये उसमें आत्मविश्वास पनपा सके। कड़ा परिश्रम, निष्ठा, राष्ट्र के लिये समर्पण और पक्का इरादा ऐसे सद्गुण हैं जोकि बचपन से ही सिखाये जाने चाहिये। इस किस्म की उत्तम शिक्षा केवल तभी संभव है जब बड़े पैमाने पर आवासीय

विद्यालय खोले जायें। यदि छात्र कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षायें पास करने के बाद वे अपना रास्ता स्वयं चुन लेंगे और हम सभी को उन्हें, उनकी लक्ष्य की प्राप्ति के लिये सहायता जुटानी चाहिये। एक बार नींव मजबूत हो जाने पर, अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों के आगामी अवसर इन विद्यार्थियों के द्वार पर लाये जाने चाहियें ताकि इनका भविष्य उज्ज्वल बनाया जा सके। यह सभी प्रयास उनके जीवन में एक नया अध्याय प्रारम्भ करने में सहायक होंगे और इससे वे इस महान देश के योग्य नागरिक बन पड़ेंगे।

उत्तम शिक्षा प्रदान करने के बाद अगला कदम गांवों में नये उद्योगों की स्थापना करना होगा। इसे बढ़ावा देने के लिये उद्यमियों को सभी प्रकार की सुविधाएं और प्रोत्साहन दिये जाने चाहियें। सरकार को भी गांवों में नये उद्योगों की शुरूआत के लिये आवश्यक आधारभूत संरचना सृजित करनी चाहिये। इन नये उद्यमियों के लिये राहत सहायता, बिक्रीकर छूट, वित्त व्यवस्था, तकनीकी जानकारी विपणन तथा अन्य सभी सुविधाएं पहले से उपलब्ध करायी जानी चाहियें।

मेरी राय यह है कि यदि मेरे इन दोनों सुझावों को सही रूप में लागू किया जाता है तो आप देखेंगे कि आने वाले 15 से 20 वर्षों में गांवों का माहौल बदल जायेगा और यह शहरों के माहौल के बराबर हो जायेगा। अन्य कोई भी प्रयास बेरोजगारी की इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पायेगा।

एक परिवार-एक रोजगार का मापदण्ड अपनाया जाना चाहिये। यदि एक गरीब परिवार में किसी को भी सरकारी नौकरी नहीं मिलती, उस परिवार को वरीयता दी जानी चाहिये ताकि इस परिवार का कम से कम एक सदस्य सरकारी नौकरी में आ सके।

सभापति महोदय : सभा अब सोमवार दिनांक 9 सितम्बर, 1991 प्रातः 11-00 म० पू० पर समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

16 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार दिनांक 9 सितम्बर, 1991 प्रातः 11-00 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

———

: प्रिन्टवैल प्रिंटर्स, पटपड़ गंज

पी. एल. एस. 48/4/40/91 (एन०)
225

© प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (सातवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और
प्रबंधक प्रिन्टवेल प्रिंटर्स, 126, पटपड़गंज, दिल्ली-110091 द्वारा मुद्रित